भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

(राजस्व विभाग-सीमाशुल्क)

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

2016 की संख्या 5

विषय सूची

	अध्याय	पैरा संख्या	पृष्ठ
प्राक्कथन			*ii*
कार्यकारी सार			*iii*
शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली			*vi*
सीमाशुल्क राजस्व	*I*		1
सीमाशुल्क प्राप्तियों की वृद्धि, प्रवृत्ति और संयोजन		1.1 से 1.8	1
कर प्रशासन		1.9 से 1.18	7
सुगमता मुद्दे		1.19 से 1.24	15
सीमाशुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई		1.25 से 1.29	20
अनन्तिम निर्धारण (सीमा शुल्क)	*II*	2.1 से 2.30	25
आयातित/पुनः आयातित माल का पुनः निर्यात	*III*	3.1 से 3.45	51
सीमाशुल्क राजस्व का निर्धारण	*IV*	4.1 से 4.10	85
शुल्क छूट/शुल्क माफी योजनाएँ	*V*	5.1 से 5.10	111
सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग	*VI*	6.1 से 6.6	127
माल का गलत वर्गीकरण	*VII*	7.1 से 7.7	135
अनुबंध		1 से 45	144

प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति के प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग- सीमाशुल्क की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम अन्तर्विष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टान्त वे हैं जो 2014-15 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आए तथा वे जो पूर्व वर्षों में देखने में आए परन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके; 2014-15 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टान्त भी जहां कहीं आवश्यक हुए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई हैं।

कार्यकारी सार

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1,88,016 करोड़ की सीमा शुल्क प्राप्तियों में पिछले वित्तीय वर्ष में नौ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जिसमें अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 34 प्रतिशत और सकल कर राजस्व का 15 प्रतिशत बनता है। जीडीपी में संग्रहीत सीमा शुल्क के अनुपात में 1.5 प्रतिशत की कमी आई, तथापि, छोड़े गए शुल्क में पिछले पांच वर्षों में ₹ 4,97,945 करोड़ तक 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

इस रिपोर्ट में ₹ 1162 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ है, इसमें ₹ 37,852 करोड़ मूल्य के कुछ प्रणालीगत एवं आंतरिक नियंत्रण मामलों के अलावा 122 पैराग्राफों को कवर किया गया है। इसमें ₹ 82 करोड़ मौद्रिक मूल्य वाले 80 पैराग्राफ शामिल है जिन पर विभाग/मंत्रालय द्वारा कारण बताओ नोटिस पर निर्णय लेते हुए और ₹ 22 करोड़ की वसूली हेतु कारण बताओं नोटिस जारी करके परिशोधन कार्रवाई की गई थी। इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुल महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।

अध्याय I: सीमाशुल्क राजस्व

इस अध्याय में वित्त लेखों, विभागीय लेखों और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध संबंधित डाटा से डाटा का उपयोग करके सीमाशुल्क में प्रवृत्ति**,** संघटन और प्रणालीगत मामलों पर चर्चा की गई है।

- जीडीपी के अनुपात के रूप में सीमा शुल्क राजस्व में वि.व. 14 और वि.व. 15 में गिरावट की प्रवृति दर्ज की गई।

{पैराग्राफ 1.5}

- वि.व. 15 के दौरान नियातों में 0.45 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज हुई जबकि आयातों में 0.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सीमा शुल्क प्राप्तियों में उसी अवधि के दौरान 9 प्रतिशत वृद्धि हुई।

{पैराग्राफ1.6 से1.8}

- छोड़े गए राजस्व में निर्यातों में अनुरूप वृद्धि के बिना चरघातांकी तरीके से वृद्धि हुई। योजनाओं के अंतर्गत छोड़े गए कुल राजस्व का 80 प्रतिशत पांच योजनाओं के कारण था।

{पैराग्राफ1.11}

- वित्तीय वर्ष 15 की समाप्ति पर विभाग द्वारा मार्च 2015 तक मांग किए गए ₹ 20,808 करोड़ के सीमा शुल्क की उगाही नहीं की गई थी। इसमें से ₹ 6,211 करोड़ अविवादित था। वि.व.15 के दौरान आठ जोनों में लगभग 76 प्रतिशत कुल राजस्व बकाया की गणना की गई थी।

{पैराग्राफ1.13}

अध्याय II: अनंतिम निर्धारण (सीमा शुल्क)

- अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने में असामान्य विलंब हुए थे और इसके परिणामस्वरूप राजस्व की उगाही में स्थगन हुआ। ₹ 108389.37 करोड़ से अधिक मूल्य के बॉण्ड 36000 मामलों से अधिक सीमा शुल्क राजस्व के संग्रहण हेतु 6 माह से अधिक समय से लंबित पड़े थे।
- अनंतिम निर्धारण, अनंतिम शुल्क, बॉण्ड और बैंक प्रत्याभूति प्रबंधन से संबंधित सीमा शुल्क नियमों, विनियमों के अननुपालन के कई मामले थे। आईसीईएस 1.5 में अनन्तिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए मॉडयूल को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- लेखापरीक्षा ने व्यवस्थित कमियों के अतिरिक्त किसी प्रतिभूति या बैंक गारन्टी के बिना ₹ 28679.48 करोड़ मूल्य के निष्पादित बॉण्डों के जारी करने सहित ₹ 545.92 करोड़ मूल्य के मामले देखे जिन्हें परिमाणित नहीं किया जा सका।

{पैराग्राफ2.1 से 2.30}

अध्याय III: आयातित/पुनः आयातित माल का पुनः निर्यात

- पुन:निर्यात संव्यवहारों के प्रबंधन, बॉण्ड प्रबंधन पर अपर्याप्त सूचना और कमिश्नरियों द्वारा पुनः आयात/निर्यात अभिलेखों के अनुचित रखरखाव के परिणामस्वरूप कमिश्नरियों और सीबीईसी द्वारा अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण, प्रबंधन और मॉनीटरिंग हुई।

- लेखापरीक्षा ने केवल 26 प्रतिशत व्यापार संव्यवहारों के आधार पर ₹ 308.26 करोड़ मूल्य की अनियमितताएं देखी विशेष रूप से सीमाशुल्क राजस्व वहन करने वाली सामग्री पर अधिसूचनाओं की शर्तें, अधिनियम के प्रावधानों या बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों के अननुपालन के मामलों में। आंतरिक नियंत्रण की कमी और चूक तथा प्रणालीगत अपक्रिया के कुछ अन्य मामले देखे गए जिन्हें कमिश्नरियों/सीबीईसी के पास आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण परिमाणित नहीं किया जा सका था।

{पैराग्राफ 3.1 से 3.45}

अध्याय IV: सीमा शुल्क राजस्व का निर्धारण

हमने कुल ₹ 53.65 करोड़ के सीमाशुल्क के गलत निर्धारण का पता लगाया। ये मुख्यत: टीईडी प्रतिदाय राशि की वसूली न करने, सीमाशुल्क लागत वसूली प्रभारों की वसूली न करने, लागू एन्टी डम्पिंग शुल्क का कम उदगृहण या उदगृहण किए बिना निष्कासित आयातों, विदेशी शराब के आयात, विशेष मूल्यांकन आदि के कारण थे।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.10}

अध्याय V: शुल्क छूट/शुल्क माफी योजनाएँ

- निर्यातकों/आयातकों से ₹ 168.94 करोड़ का राजस्व बकाया था जिन्होंने शुल्क छूट योजनाओं का लाभ लिया था किन्तु उन्होंने निर्धारित दायित्व/शर्तें पूरी नहीं की थीं।

{पैराग्राफ 5.1 से 5.10}

अध्याय VI: सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

- छूट अधिसूचनाओं के गलत लागूकरण के कारण ₹ 1.52 करोड़ के शुल्क का कम उदगृहण हुआ।

{पैराग्राफ 6.1 से6.6}

अध्याय VII: माल का गलत वर्गीकरण

- सामानों के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 1.70 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

{पैराग्राफ 7.1 से 7.7}

शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली

विस्तृत रूप	संकेताक्षर
अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम	एसीपी
अग्रिम प्राधिकरण	एए
प्राधिकृत आर्थिक संचालक	एईओ
अग्रिम छूट आदेश	एआरओ
एंटी डंपिंग शुल्क	एडीडी
आधारभूत सीमाशुल्क	बीसीडी
प्रविष्टि रसीद	बीई
समेकित भुगतान और लेखांकन पैकेज	कॉमपैक्ट
कस्टम्स टैरिफ हेडिंग	सीटीएच
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड	सीबीईसी
केंद्रीय उत्पाद टैरिफ हेडिंग	सीईटीएच
केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन	सीएसओ
केंद्रीय बिक्री कर	सीएसटी
लागत बीमा भाड़ा	सी.आई.एफ.
सीमाशुल्क कमिश्नरी	कमिश्नरी
प्रतिकारी शुल्क	सीवीडी
डाटा प्रबंधन निदेशालय	डीडीएम
राजस्व विभाग	डीओआर
वाणिज्य विभाग	डीओसी
विदेशी व्यापार महानिदेशालय	डीजीएफटी
विकास आयुक्त	डीसी
एंटी डंपिंग महानिदेशालय	डीजीएडी
वाणिज्यिक अंवेषण स्थैतिक महानिदेशालय	डीजीसीआईएस
मूल्य निर्धारण महानिदेशालय	डीजीओवी
घरेलू टैरिफ क्षेत्र	डीटीए
शुल्क हकदारी पासबुक	डीईपीबी
शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र	डीईईसी
शुल्क मुक्ति हकदारी क्रेडिट प्रमाण पत्र	डीएफईसीसी
शुल्क मुक्त पुर्नपूति प्रमाण पत्र	डीएफआरसी

इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज	ईडीआई
निर्यात दायित्व	ईओ
निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र	ईओडीसी
निर्यातोन्मुख इकाई	ईओयू
निर्यात निष्पादन	ईपी
निर्यात प्रोत्साहन पूँजीगत माल	ईपीसीजी
निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र	ईपीजेड
निर्यात एवं आयात	एक्ज़िम
वित्तीय वर्ष	एफवाई
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम	एफआरबीएम
फ्री ऑन बोर्ड	एफओबी
विदेश व्यापार नीति	एफटीपी
सकल घरेलू उत्पाद	जीडीपी
प्रकिया हैंडबुक	एचबीपी
हाईस्पीड डीजल	एचएसडी
सुमेलित नामकरण प्रणाली	एचएसएन
उच्च समुद्र बिक्री	एचएसएस
सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी	आईसीटी
आयातक निर्यातक कोड	आईईसी
भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रानिक डाटा अंतरण प्रणाली	आईसीईएस
इनलैंड कंटेनर डिपो	आईसीडी
अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली)	आईटीसी(एचएस)
संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार	जेडीजीएफटी
अनुमति पत्र	एलओपी
स्थानीय जोखिम प्रबंधन	एलआरएम
राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना	एनईजीपी
मिशन मॉड प्रोजेक्ट	एमएमपी
ऑन साइट पोस्ट मंजूरी लेखापरीक्षा	ओएसपीसीए
लोक लेखा समिति	पीएसी
निष्पादन मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन प्रणाली	पीएमईएस
प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक	प्र.सीसीए
क्षेत्रीय लाइसेंसिग प्राधिकरण	आरएलए

परिणामी खाका दस्तावेज	आरएफडी
जोखिम प्रबंधन प्रणाली	आरएमएस
रुपया	₹
विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क	एसएडी
विशेष आर्थिक क्षेत्र	एसईजेड
भारत से सेवित योजना	एसएफआईएस
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	एसटीपी
स्टैडंर्ड इनपुट आउटपुट मानक	एसआईओएन
विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना	*वीकेजीयूवाई*

अध्याय ।

राजस्व विभाग-सीमाशुल्क राजस्व

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करने के द्वारा उदभूत सभी ऋण, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से राजस्व प्राप्तियों से बने हैं। निम्नलिखित तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व) 2014-15 और वि.व 2013-14 के संघ सरकार के संसाधनों का सार चित्रित करती हैं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन		**(₹ करोड़ में)**
	वि.व 2014-15	**वि.व 2013-14**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	16,66,717	15,36,024
*i. **प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां***	*6,95,792*	*6,38,596*
*ii. **अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां**[1]*	*5,49,343*	*5,00,400*
*iii. **गैर कर प्राप्तियां***	*4,19,982*	*3,93,410*
*iv. **सहायता अनुदान एवं अंशदान***	*1,600*	*3,618*
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां[2]	37,740	29,368
ग. कर्जे तथा अग्रिमों[3] की वसूली	26,547	24,549
घ. लोक ऋण प्राप्तियां[4]	42,18,196	39,94,966
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**59,49,200**	**55,84,907**
स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखें। अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों को संघ वित्त लेखों से संगणित किया गया था। कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे अभ्यर्पित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल आय का भाग वि.व.2014-15 में ₹ 3,37,808 करोड़ और वि.व. 2013-14 में ₹ 3,18,230 करोड़ शामिल है।		

स्रोत: वि.व. 2014-15 के संघ वित्त लेखें

[1] सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि जैसे माल एवं सेवाओं पर उदग्रहीत अप्रत्यक्ष कर

[2] इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों का विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल है;

[3] संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूली;

[4] भारत सरकार द्वारा आंतरिक रूप के साथ-साथ बाह्य रूप से उधारियां;

1.1.1 संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में वि.व. 2013-14 में ₹ 55,84,907 करोड़ से वि.व. 2014-15 में ₹ 59,49,200 करोड़ तक की वृद्धि हुई। वि.व. 2014-15 में इसकी स्वयं की प्राप्तियां ₹ 16,66,717 करोड़ थी जिनमें ₹12,45,135 करोड़ की सकल कर प्राप्तियां शामिल है।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबंध हैं और इस अर्थ में व्यक्ति विशेष की अपेक्षा लेन-देन विशेष हैं। संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत प्रमुख अप्रत्यक्ष कर/शुल्क निम्न हैं:

क) सीमा शुल्क: भारत में माल के आयात और भारत से बाहर कुछ माल के निर्यात पर सीमा शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)। सीमा शुल्क की भी महत्वपूर्ण सीमा एवं विनियम नियंत्रण भूमिका है।

ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: यह शुल्क भारत में माल के विनिर्माण अथवा उत्पादन पर उद्ग्रहीत किया जाता है। मानव खपत हेतु मादक शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य स्वापक दवा और मादक पदार्थों को छोड़कर परन्तु चिकित्सीय तथा अल्कोहल, अफीम आदि वाले प्रसाधन सम्पाकों सहित भारत में विनिर्मित अथवा उत्पादित तम्बाकू तथा अन्य माल पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत करने की संसद को शक्तियां हैं (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

ग) सेवा कर: सेवाकर कर योग्य क्षेत्र के अन्दर दी गई सेवाओं पर सेवा कर उदग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दी गई सेवाओं पर सेवा कर एक कर है। वित्त अधिनियम की धारा 66 बी परिकल्पना करती है कि ऋणात्मक सूची में निर्दिष्ट सेवाओं के अतिरिक्त एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को करयोग्य क्षेत्र में दी गई अथवा दिए जाने के लिए सहमत सभी सेवाओं के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहीत कर होगा और ऐसी रीति में संग्रहीत होगा जैसा निर्धारित किया जाए। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए की गई के महत्व (उनमें वर्जित मदों के अतिरिक्त) के किसी कार्यकलाप के अर्थ के लिए और घोषित सेवा योग्य क्षेत्र को शामिल करने के

लिए वित्त अधिनियम की धारा 65बी (44) में "सेवा" परिभाषित की गई है (संविधान की सांतवी अनुसूची की लिस्ट 1 की प्रविष्टि 97)।

1.3 संगठनात्मक ढाँचा

एमओएफ का राजस्व विभाग (डीओआर), सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करता है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अधीन गठित दो सांविधिक बोर्डों नामतः, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। सीमा शुल्क के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों की सीबीईसी द्वारा जांच की जाती है।

इसके अतिरिक्त, डीओआर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (संघ के अधिकार क्षेत्र में आने की सीमा तक), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, मादक औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएसए), तस्कर एवं विदेशी मुद्रा जोड़-तोड़ (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 (एसएएफईएमए), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (एफईएमए) और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्कर गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1974 (सीओएफईपीओएसए), काला धन शोधन निवारक अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) एवं आसूचना, प्रवर्तन, लोकपाल एवं अर्द्धन्यायिक कार्यों के लिए संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी उत्तरदायी है।

सीबीईसी के पूरे संस्वीकृत स्टाफ की संख्या 91,807[5] है (1 जुलाई 2015 तक)। सीबीईसी का संगठनात्मक ढांचा वित्त मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट, 2015 में दर्शाया गया है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि-प्रवृति एवं संघटन

निम्नलिखित तालिका 1.2 वित्तीय वर्ष 11 से वित्तीय वर्ष 15 के दौरान अप्रत्यक्ष करों की सापेक्ष वृद्धि प्रस्तुत करती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान जीडीपी[6] में अप्रत्यक्ष करों की शेयर प्रतिशतता 4 प्रतिशत से थोड़ी अधिक थी।

[5] एचआरडी महानिदेशालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े (1 जुलाई 2015 तक सी. शुल्क, के. उ. शु एवं सेवाकर)

[6] स्रोतः संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे, जीडीपी जून 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध करवाए गए जीडीपी के आंकड़े।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व. 11	3,45,371	77,95,314	4.43	7,93,307	44
वि.व. 12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44
वि.व. 13	4,74,728	1,01,13,281	4.69	10,36,460	46
वि.व. 14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	44
वि.व. 15	5,49,343	1,25,41,208	4.38	12,45,135	44

स्रोत: वित्तीय लेखे, वि.व. 15 के आंकड़े अनन्तिम है

वित्तीय वर्ष 15 में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर पिछले पांच वर्षों में 4.4 प्रतिशत के औसत से कम थी। वि.व. 15 के कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष कर का भाग पिछले पांच वर्षों के औसत 44 प्रतिशत के बराबर था। इस अवधि के दौरान जीडीपी में 61 प्रतिशत की वृद्धि और सकल कर राजस्व में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसने अप्रत्यक्ष करों में बहुत अधिक रेशनलाइजेशन और कटौती दर्शायी। जीडीपी वि.व. 11 में 77.95 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 15 में 125.41 लाख करोड़ (61%) हो गई जबकि अप्रत्यक्ष कर वि.व. 11 में ₹ 3.45 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 15 में ₹ 5.49 लाख करोड़ (60%) हो गया।

1.5 सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि-प्रवृति और संघटन

नीचे दी गई तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 11 से वित्तीय वर्ष 15 के दौरान संपूर्ण और जीडीपी के संबंधों में सीमाशुल्क राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.3: सीमाशुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	सीमाशुल्क प्राप्तियां	जीडीपी के % रूप में सीमा शुल्क राजस्व	सकल कर के % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	अप्रत्यक्ष करों के % के रूप में सीमा शुल्क
वि.व.11	77,95,314	7,93,307	3,45,371	1,35,813	1.74	17	40
वि.व.12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	1,49,328	1.66	17	38
वि.व.13	1,01,13,281	10,36,235	4,74,728	1,65,346	1.63	16	35
वि.व.14	1,13,55,073	11,38,996	5,00,400	1,72,033	1.52	15	34
वि.व.15	1,25,41,208	12,45,135	5,49,343	1,88,016	1.50	15	34

स्रोत: वित्त लेखे, वि.व. 14 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

वि.व. 14 एवं वि.व. 15 में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व में वि.व. 11 में 40 प्रतिशत से घटकर वि.व. 15 में 34 प्रतिशत हो गई। सकल कर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क राजस्व में वि.व. 11 में 17 प्रतिशत से वि.व. 15 में 15 प्रतिशत तक की कमी आई। सकल कर एवं अप्रत्यक्ष करों के अनुपात के रूप में सीमा शुल्क वि.व. 14 में 15 प्रतिशत और 34 प्रतिशत पर रहा।

1.6 वित्त वर्ष 11 से वित्त वर्ष 15 के लिए भारत का निर्यात तथा आयात

निर्यातों में वि.व. 14 में 17 प्रतिशत (₹ 2,70,692 करोड़) और वि.व. 11 में 35 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 15 के दौरान 0.45 प्रतिशत (₹ 8,663 करोड़) की वर्ष दर वर्ष कमी (-) दर्ज की गई है (तालिका 1.4 नीचे दी गई है)।

तालिका 1.4: भारत का निर्यात एवं आयात

₹ करोड़

वर्ष	आयात	वृद्धि %	सीमाशुल्क प्राप्ति	वृद्धि %	** %	निर्यात	वृद्धि %	व्यापार असंतुलन	% #
वि.व.11	1683467	23	135813	63	5	1142922	35	-540545	32
वि.व.12	2345463	39	149328	10	4	1465959	28	-879504	37
वि.व. 13	2669162	14	165346	11	4	1634319	11	-1034843	38
वि.व. 14	2715434	2	172033	4	4	1905011	17	-810423	30
वि.व. 15	2737087	0.80	188016	9	4	1896348	-0.45	-840739	31

स्रोतः ईएक्सआईएम डाटा, वाणिज्य विभाग, **(आयात+निर्यात) प्रतिशत के रूप में सीमाशुल्क प्राप्तियाँ, # आयात के प्रतिशत में व्यापार असंतुलन

सीमा शुल्क प्राप्तियाँ पिछले पांच वर्षों में कुल व्यापार के औसत 4 प्रतिशत पर स्थिर रही। पिछले पांच वर्षों में आयात में 39 प्रतिशत (वि.व. 12) से 0.80 प्रतिशत (वि.वि. 15) उतार-चढ़ाव रहा। आयात में पिछले वर्ष के 2 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 46,272 करोड़) की तुलना में 0.08 प्रतिशत की मामूली वृद्धि (₹ 21,653 करोड़) दर्ज की गई। वि.व. 14 की तुलना में उच्चतर व्यापार असंतुलन के साथ नकारात्मक निर्यात वृद्धि हुई थी। पिछले पांच वर्षों में आयात वृद्धि और निर्यात कमी में कोई तालमेल प्रतीत नहीं होता। व्यापार असंतुलन में वि.व. 13 में 38 प्रतिशत से वि.व. 15 में 31 प्रतिशत तक कमी आई जो पिछले पांच पर्षों में वि.व. 14 में न्यूनतम 30 प्रतिशत के निकट था।

1.7 कर आधार

सीमा शुल्क राजस्व आधार में विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक कोड (आईईसी)[7] के साथ जारी आयातक और निर्यातक शामिल हैं। जुलाई 2015 तक 65011 वैध आइईसी हैं। विदेश व्यापार प्रबंधन के लिए 391 आयात बंदरगाह हैं (98 ईडीआई, 72 गैर-ईडीआई, 41 मैन्युअल एवं 180 एसईजेड) एवं 359 निर्यात बंदरगाह (115 ईडीआई, 74 गैर ईडीआई, 37 मैनुअल और 133 एसईजेड) हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 18.96 लाख करोड़ निर्यात (92,62,011 संव्यवहार) एवं ₹ 27.37 लाख करोड़ के आयात (75,22,430 संव्यवहार) किया गया था। अठारह व्यापार करारों[8] द्वारा कुछ प्रकार के टैरिफ रियायत, छोड़े गये राजस्व (₹ 4,97,945 करोड़) के साथ सीमाशुल्क प्राप्तियाँ (₹ 1,88,016 करोड़) कर लेखापरीक्षा का आधार हैं।

1.8 आयात एवं सीमाशुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

निम्नलिखित तालिका 1.5 आयात एवं सीमाशुल्क प्राप्तियों में वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.5: आयात एवं सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	आयात	वृद्धि %	सीमाशुल्क प्राप्तियाँ	वृद्धि %	आयात % में सीमा शुल्क प्राप्तियां	शुल्क की उच्चतर दर
वि.व.11	1683467	23	135813	63	8.1	10
वि.व. 12	2345463	39	149328	10	6.4	10
वि.व. 13	2669162	14	165346	11	6.2	10
वि.व. 14	2715434	2	172033	4	6.3	10
वि.व. 15	2737087	1	188016	9	6.9	10

स्रोत: संघ बजट, एक्जिम डाटा-वाणिज्य मंत्रालय

मूल्य आयातों में वृद्धि में कच्चे तेल और पण्यों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी कमी के कारण एक प्रतिशत की गिरावट आई। आयातों के मूल्य की सीमा शुल्क प्राप्तियां 6.2 से 8 प्रतिशत के बीच औसतन 6.8 प्रतिशत रही। वि.व. 15 में यह 6.9 प्रतिशत थी।

वि.व. 15 के दौरान आयात मूल्य की वृद्धि एक प्रतिशत रही जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों में नौ प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

[7] आईईसी डीजीएफटी, दिल्ली द्वारा प्रत्येक आयातक/निर्यातक को जारी किया जाता है।
[8] http://commerce.nic.in/trade/international

1.9 विभागीय निष्पादन की निगरानी

राजस्व विभाग के पास परिणामी ढांचागत दस्तावेज (आरएफडी)[9] नहीं हैं। परिमाण योग्य निष्पादन सूचकों के अभाव के कारण राजस्व नीति, रणनीति और इसके निष्पादन को मापने की कार्यप्रणाली ज्ञात नहीं है। राजस्व विभाग ऐसे जवाबदेही केन्द्रों (आरसी) और पांच बड़े विभागों के साथ समस्त वित्त मंत्रालय के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट तैयार करता है।

1.10 सीमा शुल्क प्राप्तियों में बजटीय मुद्दे

निम्नलिखित तालिका 1.6 बजट और संशोधित प्राकलन की तुलना में वास्तविक सीमाशुल्क प्राप्तियाँ दर्शाती है।

तालिका 1.6: बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

₹ करोड़

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक और बजट अनुमानों में अन्तर	वास्तविक एवं बजट अनुमानों में अन्तर की %	वास्तविक एवं संशोधित अनुमानों में अन्तर की %
वि.व. 11	115000	131800	135813	(+)20813	(+)18.10	(+)3.04
वि.व. 12	151700	153000	149328	(-)2372	(-)1.56	(-)2.40
वि.व. 13	186694	164853	165346	(-)21348	(-)11.43	(+)0.30
वि.व. 14	187308	175056	172033	(-)15275	(-)8.16	(-)1.73
वि.व. 15	201819	188713	188016	(-)13803	(-)6.84	(-)0.37

स्रोत: संघ बजट एवं वित्त लेखे

बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में प्रतिवर्ष गिरावट के बावजूद सरकार ने वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के दौरान आशावादी परिकल्पना जारी रखी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहण में प्रतिशतता का अंतर (-) 11.43 प्रतिशत से (+) 18.10 प्रतिशत के बीच था, जैसाकि तालिका में दर्शाया गया है। वास्तविक प्राप्तियों से संशोधित अनुमान भी (-) 3.97 प्रतिशत से (+) 3.04 प्रतिशत तक भिन्न थे।

मंत्रालय सीमा शुल्क राजस्व में पूर्वानुमान कार्यप्रणाली सहित 2014-15 में बीई आरई और वास्तविक में अंतर के कारण बताए।

[9] मंत्रिमंडल सचिवालय की ''निष्पादन निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस)'' के अन्तर्गत आरएफडी तैयार करना अपेक्षित है।

1.11 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत छोड़ा गया सीमा शुल्क राजस्व

केन्द्रीय सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत जनहित में अधिसूचना जारी करने के लिए शुल्क छूट की शक्तियों को प्रत्यायोजित कर दिया गया है ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई इन दरों को ''प्रभावी दरों'' के रूप में जाना जाता हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा इस प्रकार छोड़े गए राजस्व का भुगतान किये जाने योग्य शुल्क एवं छूट अधिसूचना जारी होने और संबंधित अधिसूचना की शर्तों के अनुसार भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क के बीच अन्तर रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में,

छोड़ा गया राजस्व = मूल्य x (शुल्क की टैरिफ दर - शुल्क की प्रभावी दर)

तालिका 1.7: सीमाशुल्क प्राप्तियां तथा छोड़ा गया कुल सीमाशुल्क राजस्व

₹ करोड़

वर्ष	सीमाशुल्क प्राप्तियां	योजनाओं सहित वस्तुओं पर छोडा गया राजस्व	प्रतिदाय	अदा की गई फिरती	छोडा गया राजस्व+ प्रतिदाय+ डीबीके	सीमा शुल्क प्राप्तियों के % के रूप में छोड़ा गया राजस्व
वि.व. 11	135813	230131	3474	9001	242606	179
वि.व. 12	149328	285638	3202	12331	301171	202
वि.व. 13	165346	298094	3031	17355	318480	193
वि.व. 14	172033	326365	4501	18539	349405	203
वि.व. 15	188016	465618	5051	27276	497945	265

स्रोत: संघ प्राप्तियाँ बजट, सीबीईसी डीडीएम, सीबीईसी

सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व वि.व. 15 में 265 प्रतिशत पर उच्चतम था (तालिका 1.7)। पिछले पांच वर्षों के दौरान यह 179 से 265 प्रतिशत के बीच था। पण्यों पर छोड़े गए राजस्व के साथ-साथ छोड़े गए कुल राजस्व वि.व. 15 में पिछले 5 वर्षों में ₹ 2.43 हजार करोड़ से ₹ 4.98 हजार करोड़ तक दोगुना हो गया था। पिछले 5 वर्षों में फिरती में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि प्रतिदायों में केवल 47 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। वि.व. 15 के दौरान छोड़े गए राजस्व का 78 प्रतिशत कीमती

धातुओं और उससे बनी वस्तुओं, खनिज तेल और लौह एवं इस्पात आदि पर था।

तालिका 1.8: विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत छोड़ा गया राजस्व

योजना का नाम	छोड़ी गई राशि/संवितरित					₹ करोड़
	वि.व.11	वि.व. 12	वि.व.13	वि.व. 14	वि.व. 15 (कुल की %)	
1. शुल्क फिरती सेज को छोड़कर	9001	12331	17422	21799	26998	(29)
2 अग्रिम लाइसेंस	19355	18306	18971	20956	23461	(26)
3. . केंद्रित उत्पाद योजना (एफपीएस)	1209	3056	4579	7640	10083	(11)
4. . ईपीसीजी	10621	9672	11218	8990	8010	(9)
5. सेज	8668	4567	4503	6206	4752	(5)
6. अन्य *	22174	20564	15649	17261	18660	(20)
कुल	71028	68496	72342	82852	91964	
सीमाशुल्क प्राप्तियों की %	**52**	**46**	**43**	**48**		**49**

*अन्य में ईओयू/ईएचटी/एसटीपी, डीएफआईए योजनायें, एफएमएस, विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), टारगेट प्लस योजना, स्टेटस होल्डर इंसेंटिव स्क्रिप योजना (एसएचआईएस), भारत सेवित योजना (एसएफआईएस), डीईपीबी (सेज़ को छोड़कर), डीएफईसीसी योजना, डीएफआरसी इत्यादि।

स्रोत: डाटा प्रबंधन निदेशालय, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय

वित्तीय वर्ष 15 के दौरान निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व सीमा शुल्क प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 11 से वि.व. 15 के बीच योजनावार छोड़ा गया राजस्व शुल्क 52 प्रतिशत से 43 प्रतिशत के बीच था (उपरोक्त तालिका 1.8)।

वि.व. 15 के दौरान शीर्ष पांच योजनाएं जिन पर शुल्क छोड़ा गया वे शुल्क फिरती योजना, अग्रिम लाइसेंस योजना, केंद्रित उत्पाद योजना, ईपीसीजी, और सेज़ थीं। योजनाओं के अंतर्गत इन पांच योजनाओं में कुल छोड़े गए शुल्क की गणना 80 प्रतिशत के लिए की गई।

वि.व. 15 के दौरान शुल्क फिरती योजना के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के मध्य उच्चतम था। इसमें वि.व. 11 के बाद से नियमित उर्ध्वगामी वृद्धि हुई थी और यह वि.व. 14 और वि.व. 15 में अग्रिम लाइसेंस योजना में अधिक हो गई थी। अग्रिम लाइसेंस योजना और

उत्पाद केंद्रित योजना के तहत छोड़े गए राजस्व में वि.व. 12 के बाद से वृद्धि आई। ईपीसीजी योजना के अंतर्गत छोड़े गए राजस्व को वि.व. 11 से वि.व. 15, वि.व. 14 को छोड़कर, के दौरान निर्यात वृद्धि से जोड़ा गया था।

विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, व्यापार करारों और सामान्य छूटों का परिणामी राजस्व निर्धारण बजट दस्तावेज के भाग के रूप में उपलब्ध नहीं कराया गया।

1.12 सीबीईसी में मानव संसाधन प्रबंधन

महानिदेशक, मानव संसाधन विकास का गठन नवम्बर 2008 में किया गया जो संवर्ग प्रबंधन, निष्पादन प्रबंधन (सामूहिक एवं व्यक्तिगत स्तर का) क्षमता निर्माण, नीतिगत दृष्टि विकास और 91,807 की संख्या (1 जुलाई 2015 तक) वाले कल्याण एवं संरचनात्मक डिवीजन से संबंधित विशिष्ट भूमिका निभाता है 2013 में संवर्ग पुनर्गठन के पश्चात, मंत्रालय द्वारा कुल 18067 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दिए गए पद शामिल थे (दिसम्बर 2013) ताकि:

क. अप्रत्यक्ष कर में जीडीपी के अनुपात में वृद्धि की जा सके;

ख. सभी पत्तनों और लेन-देन को शामिल करने वाला एक मजबूत आरएमएस हो;

ग. अधिकारी एवं कर्मचारी आईसीईएस का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों;

घ. तकनीकी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ सुदृढ़ हों।

सीबीईसी के आरएफडी वि.व. 15 में उपरोक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण कार्यकलापों को कवर किया गया है। मापन और सफलता सूचकों को स्व निर्धारण, ओएसपीसीए, आरएमएस और आईसीटी, आईसीईएस के उपयोग तथा अन्य करों से अंत संबंध और क्षमता अंतरालों को भरने हेतु उपयुक्त दक्षता के साथ मानव संसाधन की पुन: संरचना और पुनर्आबटन को आवश्यक बनाने वाली सरकार की विदेश नितियों के मामले में सरकार द्वारा पहले लिए गए नीति निर्णयों के साथ नहीं जोड़ा गया है।

कई अनुस्मारकों के बावजूद भी सीबीईसी ने वि.व. 15 के दौरान अपने क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के बारे में नहीं बताया।

1.13 बकाया सीमाशुल्क

निम्नलिखित तालिका 1.9 मार्च 2014 तक मांगे गए लेकिन वि.व. 15 की समाप्ति तक विभाग द्वारा वसूल नहीं किए गए सीमाशुल्क का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.9: सीमा शुल्क की बकाया राशि

₹ करोड़

जोन	विवादग्रस्त राशि				अविवादित राशि				
	5 वर्ष से कम	5 वर्ष लेकिन 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 2+3+4)	5 वर्ष से कम	5 वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 6+7+8)	कुल जोड़ (कॉलम 5+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अहमदाबाद सीमाशुल्क	2039	88	69	2196	465	465	265	1195	3390
चेन्नई सीमाशुल्क	1700	291	28	2019	174	258	246	678	2697
दिल्ली	989	53	43	1085	641	169	31	841	1926
बैंगलुरू सीमाशुल्क	1465	134	4	1603	142	39	14	195	1798
मुम्बई-I	755	106	11	872	437	271	212	920	1715
वाइजाग	1422	39	29	1490	111	16	50	178	1667
मुम्बई-III	923	262	41	1226	126	83	35	244	1470
दिल्ली सीमाशुल्क (निवारक)	865	94	01	960	127	33	32	192	1152
उप जोड़	10158	1067	226	11451	2223	1387	775	4443	15815
अन्य	2272	746	129	3146	728	695	403	1768	4993
कुल योग	**12430**	**1813**	**355**	**14597**	**2951**	**2082**	**1178**	**6211**	**20808**
				प्रतिशतता मे कुल बकाया के लिए मुख्य आठ क्षेत्र का बकाया					**76%**

स्रोत: मुख्य आयुक्त, बकाया कर वसूली, केंद्रीय उत्पादशुल्क, सीमाशुल्क एवं सेवाकर

मार्च 2015 तक मांगे गये ₹ 20,808 करोड़ का सीमाशुल्क राजस्व विभाग द्वारा वि.व. 15 की समाप्ति तक नहीं वसूला गया था (तालिका 1.9)। जिसमें से ₹ 6,211 करोड़ गैर-विवादित था। तथापि गैर-विवादित राशि में से ₹ 3,260 करोड़ (कुल बकाये का 53प्रतिशत) की राशि पांच वर्षों के बाद भी नहीं वसूली गई। वि.व. 15 के दौरान कुल लंबित बकाये में शीर्ष आठ क्षेत्रों में सीमाशुल्क राजस्व बकाया 76 प्रतिशत था। विभाग के वसूली तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

1.14 वित्तीय वर्ष 11 से वित्तीय वर्ष 15 तक संग्रहण लागत

निम्नलिखित तालिका 1.10, 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्षीय वित्तीय अवधि हेतु संग्रहण लागत को दर्शाती है।

तालिका: 1.10, वित्तीय वर्ष 11 से वित्तीय वर्ष 15 के दौरान संग्रहण की लागत

₹ करोड़

वर्ष	राजस्व, आयात/निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	निवारक और अन्य कार्यों पर व्यय	आरक्षित निधि, जमा लेखा और अन्य व्यय को स्थानांतरण	जोड़	सीमाशुल्क प्राप्तियां	सीमाशुल्क प्राप्तियों की % के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व.11	293	1421	5	1719	135813	1.27
वि.व.12	306	1577	5	1888	149876	1.26
वि.व.13	315	1653	10	1979	165346	1.20
वि.व.14	333	1804	5	2142	172033	1.25
वि.व.15	382	2094	20	2496	188016	1.33

स्रोत: वित्त लेखें

प्राप्तियों**,** संग्रहण लागत के संदर्भ में व्यक्त प्रतिशतता 1.20 प्रतिशत(वि.व. 13) से 1.33 प्रतिशत (वि.व. 15) के बीच थी (तालिका 1.10) स्वचालन और आईटीसी के व्यापक उपयोग के बावजूद संग्रहण की लागत पिछले पांच वर्षों में वि.व. 15 में उच्चतर थी। सीबीईसी ने लेखापरीक्षा को उपरोक्त तालिका में उल्लिखित संग्रहण की समग्र लागत में आरक्षित निधि और जमा खाता और अन्य व्यय की गणना के लिए कार्यप्रणाली उपलब्ध नहीं कराई थी।

1.15 कर लेखांकन एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा अनियमितताएं

1.15.1 वर्ष 2015 की अवधि के लिए पीसीसीए, पीएओज, सीमाशुल्क कमिश्नरी के कार्यालयों तथा उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में कर लेखांकन, नियंत्रणों तथा समाधान की लेखापरीक्षा से पता चला कि प्रणाली कुछ कमियों से ग्रस्त थी। पीएओ के राजस्व आकड़ों के साथ संबंधित कमिश्नरी के मुख्य लेखा अधिकारियों के आंकड़ों के मिलान न करने (₹ 5319.24 करोड़), प्रतिदाय आंकड़ों के मिलान न करने (₹ 2465.96 करोड़), प्रदत्त सीमा शुल्क के लिए बैंक डाटा के साथ आइसगेट डाटा की असमानता के मामले (₹ 1166.53 करोड़), पीएओ (सीमा शुल्क) में प्राप्त प्रत्यक्ष चालानों के अलग से शिक्षा उपकर के ब्यौरों की अनुपलब्धता, सीएएस, आरबीआई, नागपुर (₹ 3.84 करोड़) द्वारा तैयार किए गए तिथिवार मासिक

विवरणों (डीएमएस) और अंतिम रूप दिए गए विवरणों (पीटीएस) के बीच विसंगतियों ₹ 20.75 करोड़ की सीमा शुल्क प्राप्तियों के प्राप्ति शीर्ष में हस्तांतरण हेतु प्रतीक्षा और 2011-15 की अवधि के लिए पीएओ (सीमा शुल्क), नई दिल्ली, कोलकाता, कांडला, तिरूचिरापल्ली, चेन्नई और तुतीकोरिन में आंतरिक लेखापरीक्षा न करने के मामले देखे गए थे।

विभाग ने यह दावा करते हुए असमानता के लिए कारण नहीं दिए कि इसके पास आईसगेट के माध्यम से ई-भुगतानों के ब्यौरें नहीं थे और यह एनआईसी से डाटा प्राप्त करने के बाद ही प्रतिक्रिया दे सकता था। इसने यह भी पाया कि गुम चालानों के रजिस्टर और बैंक स्क्रोल के रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

1.15.2 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रधान सीसीए), सीबीईसी, सीबीईसी के विभिन्न भुगतान एवं लेखाकरण कार्यों की लेखापरीक्षा करता है। यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, फिर भी प्रधान सीसीए की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ₹ 34670.68 करोड़[10] के सकल मूल्य के 475 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरों का लंबन दर्शाया गया था।

प्रधान सीसीए की लेखापरीक्षा टिप्पणियों में वि.व. 15 तक स्थापना लेखापरीक्षा बिंदुओं के अलावा निम्नलिखित अनियमितताएं शामिल है।

क) सरकारी विभाग/राज्य सरकार निकायों/निजी पक्षकारों/स्वायत्त निकायों से बकाया की वसूली न करना, ₹ 16192.69 करोड़

ख) सरकारी धन का अवरोधन; ₹ 7387.90 करोड़

ग) निष्क्रिय मशीनरी/अधिशेष भंडार; ₹ 71.72 करोड़

आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इसके जोखिम निर्धारण के अनुरूप नियंत्रण आधारित आश्वासन प्रदान नहीं करता।

1.16 डीजी (लेखापरीक्षा), सीबीईसी द्वारा तकनीकी लेखापरीक्षा

सीमाशुल्क विभाग को 1994 में आईसीईएस शुरू करके कम्प्यूटरीकृत किया गया जिसे बाद में आईसीईएस 1.5 संस्करण (2009) में अपग्रेड किया गया।

[10] प्रधान सीसीए डीओ पत्र सं. आईए/एनजेड/एचक्यू/सीएजी इन्फो/2015-16/198 दिनांक 18 सितम्बर 2015

इस प्रणाली में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अधिसूचना आदि जैसे विभिन्न जोखिम कारकों की पहचान करके जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) शुरू की गई है। कम्प्यूटराइजेशन से आयातित माल के साथ साथ निर्यातित माल की प्रक्रिया के निर्धारण में सुधार और शुल्क की गलत गणना, टैरिफ दरों के लागू करने, छूट अधिसूचना के लागू करने, सामान्यः माल के गलत वर्गीकरण में अनियमितताओं को कम करना अपेक्षित है।

तालिका 1.11: वि.व. 11 से वि.व. 15 के दौरान विभागीय लेखापरीक्षा

₹ करोड़

वित्त वर्ष	आयोजित की गई लेखापरीक्षा	पता लगाया गया शुल्क	वसूल शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्तियों की % के रूप में पता	पता लगाई गई % के रूप में वसूल किया गया शुल्क	सीमा शुल्क प्राप्तियों की % के रूप में वसूल किया गया शुल्क
वि.व.11	323399	548	447	0.40	82	0.32
वि.व.12	525406	439	459	0.29	105	0.31
वि.व.13	446911	1824	1058	1.10	58	0.64
वि.व.14	494393	294	223	0.17	76	0.13
वि.व.15	441068	4.45	3.50	0.002	79	0.001

स्रोतः लेखापरीक्षा महानिदेशालय, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

विभागीय लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है जो अननुपालन और अकुशलता का पता लगाता है और कमियों पर उपचारी कार्यवाही शुरू करता है। प्रभावी निरीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सीबीईसी ने इस विषय पर वर्तमान में नये अनुदेश जारी किये। उपरोक्त तालिका 1.11 वि.व. 11 से वि.व.15 के दौरान इस क्षेत्र में परिमाणात्मक उपलब्धियां दर्शाती है।

1.17 कर अपवंचन, जांच और जब्ती

शुल्क अपंवचन मामलों की प्रवृति में बढोतरी हुई है।

पिछले तीन वर्षों (वि.व. 13 से वि.व.15) के दौरान संख्या एवं राशि दोनों के मामलों में अपवंचन की प्रवृत्ति घट रही है जैसा कि **अनुबंध 1** में दिखाया गया है। उसी अवधि के दौरान शुल्क अपवंचन मामले 709 से घटकर 407 और ₹ 4,743 करोड़ से ₹ 2,926 करोड़ हो गए थे। रोचक रूप से यह वह अवधि भी थी जब विभिन्न आईसीटी सुधार उपयोग में थे और स्वः निर्धारण,

आरएमएस पर आधारित पीसीए और आसूचना ओएसपीसीए के प्रति एक क्रमिक शिफ्ट के साथ प्रारंभ किया गया था।

डीआरआई इकाई (सीबीईसी) ने वि.व. 11 से वि.व. 15 के दौरान ₹ 13335.61 करोड़ वाले 2889 कर अपवंचन के मामलों का पता लगाया। सम्मिलित उत्पाद मुख्यतः सेकेण्ड हैंड मशीनरी, इलैक्ट्रोनिक वस्तुएं, मेमोरी कार्ड, हेलिकॉप्टर, आटोमोबाइल और इसके अनुषंगी, हीरे थे।

1.18 निर्दिष्ट वस्तुओं की जब्ती में बढ़ती हुई प्रवृत्ति

वि.व. 11 से वि.व. 15 **(अनुबंध 2)** की अवधि के दौरान निर्दिष्ट वस्तुओं की जब्ती की संवीक्षा के दौरान पता चला कि निर्दिष्ट वस्तुओं की जब्ती में अनियमित प्रवृत्ति थी। वि.व. 12 और 14 के दौरान अचानक वृद्धि हुई थी। अवधि से जब्ती योजना आधारित शुल्क अपवंचन में घटती हुई प्रवृत्ति सहित टैनडम में 0.20 प्रतिशत (वि.व. 11) से आयातों के मुल्य के 0.10 प्रतिशत (वि.व. 15) तक कम हुई थी **(अनुबंध 1)**।

यह देखा गया था कि अखिल भारतीय स्तरों पर जब्ती कि कुल राशि क्रमशः ₹ 2475.70 करोड़ से ₹ 2029.18 करोड़ तक हो गई थी। अधिकतम वृद्धि नशीली दवा, मशीनरी/पुर्जे, फैबरिक/सिल्क धागा आदि इलैक्ट्रानिक मदों, वाहन/पोत/एयरक्रॉफ्ट आदि में देखी गई थी। ऐसा, टैरिफ यौक्तिकीकरण और बढ़ते हुए मुक्त व्यापार, सरलीकरण एवं निगरानी के बावजूद था।

1.19 सीमाशुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुविधा

सरकार ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को कारगर बनाना और विभिन्न व्यापार सुविधा उपाय लागू करना जारी रखा। स्वनिर्धारण मुख्य व्यापार सुविधा उपाय है जो उत्पाद शुल्क और सेवाकर विभाग के मामले में साक्ष्य के रूप में सीमाशुल्क द्वारा आयातित/निर्यात माल की निकासी हेतु लिए जाने वाले समय में महत्वपूर्ण कमी कर सकता है। उठाए गए कुछ कदमों में ईडीआई की शुरूआत से आयात के साथ-साथ निर्यात के लिए 'स्वनिर्धारण' और जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) की वृद्धि की कवरेज जोखिम पैरा मीटरों और आन साईट पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा (ओएसपीसीए) पर आधारित

याहच्छिक रूप से चयनित बिलों की एंट्री पर निर्धारण करना सम्मलित है। आयात और निर्यात कार्गों की निकासी में सीमाशुल्क के हस्तक्षेप के स्तर को निरंतर कम करने का अभिप्रेत है। इसके अतिरिक्त एईओ (प्राधिकृत आर्थिक आपरेटर) और बड़ी करदाता इकाई (एलटीयू) को अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुविधा हेतु प्रारंभ किया गया है। शीघ्र संस्वीकृति और 4 प्रतिशत एसएडी के प्रतिदाय के लिए सामान्य रूप से लागू और विशेष रूप से एसीपी आयातकों के लिए क्रिया विधि ने 30 दिनों के निर्धारित समय में पूर्व लेखापरीक्षा के बिना प्रतिदाय की संस्वीकृत को सरल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्क्रिपों जैसे डीईपीबी/पुरस्कार योजनाओं द्वारा प्रदत्त 4 प्रतिशत एसएडी के प्रतिदाय के उपयोग में ऐसे स्क्रिपों के हस्तगत पंजीकरण द्वारा छूट दी गई है। सीमित बंदरगाहों पर समय विमोचन अध्ययन संचालित किया गया। यह देखा गया कि आईसीटी आधारित समाधान (आईसीईएस) सभी समीशुल्क लेन-देन पर लागू नहीं था।

1.20 सीमाशुल्क प्रक्रिया व्यापक रूप से कंप्यूटरीकृत और सभी सरलीकरण उपायों की पूरक है। आयात और निर्यात दस्तावेजों को सीमाशुल्क के आईसीईजीएटीई पोर्टल में ई-फाईल करना चाहिये जो सीबीईसी के आईसीईएस 1.5 प्रणाली में संसाधित है। आईसीईएस को कोर आईसीटी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया था जिसके माध्यम से आयात और निर्यात दस्तावेजों को राजस्व संग्रहण करने के लिये निर्धारण और मूल्यांकन में समानता सुनिश्चित करने के लिये संसाधित किया जाना था। सरकार समय-समय पर शुल्क दरों में परिवर्तन, शुल्कों और करों को लगाने और छूट, मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन आदि के लिये विभिन्न अधिसूचनाएं जारी करती है। इसी तरह, आयात और निर्यात के लिये लाइसेंसिंग प्रक्रिया डीजीएफटी द्वारा कंप्यूटरीकृत है (डीजीएफटी ईडीआई)। इसी प्रकार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में आयात और से निर्यात सेज ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत पोर्टल के माध्यम से सेज द्वारा व्यवास्थित किया जाता है। योजना और निर्धारण आदेशों पर ईडीआई सीमाशुल्क डाटा के आधार पर लेखापरीक्षा आपत्तियों को संबंधित अध्यायों में प्रतिवेदित किया गया है।

1.20.1 अन्य बातों के साथ-साथ सेज ऑनलाइन प्रणाली ने 2014-15 में निर्यात मूल्य (₹ 232944.79 करोड़), डीटीए बिक्री (₹ 51474.94 करोड़), डीटीए खरीद (₹ 59118.68 करोड़), आयात मूल्य (₹ 233460.58 करोड़) और छोड़ा गया शुल्क (₹ 22569.08 करोड़) के लिये डाटाबेस को प्राप्त, अनुरक्षण और प्रबंधित किया गया। एप्लीकेशन की लेखापरीक्षा से पता चला कि प्राप्त किया गया डाटा अपूर्ण और अनुचित था और समय-समय पर सीबीईसी की आईसीईएस प्रणाली के साथ जोड़े बिना गलत था। डीओसी और डीसी सेज भी अपने डेशबोर्ड और एमआईएस के रूप में प्रणाली का लाभ नहीं ले सके।

यद्यपि डीओसी ने प्रणाली में कमियों/अभाव को सुधारने का आश्वासन दिया (जून 2014), अनियमितताऐं अभी तक (सितम्बर 2015) थीं।

1.20.2 डीजीएफटी का ईडीआई डाटा चार डाटाबेस, अर्थात् डीजीएफटीएमएआईएन, डीजीएफटीआरएलए, ईबीआरसी और डीजीएफटी में रखा जाता है। यद्यपि पहले तीन प्रकार केंद्रीय डाटाबेस का सेट बनाते हैं और नई दिल्ली में एनआईसी डाटा केन्द्र में रखे जाते हैं, डीजीएफटी नाम का डाटाबेस प्रत्येक 36 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (आरएलए) के स्थानीय सर्वर में रखा जाता है। प्रत्येक आरएलए का 'डीजीएफटी' डाटाबेस अंतिम रूप से सेन्ट्रल सर्वर में एकत्रित होता है।

एप्लीकेशन की लेखापरीक्षा से पता चला कि एफटीपी प्रावधानों के अनुचित या अपर्याप्त पता लगाना, प्रविष्ट डाटा के वैधीकरण में कमी, डाटा में बहुत अधिक मैनुअल हस्तक्षेप और संशोधन के लिये अनुमति; महत्वपूर्ण दर निर्देशिकाओं का गलत अद्यतन, आईसीईएस डाटा का खराब सिंक्रोनाईजेशन से संबंधित मामले अभी भी थे। कुछ मामलों को नीचे बताया गया है:

i. लेखापरीक्षा ने देखा कि मैनुअल रूप से प्रविष्ट एसबी डाटा में समान शिपिंग बिलों के लिये सीमाशुल्क द्वारा आपूर्ति किये गये डाटा की तुलना में अंतर था। 3,72,458 एसबी अभिलेख मैनुअल रूप से प्रविष्ट किये गये थे, यह देखा गया कि 15691 मामलों (4 %) में, मैनुअल डाटा में प्रविष्ट एफओबी मूल्य में सीमाशुल्क द्वारा प्रदान किये गये मूल्य से अंतर था। निर्यात का एफओबी मूल्य जो कि शुल्क क्रेडिट के प्रदान करने के लिए आधार है, ₹ 608.66 करोड़ राशि के 2580 मामलों में अधिक पाया गया। एफओबी

मूल्य में 13,111 मामलों में ₹ 401.75 करोड़ की राशि की भी कमी पाई गई थी। अध्याय 3 योजनओं के लिए एफपीएस और एमएलएफपीएस के लिए एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत पर न्यूनतम अनुमत शुल्क क्रेडिट दर पर भी निवल एफओबी मूल्य में वृद्धि 15691 मामलों में ₹ 4 करोड़ की राशि के अधिक शुल्क क्रेडिट लाभ के प्रदान करने में परिवर्तित होती है। 2,389 मामलों में निर्यात के सीमाशुल्क पत्तन में हस्त्य परिवर्तन भी देखा गया था।

ii 2014-15 की अवधि के लिए वीकेजीयूवाई स्क्रिप अभिलेखों की मदों के अभिलेखों के साथ तुलना से उत्पाद कोड 90/22सी और 90/22डी के तहत न आने वाली विशिष्ट डीईपीबी दरों को आकृष्ट करते हुए पता चला कि वीकेजीयूवाई योजना के तहत अधिक शुल्क क्रेडिट 44 मामलों में लागू 3 प्रतिशत या 5 प्रतिशत की अनुमत दरों से घटी दरों के गैर-प्रतिबंध के कारण अनुमत था।

iii प्रास्थिति धारकों और उनकी प्रास्थिति प्रमाण-पत्रों की लेखापरीक्षा से पता चला कि 59 मामलों में फर्मों की एसएचआईएस शुल्क स्क्रिप जारी किए गए थे जहां डीजीएफटी लाइसेंसिग डाटाबेस में उनका प्रास्थिति/प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण उपलब्ध नहीं हैं।

डीजीएफटी ने 2015 की सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 8 (अध्याय 8) में समान आपत्तियों के उत्तर (नवम्बर 2014) में बताया कि लेखापरीक्षा आपत्तियॉं उनकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए दूर तक जाएगीं। तथापि, (सितम्बर 2015) में अनुवर्ती लेखापरीक्षा में, डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में नियमित कमियॉं देखी गईं।

1.21 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

आरएमएस की क्षमता बहिर्वासियों की दशार्यी गई और सभी एयर कार्गों, सुमुद्री बंदरगाहों और भू-पत्तनों, एसईजेड/ईओयू के आईसीटी की प्रयोज्यता की कवरेज में वृद्धि पर निर्भर करती है। इसमें गैर-ईडीआई बंदरगाह और एवं इडीआई बंदरगाह में सभी फिलिंग शामिल नहीं है। आरएमएस द्वारा चिन्हित आयात और निर्यात लेन-देन की संख्या की तुलना में वित्तीय वर्ष 14 और 15 के दौरान आयात और निर्यात लेन-देन तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: आरएमएस द्वारा चिन्हित लेन-देन

आरएमएस द्वारा चिन्हित लेन-देन	वि.व. 14	वि.व 15
आयात की संख्या	16,21,734[#] (23.24 %)	18,12,765 (24 %)
निर्यात	3,20,047[#] (03.80 %)	18,10,718 (20 %)
कुल लेन-देन (आयात)	69,15,958*	75,22,430
कुल लेन-देन (निर्यात)	84,11,542*	92,62,011

स्रोतः [#]जोखिम प्रबंधन डिवीजन, डीआरआई सीबीईसी, *एमओसी, और उद्योग भारत सरकार

वि.व. 15 के दौरान कुल आयात एवं निर्यात के प्रति आयात में 18.13 लाख का लेन-देन (24 प्रतिशत) और निर्यात में 18.11 लाख (20 प्रतिशत) को लेन-देन चिन्हित किया गया है।

1.22 ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (ओएसपीसीए) योजना

ओएसपीसीए के प्रारम्भ करने के पश्चात, एक तरफ सीमा शुल्क विभाग ने एसीपी ग्राहकों की लेखापरीक्षा प्रभावी रूप से कम कर दी थी जबकि दूसरी ओर, ओएसपीसीए पूरी तरह से शुरू नहीं हुई थी। वित्तीय वर्ष 15 के दौरान 519 नियोजित लेखापरीक्षा में से ओएसपीसीए के अंतर्गत 113 ईकाईयां संचालित की गई जिनके परिणामस्वरूप ₹ 4.73 करोड़ के कम उद्ग्रहण का पता लगा जिसमें से ₹ 2.38 करोड़ की वसूली की गई।

1.23 24X7 सीमाशुल्क निकासी परिचालन

आयातों एवं निर्यातों को सुविधा देने के उद्देश्य से आयात एवं निर्यात की निम्न श्रेणियों के संदर्भ मे ज्ञात एयर कार्गो परिसरों (चेन्नई, मुम्बई, दिल्ली एवं बैंगलोर) एवं बंदरगाह (कांडला, जेएनपीटी, चेन्नई, और बैंगलोर) में 1 सितम्बर 2012 से प्रभावी बोर्ड ने 24X7 सीमा शुल्क निकासी प्रायोगिक आधार पर शुरू करने का निर्णय लिया था:

क. जहां कोई जांच और मूल्यांकन आवश्यक न हो, प्रविष्टि के बिल प्रदान करना; और

ख. मुफ्त लदान बिल द्वारा शामिल फैक्टरी स्टफ्ड एक्सपोर्ट कंटेनर और निर्यात परेषण।

व्यापार को आगे सुविधा देने के उद्देश्य हेतु, 24X7 सीमा शुल्क निकासी संचालन का कवरेज चार ऐयर कार्गो परिसरों में निर्यात परेषण को कवर करने के लिए बढ़ाया गया। आगे, चयनित आयात और निर्यात दस्तावेजों के लिए

24X7 सेवाएं ईडीआई पर कार्य कर रहीं 13 और एयरकार्गो परिसर तक बढ़ा दी गई हैं (मई 2013)। यह सुविधा चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे विमानपत्तनों तक बढ़ा दी गई है।

1.24 एकल विंडो सीमा शुल्क निकासी

लेन-देन के मूल्य एवं समय को कम करने के साथ-साथ संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से एकल विंडो योजना का कार्यान्वयन सीमाशुल्क के साथ इसे कार्यान्वित करने के लिए एक प्रमुख एजेंसी होने की वजह से सीबीईसी द्वारा संप्रत्ययीकरण किया गया है।

सीमा शुल्क में एकल विंडो का उद्देश्य व्यापारियों को इलैक्ट्रोनिक रूप से सामान्य घोषणा फाईल करने और आयातित/निर्यातित माल की निकासी प्रक्रिया में लगी अन्य विनियामक एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। एकल विंडो व्यवस्था के अंतर्गत, अन्य विनियामक एजेंसियों से संबंधित फील्ड्स/सूचना डाटा, सीमाशुल्क द्वारा अनुमत होने से पूर्व मंजूरी/इनपुट पाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है।

1.25 सीमा नियंत्रण एवं सरलीकरण मुद्दे

लेखापरीक्षा में यह देखा गया है कि भूमि, वायु और समुद्री सीमा शुल्क स्टेशनों पर सीमाशुल्क एजेंसियों को उपलब्ध अवसंरचना सदैव पर्याप्त एवं उचित नहीं होती।

वायु और समुद्री पत्तनों की तरह से, एक संस्थानिक ढाँचा जैसे कि भारत के भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई अधिनियिम 2010) भी स्थापित किया गया था और विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों/सेवा संभरकों के समन्वित कार्यान्वयन के लिए एकल उत्तरदायी एजेंसी सहित एक कॉम्प्लेक्स में एक एकीकृत रूप में नियामक और सहायता कार्यों के लिए एकीकृत सीमाशुल्क पत्तन (आईसीपीज़) के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव को प्रारंभ करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

सीमा-शुल्क के सीमा नियंत्रण कार्यों को प्रभावित करते हुए सुरक्षा निहितार्थों सहित स्थानीय जोखिम प्रबंधन (एलआरएम) इनपुट, डीआरआई द्वारा यथोचित समर्थित इन सीमा शुल्क स्टेशनों और आईसीपीज़ के पास बकाया मुद्दे हैं

उदाहरणत: फुल बॉडों ट्रक स्कैनर उपलब्धता, यात्री टर्मिनल पर यात्री सामान और यात्रियों की जांच की अपर्याप्त प्रणाली; सोने/कीमती पत्थरों की शुद्धता की जांच करने का कोई तन्त्र नहीं; सोने की जब्ती में बढ़ती हुई प्रवृत्ति के बावजूद तस्कर संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त बल की कमी, एक्स-रे/गैर हस्तक्षेप जांच (एनआईआई) तकनीकों की सुविधा का अभाव, कीमती कार्गों सीमा शुल्क निकासी (पीसीसीसी) का आईसीईएस कवरेज, विदेशी पत्तन अधिकारी (एफपीओ), हैंड बेगेज; मूल्यांकन डाटाबेस के निदेशालय तक पहुँच आदि। प्राय: इसके कारण अप्राधिकृत माल की तस्करी और/अथवा सरलीकरण का अभाव।

सीमा नियंत्रण/सरलीकरण पर पत्तन अवसंरचना में वांछित संवर्धन न होने का समग्र प्रभाव निम्नलिखित परिदृश्य के अन्तर्गत महत्ता पाते है जहाँ:

- सुरक्षा/सरलीकरण उद्देश्यों के लिए उपकरण/अवसंरचना के लिए पत्तन प्राधिकरणों के किसी भी संवर्धन के लिए सीमाशुल्क विभाग ने कोई भी औपचारिक अनुरोध नहीं किया था।
- सीमाशुल्क विभाग ने विशेष संवर्धनों के लिए परिभाषित और अभी स्वीकृत आवश्यकता के लिए अनुरोध किया था, किंतु उसे पत्तन प्राधिकरणों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।
- सीमा शुल्क विभाग की पारिभाषित और अभीस्वीकृत आवश्यकता के लिए पत्तन प्राधिकरणों द्वारा विशेष संवर्धन को स्वीकार किया गया है किंतु उन पर समय पर कार्य नहीं किया गया।

1.26 लेखापरीक्षा प्रयास एवं सीमाशुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रबन्धन मानकों के लेखापरीक्षण मानक के 2रें संस्करण 2002, का प्रयोग करके नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा, 2014 के अनुसार किया गया था।

1.27 जानकारी के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया

वाणिज्यिक विभाग और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में डीओआर में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच, सीबीईसी के साथ संघ सरकार लेखे से डाटा, एक्ज़िम डाटा डीओसी, डीजीएफटी (ईडीआई) डाटा, सेज़ ऑनलाइन डाटा डीओसी,

सीमाशुल्क का वार्षिक आयात/निर्यात डाटा (सीबीईसी) सिंगल साइन ऑन (एसएसओ आईडी) आधारित आईसीईएस 1.5 एक्सेस का उपयोग किया गया था। (सीबीईसी) के एमआईएस, एमटीआर के साथ-साथ अन्य पणधारकों की रिपोर्टों का उपयोग किया गया। हमारे पास महानिदशकों (डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता वाले नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिन्होंने वि.व. 15 में 415 इकाइयों की लेखापरीक्षा का प्रबन्धन किया और 2175 लेखापरीक्षा आपत्तियां जारी की। कई अनुस्मारक जारी करने के बावजूद भी महानिदेशक (प्रणाली), सीबीईसी द्वारा डाटा डायरेक्टरी के अनुसार 2014-15 में आयात एवं निर्यात हेतु आईसीईएस 1.5 की लेन-देन स्तर की तिथि नहीं बताई गई थी। सीआरए मॉड्यूल में लेन-देन डाटा के मैक्रो विश्लेषण और आवधिक विश्लेषण के लिए प्रबन्ध नहीं किया हैं।

दिसम्बर 2015 तक अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई और उसकी स्थिति का विवरण तालिका 1.13 में दिया गया है।

तालिका 1.13: अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई सुधारात्मक कार्रवाई

प्रतिवेदन संख्या.	सीबीईसी, सीमाशुल्क		डीओसी	
	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए
2006 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 7	1	0	0	0
2009-10 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 20	0	0	1	0
2010-11 का सीए 24	1	0	0	0
2013 की सीए 14	1	0	1	1
2014 की सीए 12	5	9	3	2
2015 की सीए 8	1	38	0	6
कुल	**9**	**47**	**5**	**9**

स्रोत: सी.बी.ई.सी., वित्त मंत्रालय, वाणिज्यिक विभाग

वर्तमान रिपोर्ट में ₹ 1162 करोड़ के 120 पैराग्राफ और दो विषयगत पैराग्राफ हैं। इसमें सामान्यत: छ: प्रकार की अश्युक्तियां थीं: गलत वर्गीकरण; छूट अधिसूचना का गलत लागू करना; अधिसूचना की शर्तें पूरा न करना; गलत गणना के कारण गलत छूट; योजना आधारित छूट; प्रणालीगत मुद्दों और नीति निर्धारण मामलों के अलावा सीमाशुल्क का गलत निर्धारण। विभाग/मंत्रालय ने पहले ही सुधारात्मक कार्रवाई की हैं जिसमें कारण बताओं नोटिस जारी करने के

रूप में कारण बताओं नोटिस के अधिनिर्णय और कुछ मामलों में सूचित की गई वसूली के 80 पैराग्राफों **(अनुबंध 3)** के मामले में ₹ 81.58 करोड़ का धन मूल्य शामिल है।

1.28 लोक लेखा समिति (पीएसी)

लोक लेखा समिति ने 'आईसीईएस 1.5', विशिष्ट आर्थिक जोन और 'नार्कोटिक्स पदार्थों का प्रबंधन (राजस्व विभाग)', जब्त और अधिग्रहण सामानों के निपटान, सार्वजनिक एवं निजी बांड वाले वेयरहाउस और जाँच/ चर्चा हेतु सामान्य छूट अधिसूचनाओं के गलत लागू करने के हेतु तीन लंबे पैराग्राफों की निष्पादन समीक्षा की। राजस्व/वाणिज्य विभाग के लिए पीएसी की अग्रिम प्रश्नावली व्यापक तौर पर कर नीति के स्तरों, प्रशासन और कार्यान्वयन पर आधारित है। इसमें अंतर-मंत्रालयी समन्वय की कमी, योजना परिणाम के साथ-साथ पूर्व में अपर्याप्त मॉनिटरिंग भी देखी गई है।

1.29 सीएजी की लेखापरीक्षा, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई की प्रतिक्रिया

गत पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन सहित) में हमने ₹ 5615 करोड़ के 654 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे (तालिका 1.14)।

तालिका 1.14: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

₹ करोड़

वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ								की गई वसूली			
			मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद						मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.वि.11	118	131	102	99	29	18	131	117	56	18	3	4	59	22
वि.वि.12	121	62	108	48	11	11	119	59	79	30	14	3	93	33
वि.वि.13	139	1832	100	66	27	29	127	95	63	17	12	8	75	25
वि.वि.14	154	2428	104	42	10	4	114	46	65	16	0	0	65	16
वि.वि.15	122	1162	80	82	0	0	80	82	61	22	0	0	61	22
कुल	**654**	**5615**	**494**	**337**	**77**	**62**	**571**	**399**	**324**	**103**	**29**	**15**	**353**	**118**

स्रोत: सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सरकार ने ₹ 82 करोड़ वाले 80 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और ₹ 22 करोड़ की वसूली की थी।

अध्याय II

अनन्तिम निर्धारण (सीमा शुल्क)

2.1 प्रस्तावना

अंन्तिम निर्धारण(पीए), विलम्ब शुल्क प्रभारों या अन्य वित्तीय हानियों के भुगतान के रूप में कठिनाई से बचने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत आयातक/निर्यातक को दिया गया एक सरलीकरण उपाय है। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2011 की स्व:निर्धारण प्रणाली के प्रारम्भ से आयातक या निर्यातक को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17 के अनुसार शुल्क का स्वत: निर्धारण करना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। यह स्व:निर्धारण सीमा शुल्क के उचित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अध्यधीन है। यदि एक आयातक या निर्यातक स्व:निर्धारण करने में असमर्थ है, तो वह आयातित माल निर्यातित माल के निर्धारण के लिए लिखित में उचित अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। ऐसे मामलों में एवं अन्य परिस्थितियों में जैसे सुसंगत सूचना अथवा दस्तावेजों की अनुपलब्धता या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 में उल्लिखित किसी अन्य कारण से कारण, से उचित अधिकारी को जहां आवश्यक समझे आगे जांच करने के लिए निर्देश दे सकता है कि शुल्क को अनन्तिम रूप से निर्धारित किया जाता है और माल की निकासी को रोकने के रूप में उचित प्रतिभूति सहित बाँड लेने के साथ ऐसे माल की निकासी अनुमत करता है।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए की गई थी कि क्या;

(i) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, सीमाशुल्क (अनन्तिम शुल्क निर्धारण) विनियमावली, 2011 और मूल्यांकन नियमपुस्तिका में तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और पद्धतियों का अनुपालन किया गया था।

(ii) अनुचित विलंब के बिना और राजकोष से राजस्व की हानि किए बिना अनन्तिम निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाता है और

(iii) अनन्तिम निर्धारण सुविधा के दुरूपयोग के प्रति सतर्कता के लिए आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र स्थापित हैं।

2.3 कार्यक्षेत्र एवं कवरेज

94 सीमाशुल्क कमिश्नरियाँ हैं। जिनमें से 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि को कवर करते हुए पेन इंडिया आधार पर 42 कमिश्नरियों **(अनुबंध 4)** से संबंधित संबंध अभिलेख/दस्तावेज और बिल की प्रविष्टि (बीएसई)/शिपिंग बिल (एसबीएस) का अनन्तिम निर्धारण पर लेखापरीक्षा करने के लिए चयन किया गया था।

42 चयनित कमिश्नरियों में से 26 कमिश्नरियाँ **(अनुबंध 5)** ने परिवर्ती सीमा तक लेखापरीक्षा द्वारा माँगी गई सूचना उपलब्ध कराई और शेष 16 कमिश्नरियों **(अनुबंध 6)** ने कोई सूचना नहीं दी। तथापि, सभी पर 42 कमिश्नरियों की सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा विंग के विभिन्न फील्ड फॉर्मेशन द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी।

इन पहलुओं पर सूचना माँगी गई थी किंतु कमिश्नरियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी। मंत्रालय अप्रैल 2011 से मार्च 2015 तक अखिल भारतीय स्थिति प्रस्तुत कर सकता है।

2.4 नमूना चयन

5 करोड़ से अधिक के निर्धारणीय मूल्य सहित अनन्तिम रूप से निर्धारित बिल की सभी प्रविष्टि/शिपिंग बिल्स, 1 करोड़ से 5 करोड़ (अधिकतम 1000 मामलें) के मूल्य वाले 50 प्रतिशत बिल और 1 करोड़ के (अधिकतम 1000 मामले) मूल्य वाले 25 प्रतिशत के बिल लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए थे।

तालिकाः अनन्तिम निर्धारण की तुलना में कुल निर्धारण

वर्ष	प्रस्तुत एवं निर्धारित प्रविष्टि बिलों/शिपिंग बिल की कुल सं.		अनन्तिम रूप से निर्धारित प्रविष्ट बिल/शिपिंग बिल			कुल निर्धारिणों के अनन्तिम निर्धारणों की प्रतिशतता	कुल निर्धारणीय मूल्य के निर्धारणीय मूल्य की प्रतिशतता
	सं.	निर्धारणीय मूल्य (₹ करोड़)	सं.	निर्धारणीय मूल्य (₹ करोड़)	बांड मूल्य (₹करोड़)		
2011-12	2178496	965841	110298	382991	68485	5.06	39.65
2012-13	2172426	1337098	137568	602488	68910	6.33	45.06
2013-14	1718783	1257364	143675	662216	62012	8.36	52.67
कुल	**6069705**	**3560303**	**391541**	**1647695**	**199407**		

स्रोतः तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली के संबंध में डीजी (प्रणालियों) से प्राप्त डाटा

राज्यः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित/इकाइयों द्वारा दिए गए डाटा को गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश में अपनाया गया था। 15 कमिश्नरियों[11] द्वारा डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

[11] पश्चिम बंगाल (कोलकाता पत्तन, कोलकाता एयर, आईसीडी दुर्गापुर, सिलिगुड़ी- निरोधक) मेघालय (शिलॉंग), महाराष्ट्र (एनसीएच क्षेत्र-1 (4), एनसीएच क्षेत्र II (3), एसीसी क्षेत्र III (2)

अनन्तिम निर्धारणों के विश्लेषण से पता चला कि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान अनन्तिम रूप से निर्धारित मामलों की प्रतिशतता 5.06 से 8.36 तक बढ़ गई थी। इसी प्रकार से, कुल निर्धारणीय मूल्य का निर्धारणीय मूल्य का प्रतिशत 2011-12 के दौरान 39.65 से वर्ष 2013-14 के दौरान 52.67 तक बढ़ गया था।

तालिकाः अंतिम रूप दिए गए कि तुलना में अनन्तिम रूप से निर्धारित मामले

वर्ष	अस्थायी रूप से निर्धारित मामलें		अंतिम रूप दिए गए मामले	
	सं.	बाडं मूल्य (₹.करोड़)		सं.
2011-12	50475	64075	6877	24062
2012-13	48096	72620	12363	30783
2013-14	21468	53874	9214	21215
कुल	**120039**	**190569**	**28454**	**76060**

स्रोतः तमिलनाडु, केरल ओर कर्नाटक के संबंध में डॉटा डीजी (प्रणालियों) से लिया गया था। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मेघालय राज्यों में डाटा विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

1. *बांड मूल्य में पंजाब और हरियाणा राज्यों के संबंध में 3152 बॉड (अनन्तिम रूप से निर्धारित) और 1659 बांड (अंतिम रूप से निर्धारित) का मूल्य शामिल नहीं है।*
2. *वर्ष 2013-14 के लिए डाटा केवल दो महीनों के लिए प्रस्तुत/संकलित किया गया था अर्थात अप्रैल और मई 2013 क्योंकि डीजी (प्रणाली), सीबीईसी से शेष महीनों के लिए कोई डाटा प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए अनन्तिम निर्धारणों की कम संख्या उनका बांड मूल्य था। तथापि, वर्ष 2013-14 के लिए दो महीनों के लिए अंतिम रूप दिए गए अनन्तिम निर्धारणों की प्रतिशतता 43 प्रतिशत थी जबकि यह वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए क्रमशः यह 14 और 26 प्रतिशत थी।*

2.5 अनन्तिम निर्धारणों पर सीबीईसी द्वारा अनुरक्षित डाटा का व्यवस्थित कमी और खराब गुणवत्ता

2.5.1 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 आयात और निर्यात दोनों के लिए इलैक्ट्रॉनिक घोषणाओं की फाइलिंग का आदेश देता है। सामान्यतः हस्तय फाइलिंग की केवल विशेष मामलों में ही अनुमति हैं जहाँ ईडीआई से संबंधित इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) या प्रचालन संबंधी मामलों की गैर-

उपलब्धता के कारण इलैक्ट्रॉनिक घोषणाओं को फाइल करना संभव नहीं है। ऐसे मामलों में सीमाशुल्क कमिश्नर का अनुमोदन अपेक्षित है।

दिनांक 02/06/2014 का स्थायी आदेश 05/2014 के जारी करने के बाद अनन्तिम निर्धारणों का हस्तय अन्तिम रूप देना अब भी जारी है। आगे, आईसीईएस 1.5 मॉड्यूल ने इसकी सभी कार्यात्मकता सहित अनन्तिम निर्धारण मोडॅयूल को सम्मिलित नहीं किया।

मंत्रालय ने इसके पहले के उत्तर में सूचित किया था कि "इलैक्ट्रॉनिक रूप से बीईज और एसबीस की अनिवार्य रूप से फाइलिंग के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीबीईसी ने एफ सं. 401/81/2011- सीशु. III दिनांक 4 मई 2011 के द्वारा अनुदेश जारी किए थे कि केवल दुर्लभ और वास्तविक मामलों में ही हस्त्य प्रसंस्करण और निकासी अनुमत होगी और आगे हस्त्य दस्तावेजों को अनुमति देने का प्राधिकार केवल सीमाशुल्क कमिश्नर के पास निहित होगा"।

2.5.2 आईसीई एस 1.5 संस्करण के तहत अनन्तिम निर्धारण निगरानी प्रणाली में लेखापरीक्षा ने कमियाँ देखी-

प्रणाली और डाटा प्रबंधन के निदेशालय ने अनन्तिम रूप से निर्धारित बिलों के ऑनलाइन अन्तिम रूप देने के लिए और अनन्तिम रूप से निर्धारित बीई/एसबी के अंतिम रूप देने में लम्बन की निगरानी के लिए अप्रैल 2014 में आईसीईएस 1.5 में पीए प्रविष्टि बिलों के अंतिम रूप देने के लिए एक मॉड्यूल प्रारंभ किया था। मॉड्यूल केवल चार कमिश्नरियों में फरवरी 2015 से लागू किया जा रहा था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रणाली से अनन्तिम निर्धारणों, जांच रिपोर्ट दस्तावेजों की प्राप्ति, बॉड अथवा बैंक गारंटी (बीजी) के पुनर्वेधीकरण आदि के लंबन की निगरानी के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त निम्न कमियों के परिणामस्वरूप अनन्तिम निर्धारण के मामलों की निगरानी का अभाव था।

i. विभिन्न अन्य योजनाओं के लिए निष्पादित बांड के प्रति अनन्तिम शुल्क बांड में अंतर करने के लिए प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं था। जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के लम्बन, मूल्यांकन जैसे या कोई किसी विशेष कारण से

अनंतिम निर्धारण का सहारा लेने के कारणों का प्रणाली से पता नहीं लगाया जा सका।

ii. ब्यौरा जैसे कि अंतिमरूप देने की तिथि,अंतिम रूप नहीं देने के कारण, बांड/बीजी का पुनर्वेधीकरण, प्रदत्त अनन्तिम शुल्क का ब्यौरा, निर्धारित अंतिम शुल्क, ईडीआई में वर्तमान मॉड्यूल्स से सृजित नहीं किया जा सका।

iii. दिनांक 02/06/2014 के स्थायी आदेश 05/2014 के जारी हाने के बाद भी अनन्तिम निर्धारणों का हस्त्य अंतिम रूप देने अभी भी बना हुआ है।

iv. अंतिम निर्धारण नवम्बर 2014 तक हस्त्य रूप से किया गया था एवं इस प्रकार ईडीआई प्रणाली में दिखाया गया लम्बित अनन्तिम निर्धारणों में डाटा वास्तविक लम्बन स्थिति से मेल नहीं खाता है। रजिस्टरों में रखा गया ईडीआई प्रणाली और प्रत्यक्ष डाटा के अनुसार डाटा का मिलान करने की आवश्यक्ता है।

v. आईसीईएस मॉड्यूल में बांड लेजर/बांड मॉड्यूल में चूक किए गए/निरस्त किए गए बांड नहीं दिखाए जाते है।

vi. अनन्तिम रूप से निर्धारित और अंतिम रूप दिए गए प्रविष्टि बिलों/शिपिंग बिलों की संख्या पर पृथक रिपोर्ट को ईडीआई प्रणाली से सृजित नहीं किया जा सका।

vii. वर्ष-वार पंजीकरण और अनन्तिम निर्धारणों के लम्बन पर रिपोर्ट सृजित नहीं की जा सकी।

viii. अतिरिक्त शुल्क जमा (ईडीडी) के उद्ग्रहण के लिए मॉड्यूल विद्यमान नहीं है और उसे मैनुअली उद्ग्रहीत किया जा रहा है।

ix. यह मॉड्यूल मासिक रिपोर्टो, समूह-वार (कमिश्नरी के अन्दर) और कमिश्नरी के लिए समेकित रिपोर्ट सृजित करने में असमर्थ था।

x. एसीसी बैंगलुरू में, 34 बांड के तहत फाइल किए गए 1455 प्रविष्टि बिल मार्च 2015 के दौरान बंद कर दिए गए थे। तथापि, बांड प्रबंधन मॉड्यूल के तहत उनके बन्द करने का तथ्य को ईडीआई प्रणाली से सत्यापित नहीं किया जा सका।

सीबीईसी इसके सुविधा उपाय की पान इण्डिया पर उपरोक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रभाव की जांच कर सकती है।

2.5.3 2011 से 2014 तक की अवधि के लिए अनन्तिम निर्धारणों का साकल्यवादी चित्रण प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा सीबीईसी वेबसाइट (www.cbec.ddm) से या वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से अखिल भारतीय डाटा का पता नहीं लगाया जा सका। इसलिए सीबीईसी द्वारा अनुरक्षित डाटा की खराब गुणवत्ता के कारण कोई प्रवृत्ति विश्लेषण नहीं किया जा सका।

2006-07 की पहले की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के दौरान लेखापरीक्षा सिफारिश के बाद अनन्तिम निर्धारणों को अंतिम रूप देने के छह महीने की समय-सीमा प्रारम्भ की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में 2011 से 2014 तक की अवधि को कवर किया गया है, तथापि, पता चला कि समय-सीमा के प्रारम्भ करने के बावजूद असामान्य विलम्ब बना रहा।

कर दाता सेवाओं को सुधारने के उद्देश्य के साथ, सीबीईसी 2015-16 के परिणाम ढाँचा दस्तावेज (आरएफडी) द्वारा कार्रवाई बिन्दु (बी.4.1) के रूप में अनन्तिम निर्धारणों के अंतिम रूप देने पर विचार किया गया था। तथापि वि.व 2014-15 तक सीबीईसी द्वारा कोई प्रवृत्ति मूल्य नहीं दर्शाया था। 6 महीने से अधिक लम्बित मामलों की प्रतिशता के रूप में एक सफल सूचक निर्धारित किया गया था, तथापि ₹ 108389.37 करोड़ से अधिक मूल्य वाले बांड सहित 36,000 से अधिक मामले है। वि.व 2015-16 के लिए भी सीबीईसी इस निष्पादन को श्रेष्ठ मानेगी यदि पीए मामलों का 40 प्रतिशत छः महीनों के बाद लंबित रहे।

अध्यक्ष, सीबीईसी के द्वारा सरकार के मुख्य मिशन के रूप में कारोबार करने में सुधार बताये जाने (05 अगस्त 2015) के बावजूद, कर दाता सेवाएं सुधारने के लिए पीए मामलों हेतु सीबीईसी द्वारा लक्ष्य निर्धारित करना अपर्याप्त लगता हैं।

अनंतिम निर्धारणों पर सूचना मंगाई गई थी परंतु कमिश्नरी, डाटा प्रबंधन निदेशालय, सीबीईसी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। मंत्रालय को अप्रैल 2011 से मार्च 2015 से लेखापरीखा की अखिल भारतीय स्थिति को प्रस्तुत करना है।

अनन्तिम निर्धारण सुविधा/प्रक्रिया के दुरूपयोग के प्रति बचाव हेतु आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र अपर्याप्त हैं।

2.6 अभिलेखों का अनुचित अनुरक्षण

मूल्य निर्धारण नियमपुस्तिका खण्ड II के पैरा 14 के अनुसार अनन्तिम ड्यूटी (पीडी) रजिस्टर (फार्म 321 सीबीआर) में किये गए प्रत्येक अनन्तिम निर्धारण की प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है। ऐसे मामलों से संबंधित सभी विवरण जैसे पंजीकरण से उनका अंतिम रूप दिये जाने तक अर्थात आयातक का नाम, माल का विवरण, प्रविष्टि बिलों की संख्या, माल का मूल्य, अनन्तिम निर्धारण हेतु कारण, देय शुल्क, बांड के विवरण और उनकी वैधता अवधि आदि अभिलेखित किया जाता था। फार्मेट का कॉलम 16 और 22 अनन्तिम/अंतिम निर्धारण पर शुल्क राशि हेतु विशेष रूप से संबंधित थे। रजिस्टर भी दस्तावेज के प्राप्ति की तिथि, जांच परिणाम आदि को दर्ज करने के लिए भी उपलब्ध कराये गये थे। मामलों को अंतिम रूप दिये जाने पर, अंतरीय शुल्क के प्रतिदाय/संग्रहण से संबंधित विवरण अभिलेखित किये जाने थे और बांड बंद किये जाने थे।

42 कमिश्नरियों में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अनन्तिम निर्धारण की प्रभावी निगरानी हेतु आवश्यक और मूल अभिलेख पीडी बांड रजिस्टर को विनिर्दिष्ट फार्मेट में अनुरक्षित नहीं किया गया था और जहां पर भी अनुरक्षित किये गये थे, एक या दो कॉलम को छोड़कर सभी कॉलम खाली छोड़े गये थे। महत्वपूर्ण विवरण दर्ज नहीं किये गये थे और न तो ये रजिस्टर एसी को प्रस्तुत किये जा रहे थे और न ही आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) को मासिक अंतराल पर अग्रेषित किये गये थे।

यह इंगित किये जाने पर दिल्ली कमिश्नरी ने उत्तर दिया (मई 2015) कि प्रत्यक्ष अभिलेखों का अनुरक्षण ईडीआई को आरंभ किये जाने के कारण रूक गया था क्योंकि सारी सूचना सिस्टम में उपलब्ध थी। तथापि सिस्टम में उपलब्ध बताई गई सूचना के बावजूद, सभी कमिश्नरियां सांख्यिकीय डाटा जैसे अनन्तिम निर्धारणों की संख्या और 2011-14 की अवधि हेतु अनन्तिम निर्धारणों की लंबन स्थिति की तुलना में निर्धारणों की कुल संख्या का सार देने में असमर्थ थी।

अहमदाबाद कमिश्नरी के प्राधिकारियों ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं कि सभी हस्त्य रूप से संसाधित अनन्तिम निर्धारण मामलों का माडयूल मे अद्यतन किया जाना है।

आईसीडी दुर्गापुर प्राधिकारियों ने बताया कि पीडी रजिस्टर के सभी कॉलम ''पीडी बान्ड की वैद्यता'' के कॉलम को छोड़कर रखरखाव किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के समय पर यह ध्यान में आया था कि पीडी रजिस्टर में सभी कॉलम पूरी तरह से भरे हुए नहीं थे और अनन्तिम निर्धारण का सहारा लेने के लिए करणों का उल्लेख नहीं किया गया था।

2.6.1 सभी 42 कमिश्नरियों में अनन्तिम रूप से निर्धारित किये गये मामलों के परिणाम, बांड की पुन: वैधता आदि ट्रैक करने के लिए बेहतर निगरानी तंत्र और आंतरिक नियंत्रण अपेक्षित है जिसके परिणामस्वरूप अनन्तिम निर्धारणों को अंतिम रूप देने में अनुचित विलंब हुआ और सरकारी राजस्व का अवरोधन और आस्थगतन हुआ जैसा कि **अनुबंध 7** में दर्शाया गया है।

2.7 कॉल बुक रजिस्टर में मामलों का लंबन

दिनांक 30 मार्च 1998 के परिपत्र सं. 385/18/1998 सीशु के साथ पठित सितम्बर 1990 में जारी किये गये बोर्ड के परिपत्र सं. 53/1990 सीशु के अनुसार कॉल बुक मामलों की कॉल बुक में रखे गये मामलो के निपटान की प्रगति की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत कर मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी।

चार कमिश्नरियों[12] में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कॉल बुक रजिस्टर में 961 मामले रखे गये थे जिनका अनन्तिम रूप से निर्धारण किया गया था और अंतिम रूप दिया जाना लंबित था। अतः ये मामले लंबित मामलों के मासिक विवरण में शामिल नहीं किये गये और सीबीइसी द्वारा निगरानी से रह गये जैसा कि **अनुबंध 8** में सूचीबद्ध किया गया है।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि सभी बीई को शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप दिया जाएगा।

[12] गुजरात (सीमाशुल्क हाऊस, जामनगर), केरल (कोच्ची), उत्तरप्रदेश (नोएडा), मुबंई (आयात)

2.8 पीडी बॉंड के लंबन की गलत रिपोर्ट करना

एक महीने के दौरान कार्य के निपटान से संबंधित कमिश्नरियों के निष्पादन को एमटीआर फार्म में समेकित किया जाएगा और महानिदेशक निरीक्षण सीवीइसी को आगे प्रेषण हेतु मुख्य कमिश्नर सीमा शुल्क को प्रत्येक महीने भेजे जाएंगे।

15 कमिश्नरियों[13] में पीडी बांड रजिस्टर और एमटीआर की लेखापारीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 9663 पीडी बांड, 4770 पीडी बांड के लंबन के प्रति एमटीआर में सूचित किया गया। यह दर्शाता है कि विभाग ने या तो अनन्तिम निर्धारणों के लंबित मामलों के बांड मूल्यों के साथ-साथ बांडों की संख्या की अधिक रिपोर्ट या कम रिपोर्टें की थी। गलत रिपोर्ट करना विभाग में निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमी का सूचक था।

एनसीएच, मुम्बई ने उत्तर दिया कि (जुलाई 2015) पीडी बांड रजिस्टर और एमटीआर को अद्यतित किया गया और सुधारा गया। अंतिम उत्तार प्रतीक्षित था (दिसंबर 2015)।

लेखापरीक्षा का मत है कि आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र को अंतिम निर्धारण स्तर तक अनंतिम निर्धारणों की प्रक्रिया की प्रभावी मैपिंग हेतु सुदृढ़ किया जा सकता है।

अहमदाबाद कमिश्नरी प्राधिकारियों ने बताया कि (सितम्बर 2015) कि संबंधित फोर्मेशनों को आकड़ों के मिलान के लिए निर्देश दे दिए गए थे।

2.9 निर्धारण समूहो तथा एसबीवी /एसआईआईबी के डाटा के बीच अंतर

विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) आयातित मालके मूल्य पर प्रभाव वाले किसी विशिष्ट विशेषताओं तथा विशिष्ट रिश्ते शामिल करने वाले लेन देन की जांच में विशेषज्ञ है। विक्रेता तथा खरीददार के बीच रिश्ते के कारण कम मूल्यांकन के संदिग्ध मामले निर्धारणयोग्य मूल्य की जांच तथा निर्धारण के लिए संदर्भित है।

[13] कांडला,मुद्रा, जोधपुर, चैन्नै एयर, इंदौर, मुंबई (आयात I और II, निर्यात I और II (एनसीएच जोन I)), एनएस-I, एनएस-III, एनएस-v (जेएनसीएच जोन-II) आयात और निर्यात (एसीसी जांन III), कोलकाता

एसवीबी, मुम्बई से प्राप्त डाटा के अनुसार एसीसी मुम्बई से संबंधित 437 मामले तथा जेएनसीएच, मुम्बई से संबंधित 467 मामलों, कुल 904 मामले, की मार्च 2015 तक अंतिम रूप देने के लिए लम्बित थी। यद्यपि, मार्च 2015 के महीने के लिए एमटीआर ने एसीसी तथा जेएनसीएच मुम्बई के लिए क्रमश: 100 तथ 584 मामलों के रूप में लंबन दिखाया (कुल 684 मामले)। निर्धारण समूह तथा एसवीबी/एसआईआईबी के बीच समन्वय तथा आवधिक सुलह की कमी एमटीआर के माध्यम से प्रतिवेदित मामलो में विसंगति की ओर ले जाता है।

2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए सभी एसवीबी/एसआईआईबी मामलों तथा उनकी वर्तमान स्थिति पर मंत्रालय अखिल भारतीय डाटा प्रस्तुत कर सकती है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि अनंतिम निर्धारण मामलों को समय पर अन्तिम रूप देने को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन के शीघ्र निर्धारण के लिए एसवीबी के तंत्र को सुदृढ किया जा सकती है।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (सितम्बर 2015)।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.10 सीमाशुल्क के संग्रहण से संबंधित नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन को संवर्धित करने की आवश्यकता है।

2.10.1 अनंतिम निर्धारण का अनियमित सहारा लेना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18(1) के अनुसार अनंतिम निर्धारण उन मामलो में लागू है, जहां:

(क) आयातक/निर्यातक स्व-निर्धारण करने में सक्षम नहीं।

(ख) उचित अधिकारी किसी आयातित वस्तुओं या निर्यातित मालको किसी रासायनिक या अन्य जांच के लिए आवश्यक समझता हो;

(ग) यथायोग्य अधिकारी आगे जांच करना जरूरी समझना है, यद्यपि आयातक/निर्यातक ने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए है;

(घ) आयातक या निर्यातक ने आवश्यक दस्तावेज/ सूचना प्रस्तुत नहीं की हो।

सीबीईसी की सीमाशुल्क नियम पुस्तक का अध्याय 7 (पैरा 3) नियत करता है कि अनंतिम निर्धारण को परियोजना के आयात को छोड़कर अच्छी प्रकार से 6 महीने में अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। यद्यपि 13 कमिश्नरियों[14] के रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 173 प्रविष्टि के बिल अनंतिम निर्धारण के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि अपेक्षित स्पष्टीकरण/दस्तावेज विभाग के पास उपलब्ध थे। सभी दस्तावेज/स्पष्टीकरण होने के बावजूद, विभाग ने अनंतिम निर्धारण की सहायता ली, जिसके परिणामस्वरूप 1 से 4 वर्षों की एक अवधि के लिए शुल्क की वसूली में देरी हुई। **अनुबंध 9** में कुछ मामले सूचीबद्ध है।

2.11 पीडी बांड की निगरानी तथा उसका मूल्य

सीबीईसी ने जुलाई 1991 में निम्नलिखित के रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए (i) समरूपता बनाए रखने तथा विधिक /तकनीकी विषयों से उठने वाले विवादों का ध्यान रखने के लिए कॉमन बांड सैल, (ii) निर्धारित समय सीमा की समाप्ति पर बांडस आमत्रंण को लागू करना, (iii) बांड की शर्तों के गैर अनुपालन के लिए सीमाशुल्क कार्यालय एजेन्टो का उत्तरदायित्व निश्चित करना, (iv) बांड अदायगी दायित्व का कम्प्यूटरीकरण (v) नकद अनुभाग में प्रारंभिक बांड की सुरक्षित अभिरक्षा।

यद्यपि नमूना जांच से पता चला कि एनसीएच, नई दिल्ली में बोर्ड निर्देशों के बावजूद बांड स्वीकृति तथा अदायगी के लिए कोई अलग कॉमन बांड तथा बीजी सैल कार्यरत नहीं है।

इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियम ,2011 के विनियम 4 के अनुसार निष्पादित बांड एक अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति के साथ कवर होना चाहिए। उचित अधिकारी आदेश दे सकता है कि इन विनियमों के अन्तर्गत निष्पादित किया जाने वाला बांड, जैसा वह उचित समझे, ऐसी प्रतिभूति या बीमा या दोनो के साथ हो सकता है। अनंतिम शुल्क के 20 प्रतिशत से अधिकता नही वाली एक राशि उचित अधिकारी के पास जमा करानी होती है।

बांड के प्रारूप तथा प्रक्रिया निर्धारित लेखापरीक्षा से निम्नलिखित से संबंधित विश्वास नहीं मिला:

[14] राजस्थान (जोधपुर), तमिलनाडु(चेन्नई सी, चेन्नई एअर), चंडीगढ़ (लुधियाना), महाराष्ट्र (मुम्बई-जेएनसीएच जोन 11(3), पश्चिम बंगाल (कोल्काता) पोर्ट एअरपोर्ट, आईसीडी (सीई) दुर्गापुर)

i. निर्धारित निर्यात/आयात दस्तावेजों के अतिरिक्त, उपयोगी सूचना जो कि बांड द्वारा कैप्चर किए जाते है।

ii. अतिरिक्त सुरक्षा/बचाव प्रावधान जो व्यवसाय करने की सुविधा के अन्तर्गत परिकल्पित उपायों के प्रकाश में निर्यातक/आयातक द्वारा प्रस्तुत बांड/बीजी द्वारा सुदृढ किए गए है।

2.12 अनंतिम शुल्क (पीडी) बांड का अनुपयुक्त कार्यान्वयन

34 कमिश्नरियों[15] के रिकार्ड की संवीक्षा से पता चला कि 180735 मामलों में पीडी बांडस (₹ 366478.86 करोड़) विभेदक शुल्क की बजाए पूर्ण निर्धारणीय मूल्य के लिए, लिए गए थे। 7 कमिश्नरियों[16] में, ₹ 26816.38 करोड़ के एक बांड मूल्य के लिए 6196 मामलों में, शुल्क जैसा अंतिम रूप से निर्धारित हो सकता है तथा शुल्क अनंतिम निर्धारित के बीच अन्तर के समान राशि के लिए मूल्य की बजाय, कुल शुल्क अनंतिम निर्धारित या निर्धारण योग्य मूल्य के लिए बांड प्राप्त किए गए थे।

बेंगलुरू कमिश्नरी में, एक प्रविष्टि बिल के संबंध में शुल्क प्रावधानों के उल्लंघन में दो बांड के प्रति डेबिट किया गया।

लुधियाना कमिश्नरी के अन्तर्गत चार मामलों में बांड्स अनंतिम निर्धारण के समय पर प्राप्त नहीं किए गए थे।

हैदराबाद कमिश्नरी ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि निर्धारण योग्य मूल्य के लिए बांड लिए गए जो विभेदक शुल्क से ज्यादा है क्योंकि विभेदक मूल्य अन्तिम निर्धारण के समय पर सुनिश्चित करने योग्य नहीं थी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उंचे बांड मूल्य ने राजस्व की गलत तस्वीर दी है जो कि अनंतिम निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए सरकार के अधीन होने के कारण था। इसके अतिरिक्त, उंचे बांड मूल्य के रूप में आयातक/निर्यातक पर परिहार्य भार डालना, यह सीबीईसी नीति का उल्लंघन है। अन्य कमिश्नरियों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2016)।

---

[15] गुजरात (कांडला, खोदियार, जामनगर, मुन्दरा) राजस्थान (जोधपुर), बैंगलुरू (एसीसी, आईसीडी, एनसीएच (मेंगुलुरू), चेन्नई (एअर,सी, तुतीकोरन, केरला (कोच्ची) दिल्ली (आईसीडीआयात), आईसीडी(एक्स) एसीसी, एनसीएच (आयात,) एसीसी एनसीएच (एक्स), टीकेडी, आईसीडी परपतगंज, हैदराबाद, कोलकाता पोट्र,कोलकाता एअर आईसीडी –दुर्गापुर, लखनऊ(नोएडा, कानपुर) मुम्बई (एनसीएच जोन (4) जेएनसीएच जोन113), एसीसी जोन 111(2)

[16] अहमदाबाद, जामनगर, कोडला, मुन्दरा, जोधपुर, लुधियाना तथा एनसीएच मुम्बई

अवधि 2011-12 तथा 2012-13 के लिए आईसीईएस 1.5 लेनदेन डाटा के विश्लेषण से पता चला कि कुल 6535736 दर्ज बीएसई में से 435672 बीएसई अनंतिम निर्धारित थे जिनमें से सीमाशुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) के प्रावधानो के उल्लंघन द्वारा निर्धारण योग्य मूल्य के समान या अधिक राशि के लिए बांड लिए गए थे।

इसके अतिरिक्त, 55888 बीएसई (12.82 प्रतिशत) में निर्धारण योग्य मूल्य के 5 प्रतिशत से कम राशि के लिए बांड लिए गए थे। अधिक रोचक तथ्य है कि 95 बीएसई में बांड राशि शून्य थी तथा 767 बीएसई में बांड राशि ₹ 1/- से ₹ 10/- के बीच सीमित थी।

2013 से आगे की अवधि के लिए लेनदेन डाटा सीबीईसी द्वारा लेखा को प्रदान नहीं किया गया है जो ऐसे अधिक मामलों को प्रकट करता।

सीमाशुल्क अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, एक पीडी बांड शुल्क जो अंतिम रूप से निर्धारित हो सकता है तथा अनंतिम निर्धारित शुल्क के बीच अंतर के लिए निष्पादित होता है। क्योंकि अनंतिम निर्धारण के समय पर अंतिम शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता, पीडी बांड निष्पादन के लिए निर्धारण योग्य मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत अपनाना समझदारी है।

कोलकाता कमिश्नरी ने आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि भविष्य में प्रावधानो का अनुसरण करने के लिए प्रयास किए जाएगें। एसीसी, जयपुर ने बताया कि पीडी बान्डस को राजस्व की सुरक्षा के लिए पूरे निर्धार्य मूल्य के लिए लिया गया था।

मंत्रालय डाटा की संवीक्षा कर सकता है तथा 31 मार्च 2015 को पीडी बांड की स्थिति प्रदान कर सकता है।

2.13 पीडी बांड का गैर पुनर्वेधीकरण

सीमाशुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियमावली 2011 के विनियम 2(2) के अनुसार, विभेदक शुल्क के समान एक राशि के लिए एक आयातक या निर्यातक एक बांड का निष्पादन करेगा तथा राजस्व की सुरक्षा करने के लिए निर्धारण के अंतिम रूप देने तक बांड प्रभाव में रहेगा। निष्पादित बांड केवल वहां उल्लिखित अवधि के लिए वैध होंगे, यदि वैधता अवधि के अन्दर नवीकृत न कराए जाएं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 15 कमिश्नरियों[17] में आयातकों द्वारा निष्पादित ₹ 16571.11 करोड़ के बांड मूल्य वाले 44673 अनंतिम प्रविष्टिबिल 2005-06 से 2013-14 के दौरान पहले ही समाप्त हो चुके है, यद्यपि इन अनंतिम निर्धारणों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

एनसीएच मैंगलुरू कमिश्नरी पर, मै. टोटल इंडिया लिमिटेड द्वारा निष्पादित ₹ 1190 करोड़ के मूल्य के लिए 43 बांड 2009-2014 के बीच समाप्त हो गए थे। यद्यपि, विभाग ने पुनर्वैधीकरण के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी।

बांड पुनर्वैधीकरण के लिए कार्रवाई का गैर प्रारंभ बांड प्राप्त करने के उद्देश्य को पराजित कर देता है। विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं किया है (जनवरी 2016)।

2.14 बांड खाते में अधिक डेबिट

बांड का निष्पादन सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए किया जाता है बांड में इसके वास्तविक मूल्य से अधिक डेबिट राजस्व के नुकसान की ओर ले जाता है जब एक आयातक/निर्यातक निर्धारणों के अंतिम रूप में देने पर विभेदक शुल्क के भुगतान में विफल होता है।

बैंगलुरू कमिश्नरी, आईसीडी पर मै. बीईएमएल लिमिटेड ने प्रोजेक्ट ईम्पोर्टस के अन्तर्गत ₹ 68.31 करोड़ के लिए एक बांड निष्पादित किया। आईसीडी पर बने आयातों के अतिरिक्त, आईसीडी पर निकासी के लिए अन्य पत्तनों से 90 टेलिग्राफिक रीलीज एडवाईसिज (टीआरए) प्राप्त हुई। बांड खाताबही में डेबिट की गई कुल राशि ₹ 73.88 करोड़ की थी। इसलिए, कुल डेबिट बांड मूल्य से ₹ 5.57 करोड़ की सीमा तक अधिक है।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि अनुपालन यथोचित अवधि में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आगे उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

2.15 बांड का अनियमित रद्दीकरण

सीमा शुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियमावली, 2011 के विनियम 2 के अनुसार बांड के अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने तक जीवित रखा जाएगा।

[17] गुजरात (आईसीडी) –खोदियार तथा कांडला), राजस्थान (जोधपुर), कर्नाटक (एसीसी, आईसीडी), एनसीएच (मैगलोर) तमिलनाडु (एअर,सी तूतीकोरन) ,केरल (कोच्ची) उत्तर प्रदेश (नोएडा कानपुर) महाराष्ट्र (2) तथा लुधियाना

चेन्नई सी कस्टम में, एक आयातक मै. आईवेक्स पेपर केमिकल्स लिमिटेड, मेदक, ने निर्धारणों के अंतिम रूप देने पर (जुलाई 2013) को विभेदक शुल्क भुगतान किया तथा ₹ 6.49 लाख के ब्याज का भुगतान अभी बाकी था। यद्यपि, विभाग ने ब्याज की उगाही को लंबित करते हुए पीडी बांड को रद्द (जुलाई 2014) कर दिया। विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा था (जनवरी 2016)।

2.16 बैंक गारंटी (बीजी) का गैर/कम निष्पादन

सीमा शुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियमावली, 2011 के विनियम 4 के अनुसार, बांड निष्पादन एक अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति के साथ कवर हो सकता है।

19 कमिश्नरियों[18] में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 28679.48 करोड़ के एक मूल्य के लिए 116259 मामलो में बांड किसी प्रतिभूति या सुरक्षा या बैंक गारंटी के बिना निष्पादित किए गए थे।

उत्तर में, अहमदाबाद कमिश्नरी के अन्तर्गत सीमाशुल्क, आईसीडी खोदियार के उपायुक्त ने कहा कि उचित अधिकारी के पास प्रतिभूति से संबंधित एक निर्णय लेने का स्वातंत्रय है। सामान्यत: एक अभ्यास के मामले के रूप में, बैंक गारंटी से छूट, तथा सावधि जमा केवल उत्पादको/स्टार ट्रेडिंग हाऊस, प्रख्यात व्यापार घरों इत्यादि को दी जाती थी।

लेखापरीक्षा का विचार है कि प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा की निश्चित प्रतिशतता, अंतिम रूप देने के लिए आयातकों/ निर्यातकों से जल्दी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सभी अनंतिम निर्धारणों के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए।

अन्य कमिश्नरियों से उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

2.17 बैंक गारंटी का गैर पुनर्वैधीकरण

सीमाशुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियमावली, 2011 के विनियम 4 के अनुसार किन्ही मालके संबंध में एक आयातक या निर्यातक द्वारा एक बांड बंाड निष्पादित किया जाएगा तथा ऐसा बांड राजस्व की सुरक्षा के लिए

[18] गुजरात (खोदियार, कोडला, मुन्दरा), राजस्थान (जोधपुर), उत्तर प्रदेश (नोएडा,कानपुर), तमिलनाडु (तुतिकोरन), पंजाब तथा हरियाणा (लुधियाना), ओडिशा (भुवनेश्वर), महाराष्ट्र (आयात। एवं ।।, निर्यात । एवं ।। (एनसीएच जोन-।), एनएस-।, एनएस-।।।, एनएस*v(जेएनसीएच जोन ।।, आयात एवं निर्यात) (एसीसी जोन ।।।) कर्नाटक (।)

निर्धारणों के अंतिम रूप देने तक प्रभावी रहेगा। निष्पादित बांड केवल वहां उल्लिखित अवधि के लिए वैध है, यदि नहीं तो वैधता अवधि के अन्दर नवीकृत कराया जाए।

42 कमिश्नरियों में से बैंक गारंटी पर डाटा 8 कमिश्नरियों[19] द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो अनंतिम निर्धारणों के संबंध में प्राप्त बांड तथा बैंक गारंटी (बीजी) के मूल्य का वर्णन कर रहा था। निम्नलिखित तालिका में विवरण दिया गया है:

तालिका: बांड मूल्य तथा बैंक गारंटी

वर्ष	मामलों की सं.	बांड मूल्य (₹ करोड़ में)	मामलों की सं.	बीजी मूल्य (₹ करोड़ में)
2011-12	15029	23998	1820	5.31
2012-13	23207	29746	1535	1.65
2013-14	26116	29168	3295	3.10
कुल	**64352**	**82912**	**6650**	10.06

मंत्रालय ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकती है तथा अवधि 2011-12 से 2013-14 के दौरान अनंतिम निर्धारणों के लिए निष्पादित बैंक गारंटियों तथा 31 मार्च 2015 को उनकी स्थिति पर अखिल भारतीय डाटा प्रदान कर सकती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 450.22 करोड़ के लिए 26 कमिश्नरियों[20] में आयातको द्वारा निष्पादित 848 बैंक गारंटियां समाप्त (जुलाई 2015 तक) हो गई थी तथा वह पुनर्वैध नहीं की गई थी यद्यपि इन निर्धारणों को अंतिम रूप भी नहीं दिया गया था। **अनुबंध 10** में कुछ मामले सारणीबद्ध है।

कथित विनियम के अनुसार राजस्व की सुरक्षा के लिए निर्धारणों को अंतिम रूप देने तक बैंक गारंटी को जीवित रखना होगा। समाप्ति से पहले बैंक गारंटी

[19] कर्नाटक (एससीसी एनसीएच (मंगलुरू), तमिलनाडु (चैन्नई एआईआर, सी, तूतिकोरन), लुधियाना, उत्तरपदेश (नोएडा), आईसीडी, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल

[20] गुजरात (खोदियार, कोडला, मुंदरा), कर्नाटक (बैंगलुरू, आईसीडी, एनसीएच, एसीसी), तमिलनाडु (सी), केरल (कोच्ची), चंडीगढ (लुधियाना), दिल्ली, (ईएक्सपी) (2) आईएमपी (2),तेलंगाना (हैदारबाद), ओडिशा (भुवनेश्वर), उत्तर प्रदेश (नोएडा, लखनऊ), महाराष्ट्र (मुम्बई, आयात । एवं ।।, निर्यात । एवं ।। (एनसीएच जोन-।), एनएस-।, एनएस-।।।, एनएस-v (जेएनसीएच जोन ।।), आयात एवं निर्यात (एसीसी जोन ।।।) पश्चिम बंगाल कोलकाता।

नवीनीकरण के लिए कार्रवाई का गैर प्रारंभ सरकारी राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य को पराजित कर देता है।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा थी (जनवरी 2016)।

2.18 प्रतिभूति जमा की गैर/कम प्राप्ति

सीमा शुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियमावली 2011 के विनियम 2(2) के अनुसार उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित ऐसी राशि जो अनंतिम शुल्क के 20 प्रतिशत से अधिक न हो की प्रतिभूति जमा आयातक/निर्यातक द्वारा जमा कराई जाती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 6 कमिश्नरियों[21] में 222 मामलों में प्रतिभूति जमा ₹ 21.48 करोड़ की सीमा तक प्राप्त नहीं /कम प्राप्त किया गया।

कोच्ची कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आईसीडी मथिलाकम में, 10 मामलों में प्रतिभूति जमा निर्धारित अनंतिम शुल्क की बजाए @20% के विभेदक शुल्क पर संग्रहित किया गया था जो ₹ 0.39 करोड़ के प्रतिभूति जमा के कम संग्रहण में हुई।

आईसीडी दुर्गापुर, (कोलकाता) के संबंध में विभाग ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए बताया कि सभी पीडी बान्ड को भविष्य में उचित, जमानत और सुरक्षा सहित स्वीकार किया जाएगा।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

2.19 भंडारित माल के मामले में पीडी बांड का गैर /कम प्रस्तुतिकरण

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18(2)(बी) के अनुसार भंडारित मालों के मामले में, जहाँ अंतिम रूप से निर्धारित शुल्क अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क से अधिक हो, उचित अधिकारी , आयातक को स्वयं को अधिक शुल्क की राशि के दुगने के समान एक राशि के लिए बांधने के लिए बांड निष्पादित करने की मांग कर सकता है। इस प्रकार ₹ 20 लाख मूल्य की कीमत (बांड राशि से दुगुने यानी ₹ 10 लाख) वाली निर्धारण योग्य वस्तुएं असुरक्षित रह जाती है।

[21] तमिलनाडु (चेन्नई सी, कालीकट), ओडिशा (भुवनेश्वर) उत्तर प्रदेश (कानपुर, नोएडा)

चार कमिश्नरियों[22] में 46 मामलों में ₹ 0.10 करोड़ के मूल्य के लिए बांड कम निष्पादित हुए थे।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

मंत्रालय प्रतिभूति जमा पर अखिल भारत आधार पर प्राप्त डाटा प्रदान कर सकता है।

2.20 परिचालन खामियों के अन्य मामले

2.20.1 अतिरिक्त शुल्क जमा (ईडीडी) का गैर/क्रम उदग्रहण

मूल्यांकन विवादों के मामलों में आयातकों से जल्दी प्रतिक्रिया प्राप्त करने को प्रकाश में लाने के विचार के साथ, बोर्ड ने परिपत्र सं. 11/2001 सीमा दिनांक 23/2/2001, के द्वारा विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी)को मामला भेजते समय निर्धारण योग्य मूल्य के @1% ईडीडी के भुगतान के लिए आदेश जारी किए। यदि आयातक ने एसवीबी द्वारा जारी प्रश्नावली के पूर्ण उत्तर उसकी प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत नहीं किए, ईडीडी को उत्तर की प्रस्तुति की तिथि तक 5% बढाना होगा तथा निर्धारण उत्तर की प्राप्ति की तिथि से चार महीनो के अन्दर पूरा करना होगा।

4 कमिश्नरियों[23] में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 62 मामलों में आयातकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर के गैर प्रस्तुतीकरण ने निर्धारण योग्य कीमत के @4% पर 1.06 करोड़ की विभेदक ईडीडी की उगाही को अपरिहार्य बना दिया, जो नहीं की गई। **अनुबंध 11** में कुछ मामले सूचीबद्ध है।

2.20.2 कम मूल्यांकन के कारण शुल्क का कम उदग्रहण

मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य की निश्चितता) नियमावली, 2007के नियम 10 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 आयातित माल के मूल्यांकन के लिए प्रबंध करती है।

4 कमिश्नरियों[24] के अन्तर्गत रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 9 मामलों के संबंध में निर्धारण गलत मूल्यांकन या गलत वर्गीकरण के कारण कम मूल्यांकन पर अनंतिम रूप से किए गए जो ₹ 10.52 करोड़ ब्याज सम्मिलित

[22] दिल्ली (आयात,निर्यात एएनसीएच, आयात-आईसीडी, टीकेडी) तथा चेन्नई हवाई सीमाशुल्क

[23] जोधपुर,दिल्ली (पीपीजी), नोएडा, हैदराबाद

[24] जोधपुर, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता पोर्ट

की राशि के शुल्क के गैर/कम उदग्रहण में परिणत हुआ। **अनुबंध 12** में कुछ मामले सूचीबद्ध है।

2.20.3 कम उतारे गए माल पर शुल्क की अनियमित वापसी

परिपत्र सं. 96/2002 सीमा दिनांक 27.12.2002 के साथ पठित सीबीईसी परिपत्र सं. 6/2006 दिनांक 12.1.2006 के अनुसार, सभी मामले जहाँ सीमाशुल्क यथामूल्य आधार पर उदग्रहणीय है, थोक चल माल का निर्धारण बिल कीमत पर आधारित होना चाहिए जो आयातित माल के लिए यानी लेन-देन मूल्य तट टैंक माप के माध्यम से जांची मात्रा पर ध्यान दिए बिना तथा जहाँ पर भी सीमाशुल्क विशिष्ट दर पर उदग्रहणीय है, मात्रा की सुनिश्चितता सीमाशुल्क के उदग्रहण के लिए प्रासंगिक होगी।

इसके अतिरिक्त जहाँ माल की उतराई कम है माल की सम्पूर्ण मात्रा प्रविष्टि बिल में अनंतिम निर्धारित रूप में मूलत: घोषित, को कम उतारी गई मात्रा के लिए कोई कटौती किए बिना अंतिम रूप में निर्धारित होगी शुल्क सम्पूर्ण प्रेषित माल पर व्यवस्थित होना चाहिए तथा कम उतराई माल पर वापसी, ऐसी वापसियों के लिए शर्तों के पूर्ण होने के उपयुक्त अवधि में बाद में प्रदान करनी चाहिए।

कोच्ची कमिश्नरी में, एक आयातक मै. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमि. ने चार प्रविष्टि बिलों में मोटर स्पिरिट आयात की। तट टैंक रिपोर्ट के अनुसार लदान बिल में दिखाई गई मात्रा से प्राप्त मात्रा कम थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इन मामलों में सीमाशुल्क विभाग द्वारा निश्चित तट टैंक मात्रा की आनुपातिक लेन देन मूल्य पर यथामूल्य आधार पर निर्धारित की गई जो अनियमित था। पूर्व कथित बोर्ड परिपत्र के अनुसार मामलों में जहाँ सीमाशुल्क तात्कालिक मामले में यथामूल्य आधार पर उदग्रहणीय थी, बिल मूल्य (लेन देन मूल्य) तट टैंक माप के माध्यम से सुनिश्चित मात्रा को ध्यान में रखे बिना, निर्धारण के लिए सुविचारित होना था। यह ₹ 3.40 करोड़ के शुल्क के कम उदग्रहण में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, विभाग ने अंतिमरूप देने के दौरान शुल्क गलत रूप से निर्धारित

किया तथा ₹ 0.18 करोड़ वापस किए जो ₹ 3.58 करोड़ के राजस्व के पूर्णयोग हानि में परिणत हुआ।

मामला मंत्रालय को अक्तूबर 2015 में सूचित किया गया था, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2016)।

2.21 कम उतारी गई माल के लिए दंड के गैर उदग्रहण के कारण हानि

सीमाशुल्क अधिनियम,1962 की धारा 116 के अनुसार, यदि भारत में आयात के लिए एक वाहन में लदान किया गया, कोई माल भारत में उनके लक्ष्य के स्थान पर नहीं उतारा जाता है, ढुलाई की असफलता या त्रुटि, सीमाशुल्क के एसी/डीसी की संतुष्टि से जवाब नहीं मिलता, वाहन का प्रभारी व्यक्ति दंड के लिए उत्तरदायी होगा जो शुल्क के दुगुने से अधिक नहीं होगा जो नहीं उतारी गई या त्रुटिपुर्ण मालपर देय होगा, जैसा मामला हो, यदि ऐसी वस्तुएं आयातित की गई हो। इसके अतिरिक्त बोर्ड के परिपत्र सं. 96/2002 सीमा. दिनांक 27 दिसम्बर 2002, के पैरा 7 के अनुसार मालिक/एजेंट का उत्तरदायित्व अवतारण के बंदरगाह पर जहाज की कमी मात्रा के साथ जहाज के लदान बंदरगाह कमी मात्रा या लदान मात्रा के बिल के साथ, यदि पहला मालिक/एजेंट द्वारा उपलब्ध कराया नहीं गया था, तुलना के द्वारा निश्चित कायम रहेगा।

चार कमिश्नरियों[25] के अन्तर्गत रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 58 मामलों में शिपिंग एजेंटो पर दंड का गैर उदग्रहण ₹ 0.65 करोड़ के राजस्व की हानि में परिणत हुआ। **अनुबंध 13** में कुछ मामले सूचीबद्ध है।

2.22 अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने पर ब्याज का गैर उदग्रहण

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत, आयातक या निर्यातक ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो महीने जिसमें शुल्क अनंतिम निर्धारित होता है, के प्रथम दिन से उसके भुगतान की तिथि तक सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 एए के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित दर पर अंतिम निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप है।

[25] जोधपुर, कोच्ची, लुधियाना, विजयवाड़ा

6 कमिश्नरियों[26] में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 33 मामलो में अंतिम रूप देने पर ब्याज का गैर उदग्रहण ₹ 0.13 करोड़ के राजस्व की हानि में परिणत हुआ।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

2.23 प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल होने पर दंड का गैर उदग्रहण

सीमा शुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियमावली, 2011 के विनियम 5 के अनुसार,यदि कोई आयातक या निर्यातक, विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघनों को अवप्रेरित करता है या विनियमों के किन्ही प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल होता है, पचास हजार रूपयों तक के दंड के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

लुधियाना तथा भुवनेश्वर कमिश्नरियों के अन्तर्गत आने वाला इकाईयों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि 123 मामलों में या जॉच रिपोर्ट/ वास्तविक यूजर प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक थे या अन्य दस्तावेज आयातकों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किए गए थे। प्रत्येक मामले में प्रावधानों के अननुपालन ने ₹ 50,000/- तक के दंड को आकृष्ट किया।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

अनंतिम निर्धारणों के अंतिम रूप देने में देरी के कारण राजकोष के राजस्व् की हानि के मामले

2.24 आवश्यक दस्तावेजों/रसायन रिपोर्ट/मूल्यांकन रिपोर्ट के प्राप्ति के बावजूद अनंतिम निर्धारण में देरी/अंतिम रूप न दे पाना सीबीईसी के सीमाशुल्क नियमावली, के अध्याय 7के पैरा 3.1 के अनुसार, अनंतिम निर्धारण को 6 महीनों के अन्दर अंतिम रूप देना है। यद्यपि मशीनरी ठेको या बडी परियोजना आयातों सम्मिलित मामलों में,जहॉ आयात लम्बी अवधि के बाद होते है, ठेके द्वारा कवर आखिरी प्रेषित माल के आयात की तिथि से 6 महीनों के अन्दर निर्धारणों को अन्तिम रूप देना होता है।

36837 मामलों में 36 कमिश्नरियों में रिकार्डों की संवीक्षा, जिसमें ₹ 108389.37 करोड़ के मूल्य के बांड शामिल है, से पता चला कि मामलों का लंबन 1 से 10 वर्षों की सीमा में निम्नलिखित रूप से वर्णित है।

[26] जामनगर, समुद्र चेन्नई, कोच्ची, विशाखापट्टनम, लुधियाना, भुवनेश्वर

तालिका : अनंतिम निर्धारणों के लंबन के कारण

क्रम सं.	देरी के कारण	मामलों की सं.	बांड मूल्य (₹ करोड़)	देरी वर्षों में
1	कमी रिपोर्ट/मूल दस्तावेज की कमी के कारण लंबन	10882	71673.82	1-8
2	रसायन रिपोर्ट की कमी के कारण लंबन	3252	10153.22	1-7
3	सटीक मूल्यांकन (एसवीबी) की कमी के कारण लंबन	11641	14977.58	1-10
4	अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र की गैर उपलब्धता	1202	1136.30	1-3
5	न्यायालय में लंबित मामले	102	87.98	1-3
6	आन्तरिक लेखापरीक्षा के पूरा न होने के कारण लम्बित मामले	50	8.68	प्रमाणित नहीं
7	अन्य	9708	10351.79	1-10
	कुल	**36837**	**108389.37**	

अनुबंध 14 से 17 में अनंतिम निर्धारणों में देरी/का अंतिम रूप न दे पाना सूचीबद्ध है।

2.25 आवश्यक दस्तावेजों/रसायन रिपोर्ट/मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति लंबन के कारण अनंतिम निर्धारण में देरी/का अंतिम रूप न देना

सीमाशुल्क (निवारक) कमिश्नरी,विजयवाडा के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत, कृष्णापट्नम बंदरगाह पर, अवधि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 से संबंधित 259 मामले दस्तावेजों/रसायन रिपोर्टों/मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति लंबन के कारण अंतिम रूप नहीं दिया गया।

विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि आयातकों से मूल दस्तावेजों, एसवीबी से मूल्यांकन रिपोर्टों तथा डीआरआई से जॉच रिपोर्टों की गैर प्राप्ति के कारण लंबित थे।

जामनगर कमिश्नरी में, ₹ 7224.42 करोड़ की एक निर्धारण योग्य मूल्य के साथ 18 बीएसई के संबंध में, दो आयातकों यथा मै. भारत ओमान रिफाइनरीज लि. जामनगर तथा मै. श्री दिग्विजय सीमेंट कॉरपोरेशन लि. ने एक से डेढ वर्ष की समय समाप्ति के बाद भी, सीमाशुल्क अधिकारियों को उनके मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। विभाग ने निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की थी।

इस प्रकार दोनो श्रेणियों में ₹ 108389.37 करोड़ की बांड मूल्य की वस्तुए असुरक्षित रही।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

2.26 कारण बताओं नोटिस का गैर अधिनिर्णय

सीमाशुल्क अधिनियम 1962, की धारा 28ए ए ए (3) के अनुसार, जब एक आयातक/ निर्यातक को एक एससीएन जारी किया जाता है, उसे ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर उत्तर प्रस्तुत करना होगा तथा नोटिस की तिथि से 1 वर्ष के अन्दर मामला के अधिनिर्णय होना होता है।

4 कमिश्नरियों[27] में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि दिसम्बर 2011 तथा सितम्बर 2013 के बीच 67 मामले में एससीएन जारी किए गए थे, उन्हें अभी तक अंतिमरूप नहीं दिया गया था। 1 वर्ष से 3 वर्षों की सीमा की देरी आयातकों को अनावश्यक वित्तीय लाभ बढाने के अतिरिक्त ₹ 2.70 करोड़ की राशि शुल्क की गैर उगाही तक ले गई। **अनुबंध 18** में कुछ मामले सूचीबद्ध है।

2.27 परियोजना आयातों पर अनंतिम निर्धारणों के अंतिम रूप देने में देरी

परियोजना आयात विनियमावली, 1986 के विनियम 7 के अन्तर्गत आयातक को एक वक्तव्य प्रस्तुत करना होगा जो आंतरिक उपभोग के लिए अंतिम आयात की तिथि से तीन महीनों के अन्तर्गत आयातित मालके विवरण के साथ आवश्यक दस्तावेजों की ओर संकेत करता है। यदि आयातक ऐसा करने में विफल होता है, विभाग इस संबंध में निष्पादित बांड/उपक्रम नकदी सुरक्षा/ बैंक गारंटी आमन्त्रित कर सकता है शुल्क /दंड की मांग के लिए नोटिस जारी कर सकता है। बोर्ड के परिपत्र सं. 22/2011 सीमाशुल्क दिनांक 4.5.2011 द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर विभाग को निर्धारण को अंतिमरूप देना होगा।

[27] चेन्नई, समुद्र, मुम्बई (एनसीएच (3))

10 कमिश्नरियों[28] में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 139 मामलों में आयातकों ने आवश्यक दस्तावेजो को प्रस्तुत नहीं किया यद्यपि अंतिम आयात 2005 से 2014 के बीच हुआ था। कांडला कमिश्नरी के अन्तर्गत दो मामलों में अंतिम आयात 2011 से 2012 के बीच किया गया था। यद्यपि, ₹ 0.40 करोड़ की बैंक गारंटी को आमंत्रित करने की कार्रवाई विभाग द्वारा शुरू की गई थी।

विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि परियोजना आयात मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

2.28 अंतिम निर्धारण पर विभेदक शुल्क का गैर/देरी से वसूली

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28-एएए प्रावधान करता है कि जहाँ कोई शुल्क उदग्रहित नहीं किया गया है या कम उदग्रहित या गलत ढंग से वापस या कोई देय ब्याज का भुगतान नहीं किया या निर्धारण के अंतिम रूप में हिस्से मे भुगतान किया गया है, तो उचित अधिकारी सुसंगत तिथि से एक वर्ष के अन्दर नोटिस जारी करेगा तथा ऐसे व्यक्ति को तीस दिन के अन्दर शुल्क या मांगा गया ब्याज का भुगतान करना होगा।

5 कमिश्नरियों[29] में रिकार्ड की संवीक्षा से पता चला कि 21 मामलों में अंतिम निर्धारण जांच रिपोर्टों या अन्य सुसंगत दस्तावेजो/प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतिकरण के बावजूद देरी से किए गए जो ₹ 64.23 करोड़ की हानि तथा आयातको को अनुचित वित्तीय सहायता में परिणत हुआ। **अनुबंध 19** में कुछ मामले सूचीबद्ध है।

[28] कांडला आईसीडी बैंगलुरू, एनसीएच-चेन्नई समुद्र, लुधियाना,विशाखापटनम मुम्बई (एनसीएच (3) जेएनसीएच (1)।

[29] चेन्नई एआईआर, लुधियाना,विशाखापटनम, मुमबई, (एसीसी, निर्यात) कोलकाता (डंप डाटा)

2.29 विशिष्ट मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) द्वारा जांच की पूर्णता तथा निर्धारण के अंतिम रूप देने में देरी

सीबीईसी परिपत्र सं. 11/2001 सीमा दिनांक 23.2.2001 के अनुसार, विशिष्ट मूल्यांकन शाखा द्वारा निर्धारणों का अंतिम करण तथा जाँच, विशिष्ट मूल्यांकन शाखा द्वारा प्रश्नावली को आयातक के उत्तर की तिथि से 4 महीनों के अन्दर पूर्ण करना चाहिए।

24 कमिश्नरियों[30] में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 10664 मामलों में से 12489.62 करोड़ के बांड मूल्य शामिल एसवीबी/एसआईआईबी या डीआरआई इत्यादि से मूल्यांकन रिपोर्ट/मूल्य सत्यापन की कमी से 1 से 10 वर्षों की सीमा तक एक अवधि के लिए 2004 से 2014 तक लंबित थे। **अनुबंध 20** में कुछ मामले सूचीबद्ध है।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

2.30 निष्कर्ष

सीमाशुल्क के अनंतिम निर्धारणों की लेखापरीक्षा से पता चला कि अनंतिम निर्धारण के अंतिम रूप देने में असामान्य देरी तथा राजस्व की वसूली में परिणामस्वरूप देरी हुई। ₹ 108389.37 करोड़ से अधिक के बांड मूल्य के 36000 मामलों से अधिक सीमाशुल्क राजस्व के संग्रहण के लिए 6 महीनों से परे लंबित है।

अनंतिम निर्धारण, अनंतिम शुल्क बांड तथा बैंक गारंटी प्रबंधन से संबंधित सीमा शुल्क नियमों, विनियमों के गैर अनुपालन के कई मामले थे। पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित निर्धारणों के अंतिम रूप देने में देरी तथा परिचालन अपक्रिया के मामलों की निरंतरता थी।

[30] गुजरात, (खोदियार, कांडला, मुन्दरा, जामनगर), राजस्थान (जोधपुर) कर्नाटक एसीसी, आईसीडी, एनसीएच, तमिलनाडु (वायु, समुद्र, तूतीकोरन) पंजाब, एवं हरियाणा (लुधियाना), तेलांगाना (हैदराबाद), आंध्र प्रदेश (विजयवाडा) महाराष्ट्र (आयात 1 एवं ।1, निर्यात 1 एवं ।1 (एनसीएच जोन-।)) एनएस-।, एनएस-।।।, एनएस-V (जेएनसीएच जोन।।) आयात व निर्यात) एसीसी जोन ।।।) मध्य प्रदेश (ग्वालियर, इंदौर)।

आईसीईएस 1.5 के अन्तर्गत प्रस्तुत अप्रैल 2014 से प्रभावी, अनंतिम निर्धारण के अंतिम रूप देने के लिए मापदंड इसकी सभी क्रियात्मकताओं के साथ सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने व्यवस्थित कमियों के अतिरिक्त किसी प्रतिभूति या बैंक गारन्टी के बिना ₹ 28679.48 करोड़ मूल्य के निष्पादित बॉण्डों के जारी करने सहित ₹ 545.92 करोड़ मूल्य के मामले देखे जिन्हें परिमाणित नहीं किया जा सका।

अध्याय III

आयातित/पुनः आयातित माल का पुनः निर्यात

3.1 प्रस्तावना:

पुन:निर्यात का अर्थ है विशेष उद्देश्यों जैसे जोबिंग, ठेके का कार्यान्वयन, मशीनरी की सर्विस/मरम्मत, मेले/प्रदर्शनी आदि में प्रदर्शन हेतु आयातित माल को वापस भेजना। यह तब भी होता है जब स्वदेश में निर्मित माल को निर्यात के बाद वापस किया गया था और कारणों जैसे दोषपूर्ण, खरीददार की आवश्यकता को पूरा न करने आदि के कारण मरम्मत/पुन: संसाधन हेतु पुन: आयात किया गया।

विभिन्न सीमाशुल्क अधिसूचनाएं विभिन्न परिस्थितियों के माल के आयात पर अंतर्गत शुल्क छूट या शुल्क रियायत देते हुए जारी की गई थी, बशर्ते कि ऐसे माल को विनिर्दिष्ट अवधि में पुन:निर्यात की गई हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि माल का पुन:निर्यात किया गया है, आयातकों द्वारा विशिष्ट समय में माल को पुन:निर्यात करने की शर्त का अनुपालन न करने की स्थिति में आयात के समय पर छूट दिये गये शुल्क को अदा करने के लिए बांड प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। बाँड को रद्द कर दिया जाता है जबकि आयातक ने माल का पुन: निर्यात किया गया हो और अधिसूचना की शर्तों का अनुपालन किया गया हो। ऐसे आयात के बाद उत्पाद शुल्क द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई बॉड के रद्द होने तक महत्वपूर्ण है। अधिसूचना की शर्तों को पूरा करने की विफलता शुल्क के भुगतान को आवश्यक बना दती है जिसमें आयात/पुन:आयात के समय पर छूट या माफी दी गई थी।

3.2 प्रासंगिक अधिसूचनाएं/प्रावधान/नियमावली

दिनांक 01.02.1963 की अधिसूचना सं. 46 सी.शु. के साथ पठित उत्पाद शुल्क की धारा 69 आयातित और गोदाम में रखे माल की अनुमति देती है परंतु शुल्क भुगतान के बिना पुन: निर्यात किये जाने वाले घर की खपत की गई निकासी के लिए नहीं।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के अनुसार, शुल्क अदा कर आयातित माल को दो वर्षों के अंदर प्रयुक्त या अप्रयुक्त के रूप में पुन:

निर्यात किया जाता है, आयातक शुल्क वापसी के रूप में आयात के समय पर अदा किये गये सीमा शुल्क के अधिकतम 98% तक शुल्क आयात के प्रतिदाय का दावा कर सकता है। उस पर प्रयुक्त माल के लिए वापसी की दरों और शर्तों को संशोधित कर दिनांक 6.2.1965 की अधिसूचना सं. 19/65 में विनिर्दिष्ट किया गया है और उन्हें आयातिम माल (सीमा शुल्क की फिरती) नियमावली, 1995 के पुन: निर्यात द्वारा अधिशासित किया जाता है।

3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह सुनिश्चित करने के लिए कि-

(क) अधिनियम, नियमावली और विनियामकों के अंतर्गत अधिसूचनाओं, प्रासंगिक प्रावधानों की शर्तों का अनुपालन किया गया है।

(ख) बॉंड के पुन: निर्यात को बिना किसी विलंब और राजकोष के राजस्व को बिना हानि पहुँचाये अंतिम रूप दिया जाता है

(ग) पुन: निर्यात अधिसूचनाओं के गलत प्रयोग रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र है

3.4 कार्यक्षेत्र और कवरेज

सीमा शुल्क कमिश्नरियों में से, 2012-13 से 2014-15 (जून 2014 तक आयात किया गया) की अवधि को कवर करते हुए 36 कमिश्नरियों **(अनुबंध 21)** से संबंधित प्रविष्टि बिल (बीएसई)/शिपिंग बिल (एसबी) और संबंधित रिकॉर्डों/दस्तावेजों को आयातित/पुन: आयातित माल की लेखापरीक्षा करने हेतु चयनित किया गया था।

चयनित 36 कमिश्नरियों में से, 34 कमिश्नरियों ने सीमा का सत्यापन करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई और शेष दो कमिश्नरियों[31] ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी।

जिन पहलुओं पर सूचना मांगी गई थी परंतु कमिश्नरियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी, को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सका। मंत्रालय लेखापरीक्षा के लिए 2012-13 से 2014-15 तक पूरे भारत की स्थिति प्रस्तुत कर सकता है।

[31] एनसीएच, मैंगलोर और आईसीडी पटपड़गंज

3.5 नमूना चयन

₹ 15 लाख से अधिक निर्धारणयोग्य मूल्य के साथ पुन: आयात/पुन: निर्यात से संबंधित प्रविष्टि बिल/शिपिंग बिलों के सभी बिलों का चयन किया था; जबकि ₹ 15 लाख से कम निर्धारण योग्य मूल्य के साथ 10% मामलों की ही लेखापरीक्षा में जांच की गई थी।

3.6 सांख्यिकीय सूचना

विभिन्न अधिसूचनाओं (उपरोक्त 1.1 में संदर्भित) के अंतर्गत 34 कमिश्नरियों द्वारा 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान किये गये आयात/पुन: आयातों के 60849 मामलों में से; 15950 (26.21%) मामलों में लेखापरीक्षा नमूना जांच की गई।

वर्ष 2012-13 में, 34 कमिश्नरियों में पुन: निर्यात मामले में ₹ 336 करोड़ के शुल्क सहित ₹ 2043 करोड़ मुद्रा मूल्य वाले 4536 मामले थे जबकि वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 3094 करोड़ मुद्रा मूल्य तथा ₹ 739 करोड़ शुल्क वाले 4751 मामले थे।

लेखापरीक्षा ने केवल 700 मामलों में ₹ 1144.51 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य सहित ₹ 308.26 करोड़ (शुल्क वापसी) के कर प्रभाव सहित अनियमितताएं इंगित की जबकि प्रणालीगत कमी, आंतरिक नियंत्रणों की विफलता, संचालनात्मक असम्यक कार्यता आईसीइएस 1.5 में कमियों और निगरानी विफलता के आधार पर अपूर्ण सूचना के कारण कई मामलों को परिमाणित नहीं किया जा सका।

नीचे दी गई तालिका इन मामलों में शामिल निर्धार्य मूल्य और शुल्क की तुलना मे अधिसूचना वार जांच किए गए मामलों की संख्या के ब्यौरे प्रस्तुत करता हैं।

तालिका: नमूना जांच किये गये मामलों की संख्या और निर्धारण योग्य मूल्य

अधिसूचनाएं	मामलों की कुल संख्या	मामलों की सं. जहां अनियमितताएं पाईं गईं	कुल की %	कुल निर्धारण मूल्य (₹ लाख में)	अनियमितताओं वाले मामलों का नि. मूल्य (₹ लाख में)	कुल का %	शामिल कुल शुल्क (₹ लाख में)	अनियमितताओं वाले मामलों का शुल्क (₹ लाख में)	कुल का %
03/89	1599	102	6.38	37313.09	6074.8	16.28	3277.16	1492.05	45.53
157/90	1719	15	0.87	103097.35	896.66	0.87	47207.92	189.10	0.40
104/94	812	52	6.40	32942.73	1215.06	3.69	2201.49	304.71	13.84
134/94	119	2	1.68	1971.74	27.07	1.37	423.36	7.00	1.65
153/94	1253	34	2.71	20374.22	1536.94	7.54	2461.44	374.08	15.20

अधिसूचनाएं	मामलों की कुल संख्या	मामलों की सं. जहां अनियमितताएं पाईं गईं	कुल की %	कुल निर्धारण मूल्य (₹ लाख में)	अनियमितताओं वाले मामलों का नि. मूल्य (₹ लाख में)	कुल का %	शामिल कुल शुल्क (₹ लाख में)	अनियमितताओं वाले मामलों का शुल्क (₹ लाख में)	कुल का %
158/95	1571	132	8.40	67814.91	9067.25	13.37	8652.35	2332.83	26.96
32/97	1523	71	4.66	92801.87	1099.00	1.18	27347.69	256.17	0.94
27/08	396	165	41.67	17356.09	12073.39	69.56	4077.10	211.56	5.19
12/12	295	-	-	140038.80	-	-	11845.50	-	-
जोड़	**9287**	**573**	**6.16**	**513710.80**	**31990.17**	**6.23**	**107494.01**	**5167.50**	**4.81**

उपरोक्त तालिका में यह देखा गया कि अधिकतम अनियमितताएं अधिसूचना सं. 27/08 सी.शु के मामले में पाई गई थी (41.7%) वह भी इस शर्त के साथ कि पुन: निर्यात शुल्कों (5% से 40%) से संबंधित विनिर्दिष्ट प्रतिशतता का भुगतान के अधीन आयात की तिथि से तीन से अठारह महीनों के अंदर करना होगा।

तीन अधिसूचनाओं में अर्थात 03/89-सी.शु, 104/91-सी.शु और 32/97-सी.शु में जहां अनिश्चित विस्तार शक्तियों एसी/डीसी को प्रदान की गई है, ₹ 328 करोड़ शुल्क प्रभाव सहित 3954 मामलों की नमूना जांच की गई (निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 1631 करोड़), ₹ 21 करोड़ (6.25%) के कर प्रभाव सहित ₹ 84 करोड़ (5.14%) की निर्धारण योग्य मूल्य सहित 225 मामलों (5.69%) में अनियमितताएं पाईं गई।

37/97 सी.शु अधिसूचना में, ₹ 273 करोड़ के शुल्क प्रभाव सहित ₹ 928 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य सहित 1523 मामलों की नमूना जांच में से, ₹ 2.56 करोड़ (0.94% के शुल्क प्रभाव सहित ₹ 11 करोड़ (1.18%) के निर्धारण मूल्य सहित 71 मामलों (4.66%) में अनियमितताएं पाईं गईं।

अधिसूचना 158/95 सी.शु के मामले में, जहां पुन: निर्यात विशेष परिस्थिति के अंतर्गत आयात की तिथि से छ: महीनों से तीन वर्षों की अवधि में किया जाना है, वहां अनियमितताओं सहित 132 मामलों में शुल्क प्रभाव (₹ 23 करोड़) का उच्चतम मूल्य था।

इसके अतिरिक्त, 1035 मामलों, जहां चार कमिश्नरियों (मुंबई जोन I, II और III, बैंगलुरू) के अंतर्गत ₹ 98.35 करोड़ की पूर्व निश्चित शुल्क राशि के साथ ₹ 379.18 करोड़ मूल्य का माल था; जिसके रिकॉर्ड उपलब्ध न कराये जाने के कारण जांच नहीं की जा सकी।

अधिसूचना सं. 12/12 सी.शु के मामले में, किये गये आयात के विवरण आईसीडी-कोडीयार, एसीसी-बैंगलुरू, चेन्नै (समुन्द्र), कोचीन (समुद्र) और मुंबई-इंपोर्ट (I) को छोड़कर कमिश्नरियों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। जबकि एनसीएच, दिल्ली और आईसीडी, तुगलकाबाद कमिश्नरियों ने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाये।

मंत्रालय रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने के मामलों सहित सभी मामलों की समीक्षा कर सकता है।

3.7 बाँड को अंतिम रूप देने में लंबन

आयातक/निर्यातक के माल के पुन: निर्यात/आयात की शर्तों पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में, बाँड प्रबंधन को सीमा शुल्क को उचित रूप से सुरक्षित करने के लिए अपनाया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि मूल्य और पूर्व निश्चित शुल्क सहित रद्द न किये गये बाँडों के लंबन की संख्या दर्शाते हुए सांख्यिकीय रिपोर्ट/रिटर्न (मासिक/तिमाही/वार्षिक) को तैयार नहीं किया गया था जिसके कारण क्षेत्रीय कार्यालय और सीबीइसी में उच्चतर प्रबंधन द्वारा उनकी निगरानी पर प्रभाव पड़ा। कुल 60849 मामलों (34 कमिश्नरियों) में से, 29 कमिश्नरियों में रद्द न किये गये कुल 22807 बांड (37.48%) शेष थे; जिसमें से वर्ष 2012-13 में 3626, 2013-14 में 3342 और वर्ष 2012-15 में 15839 मामले थे। जबकि 2012-13 की अवधि से पहले 31.03.2015 तक 1388 बाँड रद्द करने के लिए भी लंबित थे। अत: यह दर्शाते हुए कि शुल्क लाभ उठाने को अपरिहार्य बनाते हुए पुन: निर्यात नहीं किया था।

बाँड को अंतिम रूप देने की अधिसूचना-वार लंबन और अंतिम रूप देने में लंबन हेतु कारणों पर रिकॉर्ड के अनुचित/अपर्याप्त प्रबंधन के मद्देनजर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी। 19 कमिश्निनयों में जहां अपूर्ण रिकॉर्ड मौजूद थे, ₹ 52.20 करोड़ के शुल्क सहित 433 मामलों में पुन: निर्यात के प्रमाण रिकॉर्ड किये गये थे।

बाँड प्रबंधन के विस्तृत विश्लेषण से अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कमिश्नरों की ओर से लापरवाही तथा सीबीईसी द्वारा इसकी निगरानी में कमी का पता चला जिसमें राजस्व प्रभाव निहित हो सकते हैं।

मंत्रालय इन सभी मामलों की समीक्षा कर सकता है और लेखापरीक्षा के लिए मौजूदा स्थिति प्रस्तुत कर सकती है।

3.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

लेखापरीक्षित सभी 34 कमिश्नरियों में, छूट सहित पुन: आयात/पुन: निर्यात के अनुपालन में नियोजित पुन: निर्यात मामले, बॉंड रद्दीकरण आदि प्रबंधित करने में नियोजित तंत्र और आंतरिक नियंत्रण की स्थिति है तथा अधिसूचनावार नीचे दर्शाया गया है:

3.9 मरम्मत या पुन: अनुकूलन पुन: प्रसंस्करण, रिफाईनिंग, पुन: निर्माण के लिए भारत में पुन: आयात किये जाने पर माल की छूट (अधिसूचना सं. 158/95-सी.शु दिनांक 14.11.1995)

दिनांक 14 नवम्बर 1995 की अधिसूचना सं. 158/95-उशु उस माल को छूट देती है जो भारत में निर्मित किया गया था, जब मरम्मत, पुन: अनुकूलन के लिए तीन वर्षों में कुल आधारभूत सीमा शुल्क और सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क सहित पुन: प्रसंस्करण या रिफाईनिंग या पुन: निर्माण हेतु एक वर्ष में पुन: आयात किया गया बशर्ते कि आयातक बॉंड को निष्पादन करता हो और उनके आयात की या अनुमत बढ़ाई गई अवधि की तिथि से छ: महीनों के अंदर ऐसे माल के पुन: निर्यात तथा ऐसा करने में विफल रहने पर उस पर उद्ग्राहय शुल्क अदा करने के लिए स्वयं का बाध्य करता है।

अग्रलिखित पैराग्राफों में पाये गये मामलों का विवरण दिया गया है तथा **अनुबंध 22 से 32** में सूचीबद्ध किये गये हैं।

3.9.1 पुन:निर्यात के प्रमाण प्रस्तुत न करने पर शुल्क वसूल करने में विफलता

19 कमिश्निरियों में, शुल्क छूट लाभ प्राप्त करते हुए फरवरी 2009 और जून 2014 के बीच ₹ 84.96 करोड़ मूल्य वाले तथा पुन: आयातित विभिन्न मदों की 151 परेषणों के मामले में, न तो आयातकों ने माल के पुन: निर्यात का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया और न ही समय आगे बढ़वाया। विभाग ने आयातकों द्वारा प्राप्त ₹ 23.25 करोड़ की शुल्क छूट

की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। पुनः निर्यात शर्तों के साथ शुल्क मुक्त आयात अनुमत करने वाली अधिसूचना ने बॉंड के मुक्त करने के लिए पुनः निर्यात के प्रमाण के प्रस्तुतीकरण हेतु कोई अवधि भी विर्दिनिष्ट नहीं की है।

लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर में-

(i) सीमा शुल्क कमिश्नरी, कोलकाता (पत्तन) ने सूचित किया (24.08.2015) कि ₹ 6.84 लाख की सारी राशि सितम्बर 2013 की प्रविष्टि से दो बिलों के अंतर्गत किये गये आयातों के प्रति, मै. चेतन्य रिकैक्ट्री प्रा. लि. से वसूल की गई थी (जून 2015)।

(ii) प्रविष्टि के एक बिल के अंतर्गत आयातों के प्रति आगरा कमिश्नरी ने सूचित किया (जून 2015) कि अन्य पत्तन से माल का पुनः निर्यात किया गया था और पार्टी को शिपिंग बिल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी, आगरा ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि आयात ने कम पुननिर्यातित 6152 जोड़े जूतों पर ₹ 10.38 लाख (शुल्क+ब्याज) की आनुपातिक फिरती को जमा किया था। विभाग ने पुनः बताया कि पंजीकृत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विनिर्माता होने के नाते, फिरती के दावा के अन्तर्गत निर्यातित माल पर कोई सीमा शुल्क शामिल नहीं था और तदनन्तर मरम्मत/रीकन्डिशनिंग के लिए पनः निर्यात किया गया।

देशज रूप से विनिर्मित माल जिसका निर्यात किया गया था और तदनन्तर पुनः निर्यात की विफलता की स्थिति में पुनः निर्यात किया गया था, के मामले में सीमा शुल्क के भुगतान हेतु लागू सीमा शुल्क अधिसूचना 158/95 के अन्तर्गत पुनः निर्यात की विफलता के कारण उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

मंत्रालय पुनः निर्यात शर्तों के साथ सभी अधिसूचनाओं में पुनः निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए समयावधि प्रदान करने पर मंत्रालय विचार कर सकता है। पुनः निर्यात के प्रमाण को विनिर्दिष्ट समयावधि में प्रस्तुत न किये जाने के मामले में मांग नोटिस भेजने के लिए और उद्ग्राहय सीमाशुल्क की वसूली के लिए एक तंत्र को आरंभ किया जा सकता है।

शेष मामलों के लिए विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.9.2 विनिर्दिष्ट पुनः आयात अवधि के समाप्त होने के बाद अनुमत शुल्क मुक्त पुनः आयात

अधिसूचना की क्रम सं. (2) के अनुसार, पुनः प्रसंस्करण या रिफाईनिंग या ऐसी ही कुछ प्रक्रियाओं हेतु माल का पुनः आयात अनुमत है जबकि निर्यात की तिथि से एक वर्ष के अंदर आयात किया गया हो बशर्ते कि आयातक बॉंड को निष्पादित करता है कि ऐसी प्रक्रियाओं को क्रेंद्रीय उत्पाद शुल्क नियंत्रण के अंतर्गत फैक्टरी में किया जाएगा।

दो कमिश्नरियों {अहमदाबाद कमिश्नरी और चेन्नै (समुन्द्र) के अंतर्गत आईसीडी खोड़ीयार)} में, विभाग ने अधिसूचना 158/95-सीशु की क्रम सं. 2 के अंतर्गत माल का उचित रूप से निर्धारण किया था, जबकि माल आरंभिक आयात से एक वर्ष के बाद पुनः आयात किया गया था **अनुबंध 22 और 23** में मामलों को सूचीबद्ध किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

अधिसूचना की गलत क्रम संख्या के अंतर्गत पुनः आयात अनुमत किया गया।

3.10 पुनः प्रसंस्करण हेतु माल का पुनः आयात करना

(क) मै. ग्रेफाईट इंडिया लि. ने ₹ 144.53 लाख शुल्क की छूट प्राप्त करते हुए आईसीडी, दुर्गापुर द्वारा अधिसूचना सं. 158/95 (क्र. सं. 1) के अंतर्गित ''निप्पल सहित ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड'' युएचपी ग्रेड ''पुनः आयात (अक्टूबर 2013) किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि जैसा कि आयात दस्तावेज पत्राचार में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रसंस्करण हेतु माल को वास्तविक रूप से पुनः आयात किया गया था और प्रक्रिया के दौरान सामग्री (1.442 एमटी) की प्रसंस्करण हानि हुई, ऐसे माल की निकासी लागू क्र.सं. (2) के स्थान पर क्रम सं. (1) के अंतर्गत गलत रूप से अनुमत की गई थी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि आरंभिक निर्यात से एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद पुनः आयात किया गया था, इसलिए ये अधिसूचना की क्रम सं. (2) के अंतर्गत अयोग्य थे। इसी प्रकार ₹ 1.45 करोड़ की प्राप्त की गई शुल्क छूट गलत और वसूली योग्य थी।

अपने उत्तर में (अगस्त 2015) विभाग ने बिना दस्तावेज प्रमाणपत्र दिये अधिसूचना की क्रम सं. 1 के अंतर्गत अनुमत लाभ को उचित ठहराया।

विभाग का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के अनुसार प्रक्रिया के दौरान 1.442 एमटी सामग्री की प्रसंस्करण हानि हुई थी जो लेखापरीक्षा तर्क को प्रमाणित करती है कि माल को वास्तव में पुनः प्रसंस्कृत किया गया। अतः क्र. सं. 1 के अंतर्गत एक वर्ष के बाद पुनः आयात के लिए यह अयोग्य है। कुछ मामले **अनुबंध 24 से 26** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

3.11 छूट की गलत अनुमति – अन्य एजेंसी का पुनः निर्यात

मै. ग्रेफाईट इंडिया लि. ने प्रविष्टि के तीन बिलों के अंतर्गत ₹ 9.82 करोड़ के विभिन्न ग्रेड मूल्य के इलैक्ट्रोड पुनः आयात किये थे और ₹ 2.36 करोड़ की शुल्क छूट प्राप्त करते हुए अधिसूचना सं. 158/95 की क्र. सं. 1 के अंतर्गत आईसीडी, दुर्गापुर द्वारा निकासी अनुमत की गई थी।

आयातक ने सभी मामलों में आरंभिक निर्यात के समय पर वापसी प्राप्त की परंतु बाद में विभिन्न खरीददारों को सात शिपिंग बिलों के अंतर्गत माल का पुनः निर्यात किया गया। अधिसूचना सं. 158/95 का आवेदन अनियमित था क्योंकि ऐसे मामले जिनमें वापसी की गई है; दिनांक 16.12.96 की अधिसूचना सं. 94/96 सीशु के अंतर्गत नियमित किया गया है जो शुल्क वापसी के अंतर्गत निर्यात किये गये पुनः आयातित माल में छूट अनुमत करती है।

इसलिए, अधिसूचना सं. 158/95 सीशु के अंतर्गत पुनः आयात पर ₹ 236.38 लाख की शुल्क छूट अनुमत की गई।

इसको इंगित किये जाने पर, विभाग ने अनुमत लाभ को न्यायसंगत बताया (सितम्बर 2015) क्योंकि उक्त वास्तविक विदेशी खरीददार के लिए पुनः निर्यात संबंधी कोई शर्त नहीं है और यह भी कहा है कि मामला राजस्व तटस्थ है क्योंकि ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड पर वापसी मात्रा आधार पर अदा की गई है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना सं. 158/95-सीशु मामलों; जिसमें वापसी का भुगतान किया गया है, के पुनः आयात को

नियमित नहीं करता। इसके अतिरिक्त, विभाग का तर्क है कि मामला राजस्व तटस्थ है, गलत है; क्योंकि वापसी दर और पुनः निर्यात मूल्य पहली निर्यात तिथि और पुनः निर्यात तिथि पर समान नहीं हो सकता। वापसी दर यथामूल्य (वि.व. 11-वि.व. 13) 4% और 5% थी जबकि प्रथम निर्यात के समय वापसी की अधिक अनुमति दर्शाते हुए यह 2.4% या ₹ 8 प्रति किग्रा (वि.व. 14-15) थी, जिसकी वसूली नहीं की गई थी।

ध्यान में आए कुछ अन्य मामलों को **अनुबंध 27-28** में सूचीबद्ध किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.12 माल का विलंबित पुनः निर्यात

दिनांक 14 नवम्बर 1995 की अधिसूचना सं. 158/95 सी.शु के अनुसार, वह माल जो भारत में विनिर्मित है तथा पुनः प्रसंस्करण या रिफॉईनिंग या रिमार्किंग आदि के लिए पुनः आयात किया गया है, उसे शुल्क भुगतान से छूट है बशर्ते कि माल को पुनः आयात की तिथि से छः महीनों के अंदर पुनः निर्यात किया गया हो या कोई बढ़ाई गई अवधि छः महीनों की अवधि से अधिक न हो। उपरोक्त शर्त का अनुपालन करने में विफल होने पर, आयातक ब्याज सहित छूट प्राप्त शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

रिकॉर्डों की नमूना जांच से पता चला कि निदर्शी और **अनुबंध 29** में सूचीबद्ध मामलों में, माल को या तो अधिकतम अनुमति योग्य अवधि के बाद या समय बढ़ाने की अनुमति प्राप्त किये बिना छः महीनों की विनिर्दिष्ट अवधि के बाद पुनः निर्यात किया गया था।

3.12 (i) अधिकतम अनुमति योग्य अवधि के बाद माल का पुनः निर्यात

मै. राने (मद्रास) लिमि. और दो अन्य ने असेंबली गियर बॉक्स ने अधिसूचना सं. 198/95 के अंतर्गत चेन्नै समुद्र सीमाशुल्क द्वारा ₹ 1.25 करोड़ के परिचालन मूल्य पर पुनः आयात (दिसम्बर 2011 से नवम्बर 2012) किया। माल को जून 2014 और जून 2015 के बीच अर्थात पुनः आयात की तिथि से एक वर्ष की अधिकतम अवधि के समाप्त होने के बाद पुनः निर्यात किया

गया था। विभाग ने न तो बैंक गारंटी लागू की थी न ही ₹ 37.51 लाख राशि के पूर्वनिश्चित शुल्क की वूसली के लिए कार्रवाई की।

अक्टूबर 2015 में इसे मंत्रालय को बताया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.12 (ii) समय आगे बढ़ाने की अनुमति प्राप्त किये बिना विनिर्दिष्ट अवधि के बाद पुन: निर्यात

पाँच कमिश्नरियों (मुन्द्रा, आईसीडी – खोदीयार, अहमदाबाद, कोचीन, आइसीडी- बैंगलूरू एवं एसीसी देवनाहल्ली) में, यह देखा गया था कि 8 मामलों में ₹ 7.10 करोड़ मूल्य का माल ₹ 1 करोड़ की शुल्क छूट सहित छ: महीनों की विनिर्दिष्ट अवधि के बाद पुन: निर्यात किया गया था। एक निदेर्शी मामला नीचे दिया गया है, और दो मामले **अनबंध 29** में सूचीबद्ध किए गए है।

(i) मै. स्टील कास्ट लिमिटेड और दो अन्य ने अहमदाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत मुंद्रा पत्तन द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना 158/95 के अंतर्गत दिसम्बर 2012 और अप्रैल 2014 के बीच ₹ 6.68 करोड़ के ''एलॉय स्टील कास्टिंग एफ स्टील कास्टिंग'' और अन्य सामान का पुन: आयात किया। सक्षम प्राधिकारी से समय आगे बढ़ाये बिना छ: महीनों की अवधि के समाप्त होने के बाद माल का पुन: निर्यात (सितम्बर 2013 से फरवरी 2015) किया गया। अत: अधिसूचना की शर्तों को पूरा नहीं किया गया था, आयातक ₹ 90.92 लाख शुल्क की छूट के लिए अयोग्य था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.13 कम पुन: निर्यातित माल पर सीमा शुल्क का उद्ग्रहण न किया जाना

दो कमिश्नरियों {जोधपुर और चैन्नई (समुद्र)} में यह देखा गया कि 4 मामलों में ₹ 4.72 करोड़ मूल्य के माल का कम पुन: निर्यात किया गया था। पुन: निर्यात न किये गये माल पर शुल्क की छूट ₹ 33.63 लाख आंकी गई। **अनुबंध 30** में मामलों को सूचीबद्ध किया गया है।

ध्यान में आई अन्य अनिमतिताओं को **अनुबंध 31 व 32** में सूचीबद्ध किया गया है।

3.14 अधिसूचना सं. 158/95 को लागू करने पर टिप्पणियां

अधिसूचना सं. 158/95 के संबंध में पूर्ववर्ती अवलोकनों के मद्देनजर, यह महसूस किया गया कि अधिसूचना में कोई सुस्पष्ट शर्त नहीं दी गई थी जैसे

i) उसी एजेंसी से माल को पुनः निर्यात करना जिससे माल पुनः आयात किया गया था,

ii) डीजीएफटी द्वारा तैयार की गई किसी निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वापसी या लाभ को सीमित करना जबकि माल का पुनः निर्यात अधिसूचना की शर्त पूरी करते हुए किया गया था और

iii) यह प्राधिकारी को निर्णय करना है कि क्या मरम्मत, पुनः अनुकूलन (क्र.सं. 1) या पुनः प्रसंस्करण, रिफाईनिंग या रिमार्किंग आदि (क्र.सं. 2) हेतु ऐसे माल का पुनः आयात किया गया है क्योंकि ऐसे कार्य के प्रति शर्त क्र. सं. 1 और 2 अलग थी।

3.15 जोबिंग हेतु माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा आयातक को दिये गये निर्यात आदेश के कार्यान्वयन हेतु आयातित माल को छूट (दिनांक 1 अप्रैल 1997 की अधिसूचना सं. 32/97 सीशु)

जोबिंग कार्य के बाद उक्त माल को प्रदत्त निर्यात आदेश के कार्यान्वयन हेतु आयातित माल पर अधिसूचना शुल्क छूट प्रदान करती है, उसे निकासी की तिथि से छः महीनों के अंदर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के अंदर आपूर्तिकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट आपूर्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को पुनः निर्यात कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, आयातक को विनिर्दिष्ट शर्तों/प्रक्रियाओं को पूरा करना अपेक्षित था। शर्तों को पूरा न करने की अवस्था में, आयातक को आयातित माल पर उद्ग्राह्य शुल्क अदा करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, अधिसूचना के क्लॉज (V) के अनुसार, सीमा शुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण हेतु शुल्क की रियायती दर पर माल को आयात करना) नियमावली, 1996 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जोबिंग की जाएगी।

लेखापरीक्षा में निदर्शी और **अनुबंध 33-36** में सूचीबद्ध अनियमितताएं पाई गईं।

3.16 पुन: निर्यात के प्रमाण को प्रस्तुत न करने पर शुल्क वसूली में विफलता

छ: कमिश्नरियों (कोलकाता (पोर्ट), एसीसी, कोलकाता, चैन्नई (हवाई), कोचिन, हवाई और मुंबई जोन-III) में, उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क छूट का लाभ प्राप्त कर जोबिंग के लिए मार्च 2009 और जून 2014 के बीच आयातित और ₹ 6.67 करोड़ मूल्य के विभिन्न मदों की या 41 परेषणों के मामले में, आयातकों ने न तो माल के पुन: आयात का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया न ही समय अवधि बढ़ाने की मांग की। विभाग ने इन आयातों पर प्राप्त ₹ 1.57 करोड़ की शुल्क छूट की वसूली के लिए कार्रवाई नहीं की।

3.17 माल के विलंबित पुन: निर्यात

मै. आर्मर प्लास्ट ने अधिसूचना सं. 32/97 सी.शु के अंतर्गत एयर कार्गो काम्प्लैक्स, देवनहल्ली, बैंगलुरू द्वारा अगस्त 2013 से मई 2014 के बीच ₹ 4.92 करोड़ मूल्य वाले ''स्टेनलैस स्टील ट्यूबस'' और ''स्टेनलैस स्टील स्टाई लैट्स'' के 8 परेषणों का आयात किया। संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ₹ 3.55 करोड़ का माल बिना समयावधि बढ़ाये छ: महीनों की विनिर्दिष्ट अवधि के बाद जोबिंग के बाद पुन: आयात किया गया था। इसलिए आयातक ने अधिसूचना की शर्त को पूरा नहीं किया, वह जोबिंग के बाद माल के विलंबित निर्यात के प्रति प्राप्त ₹ 102.31 लाख की शुल्क छूट के लिए योग्य नहीं है।

3.18 जोबिंग के बाद माल का कम पुन: निर्यात

मै. आर्मर प्लास्ट और अन्य दो ने दिनांक 1 अप्रैल 1997 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 32/97 सीशु के अंतर्गत एयर कार्गो काम्पलैक्स, देवनहल्ली, बैंगलुरू द्वारा अक्टूबर 2012 और मई 2014 के बीच प्रविष्टि के 43 बिलों के अंतर्गत स्टेनलैस स्टील ट्यूबस, कैपसीटर, एकीकृत सर्किट, प्रतिरोधक और अन्य सामान आयात किया। संवीक्षा से पता चला कि ₹ 2.79 करोड़ मूल्य का इस आयातित माल का उपयोग जोबिंग के दौरान पूर्णत: नहीं किया गया था। 43 मामलों में माल के पुन: निर्यात पर लगाया गया शुल्क ₹ 77.88 लाख निकाला गया था।

3.19 शुल्क की रियायती दर पर पुनः निर्यात हेतु पट्टे पर मशीनरी, उपस्कर और यंत्रों का अस्थायी आयात (दिनांक 1-3-2008 की अधिसूचना सं. 27/2008 – सी.शु)

उपरोक्त अधिसूचना (जैसे कि संशोधन किया गया) के अनुसार, प्रयोग हेतु आयातित पट्टे पर ली गई मशीनरी, उपस्कर और अस्थायी यंत्र शुल्कों की रियायती दर पर अयोग्य है, यदि वे आयात की तिथि से छः महीनों के अंदर या बढ़ाई गई अवधि से एक वर्ष के अंदर पुनः निर्यात करते हैं। विफल होने की अवस्था में, आयातक ब्याज सहित अंतरिय शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी है।

आयातक द्वारा उपरोक्त विशिष्ट अवधि परंतु आयात की तिथि से 18 महीनों से अधिक नहीं; में उक्त माल के पुनः निर्यात के लिए बैंक गारंटी वचनबद्धता के साथ एक बाँड लागू करना अपेक्षित है।

3.20 अधिसूचना सं. 27/2008-सी.शु की शर्तों को पूरा न करना

चार कमिश्नरियों (कोलकाता (पोर्ट), कोलकाता (एयरपोर्ट), बैंगलूरू और मुंबई जोन-III) में, संवीक्षा से पता चला कि उपरोक्त अधिसूचना (जैसे कि संशोधन किया गया है) के अंतर्गत शुल्क छूट के लाभ प्राप्त करते हुए ₹ 6.97 करोड़ के सैंड और वॉटर पंप मशीनरी और सहायक सामग्री और अन्य मदों की आठ परेषणों का आयात की किया (अप्रैल 2009 से जून 2014), आयातकों ने न तो माल के पुनः निर्यात का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया और न ही एक मामले को छोड़कर समय बढ़ाने की मांग की। विभाग ने इन आयातों पर प्राप्त ₹ 1.81 करोड़ की शुल्क की छूट वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

3.21 छूट की गलत अनुमति

मै. टपरवेयर इंडिया (प्रा.) लिमि. ने प्लास्टिक किचनवेयर और टेबलवेयर के निर्माण हेतु 27/2008 के अंतर्गत चेन्नै समुंद्र सीमा शुल्क द्वारा ₹ 192 करोड़ मूल्य के प्रयुक्त स्टील मोल्ड आयात (2011 से 2014) किये।

संवीक्षा से पता चला कि आयातक और आपूर्तिकर्ता के बीच कोई ठेका या पट्टा समझौता नहीं था जैसा कि अधिसूचना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित था। ऐसे दस्तावेजों के अभाव में, आयातक ₹ 46.50 करोड़ राशि की अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क छूट के लाभ हेतु योग्य नहीं था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.22 टिकाऊ प्रकृति के कंटनेर के आयात की छूट (दिनांक 16.03.1994 की अधिसूचना सं. 104/94 सीशु)

टिकाऊ प्रकृति के कंटेनर अधिसूचना सीमा शुल्क के सारे शुल्क और उद्ग्राह्य सारे अतिरिक्त शुल्क से छूट प्राप्त हैं जबकि शर्तों के अंतर्गत वे कंटेनर उनकी आयात की तिथि से छः महीनों या इसके आगे की अवधि के अंदर पुनः निर्यात किये गये हो। आयातक द्वारा अधिसूचना की शर्त पूरी न करने की स्थिति में उद्ग्राह्य शुल्क अदा करने के लिए स्वयं को बाध्य करते हुए एक बाँड का लागू करना अपेक्षित है।

बोर्ड ने समय वृद्धि की अनुमति प्रदान करते हुए दिशा-निर्देशों के साथ निगरानी तंत्र विनिर्दिष्ट करते हुए दिनांक 05.11.1998 को परिपत्र सं. 83/98-सी.शु जारी किया। दिनांक 25.07.2005 को बोर्ड द्वारा कंटेनर के अस्थाई आयात के लिए अपनाई जाने वाली समान प्रक्रिया के लिए परिपत्र सं. 31/2005 जारी किया गया था।

3.23 कंटेनर (शिपिंग एजेंट) के पुनः निर्यात के प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने पर शुल्क वसूल करने में विफलता

तीन कमिश्नरियों {कोलकाता (पोर्ट), सीसीपी, विजेवाडा और चैन्नई (सी)} के अंतर्गत, ₹ 190 करोड़ की शुल्क छूट प्राप्त करते हुए अधिसूचना 104/94 के अंतर्गत ₹ 685.99 करोड़ के मूल्य पर टिकाऊ कंटेनर आयात किये (जनवरी 2012 से जून 2014), शिपिंग एजेंट बढ़ाई गई पुनः निर्यात की अवधि वाले मामलों सहित छः महीनों की विनिर्दिष्ट अवधि में पुनः निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहे।

शुल्क वसूली (दिसम्बर 2015) के लिए कंटेनर सेल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

3.24 कंटेनर (आयातक) के पुनः निर्यात के प्रमाण प्रस्तुत न करने पर शुल्क वसूली में विफलता

पाँच कमिश्नरियों (कोलकाता (पोर्ट), लुधियाना, मुंबई जोन-I, मुंबई जोन-II और मुंबई जोन-III) में, मै. सेराटीजिट इंडिया प्रा. लिमि. और अन्य 13 ने इन

आयातों पर ₹ 3.59 करोड़ की सीमा तक अधिसूचना सं. 104/94 सी.शु के लाभ प्राप्त करते हुए शुल्क भुगतान किये बिना 56 प्रविष्टि बिलों के अंतर्गत ₹ 13.63 करोड़ मूल्य के टिकाऊ कंटेनर आयात किये (अक्टूबर 2010 से जून 2014)।

आयातक मामले जहाँ पुन: निर्यात अवधि बढ़ाई गई थी वाले छ: माह की अनुबद्ध अवधि के अन्दर पुन: निर्यात के साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे। विभाग ने छोड़े गए शुल्क की वसूली के लिए बाँड लागू करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

3.25 अनुबद्ध अवधि के समाप्त होने के बाद पुन: निर्यात किया गया माल

बोर्ड का दिनांक 05.11.1998 का परिपत्र सं. 83/98-सीशु दर्शाता है कि सहायक/उप कमिश्नर अन्य तीन छ: महीनों हेतु अन्य समय वृद्धि प्रदान कर सकता है और सीमा शुल्क कमिश्नर अन्य छ: महीनों की वृद्धि प्रदान कर सकता है। देखा गया एक मामला नीचे दर्शाया गया है और **अनुबंध 37 और 38** में अन्य मामलों को सूचीबद्ध किया गया है।

3.25 (i) मै. लॉरेन इंजीनियर्स और विनिर्माता (i) प्रा. लिमि. ने सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 104/94 के अंतर्गत मुद्रा कमिश्नरी के अंतर्गत जून-जूलाई 2012 के दौरान ₹ 1.46 करोड़ के मूल्य पर 'ट्रांसपोर्टेशन रैक' आयात किये गये।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय वृद्धि प्राप्त करते हुए माल मई 2013 अर्थात छ: महीनों से अधिक की अवधि समाप्त होने के बाद पुन: निर्यात किया गया था। आयातक द्वारा प्राप्त की गई शुल्क छूट ₹ 37.05 लाख आंकी गई थी।

3.26 कंटेनरों के शुल्क मुक्त आयात हेतु निगरानी तंत्र का अभाव

कंटेनरों के अस्थाई आयात हेतु अपनाये जाने वाली एक समान प्रक्रिया हेतु निर्देशों के अतिरिक्त, बोर्ड का दिनांक 25.07.2005 का परिपत्र सं. 31/205 दर्शाता है कि प्रणाली और डाटा प्रबंधन निदेशालय अनुमत समय में आयातित और निर्यात किये गये कंटेनरों के स्वचालित मिलान हेतु एक मोड्यूल विकास प्रक्रिया में है। परिपत्र के अनुसार, मोड्यूल के विकास तक, निगरानी प्रक्रिया संबंधित सीमा शुल्क हाऊस में हस्त्य रूप से की जानी चाहिए। यद्यपि, यह

पाया गया कि आयातित और निर्यात किये गये कंटेनरों हेतु मोड्यूल को अभी भी तैयार और लागू किया जाना है।

मोड्यूल के अभाव में, तीन कमिश्नरियों में आयातित और पुन: निर्यातित मैचिंग कंटेनरों की मौजूदा हस्त्य प्रणाली की जांच से प्रणाली की कमी का पता चला जो नीचे दर्शाया गया है:

(i) कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के अंतर्गत कंटेनर सेल द्वारा कोई प्रणाली तैयार नहीं की जा सकी और कंटेनरों के आयात तथा उनके बाद में पुन: निर्यात की प्रभावी निगरानी में कमी थी। यह प्रमाणित है क्योंकि कंटेनर सेल छ: महीनों की विनिर्दिष्ट अवधि में पुन: निर्यातित न किये गये कंटेनरों की संख्या की किसी समय पर भी जांच करने के लिए उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप, बोर्ड द्वारा अधिसूचना और निर्देशों के प्रावधान की अनुपालना में कोई मांग नहीं की गई।

विभाग के (08.06.2015) उत्तर से यह भी प्रमाणित है कि जैसा की उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में परिकल्पित किया गया है पुन: निर्यात शर्त के पूरा न किये जाने की कंटेनर-वार पहचान का कोई तंत्र मौजूद नहीं है।

(ii) चेन्नै कमिश्नरी कंटेनरों के पुन: निर्यात पर तुरंत आईसीईएस में कंटेनरों की विलंबित स्थिति को अद्यतित करने के लिए कोई प्रणाली आरंभ नहीं कर सकी। प्रणाली में कंटेनरों के पुन: निर्यात के विवरण केवल हस्त्य रूप से ही अद्यतित किये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रणाली में काफी अधिक लबंन हुआ।

(iii) हैदराबाद कमिश्नरी के अंतर्गत सीमा शुल्क (निवारक) कमिश्नर, विजयवाड़ा; आयातित कंटेनरों के पुन: निर्यात के संबंध में अधिसूचना के साथ-साथ बॉंड की शर्त का अनुपालन करने के लिए विभाग द्वारा विकसित नहीं की गई।

3.27 मेला, प्रदर्शनी, जूलूस, सेमिनार, कांग्रेस और कांफ्रेस या ऐसी ही घटनाओं पर प्रदर्शन या प्रयोग हेतु आयातित माल हेतु छूट (दिनांक 09.01.89 की अधिसूचना सं. 3/89-सीशु)

अधिसूचना में मेला प्रदर्शनी (अनुसूची II) में प्रदर्शन या उपयोग हेतु आयातित माल (निर्धारण) पर सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है बशर्ते कि भारत सरकार के

संबंधित मंत्रालय द्वारा आयात की मंजूरी दी गई हो। आयातक को संबंधित घटना या ऐसी विस्तारित अवधि के आधिकारिक समापन की तिथि से छः महीनों के भीतर माल के पुनर्निर्माण करने वाला एक बांड निष्पादन करना होता है। पुनर्निर्यात करने में विफलता पर आयातक को छूट हेतु वसूलीयोग्य शुल्क का भुगतान करना होगा।

3.28 प्रदर्शनी/त्यौहार के बाद माल के पुर्निर्यात में विफलता

छः कमिश्नरियों में अधिसूचना सं. 3/89-सी.शु. दिनांक 09.01.89 के तहत शुल्क छूट का लाभ लेते हुए मेले में प्रदर्शनी आदि में प्रदर्शन अथवा उपयोग हेतु अगस्त 2009 और जनवरी 2014 के बीच ₹ 65.93 करोड़ मूल्य के जाँच उपकरणों एवं अन्य माल के 105 परेषणों का आयात किया गया था। आयातकों ने न तो माल के पुनर्निर्यात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया न ही कोई समय विस्तार मांगा। विभाग ने इन आयातकों से ₹ 16.17 करोड़ के शुल्क छूट की वसूली करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया।

इस मामले को जून/सितम्बर 2015 में विभाग/मंत्रालय को बताया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2016)।

3.29 मरम्मत, कायाकल्प, रीइंजीनियरिंग, जांच, ठीक करने अथवा अनुरक्षण हेतु आयातित माल पर छूट

अधिसूचना सं. 134/94-सी.शु., दिनांक 22.06.1994 के अनुसार, मरम्मत, कायाकल्प, रीइंजीनियरिंग के लिए आयातित माल पर सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है बशर्ते कि मरम्मत, कायाकल्प, रीइंजीनियरिंग सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार किया गया हो और मरम्मत, कायाकल्प, रीइंजीनियरिंग की माल का निर्यात किया गया हो। लेखापरीक्षा ने निर्धारित शर्तों को न पूरा करने से संबंधित **अनुबंध 39** में सूचीबद्ध दो मामले देखे।

3.30 मरम्मत और वापसी, मंचीय उपकरणों, पांटून, फोटोग्राफिक फिल्मिंग, साउंड रिकार्डिंग इत्यादि के लिए विदेशी मूल की माल पर छूट (अधिसूचना सं. 153/94-सी.शु. दिनांक 13.07.1994)

अधिसूचना (क्र. सं.-1) के तहत मरम्मत एवं वापसी हेतु आयातित विदेशी मूल की माल पर शुल्क से छूट है, बशर्ते कि वे इसमें निहित शर्तों को पूरा

करती हों। आयातक को आयात करते समय तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर इसे पुनर्निर्यात करने में विफलता के मामले में देय शुल्क की मांग पर स्वयं को बाध्य करते हुए एक बांड निष्पादित करना होगा।

3.31 पुनर्निर्यात की विफलता में, उक्त अधिसूचना के तहत शुल्क की गैर-वसूली

दस कमिश्नरियों (कोलकाता (पोर्ट), सीसीपी-कोलकाता, अहमदाबाद, आईसीडी, बैंगलूरू, एसीसी, बैगलूरू, लुधियाना, कोचिन, एसीसी, हैदराबाद, मुंबई जोन-II और मुंबई जोन-III) में, उक्त अधिसूचना के तहत शुल्क छूट का लाभ लेते हुए दिसम्बर 2010 और जून 2014 के बीच ₹ 17.08 करोड़ मूल्य के स्फेरिकल रोलर बियरिंग और विदेशी मूल की अन्य माल के 56 परेषणों का आयात किया गया लेकिन आयातकों ने माल के पुनर्निर्यात का न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया, न ही समय में कोई विस्तार माँगा। विभाग ने इन आयातकों से ₹ 4.18 करोड़ के शुल्क छूट की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया। देखा गया एक मामला **अनुबंध 40** में सूचीबद्ध है।

3.32 पुनर्निर्यात की शर्त के साथ विभिन्न अन्य माल के आयात पर छूट (अधिसूचना सं. 12/2012-सी.शु. दिनांक 01.03.2002 और अन्य अधिसूचनाएँ)

अधिसूचना के अनुसार, सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 85, 88, 89 एवं 95 के तहत तथा अधिसूचना के क्र. सं. 449 में विनिर्दिष्ट माल के आयात पर सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है बशर्ते कि छः महीनों के भीतर माल का पुनर्निर्यात किया जाए (शर्त सं. 74)। आयातक को निर्धारित अवधि के भीतर माल के पुनर्निर्यात के लिए एक बांड निष्पादित करना होगा। पुनर्निर्यात करने में विफलता की घटना में आयातक को देय शुल्क के साथ छूट के लिए भुगतान करना होगा।

3.33 लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मै. स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने उक्त अधिसूचना (क्र.सं. 449) के तहत ₹ 84.02 लाख के शुल्क छूट का लाभ लेते हुए मुंबई सीमाशुल्क क्षेत्र II कमिश्नरी के माध्यम से ₹ 3.25 करोड़ मूल्य की एक सीएनसी 3डी कोआर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन का आयात किया।

आयातक ने न तो माल के पुनर्निर्यात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया, न ही किसी समय विस्तार की मांग की। विभाग ने इस आयात पर लिए गए ₹ 0.84 करोड़ के शुल्क छूट की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

परिचालन खराबी के अन्य मुद्दे

3.34 घरेलू खपत हेतु गैर अनुमत निकासी वाले आयातित खाद्य पदार्थों का गैर-पुनर्निर्यात

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसएआई), 2006 की धारा 25 के अनुसार अधिनियम के प्रावधान एवें इसमें अन्तर्निहित नियमों व विनियमों के उल्लंघन में कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी अनुरक्षित या मिसब्रैंडेड अथवा खराब खाद्य पदार्थों का आयात नहीं करेगा। इस प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए, बोर्ड (सीबीईसी) ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2001 के परिपत्र सं. 58/2001-सी.शु. में प्रावधान किया गया है कि विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में जांच करने पर विफल पाए गये खाद्य पदार्थों पर सीमाशुल्क प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सामान्य विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वस्तुओं का देश से बाहर पुनर्निर्यात किया जाए या नष्ट किया जाए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 11 मामलों में सीमाशुल्क आयुक्त (पत्तन), कोलकाता के माध्यम से नवम्बर 2011 और जनवरी 2015 के बीच आयातित खाद्य पदार्थ जैसे-बासमती चावल, पीली मटर, काजू इत्यादि एफएसएसएआई के निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहे। आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क द्वारा अधिनिर्णयन पर खाद्य पदार्थों को इसमें निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने के भुगतान पर पुनर्निर्यात करने की अनुमति दी गई तथा विभाग को पुनर्निर्यात का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। हालांकि विभाग को आयातित माल को पुनर्निर्यात करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसलिए, उक्त परिपत्र में बोर्ड के दिशा-निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया जिससे यह सुनिश्चित हो पाता कि ₹ 2.69 करोड़ मूल्य की आयातित माल का पुनर्निर्यात किया गया अथवा सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा नष्ट किया गया।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.35 पुनर्निर्यात हेतु भण्डारित आयातित माल की निकासी

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 69 के अनुसार, कोई भी भण्डारित माल आयात शुल्क का भुगतान किए बिना भारत से बाहर निर्यातित की जा सकती है यदि शिपिंग बिल या निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया हो, निर्यात शुल्क, जुर्माना, किराया, ब्याज तथा ऐसी माल के संबंध में देय अन्य प्रभारों का भुगतान कर दिया गया हो और उचित अधिकारी द्वारा निर्यात हेतु ऐसे माल की निकासी का आदेश दिया गया हो।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 1 की धारा 2(44) में ''भण्डारित माल'' को गोदाम में जमा किए गए माल के रूप में तथा ''गोदाम'' को धारा 57 के तहत लिए गए एक सार्वजनिक गोदाम या धारा 58 के तहत लाइसेंस प्राप्त एक निजी गोदाम {उक्त धारा 2(43)} के रूप में परिभाषित किया गया था। गैर-अनुपालन एवं प्रणालीगत कमियों के मामलों पर नीचे प्रकाश डाला गया है। .

3.36 पुनर्निर्यात हेतु भौतिक मालगोदाम का त्याग

तीन कमिश्नरियों (कोलकाला (पोर्ट), कोलकाता (एअरपोर्ट) और आईसीडी दुर्गापुर) में, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि दिसम्बर 2013 और फरवरी 2015 के बीच मालगोदाम हेतु आयातित ₹ 4.53 करोड़ मूल्य की 10 परेषणों को निर्यात मालगोदाम के बिना सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 69 के तहत निर्यात हेतु अनुमत किया गया था। सभी मामलों में सहायक/उपायुक्त, सीमाशुल्क द्वारा माल का भौतिक मालगोदाम छोड़ दिया गया था।

चूँकि विषयगत माल को मालगोदाम में नहीं रखा गया था, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 69 के प्रावधान लागू नहीं होते। इसलिए धारा 69 के तहत शुल्क के भुगतान के बिना गैर-भण्डारित आयातित माल की निकासी, भण्डारण के समय ₹ 1.56 करोड़ सीमाशुल्क सहित सीमाशुल्क के अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन हुआ।

(i) संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, आईसीडी, दुर्गापुर, ने बताया (अगस्त 2015) कि चूंकि माल निर्यात हेतु तैयार था, निर्यात से पूर्व माल को हटाने/ले जाने में अतिरिक्त व्यय करना पड़ता, उचित अधिकारी ने व्यापार की सुविधा हेतु निर्यात से पूर्व भौतिक भण्डारण की औपचारिकताओं को छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त ऐसे मामले में शुल्क की प्रभार्यता पर चर्चा की गई थी।

(ii) सहायक आयुक्त, आयात बांड, सीमाशुल्क कमिश्नरी, कोलकाता (पत्तन) ने बताया कि वेयर हाउसिंग बिल ऑफ एंट्री के तहत माल को गोदाम में भण्डारित न करने के बावजूद भी भण्डारित माल के रूप में माना जाता है।

विभाग (आईसीडी) दुर्गापुर एवं आयात बांड, जैसा कि ऊपर (i) एवं (ii) में उल्लेख है) का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयात करने पर माल पर शुल्क देय था। हालांकि जब माल का निर्यात गोदाम से किया गया था, शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना था। इस प्रकार, यदि माल का भण्डारण (भौतिक) नहीं किया गया था, शुल्क के भुगतान के बिना माल की निकासी अनुमत करना अनुचित था। दूसरे शब्दों में, धारा69 का लाभ नहीं दिया जाता है यदि माल को गोदाम (भौतिक) में नहीं रखा जाता। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत मानित भण्डारित माल की कोई अवधारण नहीं है।

3.37 भण्डारित माल के पुनर्निर्यात पर अध्याय-3 के लाभ का दावा करने हेतु घोषण

विदेशी व्यापार नीति 2009-14 के पैराग्राफ 3.17.2 के अनुसार एफटीपी के पैरा 2.35 के तहत शामिल आयातित माल का निर्यात वीकेजीयूवाई, एफएमएस, एफपीएस (एमएलएफपीएस) तथा स्टेटस होल्डर्स इंटेसिव स्क्रिप के लिए शुल्क क्रेडिट शेयर हकदारी का पात्र नहीं है।

अहमदाबाद कमिश्नरी के तहत मै. सनराइज स्टेनलेस प्राईवेट लिमिटेड और मै. एपेक्स प्लास्टिसीकॉन को शुल्क का भुगतान किए बिना आयातित भण्डारित माल को पुनर्निर्यात करने की अनुमति दी गई थी (दिसम्बर 2014 से फरवरी 2015)। दोनों निर्यातकों को यह घोषणा करने की अनुमति दी गई थी कि वे ₹ 6.51 करोड़ मूल्य के एफओबी मूल्य हेतु 17 शिपिंग बिलों (दिसम्बर 2014 से मार्च 2015) में अध्याय-3 के तहत लाभ का दावा करेंगे। इसके अतिरिक्त, मै. सनराइज स्टेनलेस प्राईवेट लिमिटेड ने अपनी निर्यात

इन्वाइसेज/पैकिंग सूची में उल्लेख किया कि वस्तुएँ भारतीय मूल की थीं जबकि वास्तव में वे आयातित वस्तुएँ थी। चूँकि वस्तुएँ विदेशी मूल की थी, आयातित माल पर एफटीपी के अध्याय-3 के लाभ का दावा/अनुदान और भारतीय माल के रूप में ऐसी माल का दावा करना अनुचित था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.38 धारा 69 के तहत पुनर्निर्यात शिपिंग बिलों में पहचान योग्य नहीं है

धारा 69 के तहत आयातित माल का निर्यात दो अधिसूचनाओं अर्थात् सं. 45-सी.शु. दिनांक 01.02.1963 एवं सं. 46-सी.शु. दिनांक 01.02.1963 के अंतर्गत शर्तों द्वारा शासित किया जाता है। चेन्नई कमिश्नरी में, यह देखा गया था कि भण्डारित माल के पुनर्निर्यात के लिए धारा 69 के तहत फाइल किए गए शिपिंग बिल एक मुक्त शिपिंग बिल हैं और इसलिए निर्धारण चिन्हित नहीं किए गए थे। वर्तमान में आईसीईएस 1.5 में धारा 69 के तहत किए गए निर्यातों के रूप में एक शिपिंग बिल की पहचान करने का कोई प्रावधान नहीं है। पहचान के अभाव में, निर्धारण अधिकारी के लिए धारा 69 के तहत किए गए निर्यातों के रूप में एक शिपिंग बिल की पहचान न करना तथा अधिसूचना की शर्तों की पूर्णता सुनिश्चित करना संभव नहीं था (वस्तु विवरण की जाँच करने के अलावा)।

तदनुसार, यह सुझाव दिया गया था कि धारा 69 के तहत किए गए निर्यातों के रूप में पहचान करने में निर्धारण अधिकारी को बनाने हेतु निर्यात माड्यूल में एक अलग फील्ड प्रदान किया जाए। विभाग ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और सूचित किया कि इसके कार्यान्वयन हेतु इसे डीजी (प्रणाली) के साथ देखा जा रहा था।

3.39 भण्डारित माल का पुनर्निर्यात सुनिश्चित नहीं किया गया

मुंबई सीमाशुल्क क्षेत्र-I (एनसीएच) एवं क्षेत्र-II (जेएनसीएच) के मालगोदाम बांड रजिस्टर के नमूना जाँच से पता चला कि आयातित भण्डारित माल के पुनर्निर्यात की अनुमति दी गई थी और बांड रजिस्टर में अस्थायी प्रवृष्टि की गई थी। हालांकि, पुननिर्यातित माल का वास्तविक विवरण न तो रजिस्टर में दर्ज किया गया था न ही पुनर्निर्यात का कोई साक्ष्य अभिलेख में दर्ज किया गया था। बांड को भी गैर-रद्द पड़ा दर्शाया गया था। अतः यह सुनिश्चित नहीं

किया जा सका कि इन दो कमिश्नरियों के अंतर्गत भण्डारित क्रमश: ₹ 4.41 करोड़ एवं ₹ 5.95 करोड़ शुल्क वाली आयातित माल का वास्तव में पुनर्निर्यात किया गया था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.40 शुल्क भुगतान किए गए आयातित माल के पुनर्निर्यात पर फिरती

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 में शुल्क फिरती देने का प्रावधान है यदि इस प्रकार अथवा निकासी की तिथि से 18 से 24 महीनों के भीतर उपयोग के बाद माल का पुनर्निर्यात किया जाता है। धारा 74(1) एवं 74(2) के मामले में, और उपयोग के निर्धारण का अत्यधिक महत्व है। इसके अतिरिक्त, दोनों मामलों में फिरती का भुगतान आयातित वस्तु (सीमाशुल्क की फिरती) नियमावली, 1995 के पुनर्निर्यात द्वारा शासित की जाती हैं। गैर-अनुपालन की घटनायें एंव प्रणालीगत कमियों को नीचे दर्शाया गया है और सात मामलों (मौद्रिक मूल्य 37.78 लाख) को **अनुबंध 41-45** में सूचीबद्ध किया गया है।

3.41 कथन आदेश के बिना फिरती की अनुमति

बोर्ड ने परिपत्र सं. 46/2011-सीमाशुल्क दिनांक 20 अक्टूबर 2011 के पैरा सं. 3.1 और परिपत्र सं. 35/2013-सीमाशुल्क दिनांक 5 सितम्बर 2013 के पैरा 2 के अनुसार, धारा 74 या अन्यथा के अंतर्गत शुल्क फिरती की मंजूरी देते समय यह सुनिश्चित किया जाना था कि सभी मामलों में सहायक/उपयुक्त, सीमाशुल्क प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए, पुनर्निर्यात के तहत माल की पहचान सुनिश्चित करने से संबंधित विस्तृत कारण बताते हुए और उपयोग का निर्धारण, यदि कोई हो, तो एक कथन आदेश पारित करेगा।

चार कमिश्नरियों में फिरती मंजूरी फाइलों की नमूना जॉच से पता चला कि 42 मामलों में उक्त निर्देशों के उल्लंघन में कथन आदेश पारित किए बिना ₹ 2.64 करोड़ की फिरती की मंजूरी दी गई थी।

(i) संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, आईसीडी, दुर्गापुर दिनांक 30.06.2014 को जारी फिरती मंजूरी आदेश का संदर्भ देते हुए इस पर कथन आदेश के रूप में गलत टिप्पणी किया, जबकि कथन आदेश जारी करने की मंशा और इसकी

विषय-वस्तु को बोर्ड के परिपत्र सं. 46/2011-सीमाशुल्क दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 में स्पष्ट किया गया था।

(ii) सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, कोलकाता विमानपत्तन (डीबीके) ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि कार्यकारी अधिकारियों को सूचना भेजने में संवादहीनता के कारण एसीसी में जुलाई 2013 तक कोई भी कथन आदेश नहीं दिया गया था।

हालांकि जुलाई 2013 के बाद बोर्ड के निर्देशों का पालन किया गया था।

सीमा शुल्क कमिश्नर (निवारक) कोलकाता ने बताया (अक्टूबर 2015) कि स्पीकिंग आदेश को जारी करने की केाई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि फिरती दावों को संवीक्षा के माध्यम से सस्वीकृत और संसाधित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि दिनांक 20 अक्टूबर 2011 के बोर्ड के परिपत्र के अनुसार धारा 74 के अन्तर्गत फिरती दावों के सभी मामलों में स्पीकिंग आदेश पारित किया जाना था।

3.42 निर्यात माल के उपयोग का निर्धारण किए बिना उच्चत्तर दर पर फिरती की अनुमति

धारा 74(1) की शर्तों के अतिरिक्त, आयातित माल नियमावली, 1995 के पुनर्निर्यात के नियम 4(ए)(iii), में प्रावधान है कि शिपिंग बिल/निर्यात बिल में यह घोषणा होनी चाहिए कि आयातित माल का उपयोग नहीं किया गया था।

दो कमिश्नरियों में, अभिलेखों की संविक्षा से पता चला कि जुलाई 2012 से मई 2014 के बीच आयातित 11 परेषणों पर उपयोग का निर्धारण दर्ज किए बिना सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74(1) के तहत 98 प्रतिशत आयात शुल्क दर पर फिरती अनुमत की गई थी। ऐसे मामलों को नीचे दर्शाया गया है।

(i) आईसीडी, दुर्गापुर ने अक्टूबर 2013 में 408 मी.ट. 'इलेक्ट्रोड ग्रेड कैल्साइन्ड पिच निडिल कोक' के आयात हेतु मै. ग्रेफाइड इंडिया को मई 2014 में 99.38 के फिरती की मंजूरी दी। ₹ 101.41 लाख के शुल्क के भुगतान पर जनवरी 2013 से पहले माल का आयात किया गया था। स्वीकृत प्राधिकारी ने

शुल्क फिरती के रूप में आयात के समय भुगतान किए गए 98 प्रतिशत शुल्क को अनुमत किया।

संवीक्षा से पता चला कि आयातित वस्तु (सीमाशुल्क फिरती) नियमावली, 1995 के पुनर्निर्यात के नियम 5(2)(ए) के अनुपालन में निर्यात के समय सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी द्वारा कोई भी जॉच रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74(1) तहत आयातित माल के उपयोग सहित शिपिंग बिल की तीन प्रतियों पर ऐसी जॉच रिपोर्ट के बिना एवं कथन आदेश जारी किए बिना 98 प्रतिशत दर पर फिरती अनुमत की गई थी।

जॉच रिपोर्ट के अभाव ने दर्शाया कि माल का उपयोग नहीं किया जाना था और आयात एवं निर्यात की निकासी तिथि के बीच लंबी अवधि (9 महीनों से अधिक) को देखते हुए आयात पर अधिसूचना सं. 19/65 दिनांक 6.2.1965 की शर्तों के अनुसार अदा किए गए शुल्क में से 70 प्रतिशत घटाकर फिरती देय थी, जो ₹ 0.71 करोड़ (₹ 1.02 करोड़ का 70%) बनता था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.28 करोड़ (₹ 0.99 करोड़ – ₹ 0.71 करोड़) की फिरती का अधिक भुगतान हुआ।

संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, दुर्गापुर ने बताया (20.08.2015) कि उचित अधिकारी द्वारा जॉच की गई थी लेकिन शिपिंग बिल की तीन प्रतियों में अनजाने में रिपोर्ट में पृष्ठांकित नहीं किया गया था। चूँकि ऐसी चूक न केवल निर्धारित प्रक्रिया का गैर अनुपालन दर्शाती है बल्कि इसमें जटिलतायें भी थी क्योंकि फिरती की दर माल के उपयोग पर निर्धारित किया जाना था, जिसका भी उल्लेख नहीं किया गया था।

(ii) नमूना जॉच से पता चला कि 10 मामलों में आयुक्त, सीमाशुल्क, (निवारक), पश्चिम बंगाल के अंतर्गत फिरती सेल ने निर्यात माल के उपयोग का निर्धारण किए बिना और कथन आदेश जारी किए बिना सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के तहत मार्च और अक्टूबर 2014 के बीच अदा किए गए आयात शुल्क के 98 प्रतिशत दर पर ₹ 82.92 लाख का फिरती मंजूर किया था। आगे संवीक्षा से पता चला कि निर्यातकों ने न तो अपनी माल को अनुपयोगी घोषित किया था, न ही शिपिंग बिलों में जॉच

रिपोर्ट में माल के उपयोग पर कोई उल्लेख किया था कि माल का निर्यात किया गया था।

आयात पर अदा किए गए प्रविष्टिवार शुल्क का बिल दर्शाने वाली विस्तृत गणना शीट के अभाव में अधिसूचना 19/65 दिनांक 06.02.65 के तहत घटी हुई दर पर देय फिरती सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

सीमा शुल्क कमिश्नर (निवारक) पश्चिम बंगाल ने बताया (अक्टूबर 2015) कि शिपिंग बिल्स ओर अन्य दस्तावेजो से यह बताया जा सकता है कि परेषणों को 'ऐसी स्थिति' में पुन: निर्यात किया गया था।।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह प्रमाणित करने के लिए लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे कि परेषणों का ऐसी स्थिति में पुन: निर्यात किया गया था। इसके अतिरिक्त शिपिंग बिल और जाँच रिपोर्ट यह नहीं बताती है कि माल अप्रयुक्त स्थिति में थे।

3.43 शिक्षा उपकर शामिल करने के पश्चात् शुल्क फिरती का प्रतिदाय

बिल अधिनियम की शर्तों के अनुसार, 9 जुलाई 2004 से और 1 मार्च 2007 से आयातित सभी माल पर सीमाशुल्क के रूप में क्रमश: शिक्षा अधिभार और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर वसूला गया था। इसके अलावा यह प्रावधान था कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधान एवं इसमें निहित नियम व विनियम, शुल्क से छूट और प्रतिदाय तथा जुर्माना लगाने से संबंधित सभी नियम आयातित माल पर शिक्षा उपकर लगाने तथा वसूली के संबंध में लागू होते हैं, ऐसी माल पर सीमाशुल्क की वसूली एवं संग्रहण से संबंध में लागू होते हैं।

धारा 74 के तहत संस्वीकृत शुल्क फिरती के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सीमाशुल्क आयुक्त, कोलकाता (विमानपत्तन एवं प्रशासन) (2013-14 से) और आईसीडी दुर्गापुर आयात के समय भुगतान किए गए दोनों शिक्षा उपकर का फिरती प्रतिदाय करता है जबकि दो अन्य कमिश्नरियाँ, अर्थात कोलकाता (पत्तन) एवं निवारक, पश्चिम बंगाल ने शिक्षा उपकर का प्रतिदाय नहीं अनुमत किया। इस प्रकार इन चार कमिश्नरियों के तहत शुल्क फिरती के

भुगतान की व्यवस्था में अंतर था जिसे बोर्ड द्वारा उचित स्पष्टीकरण जारी करके दूर किया जा सकता था।

उत्तर में, सहायक आयुक्त सीमाशुल्क, कोलकाता एयरपोर्ट (एसीसी) ने बताया (सितम्बर 2015) कि एसीसी में जुलाई 2013 तक शिक्षा उपकर कटौती की प्रथा गलत अवधारणा के कारण थी, हालांकि अवधि के बाद शुल्क फिरती की गणना शिक्षा उपकर सहित शुल्क की राशि पर की गई थी।

सीमा शुल्क कमिश्नर (निवारक), पश्चिम बंगाल ने बताया (अक्टूबर 2015) कि भविष्य में इस मुद्दे का ध्यान रखा जाएगा।

3.44 शासन, जोखिम एवं नियंत्रण मुद्दे:

लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, सीबीईसी के अधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध सूचना केवल मई 2015 तक लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध आईसीईएस 1.5 डाटा के आधार पर डाटा की गुणवत्ता, प्रबंधन, कमिश्नरियों द्वारा आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी का मूल्यांकन किया गया था। लेखापरीक्षा अवलोकन निम्नलिखित हैं:

(क) 2012-13 (जून 2014 तक) की अवधि के लिए पुनर्निर्यात मामलों पर एक स्पष्ट स्थिति प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित वेबसाइटों/प्रतिवेदनों से विश्लेषण हेतु डाटा/सूचना एकत्र करने का प्रयास किया:

(1) www.cbecddm.gov.in (CBEC)

(2) वित्त मंत्रालय की वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की वार्षिक प्रतिवेदन।

(3) 2015-16 की सीबीईसी, वित्त मंत्रालय परिणामी ढांचा दस्तावेज।

लेखापरीक्षा उपरोक्त वेबसाइटों/दस्तावेजों में माल के पुनर्निर्यात पर पैन इंडिया डाटा का पता नहीं लगा सकी। परिणामी ढॉचा दस्तावेज में निर्धारण क्रिया-कलाप के लिए सफलता सूचकों में से एक रूप में पुनर्निर्यात मामलों की पहचान नहीं की जाती है जबकि जून 2014 तक 22807 से अधिक बिना रद्द किए हुए बांड लंबित थे। सेज क्षेत्रों, ईओयूज़ (लगभग 25% व्यापार करने वाले) से निर्यात के मामलों को सीबीईसी-सीमाशुल्क ईडीआई, आईसीईएस द्वारा संग्रहीत की नहीं किया गया था। इसी प्रकार, पुनर्निर्यात/पुनर्आयात शर्तों के

अननुपालन द्वारा प्रभावित लाइसेंस शर्तों को प्रणाली स्तर पर संयोजित नहीं किया जा सका, क्योंकि डीजीएफटी (ईडीआई) आईसीईएस के साथ नहीं जुड़ा था। कमिश्नरियों द्वारा शामिल केवल 31% व्यापार की लेखापरीक्षा की गई थी। कमिश्निरियों/सीबीईसी द्वारा लेखापरीक्षा को संबंधित सूचना प्रदान करने में अक्षमता और ढिलाई के बावजूद सीमाशुल्क राजस्व वाले सामानों के गैर-अनुपालन के मामलों पर ₹ 308.26 करोड़ की अनियमिततायें देखीं गई। प्रणालीगत स्तर पर और आंतरिक नियंत्रण खराबी के कई मामलों को आवश्यक अभिलेखों के अभाव में निर्धारित नहीं किया जा सका।

(ख) सीबीईसी-सीमाशुल्क के आईसीईएस 1.5 में कमियाँ

आईसीईएस 1.5 डाटा निर्देशिका में 275 तालिकायें (कॉलम शीर्ष) हैं जिसमें प्रविष्टि बिल, शिपिंग बिलों में सभी सूचनायें/आंकड़े शामिल हैं। पुनर्निर्यात मामलों के संबंध में अप्रैल 2012 से मई 2013 की अवधि हेतु उपलब्ध डम्प डाटा (आईसीईएस 1.5) के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

(i) पुनर्निर्यात शर्तों के साथ बिल प्रविष्टि बिल के माध्यम से आयातित माल के निर्यात की निगरानी का कोई तंत्र नहीं है। इसके अलावा, प्रणाली में पुनर्निर्यात शर्तों के साथ विवरण बी/ई के लिए पुनर्निर्यात विवरण शामिल करने का कोई तंत्र नहीं है।

(ii) पुनर्निर्यात अधिसूचना के प्रति आयातों की वैधता जिसमें अनिवार्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना विनिर्दिष्ट है, का आईसीईएस के माध्यम से विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि ऐसी कई घटनाओं में आईसीईएस में ऐसे विवरण उपलब्ध नहीं हैं। यह नोट किया जाए कि ऐसी भी घटनायें हुई जहाँ ऐसे प्रमाणपत्रों के कॉलम शीर्ष हैं, लेकिन वे खाली हैं और परिणाम स्वरूप लेखापरीक्षा यह नहीं सुनिश्चित कर सकती कि ये प्रस्तुत की गई हैं या नहीं। वर्ष 2012-13 के आईसीईएस 1.5 अंतरण डाटा के विश्लेषण से पता चला कि ₹ 75.92 करोड़ राशि की शुल्क छूट वाली 830 बिल प्रविष्टि के अंतर्गत 9939 मदों में यह अनिवार्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना मंजूरी दी गई थी कि माल का आयात उसी उद्देश्य से किया गया था जैसा कि अधिसूचनाओं में प्रावधान था।

(iii) यह देखा गया कि चार कमिश्नरियों (अहमदाबाद, कांदला, मुंद्रा एवं जामनगर) में पहले से पुनर्निर्यात शुल्क मुक्त भण्डारित माल के विवरण ईडीआई प्रणाली में दर्ज नहीं किए गए हैं जिसके कारण वेब लेज़र इन मामलों को सक्रिय अथवा रद्द न किया गया दर्शाता है।

चार कमिश्नरियों (मुंबई I, II, III क्षेत्र एवं बैंगलुरू) में विभाग 1036 मामलों का अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा जहाँ ₹ 98.66 करोड़ के शुल्क का छूट लेते हुए पाँच छूट अधिसूचनाओं के तहत ₹ 379.92 करोड़ के माल का आयात किया गया था। तद्नुसार, अधिसूचनाओं की शर्तों को पूरा करने में प्रभावित पुनर्निर्यात के लिए छूट लेने की पात्रता की जाँच भी लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

सीमाशुल्क आयुक्त (विमानपत्तन एवं प्रशासन), कोलकाता से संबंधित दिसम्बर 2011 और जनवरी 2014 के बीच के आईसीईएस आयात डाटा की संवीक्षा से पता चला कि मै. इमप्रेसिव टेक्नोलोजी और 14 अन्य ने अधिसूचना 157/90 का लाभ लेते हुए शुल्क का भुगतान किए बिना ₹ 6.67 करोड़ की लाइट सामग्री, कलर लेजर, लैपटाप आदि का आयात किया। इन माल पर शुल्क छूट ₹ 1.56 करोड़ बनता था।

लेखापरीक्षा को उन माल के पुनर्निर्यात दर्शाने वाले कोई भी अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए थे। इसके अतिरिक्त बांड प्रस्तुत करने सहित निर्धारित प्रक्रियाओं के अभाव में आयातित माल का पुनर्निर्यात भी ईकाई द्वारा नहीं किया गया है। जिसके कारण छूट के लिए किन्तु देय शुल्क की अत्यधिक राशि की सुरक्षा नहीं की गई।

कोलकाता (वायुपत्तन) कमिश्नर प्राधिकारियों ने सूचित किया (सितम्बर 2015) कि तीन आयातको ने पुन: निर्यात के प्रमाण प्रस्तुत किए थे जबकि 12 मामलों में भेजे गए पत्र बिना बाँटे हुए वापिस प्राप्त हुए थे।

(iv) कोलकाता पत्तन एवं विमानपत्तन कमिश्नरियों में, यह देखा गया कि पंजिकाओं में दर्ज आंकड़े आईसीईएस प्रणाली के आंकड़ों से भिन्न थे, परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा इस प्रतिवेदन के संकलन हेतु आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर सकती।

(ग) प्रक्रियाओं के दुरूपयोग से बचने के लिए अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र

(i) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) की भूमिका

चार कमिश्नरियों (कोलकाता पत्तन, विमानपत्तन, निवारक (पश्चिम बंगाल), पटना) में यह देखा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग विभिन्न पुनर्निर्यात अधिसूचनाओं के तहत दी गई पुनर्निर्यात शर्तों को पूरा करने की निगरानी के संबंध में कोई जाँच नहीं नहीं कर रहा था तथा साथ ही उचित अभिलेख भी नहीं बनाया था।

कोलकाता (वायुपत्तन) कमिश्नर प्राधिकारियों ने बताया (अक्टूबर 2015) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग कमिश्नरी के किसी अनुभाग या ग्रुप की लेखापरीक्षा नहीं करता। यह मात्र विभिन्न अनुभागों/ग्रुपों और सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा के मध्य एक समन्वयक यूनिट है।

(ii) प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव

लेखापरीक्षा ने देखा कि बोर्ड के निर्देशों के बावजूद पुनर्निर्यात मामलों में बांड लेने एवं वापस देने के लिए कमिश्नरियों में कोई अलग सामान्य बांड और बीजी सेल नहीं था।

शुल्क छूट अनुमत करने वाला सीमाशुल्क प्राधिकरण अधिसूचनाओं, निहित पुनर्निर्यात शर्त को पूरा करने की निगरानी हेतु उत्तरदायी है। हालांकि, सात कमिश्नरियों (कोलकाता पत्तन, विमानपत्तन, निवारक (पश्चिम बंगाल), मुंबई, लखनऊ, आईसीडी तुगलकाबाद और आईसीडी पटपड़गंज) में पुनर्निर्यात मामलों की निगरानी में प्रभावहीनता देखी गई, जिससे 2009 से रद्दीकरण हेतु बहुत से पुनर्निर्यात बांड लंबित हो गए।

आयातकों से निर्धारित समयसीमा की समाप्ति के तुरन्त बाद दस्तावेज मंगाकर या मांग सूचना जारी करके, जहाँ भी आवश्यक था, पुनर्निर्यात मामलों की निगरानी का कोई तंत्र नहीं था। ऐसे मामलों की निगरानी में सुविधा प्रदान करते हुए पुनर्निर्यात लंबित निर्धारण मामलों पर कोई निर्धारण प्रतिवेदन/विवरणी नहीं है।

पुनर्निर्यात बांड का निर्धारण भी सीमाशुल्क की आईसीईएस प्रणाली में उपलब्ध नहीं था।

आईसीईएस में पुनर्निर्यात के संबंधित शिपिंग बिलों के साथ आयात/पुनर्आयात की बिल प्रविष्टि से जोड़ने के लिए कोई माड्यूल नहीं था।

(iii) अभिलेखों के अनुरक्षण में अपर्याप्तता

पुनर्निर्यात मामलों से संबंधित अभिलेख अर्थात् पुनर्निर्यात बांड रजिस्टर, बैंक गांरटी रजिस्टर आदि का अपर्याप्त अनुरक्षण भी निम्नलिखित कमिश्नरियों में देखा गया था:

तीन सीमाशुल्क कमिश्नरियों में [निवारक (पश्चिम बंगाल) के तहत पेट्रापोल एलसीएस, आईसीडी लुधियाना, पटना कमिश्नरी के अंतर्गत जोगबनी एलसीएस] में कोई भी पुनर्निर्यात बांड रजिस्टर नहीं बनाया गया था।

सीमा शुल्क, कमिश्नर (निवारक), पंश्चिम बंगाल ने सूचित किया (अक्टूबर 2015) कि पुन: निर्यात बान्ड रजिस्टर का अब से रखरखाव किया जा रहा है।

सात कमिश्नरियों (कोलकाता पत्तन, कोलकाता विमानपत्तन, मुंद्रा, मुंबई सीमाशुल्क क्षेत्र II एवं नोएडा में आईसीडी दादरी, आईसीडी तुगलकाबाद एवं आईसीडी पटपड़गंज) में पुनर्निर्यात की शर्त पर विभिन्न छूट अधिसूचना के अंतर्गत आयात मामलों को दर्ज करने हेतु पुनर्निर्यात बांड रजिस्टर बनाए गए थे। लेकिन अधिकांश मामलों में रजिस्टरों में प्रविष्टियॉं अनिवार्य विवरणों के बिना की गई थी जैसे-अधिसूचना संख्या, पुनर्निर्यात अवधि की समाप्ति तिथि, छोड़ा गया शुल्क इत्यादि, जिसके बिना पुनर्निर्यात मामलों की निगरानी को सुगम नहीं बनाया जा सका।

आईसीडी लुधियाना में, फिरती दावा रजिस्टर ठीक से नहीं बनाया गया था। अधिकांश मामलों में, फिरती दावा की प्रस्तुति तिथि नहीं लिखी गई थी।

लेखापरीक्षा आईसीईएस 1.5 के माध्यम से मंजूर किए गए पुनर्निर्यात मामलों में डीजी (लेखापरीक्षा) के लिए निर्धारित सुविधा प्रतिशतता जाँच सुनिश्चित नहीं कर सकी।

पूर्ववर्ती मामलों को देखते हुए यह प्रमाणित है कि सीबीईसी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आवश्यक अभिलेख निर्धारित करने, निर्धारित अभिलेखों में अनुरक्षण प्रणाली, संबंधित स्तर पर अभिलेखों की लगातार निगरानी, आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा साथ-साथ विश्लेषण और पाई गई टिप्पणियों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में उतना प्रभावी नहीं है।

3.45 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा आपत्तियां सीमाशुल्क राजस्व वाले माल सहित बोर्ड द्वारा जारी निर्देश अथवा अधिनिययम के प्रावधानों, अधिसूचनाओं की शर्तों के गैर-अनुपालन वाले मामलों में देखी गई ₹ 308.26 करोड़ की अनियमितता वाले केवल 26 प्रतिशत व्यापार अंतरण पर आधारित है।

आईसीईएस प्रणाली, सीमाशुल्क अंतरण की प्रक्रिया में जिसका उपयोग किया जाता है, वर्तमान में बांडों को प्रबंधित करने के साथसाथ पुनर्निर्यात मामलों - नहीं है। आईवस्थाके प्रबंधन की व्यसीईएस में लगभग 25% व्यापार करने वाली सेज, ईओयूज़ से पुनर्निर्यात के मामलों को संग्रहीत नहीं किया गया। इसी प्रकार, प्रणाली स्तर पर पुनर्निर्यातअनुपालन द्वारा -पुनर्आयात के गैर/ कि डीजीएफटीप्रभावित लाइसेंस शर्तों को संयोजित नहीं किया जा सका क्यों आ (ईडीआई)ईसीईएस से नहीं जुड़ा था। इसके अतिरिक्त, आईसीईएस में यह सत्यापन जांच नहीं है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित अधिसूचनाओं के तहत लाभ अपात्र आयातकोंनिर्यातकों को नहीं दिया गया / था, अथवा पुनर्निर्यात बांड को रद्द करने के परिणामस्वरूप कमियों को ठीक किया गया था उन पुनर्निर्यातित वस्तुओं के साथ आयातित कंटेनर मेल नहीं खाते थे, पुनर्निर्यात दस्तावेजों की देर से प्रस्तुति और बांड का गैरसमापना - किया गया था।

अध्याय IV

सीमाशुल्क राजस्व का निर्धारण

अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2010 से मार्च 2014) से हमने ₹ 53.65 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के कुछ मामले पाए। उनका वर्णन निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।

जाली और जालसाजी वाले दस्तावेजों के आधार पर संस्वीकृत टीईडी प्रतिदाय राशि की वसूली न करना

4.1 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 20004-09 के पैराग्राफ 8.3 (सी) के अनुसार मुख्य/उप ठेकेदार द्वारा माल की आपूर्ति, जो कि एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 की शर्तों में माने गए निर्यात के रूप में योग्य है, प्रक्रिया की हैंडबुक (एचबीपी) खण्ड–I में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अध्ययधीन टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) के प्रतिदाय के लाभ के लिए पात्र है। एचबीपी, खण्ड-I के पैराग्राफ 8.3.1 (iv) के प्रावधानों की शर्तों में, एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 (डी) से 8.2 (जे) में उल्लिखित वर्गों के अन्तर्गत आपूर्तियों (माने गए निर्यात) के संबंध में टीईडी प्रतिदाय के लिए दावे को या तो प्रभावित आपूर्तियों के सबूत या प्राप्त भुगतान के आधार पर फाइल किया जा सकता है।

ऐसे दावे के समर्थन में प्रयोग किए गए आवेदन या दस्तावेजों में यदि कोई गलत या जाली या भ्रामक विवरण पाया जाए तो भविष्य में आगे योजना का लाभ देने से इनकार सहित विदेश व्यापर (विनियम) नियमावली 1993 के नियम 7 के अन्तर्गत दंडात्मक प्रावधान लगाया जाएगा। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए महानिदेशालय, विदेश व्यापार, नई दिल्ली ने "डिनाइड एन्टीटीज लिस्ट (डीईएल) के अनुरक्षण के लिए दिशानिर्देशों" के पैराग्राफ 3 के अन्तर्गत निर्देश जारी किए (31 दिसम्बर 2003) ताकि निम्न कार्रवाही प्रांरभ की जा सके:

(क) जाली/जालसाजी के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत स्थानीय पुलिस को शिकायत करना

(ख) फर्म को डीईएल में रखने की कार्रवाई के बाद जांच/अधिनिर्णय के लिए प्रवर्तन डिविजन को फाइल अन्तरित करना

(ग) फर्म के आईई कोड का स्थगन और

(घ) कार्यालय प्रमुख द्वारा मामले की जांच और मुख्यालय को 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना कि इस जालसाजी में किसी अधिकारी के सहयोग हेतु मिलीभगत शामिल है।

मै. सेनबो इंजीनियरिंग लि. कोलकाता को 2008-09 और 2009-10 के दौरान मै. दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) को परियोजना प्राधिकारी प्रमाणपत्र और श्री एस.एस. पदमानावन, मुख्य अभियन्ता द्वारा परियोजना प्राधिकारी (अर्थात डीएमआरसी) की ओर से जारी/हस्ताक्षरित भुगतान के प्रमाणपत्र के आधार पर की गई आपूर्तियों के लिए कई मामलों में अपर डीजीएफटी, कोलकाता द्वारा टीईडी के प्रतिदाय की संस्वीकृत की गई थी। तथापि, डीजीएफटी कार्यालय द्वारा दस्तावेज के अनुवर्ती सत्यापन से पता चला कि आवेदक द्वारा दावा किए गए टीईडी का प्रतिदाय की जाली और नकली दस्तावेजों के आधार पर किया गया था क्योंकि मैं डीएमआरसी ने पुष्टि की कि परियोजना प्राधिकार प्रमाणपत्र और भुगतान का प्रमाणपत्र उसके द्वारा जारी नहीं किया गया था और श्री एस पदमानावन कभी भी मै. डीएमआरसी में नियुक्त नहीं हुआ था। तदनुसार, डीजीएफटी, कोलकाता ने 10 मामलों में आवेदक को कारण बताओ नोटिस इन निर्देशों के साथ जारी किया कि जालसाजी से लाभ लेने के लिए 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्रदत्त टीईडी की राशि की वापसी की जाए। "डीनाइड एनटीटीज लिस्ट के अनुरक्षण हेतु दिशानिर्देशों" के पैराग्राफ 3 के अनुरूप कार्रवाई अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं थी।

तथापि, आगे संवीक्षा से पता चला कि अन्य आठ मामलों के संबंध में ₹ 4.43 करोड़ की राशि के टीईडी का प्रतिदाय, दावे जो उसी व्यक्ति (श्री एस. पदमनावन, मुख्य अभियन्ता, जैसा ऊपर उल्लिखित है) द्वारा हस्ताक्षरित समान दस्तावेजों द्वारा संलग्न थे, न तो कोई एससीएन/मांग नोटिस जारी किए गए थे और न ही विदेश व्यापार (विनियम) नियमावली, 1993 के नियंम 7 में परिकल्पित कोई कार्रवाई की गई थी और' फर्म के विरद्ध दिनांक

31 दिसम्बर 2003 की डीजीएफटी निर्देश/दिशानिर्देश प्रारंभ किए गए। फर्म को 10 अक्तूबर 2014 को डीईएल पर रखा गया था।

ध्यान दिलाए जाने पर (मई 2014/जुलाई 2015) डीजीएफटी, नई दिल्ली, वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि मै. सेनबो इंजीनियरिंग लि. से एक मामले में ₹ 19.33 लाख की वसूली के अलावा (जून 2014) अन्य नौ मामलों में आर्डर-इन ओरिजिनल जारी किया गया है (जून 2015)। बाकी के नौ मामलों में फर्म को उनके ब्याज और शुल्क के प्रतिदाय के निवेदन के अनुसार 30 सितम्बर 2015 तक का समय दिया गया है। तथापि, आईपीसी के अन्तर्गत प्रारंभ की गई कार्रवाई या ऐसे जाली दावों से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जांच करने के बारे में उत्तर मौन है।

तथ्य यह रह जाता है कि न तो विभाग ने प्रासंगिक कानून के तहत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की या धोखाधडी जारी रखने में अधिकारियों की मिलीभगत, यदि कोई हो तो का पता लगाने के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के तहत यथा अपेक्षित जांच की। इसके कारण राजकोष को हानि हो सकती है और भविष्य में ऐसे मामलों के घटने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

सीमाशुल्क लागत वसूली प्रभारों की वसूली न होना

4.2 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 1 अप्रैल 1991 के पत्र सं. ए 11018/9/91 प्रशा. IV द्वारा लागत वसूली आधार पर सृजित पदों के संबंध में लागत की वसूली मासिक औसत लागत जमा डीए, सीसीए, एचआरए और परिवहन भत्ते इत्यादि की अग्रिम में 1.85 गुणा की समान दर पर वसूली के निर्देश दिए गए थे।

इसके अलावा, दिनांक 17 अक्तूबर 1997 के सीबीईसी परिपत्र सं. 52/1997-सी.शु में प्रावधान किया जाता है कि सीमा शुल्क कमिश्नर उक्त संरचना में वास्तव में तैनात स्टाफ की संख्या के लिए अग्रिम लागत वसूली प्रभारों के जमा को स्वीकार करेगा। स्टाफ के लिए तीन महीनों के लिए अग्रिम जमा हो सकती है।

आईसीडी दादरी और सीमा शुल्क कमिश्नरी नोएडा के अन्तर्गत लोनी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता लगा कि दो कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों के संरक्षकों (सीएफएस) अर्थात सीएमए सीजीएम, लोजिस्टिक पार्क और आईसीडी दादरी में आल कार्गो लोजिस्टिक पार्क लि. और आईसीडी, लोनी के संरक्षक ने क्रमशः अप्रैल 2013 से मार्च 2015 की अवधि के लिए ₹ 3.35 करोड़ और अप्रैल 2012 से मार्च 2015 के लिए ₹ 4.02 करोड़ के लागत वसूली प्रभारों का भुगतान सीमा शुल्क को नहीं किया गया था। तथापि विभाग ने संरक्षकों से देयों के संग्रहण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इस पर ध्यान दिलाए जाने पर (जून 2014 से अप्रैल 2015) विभाग ने कहा (मार्च/मई 2015) कि सभी तीन संरक्षकों के अनुरोध दिनांक 12 सितम्बर 2015 की एफ सं. 434/17/2004-सीशु iv के सीबीईसी निर्देशों के तहत छूट के लिए सीबीईसी के पास लम्बित हैं और अतः वह विभाग को लागत वसूली प्रभारों का भुगतान नहीं कर रहे थे। यद्यपि, उन्हें नियमित रूप से लागत वसूली प्रभारों को जमा करने को कहा जा रहा है। आईसीडी दादरी के मामले में, यह भी बताया गया है कि राजस्व की सुरक्षा के लिए, दोनों संरक्षकों ने वचनबद्धता प्रस्तुत की है कि लागत वसूली प्रभारों के सभी बकाया का अधित्याग तिथि तक उनके द्वारा भुगतान किया जाएगा।

दिनांक 12 सितम्बर 2005 की एफ सं. 434/17/2004-सी.शु iv के पैराग्राफ के दृष्टिगत विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि लागत वसूली प्रभारों का अधित्याग प्रत्याशित होगा जिसमें पिछली अवधि के लिए कोई दावा नहीं होगा। इसके अलावा, परिपत्र सं. 52/1997-सी.शु अनुबंध करता है कि स्टाफ के लिए तीन महीने का अग्रिम जमा किया जाना चाहिए। अतः वचनबद्धताओं के आधार पर देयों को जमा करने में संरक्षकों के शिथलन के लिए कोई सांविधिक प्रावधान नहीं है।

सहायक कमिश्नर, नौयडा सीमाशुल्क कमिश्नरी ने सूचित किया (अक्टूबर 2015) कि मैसर्स सीएमए सीजीएम लोजिस्टिक पार्क और मैसर्स आल कार्गोलोजिस्टिक पार्क लिमिटेड ने 2013-14 की अवधि के लिए क्रमश: ₹ 50 लाख और ₹ 29 लाख का भुगतान किया था।

शेष अवधि के लिए लागत वसूली प्रभार अभिरक्षकों से वसूली योग्य हैं।

मंत्रालय को मामला जुलाई 2015 में भेजा गया था उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

एमओटी दरों का संशोधन न करने के कारण सीमाशुल्क पर्यवेक्षण प्रभारों की कम वसूली

4.3 मर्चेंट ओवरटाइम (एमओटी) प्रभारों में 5$^{वें}$ वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 3 से 3.5 गुणा वृद्धि के परिणामस्वरूप 1968 के विनियमों में निर्धारित मौजूदा दरों के संशोधन द्वारा अक्तूबर 1998 से 100 प्रतिशत से अधिक तक वृद्धि हुई थी।

अगस्त 2008 में 6$^{वें}$ वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद 5वें वेतन आयोग में निर्धारित वेतन की तुलना में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में दोबारा 2.42 से 3.23 गुणा तक वृद्धि हुई थी। तथापि, बोर्ड द्वारा अभी तक एमओटी दरों का तदनुरूपी संशोधन नहीं किया गया और तदनुसार एमओटी प्रभार अभी भी सितम्बर 1998 में निर्धारित दरों पर लगाए जाते हैं। बोर्ड ने वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनमानों के संशोधन के उपरान्त एमओटी दरों के आवधिक संशोधन पर विचार नहीं किया।

कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के अन्तर्गत अपर कमिश्नर सीमा शुल्क, मिनी कस्टम हाउस, हल्दिया के कार्यालय में एमओटी संग्रहण अभिलेखों की संवीक्षा से एमओटी फीस का संशोधन न होने के कारण अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान ₹ 712.07 लाख तक के सीमा शुल्क पर्यवेक्षण प्रभारों की कम वसूली का पता चला।

जब हमने इस पर ध्यान दिलाया (अक्तूबर 2014) सहायक कमिश्नर, सीमाशुल्क मिनी कस्टम हाउस, हल्दिया ने कहा (जनवरी 2015) कि एमओटी फीस के संशोधन के संबंध में अभी उच्च प्राधिकारी से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए है।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीईसी ने 2014 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 12 (लेखापरीक्षा पैरा सं. 4.6 डीएपी ए102/2012-13) में उदभूत लेखापरीक्षा आपत्ति के लिए अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी में कहा (जुलाई 2015) कि एमओटी प्रभारों के संशोधन का मामला विचाराधीन है।

तथ्य यह रह जाता है कि एमओटी प्रभारों के संशोधन पर अनिर्णय के कारण कम दर पर वसूली हो रही है।

मंत्रालय को मामला सितम्बर 2015 में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

नियमों और अधिसूचना में अपर्याप्त संशोधन के परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना

4.4 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (टीआरयू-1) ने दिनांक 28 फरवरी 2011 (बजट के दिन जारी) के अपने डीओ पत्र के क्रम सं. 4.3 (बी) के साथ पठित क्रम सं. 4.1 के द्वारा लगभग 130 प्रविष्टियों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट वापिस ली, जैसा कि दिनांक 1 मार्च 2011 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 1/2011-सीई में समाविष्ट है और इन मदों पर 1 प्रतिशत (मार्च 2012 में बाद में संशोधित कर 2 प्रतिशत) का नाममात्र का शुल्क इस शर्त के साथ प्रारंभ किया कि ऐसी मदों पर प्रदत्त शुल्क का कोई क्रेडिट इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा और इनपुट सेवाओं को लिया जाएगा। तदनुसार 1 प्रतिशत योजना के कार्यान्वयन के लिए एक परन्तुक 1 मार्च 2011 को सेनवेट नियमावली 2004 के नियम 3 (1) (i) के नीचे शामिल किया गया था जिसमें ऐसे माल पर सेनवेट क्रेडिट अननुमत किया गया था। टैरिफ शीर्ष सीटीएच 2701 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय 'कोयला' उपरोक्त अधिसूचना सं. 1/2011-सीई (अधिसूचना की क्रंम सं. 28) द्वारा अननुमत सेनवेट क्रेडिट की 130 मदों में से एक होने के नाते भी सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र नहीं था।

तत्पश्चात, 'कोयला' दिनांक 17 मार्च 2012 (यथा संशोधित) की अधिसूचना सं. 12/2012-सीई (क्रम सं. 67) के अन्तर्गत 2 प्रतिशत की दर पर उत्पाद शुल्क की रियायती दर पर इस शर्त के साथ उद्ग्राह्य था कि इनपुटों या इस माल के विनिर्माण में प्रयुक्त (शर्त सं 25) इनपुट सेवाओं के संबंध में कोई सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया गया है।

कोयले का आयात दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 सी.शु (क्रम सं. 123) के अन्तर्गत 2 प्रतिशत के शुल्क की दर पर प्रतिकारी शुल्क (जो उत्पाद शुल्क के बराबर है) अनुमत है। तथापि, सीमा शुल्क अधिसूचना

सं. 12/2012-सीशु में सेनवेट क्रेडिट का लाभ न लेने की शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था जबकि यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 12/2012-सीई की शर्त सं. 25 में विशिष्ट रूप से उल्लिखित था। यह दोनों अधिसूचनाएं (12/1012-सीई और 12/2012-सी.शु) मार्च 2012 में जारी की गई थी। इस अपर्याप्त संशोधन का प्रभाव यह था कि एक निर्माता को घरेलू बाजार से अधिप्राप्त 'कोयले' पर प्रदत्त शुल्क के सेनवेट क्रेडिट के लाभ की हकदारी नहीं थी किन्तु गलती से आयातित 'कोयले' पर लाभ लेने का हकदार था। सीमाशुल्क अधिसूचना में कमी का विनिर्माताओं द्वारा अनुचित लाभ उठाया जा रहा है जैसा नीचे वर्णित हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, रेंज-II, डिविजन- II बडोदरा-I के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले मैं. श्री लोनसेन कीरी केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि. (100 प्रतिशत ईओयू) ने मैं अदानी एंटरप्राइजेस लि. दाहेज द्वारा आयातित 22.30 एमटी "गैर कोकिंग कोयले" की खरीद की (अक्तूबर 2013 से मार्च 2014) और आपूर्तिकर्त्ता (मैं. अदानी एंटरप्राइसेस लि.) द्वारा प्रभारित 2 प्रतिशत की दर पर उत्पाद शुल्क के ₹ 7.18 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया। इसके परिणामस्वरूप, सेनवेट क्रेडिट नियमावली और सीमा शुल्क अधिसूचना में अपर्याप्त संशोधन के कारण ₹ 7.18 लाख के सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लिया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2014), अधीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ने बताया (मई 2014) कि लेखापरीक्षिती सत्व ने गलत तरीके से लिए गए सेनवेट क्रेडिट की राशि को वापिस कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, जांच में पता चला कि मै. अदानी एटंरप्राइसेस लि. ने 17 मार्च 2015 से 31 मार्च 2015 की अवधि के दौरान आयातित कोयले पर ₹ 235.50 लाख की राशि का सेनवेट क्रेडिट (डीलर/आयातक होने की वजह से सेनवेट क्रेडिट के लाभ का दावा नहींकर सके) अपने ग्राहकों को पास किया था जिसमें विभिन्न विनिर्माता/ दूसरे स्तर के डीलर शामिल थे। तदनुसार, यह विनिर्माता/दूसरे स्तर के डीलर सेनवेट क्रेडिट का लाभ सीमाशुल्क अधिसूचना में कमी के कारण ले रहे थे।

बोर्ड राजस्व की रक्षा कर सकता है यदि वह सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के अनुरूप सीमा शुल्क अधिसूचना के सुधारात्मक संशोधन पर विचार करे ताकि 'आयातित कोयले' पर सेनवेट क्रेडिट के लाभ के साथ-साथ घरेलू बाजार से की गई अधिप्राप्ति प्रशासित हो सके।

मंत्रालय उचित कार्रवाई हेतु सभी ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकता है।

मंत्रालय को मामला अक्तूबर 2015 में बताया गया था उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

लागू एंटी डम्पिंग शुल्क लगाए बिना या कम लगाकर आयात की मंजूरी

4.5 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9ए के अनुसार, जब कोई वस्तु किसी देश से भारत में उसकी सामान्य कीमत से कम पर निर्यात की जाती है तो भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा एंटी डम्पिंग शुल्क लगा सकती है। तदनुसार समय समय पर 'फ्लोट ग्लास", फोसफोरिक एसिड, और पोलीप्रोपाइलीन जैसे माल पर एंटी डम्पिंग शुल्क लगाया गया था जब यह इंडोनेशिया, कोरिया आर पी, ताईवान और सिंगापुर जैस विशिष्ट देशों से आयात की जाती थी।

हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने मैं. आशी इंडिया लि. और 10 अन्यों इन विशिष्ट देशों से ऐसे आयातित माल के 22 परेषणों पर ₹ 90.06 लाख का लागू एंटी डम्पिंग शुल्क लगाए बिना या कम लगा कर मंजूरी दी।

मै. आशी इंडिया लि. द्वारा 'फ्लोट ग्लास" के आयात के संबंध में आईसीडी, रेवाडी प्राधिकारियों ने कहा (सितम्बर 2013/जून 2014) कि जांच रिपोर्ट के अनुसार आयात किया गया माल टिंटड प्रकार (लाइटग्रीन) का फलोट ग्लास था। तदनुसार, आयातित माल पर कोई एंटी डम्पिंग शुल्क उद्ग्राह्य नहीं था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट वर्ष 2011 में आयातित माल से संबंधित थी। जबकि आपत्ति किया गया माल 2012 में आयात किया गया था। विनिर्माता ने मूल प्रमाणपत्र और लैंडिग के बिल में माल को टिंटड प्रकार के फ्लोट ग्लास के रूप में वर्णित किया था किन्तु आयाक ने एंटी डम्पिंग शुल्क से बचने के लिए उसे प्रविष्टि बिल में उसका हल्के हरे फ्लोट ग्लास के रूप में उल्लेख किया था। अतः इंडोनेशिया से

आयातित माल टिंटड प्रकार का फ्लोट ग्लास है जिस पर एंटी डम्पिंग शुल्क उद्ग्राह्य था। तथापि, विभाग ने एक सुरक्षात्मक मांग उठाई (जून 2014)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)

जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई से 10 आयातकों द्वारा किए गए आयात के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है। (जनवरी 2016)

लागू सुरक्षा शुल्क लगाए बिना आयात की मंजूरी

4.6 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8बी के अनुसार जहां ऐसी बडी मात्रा में भारत में किसी माल का आयात किया जाता है और ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत कि वे घरेलू उद्योग को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते है, तो केन्द्र सरकार, एक अधिसूचना द्वारा उस वस्तु पर सुरक्षा शुल्क लगा सकती है। तदनुसार, सुरक्षा शुल्क समय समय पर टयूबों, पाइपों और होलो प्रोफाइलों, आयरन के सीमलैस, एलाय या गैर एलाय स्टील (सीटीएच 7304), डीसी 1 एलकोहोल (इकोरोल 10/98) और 'माईरिस्टिक/माइरिस्टी 1 सेचुरेटड फैट्टी एलकोहोल (सीटीएच 290517/382370) जैसी वस्तुओं पर लगाया गया था जब इन्हें विशिष्ट देशों जैसे चीन, इंडोनेशिया और डेनमार्क से आयात किया गया था।

मै. योगेश हाइड्रोलिक्स प्रा. लि. और 12 अन्यों द्वारा इन विशिष्ट देशों से ऐसे आयातित माल के बीस परेषणों को ₹ 80.49 लाख का लागू सुरक्षा शुल्क लगाए बिना मंजूरी दी गई थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015/जनवरी 2016) में पाँच आयतको (मैसर्स नियोजेन केमिकल्स लि. मैसर्स क्वेन्ट केम, मैसर्स सीजेन्ट केमिकल कारपोरेशन प्राइवेट लि., मैसर्स सूफी ट्रेडर्स एवं मैसर्स एस्टीम इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि.) को माँग एवं कारण बताओ नोटिस जारी किए थे और मैसर्स पुष्प सन्स फिवरोल प्राइवेट लि. से ₹ 7.34 लाख की वसूली सूचित की। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

आरएसपी के गलत वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्कों का कम उद्ग्रहण

4.7 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत उद्ग्राहय उत्पाद शुल्क (सीवीडी) के बराबर सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क की गणना सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 (1) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अन्तर्गत प्रभार्य सीमा शुल्क के अन्तर्गत निर्धारित आयातित वस्तु के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में की जाती है। लीगल मेट्रोलोजी अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक आयातित वस्तु को उसके पैकेज पर ऐसी वस्तु की खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) घोषित करना अपेक्षित है, आयातित वस्तु का मूल्य छूट की राशि को कम करके आयातित वस्तु पर घोषित आरएसपी मानी जाएगी।

जहां उचित संदेह है कि घोषित मूल्य लेनदेन मूल्य को नहीं दर्शाता, वहॉ घोषित मूल्य को सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) के नियम 12 के अन्तर्गत उचित अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है और मूल्य का निर्धारण नियम 4 से 9 के अनुसार क्रमिक रूप से कार्रवाई द्वारा किया जाता है।

मै लेनोवो इंडिया प्रा.लि. और चार अन्य ने चेन्नई समुद्र और वायु कमिश्नरियों के माध्यम से 'लेपटाप कम्पयूटर एलसीडी मानीटर और साफ्टवेयर' के 21 परेषण आयात किये (मई से नवम्बर 2011) । माल का निर्धारण आरएसपी के घोषित मूल्य पर प्रतिकारी शुल्क जो उत्पाद शुल्क के बराबर है जिसमें दिनांक 24 दिसम्बर 2008 की अधिसूचना सं. 49/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) में विनिष्दिट लागू छूट अनुमत करते हुए किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि घोषित आरएसपी माल की आयातित लागत से काफी कम थी जिसके परिणामस्वरूप आरएसपी की गलत घोषणा हुई। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने घोषित मूल्य (आरएसपी) को अस्वीकार नहीं किया और सीवीडी के उद्ग्राहय के लिए सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य के निर्धारण) नियमावली, 2007 के अनुसार मूल्य के निर्धारण की विधि का भी अनुसरण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, आईसीईएस 1.5 मॉड्यूल में

इन बिल्ड प्रणाली भी ऐसी गलत घोषणा का पता लगाने और उचित कार्रवाई करने में विफल रही। अतः आयातित माल के मूल्य के निर्धारण में नियमों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 54.10 लाख की राशि के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस बारे में बताए जाने पर (मार्च 2012) विभाग ने कहा (जून 2012) कि एक आयातक मै॰ सेमसंग इंडिया इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड ने ₹ 0.06 लाख के ब्याज़ सहित ₹ 0.87 लाख के शुल्क का भुगतान किया गया था (मई 2012)। अन्य आयातकों के संबंध में उत्तर प्रातीक्षित है (जनवरी 2016)।

विदेशी शराब का आयात

4.8 सीमा शुल्क टैरिफ़ के अध्याय 22 के अन्तर्गत विदेशी शराब को भारत के विभिन्न सीमा शुल्क पोर्टों के माध्यम से विभिन्न देशों से आयात किया जा रहा है और वेयरहाउसिंग प्रविष्टि बिल (बीईज अथवा इन्टू-बोन्ड बीईज) फाईल करने वाले आयात बंदरगाहों पर भंडारण किया जा रहा है और निर्धारित शुल्क हेतु बांड/बीजी दिया जा रहा है। तब आयातक ट्रांस शिपमेंट बॉन्ड बीजी के कार्यान्वयन के अंतर्गत अन्य गंतव्य तक भंडारित वस्तुओं का ट्रांसशिपमेंट करना चाहते हैं। माल को 'शुल्क मुक्त माल के एक्स बांड के निर्यात हेतु शिपिंग बिल' और माल के विवरण, मात्रा, मूल्य और माल पर शुल्क के ब्यौरे देते हुए अनुबंध 3 (एक वेयरहाउस से दूसरे पोर्ट तक माल के स्थानांतरण हेतु आवेदन) के रूप में दस्तावेज़ सहित हस्तांतरण बॉन्ड के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है। तथापि, इनटू-बॉन्ड, बी/ईज़, बीजकों इत्यादि की कोई प्रतियां हस्तांतरित माल के लिए नहीं भेजी गई। गंतव्य पोर्ट पर हस्तांतरित माल के प्राप्त और पुनः वेयरहाउस होने के बाद संरक्षक (गंतव्य पोर्ट), मूल वेयरहाउस (सीमाशुल्क) को पुनः वेयरहाउसिंग प्रमाणपत्र (आरडब्लूसी) जारी करता है, जो अब तक बॉन्ड/बीजी को रद्द करता है।

समुद्री सीमा शुल्क, चेन्नई, कोच्ची, आईसीडी, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट मुंबई और एसीसी बेंगलुरु, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता पर शुल्क मुक्त दुकानों पर की अवधि के लिए शुल्क मुक्त आयात 15-2014 से 13-2012 के साथ की शुल्क के भुगतान पर शराब के आयात की प्रणाली की तुलना,

मूल्य जिस पर शुल्क मुक्त दुकानों द्वारा शराब बेची जाती है, पुन " वेयरहाउसिंग की प्रणाली, माल के ट्रान्सशिपमेंट के कम्प्यूटरीकरण की सीमा इत्यादि का अध्ययन किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे सोदाहरण दिये गए हैं।

लेखाकरण में आयातित शराब का आधिक्य/कमी

4.8.1(i) शुल्क मुक्त दुकान पर एयरपोर्ट और एयर कार्गो कमिश्नरी बैंगलुरु द्वारा प्रस्तुत डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा और विश्लेषण से पता चला कि विभिन्न ब्राण्डों 199 मदों के संबंध में शराब की 25322 यूनिटों का आधिक्य था। इसी प्रकार, विभिन्न ब्राण्डों की 161121 मदों के संबंध में 307 यूनिटों की कमी थी। यूनिटों की कमी का छोड़ा गया ₹ 23.82 करोड़ का शुल्क ब्याज सहित वसूली योग्य है।

4.8.1 (ii) इसी प्रकार चेन्नई समुद्री पोर्ट में माल के आगमन पर उन्हें सीमा शुल्क ईडीआई पर वेयरहाउस प्रविष्टि के बिल के रूप में निर्धारित किया गया था और उन्हें सीधा वीरूगमबकम, चेन्नई में कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएल) मे ले जाया गया था। वहॉ माल को उतारा गया और प्रविष्टि के बिल के लिए बांडेड परेषण में में प्राप्त किये गए थे। आयातकों के लिए जब भी भण्डार की आवश्यकता हुई {(भारतीय पर्यटन विकास निगम) (आईटीडीसी) और यूनाइटेड डयूटी फ्री रीटेल दुकान (यूडीएफआरएस)} माल को सीमा शुल्क हाउसेस के माध्यम से पीसी मल में एक्स बांन्डड किया जाता था जिसे या तो शुल्क मुक्त दुकान या राज्य में अन्य स्थानों को हस्तांतरित किया गया जहां इन फर्मों की शाखाएं हैं। माल की एक्स बॉडिंग के लिए, दो मैनुअल रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाता है अर्थात व (क) वेयरहाउस ब्रांडेड रजिस्टर और (ख) समुद्री सीमा शुल्क, चेन्नई में ट्रांसशिपमेंट बॉन्ड रजिस्टर।

ब्रांडेड वेयरहाउस रजिस्टर में एक्स ब्रांडड और जारी या शुल्क मुक्त दुकान या अन्य शाखाओं को हस्तांतरित शराब के बिल का प्रविष्टि-वार विवरण होता है। शराब के हर वर्ग के लिए प्राप्ति, जारी और शेष इस रजिस्टर में दर्ज होतें हैं। ट्रांसशिपमेंट बॉन्ड रजिस्टर में माल का) कुल मात्रा-मिश्रित शराब (का 'स्थानांतरण' का ब्यौरा दर्ज होता है जिसमें प्रविष्टियों को बहुल बिलों से ली

गई शराब की विभिन्न मात्रा/वर्ग की कुल संख्या होती है। बांडेड वेयरहाउस रजिस्टर में जारी शराब के प्रत्येक वर्ग के लिए कोंट्रा डेबिट पोस्टिंग की जाती है।

सिद्धान्ततः ट्रांज़िट बॉन्ड रजिस्टर (टीबीआर) के साथ ट्रांज़िट बॉन्ड संख्या (टीबीसं) में दर्ज कुल हस्तांतरित और रिकॉर्ड की गई मात्रा एक दी गई तिथि पर विभिन्न प्रविष्टि के बिल/बॉन्ड से ली गई मिश्रित मात्रा के साथ मेल खानी चाहिए। उपरोक्त रजिस्टरों में उपलब्ध विवरण की तुलना से पता चला कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 की अवधि के दौरान 6215 संख्या की सीमा तक मात्रा में अंतर था जो माल की कमी का प्रतिनिधित्व करता है। माल की कमी के लिए न्यूनतम मूल्य ₹ 37.29 लाख निकला और उस पर शुल्क/अतिरिक्त शुल्क ₹ 40.27 लाख निकला (100 प्रतिशत आयात शुल्क पर परिकलित) जो कुल ₹ 77.56 लाख था।

शराब का कम मूल्यांकन

4.8.2 (i) यूनाइटेड ड्यूटी फ्री रीटेल शॉप (यूडीएफआरएस)और आईटीडीसी (भारत सरकार का उएक उपक्रम) ने इस प्रबंधन के साथ विदेशी शराब (शुल्क मुक्त) का आयात किया कि यह आयातित शराब उनके नियंत्रण के अंतर्गत चल रहीं शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम से बेची जानी थीं। उन आयातकों जिन्होंने शुल्क के भुगतान (विस्तृत विवरण आईसीईएस 1.5 ट्रांसेक्शनल डॉटा से प्राप्त किया गया) के बाद माल की निकासी की थी और दर जिसपर वही शराब आईटीडीसी (शुल्क मुक्त दुकान) द्वारा आयात की गई थी के बीच दरों की तुलना से पता चला कि 2012-13 के दौरान 30 मामलों में (जहां अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक है) वहां शुल्क के भुगतान पर निकासी की गई शराब पर ₹ 26.15 लाख की सीमा तक अवमूल्यांकन हुआ था और इस पर शुल्क/अतिरिक्त शुल्क (4 प्रतिशत) पर ₹41.84 लाख निकाला गया था जिसका कुल ₹ 67.99 लाख था। लेखापरीक्षा को महानिदेशक मूल्यांकन (डीजीओवी) द्वारा कोई मूल्य दिशानिर्देश प्रस्तुत नहीं किए गए।

4.8.2 (ii) इसके अलावा मुम्बई किमश्नरी के अन्तर्गत मै. परनोड रीकार्ड इंडिया प्रा. लि., मै डीयागियो इंडिया प्रा.लि., मै. बकार्डी इंडिया प्रा.लि.,

यूनाइटेड स्पिटिट्स लिमिटेड ने अपनी संबंधित पार्टियों से नामतः क्रमशः मै. परनोड रीकार्ड गल्फ, मै. डीयागियो ब्रांडस बीवी, मै. ट्राडल एस.ए., मै. वाइट एंड मैके लिमिटेड से आयात किया था। आयातक और निर्यातक के बीच व्यवसायिक हित और आर्म लेंथ लेन देन की कमी के हष्टिगत उन संबंधित पार्टियों द्वारा घोषित संव्यवहार मूल्यों की पुनरीक्षा सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य के निर्धारण) के नियम 3 द्वारा की जा सकती है। इन आयातकों द्वारा संबंधित पार्टियों से आयात में शामिल कर अवमूल्यांकन ₹ 4.84 करोड़ था।

4.8.2 (iii) मुम्बई कमिश्नरी के माध्यम से असंबद्ध पार्टी के मामले में किए गए कुछ आयात भी मै. डीएफएस इंडिया प्रा.लि कि आयात की कीमतों की तुलना में कम मूल्य पर थे। मै. डीएफएस इंडिया प्रा. लि और असबंद्ध आयातों की तुलना में नमूना जांच की गई बीईज में ₹ 1.08 करोड़ का अवमूल्यांकन था।.

कुल कम मूल्यांकन ₹ 5.92 (4.84 +1.08) करोड़ था जिसमें ₹ 9.47 करोड़ का शुल्क शामिल था।

4.8.2 (iv) कोच्ची कमिश्नरी में 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए आयात डाटा की संवीक्षा से पता चला कि जुलाई 2014 में मै. एम एण्ड बी एसोसिएटस ने मै. पीटर जस्टीसेन कम्पनी से जोन बार स्काच विस्की (40%) का आयात किया; माल का निर्धारण ₹ 268 प्रति यूनिट की दर पर किया गया। जबकि मै. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी जुलाई 2014 के दौरान समान विक्रेता से समान ब्रांड की विस्की का आयात किया और विभाग द्वारा माल का निर्धारण ₹ 361 प्रति यूनिट की दर पर किया गया। मै. एम एण्ड बी ऐसोसिएटस द्वारा आयात माल का निर्धारण मै. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा घोषित मूल्य की तुलना में ₹ 93 प्रति यूनिट तक की सीमा तक कम मूल्यांकन किया गया। मै. एम एण्ड बी एसोसिएटस द्वारा माल के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप 1200 यूनिटों के सबंध में ₹ 1.98 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ।

पुनः वेयरहाउसिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफलता

4.8.3 (i) एयर इंडिया लिमिटेड ने समुद्र सीमाशुल्क, चेन्नई के माध्यम से सिंगापुर से 'टाइगर बीयर' के 2250 कारटन का आयात वेयरहाउस बीई (दिनांक 23 मार्च 2013 सं. 9654940) द्वारा ₹ 10.13 लाख के मूल्य पर किया था। माल की निकासी 01 अप्रैल 2013 को शुल्क का भुगतान किए बिना की गई थी। उसी माल को 28 मार्च 2013 को ट्रांसशिपमेन्ट बांड सं. 328 (दिनांक 28.03.2015 बाडं सं. 2000445235) द्वारा एयरपोर्ट चेन्नई में स्थिति दूसरे वेयरहाउस को हस्तांतरित किया गया था। ट्रांसशियमेंट बांड रजिस्टर की संवीक्षा से पता चला कि माल जहां भेजा गया था वहां के प्राधिकारी से पुनः वेयरहाउसिंग प्रमाणपत्र के अभाव में ट्रासंशिपमेंट बांड लम्बित पडे रहे। चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए माल के लिए पुनः वेयरहाउसिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने या मै. एयर इंडिया द्वारा शुल्क मुक्त आयातित शराब पर लागू ब्याज सहित ₹ 10.14 लाख का आयात शुल्क वसूली (अक्तूबर 2015) के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

4.8.3 (ii) प्रविष्टि लेन देनों के वेयरहाउस बिल का आंशिक कम्पयूटरीकरण

ईडीआई सिस्टम के माध्यम से बांडिंग के साथ प्रविष्टि के वेयरहाउस बिल की प्रारंभिक फाइलिंग के बाद, अनुवर्ती प्रक्रियाएं जैसे सीमाशुल्क हाउस प्राधिकारियों के माध्यम से थोडी थोडी मात्रा में माल की एक्स बांडिंग और वही शुल्क मुक्त दुकान को जारी करना या उसे राज्य में अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करना जहां इन फर्मों की शाखाएं है को केवल मैनुअल रजिस्टरों (वेयरहाउस बाडंड रजिस्टर और ट्रांसिट बांड रजिस्टर) में प्रविष्टियों के माध्यम से ले जाया जाता था। विभाग द्वारा माल के ट्रांसशिपमेंट के कम्पयूटरीकरण और उसे ईडीआई सिस्टम के भाग के रूप में बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। एक्स बांड बीईज की मैनुअल फाइलिंग इसलिए अनुमत की गई थी क्योंकि इन्टू-बांड बीई आरई में वास्तव में फाइल ईडीआई के साथ लिकिंग ईडीआई सिस्टम में उन मामलों में संभव नहीं थी जहां निकासी एक विभिन्न ईडीआई पोर्ट से की गई थी। अतः प्रविष्टि के वेयरहाउस बिल के कम्पयूटरीकरण के लिए व्यवसायिक मैपिंग अधूरी है। लेखापरीक्षा के दौरान एनसीएच दिल्ली ने पुष्टि की कि हाथ से 'भरी एक्स बांड बीईज' के साथ

तदनुरूपी आईसीईएस सिस्टम में इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल की गई 'इनटू बाडं बीईज' के बीच कोई मेल नहीं था।

शुल्क मुक्त दुकान में बिक्री

4.8.4 बैंगलोर, चैन्नई और कोलकाता में शुल्क मुक्त दुकानों द्वारा विदेशी शराब का अधिप्राप्ति मूल्य और उनके बिक्री मूल्य की तुलना की गई थी।

संवीक्षा से पता चला कि माल का आयात मूल्य और डीएफएस एयरपोर्ट और एयर कार्गो कमिश्नरी, बैंगलोर (2012-13 से 2014-15) द्वारा उस माल की बिक्री के मूल्य आयात मूल्य से 2.5 प्रतिशत से 873 प्रतिशत तक भिन्न थे। चेन्नई समुद्री कमिश्नरी के अन्तर्गत यूनाइटेड डयूटी फ्री रीटेल शाप (यूडीएफआरएस) ने 18 विभिन्न शराब की मदों को उनकी लागत से औसत 200 प्रतिशत की सीमा तक अधिक में बेचा (जनवरी-फरवरी 2014) । चेन्नई समुद्री कमिश्नरी के अन्तर्गत इंडिया टूरिज्म डिवलेपमेंट कारपोरेशन (आईटीडीसी) ने 25 विभिन्न शराब मदों की बिक्री (दिसम्बर 2014) उनकी लागत से औसतन 239 प्रतिशत से अधिक में की। इसी प्रकार डीएफएस कोलकाता में बिक्री मूल्य अधिप्राप्ति मूल्य की तुलना में औसत 250 प्रतिशत तक अधिक पाए गए थे। मुम्बई में, यह पाया गया कि मैं. डीएफएस इंडिया लि. द्वारा उसके आयातों पर घोषित औसत मूल्य समान माल के अन्य आयातकों से 107 प्रतिशत अधिक था।

महानिदेशक मूल्याकंन, मुम्बई द्वारा निर्धारित विभिन्न वस्तुओं के लिए मूल्य के दिशानिर्देश डीजीओवी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थे और लेखापरीक्षा का आयात मूल्य के साथ बिक्री मूल्य की तुलना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा करने हेतु सीटीएच के अध्याय 22 से संबंधित लेनदेन डाटा महानिदेशक सिस्टम और डाटा प्रबन्धन (सिस्टम) द्वारा उपलब्ध नही करवाए गये थे।

हमारे विचार से माल के सही निर्धारण के लिए मौजूदा बाजार मूल्य (पीएमवी) जांच आयातित शराब की मदों के चयनित नमूनों पर की जा सकती है जहां आयात मूल्य और बिक्री मूल्य में काफी अन्तर था।

4.8.5 सारांश में, आयातित शराब के स्टाक के लेखाकरण की प्रणाली और मानीटरिंग संबंधित पार्टियों के लिए मूल्यांकन नियम का अनुप्रायोग, ट्रांसशिपमेंट बांड के अन्तर्गत जारी माल के लिए पुनः वेयरहाउसिंग प्रमाणपत्र, ईडीआई प्रणाली में प्रविष्टि के वेयरहाउस बिलों की आंशिक/अधूरा कम्पयूटरीकरण, डीएफएस द्वारा आयात मूल्य के साथ बिक्री मूल्य की तुलना विधि अपर्याप्त है। एक छोटे नमूना लेखापरीक्षा से औसतन 177 प्रतिशत (14-340 प्रतिशत के बीच) तक आयातित शराब का अधिमूल्यन, ₹ 6.66 करोड़ तक का कम मूल्यांकन, जिसमें ₹ 11.07 करोड़ का शुल्क शामिल था का पता चला। स्टाक 26617 यूनिटों तक अधिक पाया गया था और ₹ 5.67 करोड़ के मूल्य की 6288 यूनिटों तक के स्टाक की कमी थी।

सीबीईसी ने उजागर किए गए बिन्दुओं की जांच और उचित उपचारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2016)।

सीमा शुल्क कमिश्नरी की विशेष मूल्याकंन शाखा (एसवीबी) की कार्यप्रणाली

4.9 विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) एक ऐसा संस्थान है जो संबंधित पार्टियों और कुछ विशेष प्रकृति वाले लेनदेन जो आयात माल के मूल्य पर प्रभाव डालते हैं की जांच में विशेषज्ञ है। एसवीबी केवल पांच सीमाशुल्क हाउसिस (अर्थात) चेन्नई कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर और मुम्बई में स्थित है और इन सीमाशुल्क हाउसिस में किसी में भी एक विशेष मामले के संबंध में लिया गया निर्णय का सभी अन्य सीमाशुल्क हाउसिस/संरचनाओं द्वारा अनुसरण किया जाता है। विशेष जांच के लिए एसवीबी में पंजीकृत सभी मामलों को संबंधित कमिश्नर के विशिष्ट अनुमोदन के साथ होनी चाहिए।

सीबीईसी ने दिसम्बर 2012[32] डीजीओवी के कार्यालय को एसबीबी का कार्यकारी नियंत्रक प्रत्यायोजित किया ताकि एसवीबी में लम्बित मामलों का निकट से मानीटर, एसवीबी जांच प्रारंभ करने का अनुमोदन और जांच का पर्यवेक्षण किया जा सके। निर्धारणों की जांच और अन्तिम रूप देना एसवीबी[33] द्वारा जारी प्रश्नावली के उत्तर की तिथि से चार महीने के अन्दर पूरा किया जाना है। एसवीबी के साथ पंजीकृत मामलों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब भी उस

[32] दिनांक 7.12.2012 का परिपत्र सं. 29/2012 सी.शू.

[33] दिनांक 23.02.2001 का परिपत्र सं. 11/2001- सी.शु.

उद्देश्य को विफल करता है जिसके लिए एसवीबी स्थापित किया गया था और इससे विभाग में अनंतिम निर्धाण मामलों का संचय होता है जिससे सरकारी राजस्व के संग्रहण में विलम्ब होता है।

4.9.1 दिनांक 23.02.1001 के परिपत्र 11/2001 सीमा शुल्क के अनुसार, एसवीबी को 'संबंधित पार्टी' लेन देनों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के मामलों की जांच करना आवश्यक है:

i) 'रायल्टी या लाइसेंस शुल्क' के कारण किए गए अपेक्षित संवर्धन
ii) अनुवर्ती पुनः बिक्री या निपटान या विक्रेता को उपार्जित माल के उपयोग से मुनाफे के किसी भाग के मूल्य के कारण संवर्धन
iii) वास्तविक रूप से किए गए अन्य किसी भुगतान या आयातित माल की बिक्री की परिस्थिति के रूप में किए जाने वाले भुगतान के कारण संवर्धन।

इसके अतिरिक्त इस पर जोर दिया गया था कि मामलों को नियमित तौर पर आगे छानबीन हेतु एसवीबी को प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए था जब भी आयातक द्वारा मूल्य के संबंध में आरंभिक संवीक्षा किये बिना ही मूल्यॉकन नियमों के अनुसार सम्बन्ध घोषित किया गया है जो संबंध से प्रभावित हुआ है। एसवीबी ऐसे आयातक के मूल्यॉकन की छानबीन का प्रबन्ध करेगा।

4.9.2 प्रणाली तथा प्रक्रिया की दक्षता तथा प्रभावशीलता; अधिदेश की अनुपालना के बारे में एक आश्वासन प्राप्त करने के लिए बैंगलौर, कोलकाता एवं दिल्ली तथा चेन्नै में एसवीबी की लेखापरीक्षा की गई थी। निष्कर्षों का नीचे वर्णन किया गया है:-

डीजीओवी की लेखापरीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित अनियमितताऍं हैं जिनका समाधान किया जाना है।

- निर्धारण दलों तथा एसवीबी के डाटा के बीच अन्तर।
- ईडीडी का कम-गैर उदग्रहण।
- एसवीबी छानबीन पूरा होने के बावजूद निर्धारणों को अन्तिम रूप न दिया जाना।

- मूल्यॉकन रिपोर्ट की प्राप्ति लम्बित होने के साथ अनन्तिम निर्धारण को अन्तिम रूप न देना/विलम्ब होना।
- एसवीबी द्वारा निर्धारण की छानबीन पूरी होने तथा अन्तिम रूप देने में विलम्ब।

डीजीओवी ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि यद्यपि एसवीबीज को सुदृढ़ करने की इच्छा से एसवीबीज का कार्यकारी नियन्त्रण डीजीओवी को दिया गया था, तथापि बोर्ड से इस संबंध में किसी प्रशासनिक निर्देश के अभाव में यह केवल कागजी कार्यवाही रह गया था। यह देखा गया था कि यद्यपि सभी एसवीबीज ने त्रैमासिक आधार पर लम्बन की रिपोर्ट डीजीओवी को भेजी थी, फिर भी डीजीओवी ने ऐसी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की थी।

लेखापरीक्षा को उत्तर में, डीजीओवी ने आगे बताया कि लम्बन के मुद्दे पर संबंधित कमिश्नरियों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही थी तथा समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे थे। सभी एसवीबीज सीमा शुल्क कमिश्नरियों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत है तथा एसवीबीज में कार्य कर रहे अधिकारियों की तैनाती, छुट्टी, एपीएआर इत्यादि पर डीजीओवी का कोई नियंत्रण नहीं था। डीजीओवी ने यह भी बताया कि एसवीबीज में अधिकारियों की गंभीर कमी थी।

4.9.3 सीबीईसी परिपत्र के अनुसार संबंधित पार्टियों द्वारा आयात/निर्यात के मामले आयात/निर्यातों के मूल्यांकन के लिए एसवीबी को प्रेषित किये जाने हैं। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि संबंधित पार्टियों के बीच विदेशी शराब (मुम्बई कमिश्नरी) के आयात तथा स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के मामले थे जो एसवीबी को प्रेषित नहीं किये गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा ये मामले मंत्रालय को अलग से बताए गए हैं।

अगले पृष्ठ पर कुछ मामले दर्शाये गए हैं:

4.9.3 (i) मुम्बई कमिश्नरी के अन्तर्गत मै- प्रनोड रिकार्ड इण्डिया प्रा. लि., मै डियाजिओ इण्डिया प्रा.लि., मैं बकार्डी इण्डिया प्रा. लि., यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने अपनी संबंधित पार्टियों नामतः मै प्रनोड रिकार्ड गल्फ, मै. डियाजिओं ब्रान्डस बीवी, मै. ट्राडाल एस.ए., मै. वाईट एण्ड मैकी लिमिटेड से आयात किया था। आयातक तथा निर्यातक के बीच कारोबार हित के मद्देनजर

तथा संव्यवहारों के आर्म्स लेन्थ अभाव में, उन संबंधित पार्टियों द्वारा उदघोषित संव्यवहार मूल्यों की सीमा शुल्क मूल्यॉंकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) के नियम 3 के द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए थी। संबंधित पार्टियों से निदर्शी मामले के आयातों में शामिल कम मूल्यांकन ₹ 4.84 करोड़ था।

4.9.3 (ii) इसी प्रकार, स्वर्ण आयात की 20:80 योजना के अन्तर्गत, नगण्य अथवा बिना किसी मूल्य संवर्धन के साथ सादा स्वर्ण आभूषण, चूडियॉं अथवा पदक संबंधित पार्टियों को निर्यात किये गए थे। 24 कैरेट स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के मामले तक देखे गए थे। अनेक मामलों में सादा आभूषण उसी दिन अथवा स्वर्ण की प्राप्ति के 1 से 3 दिनों के अन्दर निर्यात किये गए थे कुछ प्रेषण अगले दिन प्राप्त हुए थे जो असली आभूषण निर्यात के मामले में संभव नहीं लगता। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि इन एजेन्सियों द्वारा सादा आभूषण के नाम पर स्क्रैप एवं कच्चे उत्पादों का निर्यात किया गया हो जो बहुत कम अन्तराल पर बार बार निर्यात द्वारा स्वर्ण की भारी मात्राओं का आयात कर रहे थे ताकि 20:80 योजना के 80 प्रतिशत घटक के प्रति अपनी घरेलू बिक्री हकदारी को बढ़ा सकें। डीआरआई से ऐसी कार्य-प्रणाली पर रिपोर्टें थीं।

मंत्रालय लेखापरीक्षा को सूचना के अन्तर्गत ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकता है।

इसी प्रकार, अनन्तिम निर्धारण को अन्तिम रूप देने में विलम्ब तथा इसके परिणामस्वरूप एसवीबी डाटा में अन्तर के कारण शुल्क का उदग्रहण कम/ना होना, एसवीबी छानबीन को अन्तिम रूप देने, मूल्यांकन रिपोर्ट इत्यादि से संबंधित मुद्दे लेखापरीक्षा द्वारा मंत्रालय को अलग से बताए गए थे। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2016)।

4.9.4 मामलों का लम्बन

जून 2015 के अन्त तक, एसवीबीज, बैंगलुरू, कोलकाता तथा चण्डीगढ़ में ही कुल 894 नये मामले तथा 118 नवीनीकरण मामले लम्बित थे। अवधिवार विश्लेषण का आगे विवरण दिया गया है।

मामले	**3 महीने तक**	**3 से 6 महीने तक**	**6 से 12 महीने तक**	**1 से 3 वर्षों तक**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
नये मामले	18	16	26(बैंगलौर) + 99(दिल्ली)	145(बैंगलौर) + 214(दिल्ली)+32 (कोलकाता)	208(बैंगलौर)+ 73 (दिल्ली) + 63 (कोलकाता)	894
नवीनीकरण मामले	27	18	7	48	18	118

कुछ मामले देखे गए थे जो एसवीबी, बैंगलौर में 2006 से लम्बित थे।

विशेष मूल्यांकन मामलों में अनन्तिम निर्धारण के उद्ग्रहण पर मामले अनन्तिम निर्धारण पर अध्याय में बताए गए हैं।

निर्धारित समय में मामलों को अन्तिम रूप न देने के लिए कारणों की पूछताझ करने पर एसवीबी, दिल्ली ने बताया कि अधिकतर मामलों में संबंधित पार्टियों ने अतिरिक्त शुल्क जमा (ईडीडी) 1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक बढ़ाने के बावजूद एसवीबी प्रश्नावली का अथवा और उठाए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था। चूंकि बोर्ड के परिपत्रों/निर्देशों में ईडीडी में और वृद्धि पर को पुनः विचार नहीं किया गया है, इसलिए ऐसे मामलों में और कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। एसवीबी, दिल्ली ने आगे सूचित किया कि मुद्दे को अगस्त 2015 में निर्धारित मुख्य आयुक्त सम्मेलन में शामिल करने के लिए मामला मुख्य आयुक्त (दिल्ली क्षेत्र) के कार्यालय को भेजा गया था। मुख्य आयुक्तों के सम्मेलन का परिणाम लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था (अक्टूबर 2015)।

तथापि, एसवीबी कोलकाता, बैंगलौर तथा चेन्नै से लम्बन के कारण उपलब्ध नहीं थे।

4.9.5 मामलों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने चेन्नै, दिल्ली, कोलकाता तथा बैंगलौर में मूल आदेश जारी करने के बावजूद अन्तिम रूप देने में विलम्ब, उत्तरों की प्राप्ति, आवेदन की प्राप्ति, अन्तिम रूप देने के लिए निर्धारित समय से अधिक विलम्ब, ईडीडी परिपत्र जारी मे विलम्ब, ईडीडी 5 प्रतिशत तक बढ़ाने मे विलम्ब के उदाहरण देखे थे। कुछ मामले नीचे दर्शाये गए हैं।

4.9.5 (i) एसवीबी, बैंगलौर में, दो मामलों में, यद्यपि आयातकों ने ओआईओ की समाप्ति के तीन महीने पहले आवेदन किया था, फिर भी मामलों को 17 महीने से 27 महीने तक के विलम्ब से अन्तिम रूप दिया गया था।

क्रम. सं.	**आयातक का नाम**	**ओआईओ की समाप्ति की तिथि**	**दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि**	**ओआईओ जारी करने की तिथि**	**विलम्ब**
1.	दीरक इण्डिया पैनल फिटिंग (पी) लि.	8.3.13.	नवम्बर 2012	18.2.2015	27 महीने
2	पैकल हैल्थकेयर इण्डिया (पी)	26.12.13	सितम्बर 2013	27.2.2015	17 महीने

4.9.5 (ii) मूल आदेशों के आधार पर, संबंधित निर्धारण दलों को मै. राईस लैक वेईंग सिस्टमस इण्डिया लिमिटेड, चेन्नै द्वारा किये गए आयातों के लिए बीई (11 नम्बर) को अन्तिम रूप देने का निर्देश दिया गया था। तथापि, यह देखा गया था कि 11 बीई को अन्तिम रूप देना अभी भी लम्बित था। ₹ 4.30 लाख (अगस्त 2015 तक) के ब्याज के साथ ₹ 7.77 लाख का शुल्क वसूली योग्य है। समान आयातों की भी समीक्षा तथा अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए।

एसवीबी के पास पंजीकृत मामलों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब उस उद्देश्य को भी विफल करता है जिसके लिए एसवीबीज स्थापित किये गए हैं तथा इसके कारण सरकारी राजस्व के संग्रह में विलम्ब होने के साथ विभाग में अनन्तिम निर्धारण मामलों का संचय हो गया है।

4.9.5 (iii) मै. हनिल ट्यूब इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, से संबंधित मामले में जारी किये गए मूल आदेश (ओआईओ) सं. 25435/2014 दिनांक 15.5.2014 में विदेशी आपूर्तिकर्ता को भुगतान किये गए ₹ 459.03 लाख की तकनीकी सेवा फीस के निर्धारणयोग्य मूल्य में जोड़ दिया गया था।

15.5.2014 को प्रेषित ओआईओ के विरूद्ध आयातक द्वारा अपील नहीं की गई थी। तथापि, एसवीबी चेतावनियॉं जारी करने के बाद, आयातक ने दिनांक 14 जुलाई 2015 के पत्र द्वारा एसवीबी को सूचित किया कि आदेश सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 153 के अनुसार जारी नहीं किया गया था। तथापि, आदेश पर कार्यवाही न होने के कारण, निर्धारण दल (चेन्नै समुद्र सीमा शुल्क का दल II) प्रविष्टि बिल तथा अनुवर्ती आयातों को अन्तिम रूप

नहीं दे सका (टिप्पणी दिनांक 16.7.2015)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.08 लाख के शुल्क तथा उस पर लागू ब्याज का संग्रहण नहीं हुआ।

एसवीबी के पास पंजीकृत मामलों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब उस उद्देश्य को भी विफल करता है जिसके लिए एसवीबीज स्थापित किये गए हैं तथा इसके कारण सरकारी राजस्व के संग्रहण में विलम्ब होने के साथ विभाग में अस्थाई निर्धारण मामलों का संचय हो गया है।

4.9.5 (iv) सीबीईसी ने निर्देश दिया[34] कि जहाँ जारी की गई प्रश्नावली के उत्तर में सहायक/विश्वास किये गये दस्तावेज प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, वहाँ ईडीडी 1% से 5% तक बढ़ा दी जाएगी।

एसवीबी बैंगलौर, कोलकाता, चेन्नै तथा दिल्ली में लम्बित मामलों की नमूना जाँच से पता चला कि 37 मामलों में जहाँ ईडीडी 5% की दर से नहीं लगाई गई थी वहाँ जबकि मामले 1 से 3 वर्षों की अवधि से लम्बित हैं।

एक मामला नीचे दर्शाया गया हैः

एसवीबी, दिल्ली में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विभिन्न आयातकों ने संबंधित पार्टियों से 22 खेपों के माध्यम से नवम्बर 2013 से अक्तूबर 2014 के बीच माल का आयात किया था जिस पर ईडीडी का भुगतान या तो नहीं किया गया था अथवा संव्यवहार मूल्य के बजाए सीमा शुल्क के 1 से 5% की दर से भुगतान किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 10.12 लाख राशि के ईडीडी का कम उदग्रहण हुआ।

4.9.5 (v) सीबीईसी ने निर्देश[35] दिया कि एसवीबी को अग्रेषित मामलों पर 4 महीने में निर्णय किया जाना है। तथापि, एसवीबी, चेन्नै में परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2001 की तिथि से पहले एसवीबी को अग्रेषित मामले अभी तक लम्बित हैं।

4.9.5 (vi) निर्धारण दल 7 वायु सीमा शुल्क चेन्नै के संबंध में एस वीबी चेन्नै में मैं स्टोरा इन्सो इन्पैक डेल्टा इण्डिया प्राईवेट लि. के संबंध में एसवीबी को निर्धारण दल द्वारा गलत उल्लेख देखा गया था।

[34] परिपत्र सं. 11/2001 दिनांक 23.3.2001

[35] परिपत्र सं. 11/2001 दिनांक 23.3.2001

4.9.5 (vii) आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई

सीबीईसी ने एसवीबीज में मामलों के लम्बन की बारीकी से निगरानी करने, एसवीबी पूछताझ प्रारंभ करने का अनुमोदन करने तथा छानबीन का पर्यवेक्षण करने के लिए एसवीबीज का कार्यकारी नियंत्रण दिसम्बर 2012[36] में महानिदेशक मूल्यॉकन (डीजीओवी) के कार्यालय को प्रत्यायोजित कर दिया गया था।

डीजीओवी ने अक्टूबर 2007 में एसवीबी चेन्नै का निरीक्षण किया तथा उसके पश्चात डीजीओवी द्वारा कोई निरीक्षण रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी जो निगरानी नियंत्रण की कमी को दर्शाती है।

4.9.6 संबंधित पार्टी संव्यवहारों की अपर्याप्त पहचान तथा एसवीबी के पास पंजीकृत मामलों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब ने उस उद्देश्य को विफल कर दिया जिसके लिए एसवीबी स्थापित की गई थी। इसके कारण विभाग में अनन्तिम निर्धारण/ईडीडी मामलों का संचय हो गया जिसने सरकारी राजस्व के संग्रहण में रूकावट डाली। इसी प्रकार, डीजीओवी के पास भी विशेष मूल्यॉकन नियमावली के श्रेष्ठतम कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त नियंत्रण तथा निगरानी नहीं है।

विदेशी मुद्राविनिमय दर के उद्यतन में विलम्ब

4.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना निर्देशिकाओं की दरों का अद्यतन जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस (जेएनसीएच), न्हावा शेवा को सौंपा गया है, सीमा शुल्क और सीमाशुल्क अधिसूचना निर्देशिकाओं की दरों का अद्यतन चेन्नई सी कस्टम्स को सौंपा गया है और इसी प्रकार, विदेशी मुद्रा के विनिमय दर से संबंधित दर का अद्यतन सीबीईसी द्वारा इन्लैंड कंटेनर डिपो, पटपड़गंज को दिया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए अपर्याप्त निर्देशिका अद्यतन के कई मामलों का उल्लेख लेखापरीक्षा रिपोर्ट के विभिन्न उध्यायों में किया गया है।

[36] परिपत्र सं. 29/2012 सी.शू दिनांक 7.12.2012

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विदेशी मुद्रा की दर में बदलाव करने वाली 26 अगस्त, 2015 से प्रभावी अधिसूचना सं. 82/2015-सीमाशुल्क (एनटी), दिनांक 25 अगस्त, 2015 प्रणाली में 11 घंटे और 45 मिनट के विलंब से अद्यतित की गई थी। तब तक संशोधन कर दिया गया था, पुरानी विनिमय दर को लेते हुए विभिन्न सीमाशुल्क पत्तनों द्वारा 357 प्रविष्टि बिल फाइल कर दिए गए थे।

सूचित किए जाने पर बोर्ड ने निर्देशिका के विलंब से अद्यतन के कारण राजस्व को सुरक्षित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को परामर्श दिया।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि डीजी (प्रणाली) एक स्वचालित समाधान प्राप्त करने के लिए एसबीआई के साथ विनिमय दरों के प्रतिदिन अद्यतन के लिए मॉडयूल पर कार्य कर रहा है। सीबीईसी ने आगे बताया (फरवरी 2014) कि दैनिक विनिमय दर अद्यतन मैसेज का परीक्षण पूरा कर लिया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि आईसीईएस प्रणाली में अधिसूचना के अद्यतन में विलंब अभी जारी था (सितम्बर 2015), अत: बोर्ड के दावे को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

अध्याय V

शुल्क छूट/शुल्क माफी योजनाएँ

सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से एक निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इनपुट एवं पूँजीगत माल के आयात के लिए समग्र अथवा आंशिक सीमा शुल्क से छूट दे सकती है। ऐसे छूटप्राप्त माल के आयातक निर्धारित निर्यात दायित्वों (ईओं) को पूरा करने के साथ-साथ निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं जिसमें विफल होने पर शुल्क की पूरी दर उदग्रहणीय हो जाती है। अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2013 से अक्टूबर 2015) के दौरान कुछ निदर्शी मामले देखे गए जहाँ इओज/शर्तों को पूरा किये बिना शुल्क छूट प्राप्त की गई थी जिन पर आने वाले पैराग्राफों में चर्चा की गई है। इन मामलों में कुछ राजस्व प्रभाव ₹ 168.94 करोड़ है।

फिरती की वसूली न होना जहाँ निर्यात आय वसूल नहीं हुई हैं

5.1 सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर फिरती नियमावली, 1995 के उप-नियम 16ए (1) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75(1) के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ एक निर्यातक को फिरती की राशि का भुगतान किया गया है परन्तु ऐसे निर्यात माल के संबंध में बिक्री आय विदेशी विनिमय प्रबन्धन अधिनियम (फेमा) 1999 के अन्तर्गत अनुमत समय में वसूल नहीं हुई है, वहाँ ऐसी फिरती राशि वसूल की जानी है। उप – नियम 16ए (2) यह भी निर्धारित करता है कि यदि निर्यातक फेमा, 1999 के अन्तर्गत अनुमत अथवा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विस्तारित अवधि में निर्यात आय की वसूली के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल होता है, तो सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क निर्यात आय की वसूली का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए निर्यातक को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें विफल होने पर दावेदार को भुगतान की गई फिरती की राशि वसूल करने के लिए आदेश पारित किया जाएगा।

$25,000 केवल तक मूल्य की निर्यात आय की निगरानी के लिए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (बोर्ड) ने परिपत्र सं.5/2009 दिनांक 2 फरवरी 2009 के द्वारा निर्यात आय वसूली हेतू एक आन्तरिक निगरानी तंत्र प्रारंभ किया तथा निर्यातकों द्वारा पालन किए जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की।

परिपत्र में निर्यातकों द्वारा उदघोषणाओं के प्रबन्धन तथा निर्यात आय वसूली की निगरानी हेतु एक विशेष सेल के गठन पर बल दिया गया है। उन मामलों में जहाँ निर्यात आय वसूल नहीं हुई है, वहाँ भुगतान की गई फिरती की वसूली के लिए सीमा शुल्क द्वारा नोटिस जारी किये जाने हैं।

चार सीमा शुल्क कमिश्नरियों (चेन्नै समुद्र, चेन्नै वायु, तूतीकोरीन तथा कोयम्बटूर) में निर्यात डाटा के साथ आरबीआई एक्सओएस की तुलना करने से (31 मार्च 2013 तक) पता चला कि 619 शिपिंग बिलों के संबंध में निर्यात आय वसूल नहीं हुई थी जिनके लिए ₹ 9.12 करोड़ के फिरती भुगतान किये गए थे। निर्यात आय की वसूली न होने की पुष्टि डीजीएफटी डाटाबेस से भी हुई है। ये सभी शिपिंग बिल 31 मार्च 2013 अथवा उससे पहले के थे, जिसके कारण निर्यात आय वसूली के लिए उपलब्ध समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। अतः, इन मामलों में, भुगतान की गई फिरती उपरोक्त फिरती प्रावधानों के अनुसार ब्याज के साथ वसूली योग्य है।

इसे बताए जाने पर (अक्टूबर 2015), विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि चेन्नई (समुद्र) और तूतीकोरिन कमिश्नरियों के अन्तर्गत संबंधित निर्यातकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

गलत डीईपीबी क्रेडिट दर लगाने के कारण अधिक डीईपीबी क्रेडिट

5.2 सार्वजनिक सूचना द्वारा समय-समय पर यथा सूचित डीईपीबी क्रेडिट दर को स्टोर किया जाता है और अद्यतित किया जाता है।

डीईपीबी हकदारियों के डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि लागू क्रेडिट दर, डीईपीबी दर निर्देशिका से भिन्न थे, दिए गए दर 32 अभिलेखों में लागू दर से अधिक थे जिसके कारण ₹ 23.78 लाख राशि का अधिक शुल्क क्रेडिट का परिणाम हुआ। उपरोक्त गलत शुल्क क्रेडिट में से केवल आरएलए अहमदाबाद से संबंधित 10 अभिलेखों में ₹ 12.41 लाख क्रेडिट देखा गया था।

इसे सितम्बरमंत्रालय को/में विभाग 2015 बरअक्तू/ बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है 2016 जनवरी))।

अग्रिम प्राधिकरण का गलत निपटान

5.3 एफटीपी- 2009-14 के पैराग्राफ 4.1.3 के अनुसार, एक अग्रिम प्राधिकरण (i) प्रत्यक्ष निर्यात (सेज के निर्यात सहित), (ii) मध्यवर्ती आपूर्तियाँ, (iii) एफटीपी के पैराग्राफ 8.2(बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (आई), एवं (जे) में दर्शायी गई श्रेणियों के माल की आपूर्ति, जिन्हें डीम्ड निर्यात माना गया है तथा (iv) विदेश जाने वाले पोत के बोर्ड पर 'भण्डार' की आपूर्ति के लिए इनपुट के निशुल्क आयात को अनुमत करने के लिए जारी की जाती है।

ऊपर दर्शाए गए अग्रिम प्राधिकरण के प्रति आयातित माल को सं.96/2006-सीशु दिनांक 11 सितम्बर 2009 तथा 112/2009-सीशु दिनांक 29 सितम्बर 2009 के अन्तर्गत उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8बी तथा 9ए के अन्तर्गत उस पर उदग्रहणीय सुरक्षा शुल्क एवं एन्टी डम्पिंग शुल्क सहित सभी आयातित शुल्कों से छूट दी गई थी। अधिसूचना सं.96/2009-सीशु के अन्तर्गत जारी किए गए प्राधिकरण के निर्यात दायित्व (ईओ) एफटीपी के पैराग्राफ 4.1.3 के अनुसार अपने विनिर्मित माल का, प्रत्यक्ष निर्यात करके अथवा एफटीपी के पैराग्राफ 4.1.3 (ii) के अनुसार निर्यातकों को अपने परिणामी उत्पादों की आपूर्ति करके शर्त 1(viii) के अनुसार पूरा किया जाना था। अधिसूचनाओं की शर्तों को पूरा करने में विफल होने के मामले में, प्राधिकार धारक अधिसूचना की शर्त(1)(iv) के अनुसार लागू ब्याज के साथ शुल्क का भुगतान करने का दायी था।

अधिसूचना सं.112/2009-सीशु दिनांक 29 सितम्बर 2009, एफटीपी के पैराग्राफ 4.1.3 (iii) के अन्तर्गत जारी की गई एए के प्रति आयातित माल पर ऊपर दर्शाई गई शुल्क छूट अनुमत करते हुए, पैराग्राफ 2, में यह निर्दिष्ट करते हुए शुल्क लाभों को सीमित करती है कि अधिसूचना के साथ स्पष्टीकरण के खण्ड (iii) के उप-खण्ड (ए), (बी), (सी), (आई) एवं (जे) के अन्तर्गत कवर किये गए तैयार माल की आपूर्ति के लिए अपेक्षित सामग्रियों के संबंध में सुरक्षा शुल्क तथा एन्टी डम्पिंग शुल्क से छूट उपलब्ध नहीं होगी जिसमें उप-खण्ड (iii) (बी) के अन्तर्गत निर्यात उन्मुख इकाईयों को माल की आपूर्ति शामिल है।

मै. कल्पना प्लासटिक्स, लि कोलकाता तथा दो अन्य आयातकों को क्षेत्रीय डीजीएफटी, कोलकाता के कार्यालय द्वारा इन पर सीमा शुल्क अधिसूचना सं.

96/2009-सीमा शुल्क दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के पृष्ठांकन के साथ पॉच अग्रिम प्राधिकरण प्रदान किये गए थे (जनवरी 2010 से अगस्त 2012) जिसके प्रति उन्होंने अधिसूचना सं. 96/2009-सीशु के अन्तर्गत ₹ 2.63 करोड़ की शुल्क छूट प्राप्त करके कोलकाता पत्तन कमिश्नरी के माध्यम से माल का आयात किया। तथापि जेडडीजीएफटी, कोलकाता द्वारा जारी किये गए निर्यात दायित्व निपटान प्रमाण पत्रों (ईओडीसी) तथा जेडडीजीएफटी, कोलकाता तथा सीमा शुल्क को प्राधिकार धारकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आपूर्ति/निर्यात के विवरणों की संवीक्षा से पता चला कि उक्त पॉच प्राधिकरण के ईओ का निपटान एक ईओयू इकाई (यथा, मै तारा होल्डिंगस प्रा. लि.) को माल की उनकी आपूर्ति के प्रति किया गया था जो एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 (बी) के अनुसार डीम्ड निर्यात माना गया है। तथापि, अधिसूचना सं.96/2006-सीशु के अन्तर्गत ईओ का निपटान आयातकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्यात अथवा की गई मध्यवर्ती आपूर्ति द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए आपत्ति जनक मामलों में डीम्ड निर्यात आपूर्तियों के प्रति ईओ का निपटान गलत था जिसके लिए आयातक उपरोक्त अधिसूचना की शर्त (iv) के अनुसार ₹ 86.99 लाख के लागू ब्याज के साथ ₹ 2.63 करोड़ के कुल शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी थे। यह अनियमितता सीमा शुल्क विभाग द्वारा भी देखी गई थी जिसके बदले में आयातकों से किसी शुल्क की वसूली किये बिना बाण्ड एवं संबंधित बैंक गारन्टी निरस्त (अगस्त 2012) कर दी थी।

प्रारंभ में यह मामला अक्टूबर 2013 में सीमा शुल्क के समक्ष रखा गया था तथा बाद में मई 2014 में डीजीएफटी, कोलकाता को सूचना दी गई थी। डीजीएफट, कोलकाता ने अपने उत्तर में (सितम्बर 2014) तर्क दिया कि आपत्ति किए गए प्राधिकरणों को डीम्ड निर्यात आपूर्तियों के आधार पर प्रतिपूरित किया गया था क्योंकि फर्म ने वास्तव में डीम्ड निर्यात श्रेणियों के लिए अग्रिम प्राधिकरण हेतु आवेदन किया था परन्तु सीमाशुल्क अधिसूचना सं.96/2009 स्वतः ही डीजीएफटी सर्वर के माध्यम से सृजित प्राधिकरण की प्रति पर पृष्ठांकित हो गई थी। विभाग को सूचित किया गया था (मार्च 2015) कि उनका उत्तर नहीं संधारणीय है क्योंकि न तो सभी आपत्तिशुदा प्राधिकरणों पर अधिसूचना सं 96/2009-सीशु के पृष्टांकन को संशोधित किया

गया था एवं न ही अधिसूचना सं 112/2009-सीशु की अनुपालना में ईओयू को डीम्ड निर्यात आपूर्ति के समय पर अधिसूचना सं 11/2008-सीशु दिनांक 23 जनवरी 2008 (जैसा संशोधित किया गया है) के अंतर्गत आयातित सामग्रियों पर लागू ₹ 18.41 लाख के एन्टी डम्पिंग शुल्क की वसूली सुनिश्चित की गई थी जो उनके तर्क को न्यायोचित बनाता है।

सीमा शुल्क विभाग ने सभी आयातकों को मांग नोटिस जारी करने की सूचना देते समय (मार्च एवं मई 2015) तर्क दिया था कि अधिसूचना सं 96/2009-सीशु डीम्ड निर्यात को भी कवर करती है क्योंकि यह केवल यही निर्दिष्ट करती है कि माल का निर्यात करके ईओ का निपटान किया जाना है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि तैयार माल प्रत्यक्ष रूप से निर्यात करना होगा।

सीमा शुल्क विभाग को सूचित किया गया था (जून 2015) कि उनका उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2(18) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, निर्यात का अर्थ है "भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना" जिसका अर्थ निश्चित रूप से प्रत्यक्ष निर्यात है परंतु इसमें डीम्ड निर्यात आपूर्तियों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि भारत के अन्दर स्थित ईओयू की आपूर्ति को कवर करने वाले एफटीपी के पैराग्राफ 4.1.3 (iii) के अंतर्गत निर्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त इस तथ्य से भी लेखापरीक्षा तर्क स्पष्ट था कि एफटीपी के पैराग्राफ 4.1.3 (iii) के अंतर्गत डीम्ड निर्यात के लिए जारी किए गए अग्रिम प्राधिकरण के प्रति आयात पर शुल्क लाभ अनुमत करने के लिए एक अलग अधिसूचना सं 112/2009-सीशु दिनांक 29 सितंबर 2009 पहले ही जारी की जा चुकी है।

मैं. कल्पना प्लास्टिक्स लि. के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि आपूर्तियाँ ईओयू को डीम्ड के रूप में की गई थी क्योंकि इनको एन्टी डम्पिंग शुल्क सहित सभी शुल्कों के भुगतान से छूट दी गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना सं. 112/2009-सीशु (उप पैरा 2 का संदर्भ लें) के अन्तर्गत ईओयूज को की गई आपूर्तियों को एन्टी डम्पिंग तथा सुरक्षा शुल्कों से छूट नहीं दी गई है।

वित्त मंत्रालय (ड्राबेक डिविजन) ने उत्तर दिया (जनवरी 2016) कि:

i) अधिसूचना सं.112/2009-सी.शु का पैरा 3 विशिष्ट रूप से एडीडी से ईओयू को पूर्ति किए जाने वाले अन्तिम माल के विनिर्माण के लिए सामग्री की छूट प्रदान करता है।

ii) एफटीपी स्व: निहित एए योजना के तहत ईओ पूरा करने के लिए विभिन्न अनुमति योग्य साधनों का प्रावधान करता है। एफटीपी में कोई प्रावधान निर्यात के योग विभिन्न अनुमत साधनों द्वारा आपूर्ति से रोक नहीं लगाता। डीजीएफटी का आवेदन फार्म एएनएफ 4जे और एएनएफ 4एफ से छूट दोनों "निर्यातित/आपूर्ति" के रूप में उत्पादों या मदों से संबंधित है।

iii) अधिसूचना सं.96/2009-सी.शु. और 112/2009 सी.शु. सहित राजस्व द्वारा जारी अधिसूचनाएं योजना के संदर्भ में लागू की जानी अपेक्षित हैं।

iv) छूट एफटीपी के अनुरूप थी और इसलिए शुल्क वसूली योग्य नहीं है।

वित्त मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

i) अधिसूचना 112/2009-सी.शु. का पैरा 3 ईओयू को "उसी रूप में" आयातित माल की आपूर्ति के लिए है और ईओयू को एए धारक के निर्मित माल की आपूर्ति के लिए नहीं। इस तत्कालिक मामले में आयातित माल "उसी रूप में" आपूर्ति नहीं की गई थी बल्कि ईओयू को अन्तिम माल की आपूर्ति की गई थी। अत: अधिसूचना के साथ जोड़े गए स्पष्टीकरण (बी) के साथ पठित अधिसूचना 11/2009 सी.शु. का पैरा 2 लागू था जो ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी को आपूर्ति किए गए माल के संबंध में, जो अन्तिम उत्पादों के लिए अपेक्षित हैं से विशिष्ट रूप से सुरक्षा और एडीडी से छूट अनुमत करता है। तदनुसार, एडीडी वसूली योग्य था। यदि मौजूदा मामले में अन्तिम उत्पाद ईओयू को एए धारक द्वारा आपूर्ति किया गया है।

ii) एफटीपी केवल निर्यात की विभिन्न श्रेणियों को निर्धारित करता है जिनके लिए एए जारी किया जा सकता है। तथापि, एए सीमा शुल्क अधिसूचना वार/निर्यात श्रेणी वार जारी किया जाना है जैसा एबीपी के खण्ड–I के पैरा 4.20, 4.20.2 से स्पष्ट है।

एएनएफ 4एफ और एए से छूट "निर्यातित/आपूरित" के रूप मे उत्पाद या मदों से संदर्भित है क्योंकि समान फार्म एए की सभी श्रेणियों की छूट के लिए प्रयोग होता है। तथापि, संलग्न दिशानिर्देशों में प्रत्यक्ष निर्यात और माने गए निर्यातों के लिए एए की छूट हेतु प्रक्रियाओं/दस्तावेजों का पृथक सेट अपेक्षित है।

iii) प्रत्यक्ष निर्यात और माने गए निर्यात के लिए एए की छूट विनियमित करने के लिए पृथक सीमा शुल्क अधिसूचनाएं जारी की गई थी (96/2009 सी.शु. और 112/2009-सी.शु.) जो संबंधित एए धारकों पर बाध्यकारी हैं।

iv) तदनुसार, शुल्क छूट अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुपालन द्वारा विनियमित है जिसके अन्तर्गत एए जारी किया गया था। ऐसी शर्तों को पूरा करने में विफलता से शुल्क की वसूली आवश्यक हो जाती है।

शेष यूनिटों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

एसएचआईएस योजना के अन्तर्गत अपात्र फर्म को अनुचित लाभ

5.4 प्रक्रिया की हस्तपुस्तक (एचबीपी), खण्ड-1, 2009-14 के पैराग्राफ 3.10.3 में परिकल्पित किया गया है कि यदि किसी आवेदक ने वर्ष 2012-13 के दौरान शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकरण प्राप्त किया है, तो वह उस वर्ष के दौरान किये गए निर्यात के लिए स्थिति धारक प्रोत्साहन स्क्रिप (एसएचआईएस) के लिए पात्र नहीं होगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, पानीपत के अन्तर्गत मैं.राज ओवरसीज, पानीपत ने 2012-13 के दौरान शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना (₹ 0.59 करोड़ तक शुल्क बचाया) का लाभ लिया था। तथापि, फर्म को उपरोक्त प्रावधान के उल्लघन में वर्ष 2012-13 के दौरान एसएचआईएस योजना के अन्तर्गत (एसएचआईएस लाइसेंस सं. 3310027774 दिनांक 30 सितम्बर 2013) किये गए निर्यात के लिए ₹ 1.41 करोड़ का लाभ भी अनुमत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप एसएचआईएस योजना के अन्तर्गत ₹ 1.41 करोड़ की राशि का गलत अनुदान हुआ जो लाइसेंस धारक से वसूली योग्य है।

यह बताए जाने पर (नवम्बर 2013), विभाग ने बताया (जून 2014) कि निर्धारिती को उक्त राशि वापिस करने का निर्देश दिया गया था। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

आवेदन अवधि के बाद दी गई सेवाओं के लिए एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट का अनुदान

5.5 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 3.16.1 (बी) के अनुसार, पैराग्राफ 3.16.4 में निर्दिष्ट क्षेत्रों के स्थिति धारक 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान किये गए निर्यात के पोतपर्यंत निशुल्क (एफओबी) मूल्य पर 1 प्रतिशत की दर से शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होगें। प्रक्रिया की हस्तपुस्तक (एचबीपी) खण्ड-1, 2009-14 के पैराग्राफ 3.10.3 (ए) के अनुसार 2009-10 से 2012-13 के दौरान किये गए निर्यात के लिए स्थिति धारक प्रोत्साहन स्क्रिप(एसएचआईएस) आवेदन फाइल करने के लिए अन्तिम तिथि क्रमशः 2011/2012/2013/2014 की 31 मार्च होगी।

क्षेत्रीय साइसेंसिग प्राधिकरण (आरएलए), कोयम्बटूर द्वारा जारी किये गए एसएचआईएस लाईसेंसों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2011-12/2013-14 के दौरान 17 निर्यातको द्वारा फाइल किये गए 18 आवेदनों के सम्बन्ध में उस वित्तीय वर्ष जिसमें आवेदन किए गए थे के बाद किये गए निर्यातों पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रदान किये गए थे, परिणामस्वरूप ₹ 43.58 लाख तक एसएचआईएस क्रेडिट का अधिक अनुदान हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य है।

इसे बताए जाने पर (जनवरी 2015), विभाग ने 14 आयातकों से ₹ 28.46 लाख के अधिक शुल्क क्रेडिट की वसूली सूचित की (मार्च 2015)। शेष तीन मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

पहले ही जारी की गई शून्य शुल्क ईपीसीजी और विपरित क्रम कंपनियों को एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप की मंजूरी

5.6 स्टेटस होल्डर इंसेंटिव स्क्रिप (एसएचआईएस) को निर्यात के वर्ष के बाद के वर्षों में लागू किया जा सकता है। एचबीपी के पैरा 3.10.3(बी) के अनुसार, किसी आवेदक द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार प्राप्त किये जाने के मामले में, वे उस वर्ष (अर्थात् संबंधित विगत वर्ष के दौरान किया

गया निर्यात) हेतु एसएचआईएस के लिए हकदार नहीं होंगे। ऐसे एसएचआईएस आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और पैरा 9.3 (आवेदन दाखिल करने में विलम्ब के कारण कटौती) भी इस पर लागू नहीं होगा।

मामलों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 61.57 करोड़ के शुल्क क्रेडिट हेतु 74 एसएचआईएस स्क्रिप उन मामलों में; जहां शून्य शुल्क इपीसीजी प्राधिकार उक्त वर्ष में एक उसी फर्म को पहले ही नियमित रूप से जारी किये जा चुके थे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सात[37] आरएलएज़ के अंतर्गत नौ मामलों में लाइसेंस/स्क्रिप अनुचित रूप से जारी किये गये थे। यद्यपि, कुछ मामलों में, आवेदनों पर कोई प्रक्रिया नहीं की गई और निरस्त करने के समय पर सेन्ट्रल संर्वर के वे डाटा बेस में अद्यतित नहीं थे; को दर्शाते हुए लाइसेंस/स्क्रिप जारी करने से पहले निरस्त कर दिये गये थे।

आरएलए, अहमदाबाद ने कहा (सितम्बर 2015) कि फर्म को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु एसएचआईएस लाईसेंस प्रस्तुत करने के निदेश दिये गये हैं।

आरएलए, सूरत, गांधीधाम, बैंगलोर, वाराणसी, कोची और लुधियाना के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2016)।

वीएफएफएम योजनाओं के अंतर्गत शुल्क क्रेडिट की मंजूरी में अनियमितताएं

5.7 अध्याय-3 योजनाएं नामत: विशेष कृषि उपज योजना (वीकेयूवाई), फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस), फोकस प्रोडक्ट (एफपीएस), और मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एमएलपीएस) संयुक्त रूप से वीएफएफएम योजनाओं के रूप में जानी जाती हैं।

सीमा शुल्क आपूर्त के अधिक मूल्यों के कारण एफओबी मूल्यों पर हकदारी की मंजूरी के कारण वीएफएफएम योजनाओं के अंतर्गत शुल्क क्रेडिट की अधिक मंजूरी

5.7(क) निर्यातकों के अधिकतर लाभ एफटीपी के अंतर्गत शिपिंग बिल सूचना पर आधारित हैं। शिपिंग बिलों के ऑनलाईन फाइलिंग और निकासी के बाद, सूचना डीजीएफटी को सीमा शुल्क द्वारा संप्रेषित की जाती है।

[37] बैंगलुरू, अहमदाबाद, सूरत, गांधीधाम, वाराणसी, कोची और लुधियाना।

आरएलए, अमृतसर, पानीपत, लुधियाना, चंडीगढ़, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, हैदराबाद तथा कोलकाता में लाईसेंस फाइलों की नमूना जांच से पता चला कि समान विवरण तथा समान सीटीएच के अन्दर आने वाली प्रत्येक एसबी के सभी मदे, वीएफएफएम क्रेडिट की समान दर के लिए स्वीकार्य, प्रत्येक एसबी के प्रति एक क्रम संख्या के अन्तर्गत इकट्ठी की गई थी। यह मद स्तर पर सीमाशुल्क मूल्य की तुलना में, जैसा वीएफएफएम आवेदनों में दावा किया गया मद स्तर पर एसबीज के एफओबी मूल्य के बेमेल में परिणत हुई। 122,106 शिपिंग बिल अभिलेखों के मामले में (22,453 लाईसेंस फाईलें), ₹ 720.46 करोड़ का शुल्क क्रेडिट एक क्रम संख्या के अन्तर्गत इकट्ठा किया गया जो मद स्तर पर एसबी मदों के सीमाशुल्क प्रमाणित एफओबी मूल्यों के साथ प्रमाणित नहीं किया जा सका।

उसी प्रकार, लेखापरीक्षा ने देखा कि दो मामलों (आरएलए, अहमदाबाद) में विभिन्न आवेदनों में समान शिपिंग बिल प्रयोग किए गए थे जिन पर एफटीपी के अध्याय 3 की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रीप स्वीकृत किए गए थे जो गलत शुल्क क्रेडिट में परिणत हुआ। आरएलए, अहमदाबाद से उत्तर की प्रतीक्षा है।

यह अक्तूबर 2015 में मंत्रालय को बताया गया था, उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

5.7(ख) वीएफएफएम योजनाओं तथा डीईपीबीयोजनाओं के लिए समान एसबी मद के अलग एफओबी मूल्य

एफटीपी के अध्याय 4 की डीईपीबी योजना के अन्तर्गत तथा साथ-साथ अध्याय 3 के अन्तर्गत वीएफएफएम के लिए शुल्क क्रेडिट पात्रता के लिए समान शिपिंग बिल प्रयोग किए जा सकते है।

ऐसी एसबीज, जो दो विभिन्न योजना लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग की गई थी यथा डीईपीबी तथा वीएफएफएम के एफओवी के मूल्यों की अवधि 2014-15 के दौरान एक तुलना से पता चला कि 44 मामलों में (आरएलए, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोचीन तथा पुणे) जहाँ दोनो योजनाओं में समान मद प्रयोग किए गए थे, एफओबी मूल्य विभिन्न थे,

और बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी) संख्या एसबी की तिथि भी समान थे, जो संकेत करता है कि दोनो योजनाओं के अन्तर्गत दावें, प्राप्ति पूर्व दावों बनाए गए थे।

दो एफओबी मूल्यों के निम्नतर पर गणना किए गए शुल्क क्रेडिट ने उपर्युक्त 44 मामलों में ₹5.20 करोड़ के अधिक शुल्क क्रेडिट की अनुमति दी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सुसंगत तालिका में उपलब्ध बैंक प्राप्ति सूचना या शिपिंग बिल के अनुसार मूल्यों को ध्यान में रखने के बाद एफओबी मूल्य संशोधित किए गए थे, जो अधिक शुल्क क्रेडिट की मंजूरी को परिहार करने के लिए इनपुट नियंत्रण को सुधारने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।

आरएलए, कोलकाता में आठ लाईसेंस फाईलों की प्रति जांच से पता चला कि जब डीईपीबी मद स्तर मूल्यों के साथ तुलना की गई, एसबी मदों की मद स्तर एफओबी मूल्य का एक बेमेल था, जैसा वीएफएफएम में दावा किया गया था, क्योंकि वीएफएफएम दावों के प्रति एक क्रम संख्या के अन्तर्गत वीएफएफएम क्रेडिट की समान दर के साथ समान सीटीएच के अन्तर्गत आने वाली, समान विवरण की प्रत्येक एसबी के सभी मदों को इकट्ठा किया गया था।

अतः शुल्क क्रेडिट लाभ प्रदान करने के लिए मद स्तर पर एसबी के एफओबी मूल्य जैसे महत्त्वपूर्ण डाटा की प्रस्तुति तथा दर्ज करना सुनिश्चित करने की अपर्याप्त अनुपालना थी।

अगस्त/अक्टूबर 2015 में विभाग/मंत्रालय को यह बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

5.7)ग (वीएफएफएम योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट का प्रदान करना जहाँ निर्यात तिथि गलत है

वीएफएफएम शुल्क हकदारी दावों से संबंधित शिंपिंग विल (एसबी) सूचना से पता चला कि 160018 एसबीज के लिए निर्यात तिथि लेट एक्सपोर्ट आर्डर (एलईओ) से पहले थी। 2014-15 की अवधि के दौरान वीएफएफएम योजनाओं

के तहत ऐसे 160018 एसबीज के प्रति ₹ 959.37 करोड़ की राशि का शुल्क क्रेडिट अनुमत किया गया था।

नमूना जांच से पता चला कि आरएलए पानीपत, चण्डीगढ़, तथा विशाखापत्तनम के अन्तर्गत वीएफएफएम के 2342 एसबीज में ₹ 5.62 करोड़ का शुल्क क्रेडिट अनुमत किया गया था जिनमें निर्यात तिथि एलईओ से पहले थी/शिपिंग बिल की तिथि एलईओ तिथि के बजाए निर्यात तिथि के रूप में दी गई थी।

आरएलए पानीपत तथा विशाखापत्तनम से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

घरेलू टेरिफ क्षेत्र (डीटीए) मंजूरियां

5.8 शर्त 3(i) के साथ पठित अधिसूचना स. 23/2003-सीई, दिनांक 31 मार्च 2003 के साथ अनुबंधित तालिका के क्रम स. 3 के अनुसार यदि डीटीए में 100 प्रतिशत इओयू द्वारा मंजूरी माल को पूर्ण रूप से भारत में विनिर्मित कच्चे माल से विनिर्मित किया जाता है, तब यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अंतर्गत उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करने का दायी होगा और यदि इकाई आयातित कच्चा माल का उपयोग करता है, तब सीमा शुल्क के औसत के बराबर उत्पाद शुल्क उपरोक्त अधिसूचना के क्रम सं. 2 के प्रावधान के अनुसार भुगतान योग्य है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम, 2005 की धारा 53 विशेष रूप से बताती है कि सेज को प्राधिकृत प्रचालनों के उद्देश्य हेतु भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र माना जाएगा।

एफटीपी का पैराग्राफ 9.21 डीटीए को भारत के अंदर के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है जो सेज और ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी से बाहर है। इसके अलावा, सेज अधिनियम, 2005 की धारा 30 में प्रावधान है कि सेज से डीटीए को हस्तांतरित किये गये किसी माल पर सीमा शुल्क प्रभार्य होगा जिसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत एन्टी डंपिंग, प्रतिकारी और सुरक्षा शुल्क शामिल है, जो आयात के समय ऐसे माल पर उदग्राहय के रूप में लागू है। इस प्रकार, सेज से माल की खरीद को आयात के रूप में माना जाना अनिवार्य है और ऐसी खरीद को उपरोक्त अधिसूचना की क्रम सं.3

के अंतर्गत उत्पाद शुल्क के भुगतान के उद्देश्य हेतु 'स्वदेशी खरीद' के रूप में नहीं माना जा सकता।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2010-14 के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी, अहमदाबाद III के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मै. श्री अंबिका पोलीमर प्रा. लि, (ईओयू) ने उपरोक्त अधिसूचना के क्रम सं. 3 के अंतर्गत केंन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर डीटीए में इसके तैयार माल (एचडीपीई पीपी वोवन फेबरिक/उत्पन्न कचरा) को मंजूरी दी थी। तथापि, तैयार माल के मुख्य कच्चे माल (पोलीप्रोपलीन और मास्टर बैच) को मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि, जाम नगर, एक सेंज इकाई से खरीदा गया था। लेखापरीक्षित सत्व ने गलत रूप से सेज युनिट से प्राप्त आपूर्तियों को भारत से खरीदे गए कच्चे माल के रूप में माना और तदनुसार क्रम सं. 2 की बजाय उपरोक्त अधिसूचना की क्रम सं. 3 के अंतर्गत तैयार माल पर अपनी शुल्क देयता के रूप में संपादित किया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 54.14 लाख तक शुल्क का कम भुगतान हुआ।

इसके बारे में बताए जाने पर (मई 2014) अधीक्षक (सीई) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क ने यूनिट की प्रतिक्रिया भेजते हुए (सितंबर 2014) निम्नलिखित आधारों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विरोध किया :-

क) सेज अधिनियम, 2005 की धारा 30 की इओयू द्वारा दी गई मंजूरियों पर कोई प्रयोजनीयता नहीं है जिसके लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमावली का पालन किया जाना चाहिए था।

ख) एस्सार स्टील लि. बनाम यूओआई से मामले (2010(249) ईएलटी 3 (गुजरात)) में माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात ने विशेष रूप से उल्लेख किया (पैराग्राफ 20) कि सेज भारत में अवस्थित है।

ग) वर्षा एक्सपोर्टस बनाम यूओआई के मामले (2000 (71) ईसीसी 834) में माननीय उच्च न्यायलय, गुजरात ने यह भी घोषण की कि काण्डला फ्री ट्रेड जोन भारत का अंग है।

निम्निलिखित तथ्यों के मद्देनजर विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं:-

(I) चूंकि ईओयू ने सेज इकाई से अपना कच्चा माल खरीदा है, इस संव्यवहार को सेज अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में देखा जाना है जिसका ईओयू के डीटीए मंजूरी हेतु शुल्क संरचना पर सीधा प्रभाव है। अतः यह कहना अनुचित है कि ईओयू के डीटीए मंजूरी पर सेज अधिनियम लागू होने योग्य नहीं है।

(II) मै. एस्सार स्टील लि. के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत मुद्दा बिल्कुल अलग था क्योंकि यह सेज इकाईयों को की गई आपूर्तियों पर निर्यात शुल्क के उदग्रहण के मुद्दे से संबंधित है तथा मामले के तथ्यों को उसी संदर्भ में ही पढ़ा जाना चाहिए। सेज अधिनियम की धारा 30 भी स्पष्ट रूप से सेज इकाईयों द्वारा माल की डीटीए मंजूरी पर सीमाशुल्क का उद्ग्रहण निर्धारित करती है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन आपूर्तियों को आयात के रूप में माना गया है। इन संव्यवहारों के लिए प्रविष्टि बिल भी दर्ज किये गए थे जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

मै. वर्षा एक्सपोर्ट के मामले में उच्च न्यायलय का निर्णय उपरोक्त लेखापरीक्षा आपत्ति के लिए प्रासंगिक नही है क्योंकि निर्णय की अवधि के दौरान सेज अधिनियम 2005 (काण्डला सेज को 'काण्डला निशुल्क व्यापार क्षेत्र (केएफटीजेड)' के रूप में जाना जाता था) कें प्रभाव में आने से पहले की अवधि से संबंधित है।

5.9 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 6.8 (ए) के अनुसार रत्न एवं आभूषण इकाईयों से अलग ईकाईयां रियायती शुल्कों के भुगतान पर सकारात्मक एनएफई को पूरा करने के अध्यधीन निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल बेच सकती हैं। डीटीए बिक्री की हकदारी में, इकाई डीटीए में उन वस्तुओं के समान अपने उत्पाद बेच सकती है जो इकाईयों से निर्यात किये गए है या निर्यात किये जाने की उम्मीद है। वे इकाईयॉ जो एक से अधिक उत्पाद निर्मित एवं निर्यात कर रहीं हैं, इस शर्त के अध्यधीन कि कुल डीटीए बिक्री समग्र हकदारी से अधिक नहीं होगी, विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत तक डीटीए में उन उत्पादों की बिक्री कर सकती हैं।

मै. गोदावरी बायो रिफाइनरीज लि. जो एक 100 प्रतिशत ईओयू है, को रसायनों यथा 'क्रोटोनएलडिहाईड पैराएलडीहाईड, इथाईल एसीटेट' इत्यादि का विनिर्माण एवं

निर्यात के लिए अप्रैल 2011 (जैसा संशोधित किया गया है) एलओपी जारी किया गया था। इकाई ने डीटीए में 2013-14 से 2014-15 के दौरान उत्पादों यथा 'पैराएलडीहाईड' सीटीएच 29122990 के अंतर्गत वर्गीकृत तथा 'एसीटेलडीहाईड' सीटीएच 29121200 के अंतर्गत वगीकृत को क्रमश: ₹ 2.04 करोड़ और ₹ 3.98 करोड़ के मूल्य पर डीटीए में मंजूर कराया था। यद्यपि इस अवधि के दौरान डीटीए में मंजूर उत्पादों का कोई निर्यात नहीं किया गया था। चूंकि उत्पाद 'पैराएलडीहाईड' तथा इथाईल एसीटेट' का 2013-15 के दौरान निर्यात नहीं किया गया था। इसलिए शुल्क की रियायती दरों पर की गई डीटीए मंजूरी अनियमित है। तदनुसार, डीटीए मंजूरी पर ₹ 52.06 लाख का विभेदक शुल्क वसूलीयोग्य है।

इसे बताए जाने पर (मार्च/जुलाई 2015), मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2016) कि लाइसेंस धारक ने सुसंगत अवधि के दौरान सकारात्मक एनएफई की उपलब्धि सम्बन्धी शर्तों को पूरा किया और डीटीए में कलीयर किए गए उत्पाद एफटीपी 2009-14 के पैरा 6.8 (ए) में यथा अनुबद्ध समान माल है। इसलिए, लाइसेंसधारक इस शर्त के अध्यधीन डीटीए में इन उत्पादों को बेच नहीं सकते कि कुल डीटीए बिक्री समग्र हकदारी से अधिक नहीं हो सकती।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है लेखापरीक्षा या तो एनएफई की उपलब्धि न होने या समग्र हकदारी के अधिक्य के कारण इन उत्पादों की डीटीए मंजूरी में आपत्ति नहीं उठा रही है। क्योंकि 'विशिष्ट' उत्पाद की डीटीए मंजूरी केवल जब उत्पाद का वास्तविक रूप से निर्यात किया गया है तब इसके मात्र एफओबी मूल्य की निर्धारित प्रतिशतता के अन्दर अनुमत है। यहाँ एफटीपी के पैराग्राफ 6.8 (ए) में शब्द 'विशिष्ट' पर विश्वास करना अन्य शर्तों के पूरा करने के अतिरिक्त डीटीए में इसकी मंजूरी की पात्रता का निर्णय करने के लिए मूल विचार है। वर्तमान मामले में उत्पादों का निर्यात सुसंगत अवधि के दौरान नहीं किया जा रहा था बल्कि डीटीए में क्लीयर किए गए थे।

5.10 अस्वीकृत सत्त्व सूची (डेल) में फर्मो को लाइसेंस जारी करना

विदेश व्यापार (विनियम) नियमावली 1993 के नियम 7 के साथ पठित, डीजीएफटी के प्रत्यावर्तन डिवीजन के दिनांक 31 दिसम्बर 2003 के परिपत्र सं. एफ सं. 18/24/मु./99-2000/ईसीए II के प्रावधानों के अनुसार एक अस्वीकृत सत्त्व सूची का अनुरक्षण किया जाता है। एक आईईसी धारक को

आगे कोई लाइसेंस देने हेतु इन्कार किया जा सकता है यदि उसे एफटीपी या एफटीडीआर अधिनियम के किसी उल्लंघन में डेल में रखा जाता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 17 आरएलएज[38] के अभिलेखों से नमूना जांच किए गए 349 मामलों में विभाग ने लाइसेंस जारी करने के समय पर डीईएल प्रास्थिति की जांच किए बिना ₹ 80.78 करोड़ के मूल्य के शुल्क क्रेडिट/सीफ के साथ लाइसेंस जारी किए थे।

लेखापरीक्षा आपत्तियों की प्रतिक्रिया में आरएलए मुरादाबाद, पानीपत और लुधियाना ने बातया कि डीईएल से हटाए जाने के बाद लाइसेंस/स्क्रिप जारी किए गए थे, जो कि सही नहीं है, क्योंकि फर्मों को डीईएल (सेन्ट्रल सर्वर) से हटाए बिना उन्हें लाइसेंस जारी किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, डीईएल में सत्वों को लाइसेंस जारी करना, डीईएल आदेश स्थगन को देखते हुए सही नहीं था, क्योंकि दिसम्बर, 2003 के परिपत्र और विदेश व्यापार (विनियम) नियमावली, 1993 के प्रावधान के अनुसार डीईएल के अंतर्गत एक बार ब्लैक लिस्टेड होने के बाद एक आईसी धारक को लाइसेंस नहीं जारी किया जा सकता था।

इसके अलावा, आरएलए उत्तर से यह देखा गया कि सेन्ट्रल डीईएल डाटा बेस में अंतर्विष्टि एवं हटाने जैसे अद्यतन तेजी से नहीं किए जा रहे थे जिसके परिणामस्वरूप एक अविश्वसनीय डीईएल सूची बनाई गई।

डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में ई-कॉम एप्लीकेशन प्रस्तुत करने अथवा ऐसे सत्वों को प्राधिकार/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी करने हेतु डीईएल में सत्वों को निषिद्ध करने के लिए कारोबारी नियमों की समुचित व्यवस्था नहीं थी। डीईएल स्थिति की जांच मामले दर मामले आधार पर मैनुअल रूप से की जा रही है जिसके कारण चूक और गलत लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।

आरएलए चेन्नई, कोम्बटूर, कोचीन, मदुरै, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई, सूरत, अहमदाबाद, वड़ोदरा, कानपुर दिल्ली एंव जयपुर से उत्तर प्रतीक्षित है जनवरी) 2016)।

[38] 17 आरएलएः कोलकाता, चेन्नई, कोयम्बेतूर, कोचीन, कोच्ची, मदुरै, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर, हैदराबाद, मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, मुरादाबाद, पानीपत, लुधियाना।

अध्याय VI

सामान्य छूट अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (I) के अंतर्गत सरकार को या तो पूर्ण रूप से या अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अनुसार उस पर आरोप्य सीमाशुल्क का पूर्ण या शुल्क के किसी भी भाग से कोई भी निर्धारित विवरण के माल पर छूट देने की शक्ति है। नोटिस की गई छूट (अक्टूबर 2013 से जनवरी 2015) के गलत मंजूरी के कारण कुल ₹ 1.52 करोड़ के शुल्क की गैर-उगाही/कम उगाही के कुछ दृष्टांत उदाहरणों की निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

अपेक्षित जाँच रिपोर्ट के बिना सीवीडी की गलत छूट

6.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दर अनुसूची (6309 00 000 और 6310 को छोड़कर) के अध्याय 61,62 और 63 के अंतर्गत आने वाले दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 7/2012-सीई के संदर्भ में, जैसा कि दिनांक 1 मार्च 2013 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, "कॉटन का सब माल जिसमें कोई भी अन्य कपड़ा नहीं मिला है" यथामूल्य 12 प्रतिशत की शुल्क दर की बजाय यथामूल्य 6 प्रतिशत की रियायती दर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) आकर्षित करता है।

दिनांक 15 मार्च 2004 के परिपत्र संख्या 23/2004-सी.शु. के माध्यम से सीबीईसी ने निर्देश जारी किए कि मामले जहां 25 प्रतिशत नमूने वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत कपड़ा समिति प्रयोगशाला को खतरनाक रंगो की जांच हेतु भेजे जाने अपेक्षित हैं, संयोजन के लिए जांच दोहरेपन से बचने के लिए कपड़ा समिति प्रयोगशाला पर भी की जानी चाहिये। तथापि डीजीएफटी अधिसूचना के अनुसार जहां खतरनाक रंगो की कोई जांच अपेक्षित नहीं है, संयोजन की जांच केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला(सीआरसीएल)-आंतरिक जांच प्रयोगशाला पर की जानी चाहिये।

1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए पैट्रोपोल भूमि सीमाशुल्क स्टेशन(एलसीएस) के माध्यम से तैयार वस्त्र के आयात की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वस्त्र जो कॉटन से बने हुये घोषित किए

गये थे नमूने के 25 प्रतिशत को आहरण के बिना 12 प्रतिशत की शुल्क दर की बजाय 6 प्रतिशत रियायती सीवीडी दर पर मूल्यांकन के लाभ और माल का संयोजन सुनिश्चित करने के लिये उसकी जांच की नियमित रूप से अनुमति दी। इसके बजाय आयातकों द्वारा बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सटाइल से संयुक्त एजो रंग के साथ संयोजन जाँच रिपोर्ट सीवीडी की रियायती दर के लाभ की अनुमति देने के लिये निर्भर थी। तथापि, बीयूटी, ढाका न तो सीबीईसी और न ही डीजीएफटी द्वारा, कपड़ा संयोजन जांच की स्वीकृति के लिये जांच एजेंसी के रूप में अनुमोदित था। तद्दनुसार, अपेक्षित जांच रिपोर्ट के बिना 42 नमूना जांच आयात में ₹ 41.75 लाख की सीवीडी छूट देना अनियमित था।

इस ओर ध्यान दिलाने (मार्च 2014) पर, सीमाशुल्क विभाग ने विरोध किया (फरवरी 2015) कि बीयूटी, ढाका का पूर्व-शिपमेंट प्रमाणपत्र स्वीकार करने योग्य था चूंकि वह उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के लिये अधिकृत संस्था थी। क्योंकि बांग्लादेश के गणतंत्र निवासी के लिये उप उच्चायोग ने सीमाशुल्क विभाग को सूचित किया कि बीयूटी, ढाका एजो और खतरनाक रंगों के संबंध में प्रमाणपत्र जारी करने के लिये बांग्लादेश सरकार द्वारा प्राधिकृत था।

विभाग को बताया गया (अप्रैल 2015) कि उनका उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योकि पूर्व-शिपमेंट प्रमाणपत्र, आयातित कपड़े और कपड़े की वस्तुओं में खतरनाक रंग न होना सुनिश्चित करने के लिये और न कि संयोजन के लिये अर्थात कपड़ा/नॉन-टेक्सटराइज़ड या कॉटन के अतिरिक्त कोई वस्तु, के लिये वाणिज्यिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय(मार्च 2004) द्वारा जारी निर्देश और आयात नीर्ति की शर्तों के अनुसार अपेक्षित था। लेकिन उपरोक्त उल्लिखित निर्देशों में से किसी में भी, एमओसी/एमओएफ ने इन पूर्व–शिपमेंट प्रमाणपत्रों में कपड़ा वस्तु संयोजन का स्वीकार करने के निर्देश नहीं दिये थे।

लेखापरीक्षा आयातित सामग्री में खतरनाक रंगों की मौजूदगी के बारे में मुद्दे को चिन्हित नहीं कर रही हैं बल्कि कपड़े की वस्तु के संयोजन की जांच के बिना शुल्क की रियायती दर पर आयातित कपड़े की निकासी अर्थात "कि क्या कॉटन के अतिरिक्ति कोई कपड़े वस्त्र सामग्री शामिल है या नहीं" जिसके लिये

बीयूटी का पूर्व-शिपमेंट प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं है। आयातित कपड़ा/कपड़े की वस्तु के संयोजन के लिये जांच कपड़े के वस्तु की सामग्री निश्चित करने के लिये या तो आंतरिक केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल) में या वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत कपड़ा समिति प्रयोगशाला में की जानी चाहिए।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में सूचित किया कि समान मामलों की पुनरीक्षा के बाद ₹ 1.14 करोड़ की राशि के विभेदक शुल्क के लिए संबंधित आयातकों को एससीएनस जारी किए गए थे जिसके लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर ₹ 41.75 लाख की राशि शामिल थी।

मूल सीमाशुल्क की गलत छूट

6.2 'प्रोजेक्टर' जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से स्वचालित डाटा प्रसंस्करण प्रणाली में प्रयोग किये जाते हैं, सीमाशुल्क शीर्ष (सीटीएच) 85286100 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं। जबकि अन्य प्रोजेक्टर जो स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीनों के साथ-साथ टेलीविज़न और वीडियों के साथ भी कार्य करने में सक्षम हैं सीटीएच 85286900 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं।

मैसर्स एमआइआरसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने, एसीसी, मुंबई के माध्यम से विभिन्न मॉडलों के 'प्रोजेक्टर' के आठ परेषण भेजे। यह माल सीटीएच 85286100 के अंतर्गत वर्गीकृत किये गए थे और दिनांक 1, मार्च 2005 की अधिसूचना संख्या 24/2005-सीयूएस के क्रम संख्या 17 के अंतर्गत शुल्क रियायती दर पर निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने उत्पाद सूची से देखा कि 'प्रोजेक्टर' के आयातित मॉडलों में विडियो इनपुट और संयुक्त विडियो इनपुट प्रावधान थे और इसलिए स्वचालित प्रसंस्करण प्रणाली के साथ-साथ टेलीविजन और विडियो के साथ प्रयोग किया जा सकता था। तद्नुसार आयातित माल सीटीएच 85286900 के अंतर्गत वर्गीकृत करने योग्य और 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाये जाने योग्य हैं। इस प्रकार, पूर्वोक्त छूट अधिसूचना का लाभ देने और गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 40.85 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

इसे बताए जाने पर (जुलाई 2015) आपत्ति को स्वीकार न करतेहुए मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2015) कि आयातक द्वारा प्रस्तुत किए गए केटालोग के अनुसार आयातित प्रोजेक्टर मोडल्स (112आई, 114आई एसटी) के पास एस विडियों इनपुट नहीं था। तथापि, राजस्व ब्याज को बचाने के लिए एक मांग एवं लेख प्रभार नोटिस आयातको को जारी किया गया है। उनके उत्तर के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आपूर्तिकार की वेबसाइट www.infocus.com/ projetors/IN114 or IN112 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इन प्रोजेक्टरस के पास एस-विडियों कनेक्शन्स है।

6.3 एसी प्रकार, मैसर्स पीआईडी प्राइवेट लिमिटेड और चार अन्य ने एसीसी, मुंबई के माध्यम से विभिन्न मॉडलों के 'प्रोजेक्टर' के सात परेषण आयात किये(मार्च से जून 2013)। यह माल सीटीएच 85286100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और दिनांक 1 मार्च 2005 की अधिसूचना संख्या 24/2005-सीयूएस की क्रम संख्या 17 के अंतर्गत शुल्क की रियायती दर पर निर्धारित किया गया था।

उत्पाद सूची से लेखापरीक्षा ने देखा कि 'प्रोजेक्टर' का आयातित मॉडल में विडियो इनपुट और कंपोजिट विडियो इनपुट का प्रावधान था और इसलिये स्वचालित प्रसंस्करण प्रणाली के साथ-साथ टेलिविजन और विडियो के साथ प्रयोग किया जा सकता था। तदनुसार आयातित माल सीटीएच 85286900 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य और 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाये जाने योग्य था। इस प्रकार पूर्वोक्त छूट अधिसूचना का लाभ देने और गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹14.66 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

विभाग/मंत्रालय को अप्रैल 2014/जुलाई 2015 में इस बारे में बताया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2016)।

लोहे या गैर धातु इस्पात की पहले से रंगी हुई कॉयल के लिए छूट

6.4 "लोहे और गैर धातु इस्पात के फ्लैट रोल्ड उत्पाद" उसकी विशेषताओं के अनुसार अध्याय 72 के अंतर्गत वार्गीकरणीय हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक

17 मार्च 2012 (संशोधित अनुसार) की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीयूएस की क्रम संख्या 334 के अनुसार सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 7210 के अंतर्गत आने वाले अतिरिक्त और दोषपूर्ण के अलावा सभी माल पर बीसीडी 7.5 प्रतिशत की दर पर वसूली योग्य है। यद्यपि, अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाले अतिरिक्त और दोषपूर्ण माल 10 प्रतिशत की दर पर वसूली योग्य हैं।

मैसर्स गर्ग सेल्स कॉरपोरेशन ने आईसीडी, तुलनकाबाद के माध्यम से "कॉयल में एमएस पहले से रंगा हुआ/कॉयल में एमएस दोषपूर्ण पहले से रंगा हुआ" के 14 माल आयातित किए (मई से जुलाई 2014)। माल को सीटीएच 72109090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और पूर्वोक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 330 का लाभ देने के बाद 5 प्रतिशत की दर पर रियायती दर बीसीडी के लिए निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला की पूर्वोक्त माल पूर्वोक्त क्रम संख्या 330 के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं है, बल्कि अतिरिक्त और दोषपूर्ण के अलावा अधिसूचना की क्रम संख्या 334 के अंतर्गत निहित है और 7.5 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लिए जाने योग्य है। इस प्रकार, अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के परिणामस्वरूप ₹28.03लाख की शुल्क राशि की कम वसूली हुई।

यह विभाग/मंत्रालय को अगस्त 2014/जुलाई 2015 में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

शर्तों को पूर्ण किए बिना विशेष अतिरिक्त शुल्क की वापसी

6.5 अनुवर्ती बिक्री के लिए भारत में आयातित माल पर सीमाशुल्क दर अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत 4 प्रतिशत की दर पर एकत्रित अतिरिक्त सीमाशुल्क दिनांक 14 सितंबर 2007 की अधिसूचना संख्या 102/2007-सी.शु. की शर्तों के पालन के अंतर्गत आयातक को वापस किया जा सकता है। अधिसूचना की शर्त 2(बी) निर्धारित करती है कि एसएडी की वापसी केवल तभी होगा जब आयातक, आयातित माल की बिक्री के लिए बीजक जारी करते समय बीजक में विशेष रूप से दर्शाये की इसमें निहित माल के सबंध में, सीमाशुल्क दर अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-

धारा(5) के अंतर्गत वसूल किए गए अतिरिक्त सीमाशुल्क का कोई भी क्रेडिट स्वीकार्य नहीं होगा।

इस शर्त का पालन सुनिश्चित करने के लिये आयातकों को पूर्वोक्त अधिसूचना की शर्त 2(ई) के अनुसार बिक्री बीजक की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तथापि, कागजी कार्यवाही को न्यूनतम करने के लिए आयातकों द्वारा अभिवेदन पर दिनांक 13 अक्तूबर 2008 के परिपत्र संख्या 16/2008-सी.शु. के माध्यम से सीबीईसी ने इलैक्ट्रॉनिक रूप से (सीडी के फार्म सहित) बिक्री बीजक की प्रति स्वीकार करने का निर्णय लिया बशर्ते आवेदक लिखित रूप से मीडिया में मौजूद बीजक संख्या दर्शाये और अपनी सत्यता की पुष्टि करे।

मैसर्स ए.एम. केबल्स प्राइवेट लिमिटेड और चार अन्य आयातकों को उनके आयातित माल जिसे बाद में भारत में बेचने का दावा किया गया था, पर दिये गये एसएडी की वापसी के रूप में कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी द्वारा ₹13.96 लाख (अगस्त 2012 से मई 2014) अनुमोदित किये गये थे। इन सभी मामलों में, केवल एक को छोड़कर, आवेदक ने अपने आयातित माल की बिक्री के साक्ष्य के रूप में सीडी के रूप में इलैक्ट्रॉनिक रूप से बिक्री बीजक की प्रति प्रस्तुत की थी। तथापि, इन सभी मामलों के बिक्री बीजक की समीक्षा से पता चला कि आयातित माल के खरीददार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत इनमें से किसी भी बिक्री बीजक पर सेनवेट क्रेडिट न लगाने का सबूत नहीं था, जैसाकि दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना की शर्त 2(बी) के अंतर्गत अपेक्षित है। वापसी के यह दावे दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना की निर्धारित शर्त पूर्ण नहीं करते, तदनुसार ₹ 13.96 लाख की एसएडी वापसी की मंजूरी अनियमित थी।

यह बताने पर (अक्तूबर 2013, जनवरी 2014/जनवरी 2015) विभाग ने दो आयातकों (मैसर्स ए.एम.केबल्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सलेक्ट मार्किटिंग ओवरसीज इंटरप्राइज) से ₹ 3.51 लाख की वसूली के बारे में बताया (दिसम्बर 2014)। अन्य तीन आयातकों के संबंध में विभाग ने विरोध किया (जून 2015) कि अपने उत्तर में आयातकों ने बिक्री बीजक की सॉफ्टकॉपी पर अपेक्षित सबूत शामिल करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की चूंकि बिक्री

बीजक की सॉफ्ट कॉपी पर स्वत: घोषणा करने का विकल्प नहीं था, जिसके लिये बीजक के साथ संलग्न अपेक्षित सबूत सहित आयातक के लेटर हेड पर स्वत: घोषणा अधिसूचना की शर्तों की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत थी।

विभाग को सूचित किया गया (जून 2015) कि आयातकों का तर्क कि अपेक्षित सबूत बिक्री बीजक की सॉफ्टकॉपी में संभव नहीं है, उचित नहीं था क्योंकि समान सबूत अन्य प्रतिदाय दावों के संबंध में प्रस्तुत बिक्री बीजक की साफ्टकॉपी में पाये गये थे। इसके अलावा, बिक्री बीजक के साथ अपने लेटर हेड पर आयातकों द्वारा अलग से स्वत: घोषणा/सबूत दिनांक 14 सितम्बर 2007 की पूर्वोक्त अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अनुसार उक्त सबूत की आवश्यकता के पीछे के इरादे को पूर्ण नहीं करता, चूंकि यह खरीददार को ऐसे खरीद बीजकों पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने से नहीं रोक सकता जिसके परिणामस्वरूप दो बार प्रतिदाय हो सकता है।

मामलों को सितम्बर 2015 में मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

'तिपहिया वाहन, स्कूटर, पेडल कार और समान पहियेदार खिलौने और उसके पुर्जों के लिये छूट

6.6 'तिपहिया वाहन, स्कूटर, पेडल कार और समान पहियेदार खिलौने वाली गुडिया' आदि सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 9503 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी निर्धारणीय है।

मैसर्स नेशनल इंपेक्स ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से 'बच्चे की बाइक/स्कूटर कार, तिपहिया खिलौने' आयात किये (जुलाई 2013 से मार्च 2014)। आयातित माल सीटीएच 95030090 के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे और दिनांक 22 जुलाई 2005 की अधिसचूना संख्या 72/2005 (भाग क की क्रम संख्या 427) के अंतर्गत 43 प्रतिशत की दर रियायत सहित 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पूर्वोक्त, अधिसूचना के भाग 'क' की क्रम संख्या 427 के लाभ 'तिपहिया,स्कूटर, पेडल कार और समान पहियेदार खिलौने, गुड़िया, गाड़ी के औंजार और पुर्जों' के अलावा माल पर मिलता है। तथापि, वर्तमान मामले में आयातित माल बच्चों की तिपहिया साइकिल /बच्चों के खिलौने, कार/स्कूटर आदि और बच्चों के चलाने के लिये प्रयोग होने वाले पहियेदार खिलौने थे और इस प्रकार सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 72/2005 के भाग 'क' की क्रम संख्या 427 के लाभ के लिये पात्र नहीं था। इसलिए अधिसूचना लाभ के गलत मंजूरी के परिणामस्वरूप ₹ 12.49 लाख की शुल्क राशि की कम उगाही हुई।

इसे बताए जाने पर (जुलाई 2015), मंत्रालय ने आयातक को मांग एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया सूचित किया (दिसम्बर 2015)।

अध्याय VII

माल का गलत वर्गीकरण

अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान (अगस्त 2014 से जून 2015), हमने देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने विभिन्न आयातित माल का गलत वर्गीकरण किया जिसके कारण ₹ 1.70 करोड़ के सीमाशुल्क की कम उगाही/गैर उगाही हुई। उनकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है।

गलत-वर्गीकरण के कारण सुरक्षा शुल्क की गैर-उगाही

7.1 दिनांक 28 अगस्त 2014 की अधिसूचना संख्या 3/2014-सीयूएस (सुरक्षा) के अनुसार सीटीएच 382370 के अंतर्गत आने वाले डीहाइडोल अर्थात सेचुरेटैड फैटी ऐल्कहॉल, थाइलैंड में उत्पन्न या निर्यात और भारत में आयातित यथामूल्य 20 प्रतिशत की दर पर सुरक्षा शुल्क की उगाही के अधीन है। डीहाइडोल सेचुरेटेड फैटी एल्काहॉल सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 38237090 के अंतर्गत वर्गीकरण और सुरक्षा शुल्क योग्य है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मैसर्स बीएएसएफ लिमिटेड ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई के माध्यम से थाइलैंड से 'डीहाइडोल'के पांच परेषण आयात किये (नवम्बर/दिसम्बर 2014)। आयातित माल सीटीएच 382370 के अंतर्गत की बजाय संबंधित उद्योग हेतु रसायन-अन्य' के रूप में सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 38249090 के अंतर्गत वर्गीकृत और सुरक्षा शुल्क की उगाही के बिना निर्धारित किया गया था। मैनुअल चालान के माध्यम से भी सुरक्षा शुल्क के भुगतान का कोई सबूत नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 71.69 लाख के सुरक्षा शुल्क की गैर-उगाही हुई।

मामले को विभाग/मंत्रालय को मार्च/2015 में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

'अन्य- खनिज पदार्थ, कहीं भी निर्दिष्ट नहीं' के रूप में शिलाजीत का गलत वर्गीकरण

7.2 'खनिज वैक्स' अर्थात शिलाजीत सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 27 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और 14 प्रतिशत की दर पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) आकर्षित करता है।

मैसर्स एस के ट्रेडिंग कंपनी और चार अन्य ने आइसीडी तुगलकाबाद के माध्यम से 'शिलाजीत स्टोन (खनिज उत्पाद) के 21 परेषण आयात किये (जुलाई 2013 से जनवरी 2015)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मद 'अन्य–खनिज पदार्थ कहीं और निर्दिष्ट नहीं के रूप में सीटीएच 25309099 के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था और सीवीडी की उगाही से छूट प्राप्त था। तथापि, एस्फाल्टम के रूप में जाना जाने वाला शिलाजीत स्टोन 'अन्य-एल्फाल्टिटस और एल्फाल्टिक रॉक' के रूप में सीटीएच 27149090 के रूप में वर्गीकरणीय है और 14 प्रतिशत की दर पर सीवीडी आकर्षित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.45 लाख की शुल्क राशि की कम उगाही हुई।

यह विभाग/मंत्रालय को जनवरी/2015 में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

चावल मिल रबर रोलर का चावल मिल मशीनरी के रूप में गलत वर्गीकरण

7.3 'चावल मिल रबर रोलर/धान से भूसी निकालने वाले रबर रोलर' 'रबर की अन्य वस्तुओं' के रूप में सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 40169990 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और 10 प्रतिशत के मूल सीमाशुल्क लगाये जाने योग्य है। सीबीईसी (बोर्ड) ने दिनांक 11 जनवरी 1990 के अपने परिपत्र संख्या 2/1990-सीएक्स-3 में भी स्पष्ट किया है कि 'चावल मिल' में प्रयोग किये गये 'रबर रोल' सीटीएच 4016 के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त दिनांक 17 मार्च 2012 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2012 (क्र.सं. 155)

स्पष्ट रूप से 'चावल मशीनरी' के लिये 'चावल रबर रोल्स' का वर्गीकरण सीटीएच 4016 के अंतर्गत करता है।

मैसर्स केबीएम इंटरनेशनल और तीन अन्य ने समुद्री सीमा शुल्क, चेन्नै के माध्यम से 'चावल मिल रबर रोलर्स/धान से भूसी निकालने वाले रबर रोलर्स' के 21 परेषणों का आयात किया (अगस्त 2013 से जनवरी 2014)। माल 'चावल मिल मशीनरी के भाग' के रूप में सीटीएच 84379020 के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था और आयात की अवधि के दौरान प्रचारित 7.5 प्रतिशत/2.5 प्रतिशत/शून्य दर पर मूल सीमाशुल्क के लिये निर्धारित था। इस प्रकार, गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 23.03 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (जून 2014), विभाग ने कहा (अगस्त 2014/फरवरी 2015) कि सभी चार आयातकों (मैसर्स केबीएम इंटरनेशनल, मैसर्स ओम रबर्स, मैसर्स निर्मला एजेंसीज और मैसर्स श्रीनिवास मिल स्टोर्स) को मांग नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने यह भी कहा कि दिनांक 17 मार्च 2012 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2012 के आधार पर, सीटीएच 4016 के अंतर्गत 'रबर रोलर' का वर्गीकरण नियमानुकूल और उचित नहीं था और माल को धारा नोट और अध्याय के साथ पढ़कर व्याख्यात्मक नियम के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिये।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि :-

(i) बोर्ड ने अपने परिपत्र संख्या 2/1990-सीएक्स 3 में स्पष्ट किया है कि 'चावल मिल' में प्रयोग किये जाने वाला 'रबर रोलर' सीटीएच 4016 के अंतर्गत वर्गीकरणयोग्य है।

(ii) व्याख्यात्मक नियमावली के 3(ए) के अनुसार, शीर्ष जो सबसे अधिक विशिष्ट विवरण देता है, को अधिक सामान्य विवरण प्रदान कराने वाले शीर्षों के लिये वरीयता देनी चाहिये। 'रबर रोलर' 'चावल मिल मशीनरी के भाग' से ज्यादा अधिक विशिष्ट है।

(iii) यद्यपि, 'रबर रोलर' धातु और रबर से बना होता है, आयातित वस्तुओं का सामान्य विवरण 'रबर रोलर' है और इसलिए, माल का वर्गीकरण सीटीएच 4016 के अंतर्गत 'रबर की वस्तुओं' के रूप में किया जाना चाहिये।

(iv) कलेक्टर बनाम कोहिनूर रबर मिल्स-1993 (67) ईएलटी 816 (अधिकरण) के मामले में यह निर्णय हुआ कि चावल रबर रोल्स उप-शीर्ष 4016-99 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थित था जैसाकि 1997 (92) ईएलटी 36(एससी) में बताया गया है।

यह विभाग/मंत्रालय को जून/2015 में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

मंत्रालय ने 2015 की प्रतिवेदन संख्या 8 (उप पैराग्राफ संख्या 6.8) में बताया गया समान आपत्ति को स्वीकार किया है (नवम्बर 2015)।

'बने हुए वस्त्र' को सिंथटिक रेशे वाले 'अन्य बने हुए वस्त्र' के रूप में गलत वर्गीकृत

7.4 'बने हुए वस्त्र' जिसमें पोलिस्टर रेशे का 85 प्रतिशत या अधिक हो, सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 540761/540769 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और 10 प्रतिशत या 36 प्रति वर्गमीटर की दर पर बीसीडी लगाये जाने योग्य है, जो भी उच्च हो।

मैसर्स जे एंड जे ओवरसीज आइएनसी ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से 90 प्रतिशत पोलिस्टर रेशे और 10 प्रतिशत विस्कोस रेशे वाले पोलिस्टर विस्कोस वस्त्र के तीन परेषण आयात किये (जुलाई/सितम्बर 2014)। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयातित माल 85 प्रतिशत या अधिक वाले सिंथेटिक रेशे-रंगे हुए 'अन्य बने हुए वस्त्र' के रूप में सीटीएच 54077200 के अंतर्गत वर्गीकृत था और बीसीडी 10 प्रतिशत या ₹ 36 प्रति वर्गमीटर की उच्चतर दर के बजाए ₹ 24 प्रति वर्गमीटर पर वसूली योग्य थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.77 लाख की शुल्क राशि की कम उगाही हुई।

यह विभाग/मंत्रालय को दिसम्बर 2014 में/बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

'लकड़ी की वस्तुओं' को छड़ी के विनिर्माण 'लकड़ी की छड़ी' के रूप में गलत वर्गीकरण

7.5 'लकड़ी की वस्तुएं' सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 4421 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और 12 प्रतिशत की दर पर सीवीडी आकर्षित करती है।

मैसर्स श्री सांई ओवरसीज ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से 'लकड़ी की छड़ी' (आकार 74 मिमी से 114 मिमी) के छह परेषण आयात किये (अप्रैल 2014 से जुलाई 2014)। विभाग ने 'लकड़ी की छड़ी', मोटे तौर पर छांटी गई लेकिन घूमा, मुड़ा या अन्यथा छड़ी उपकरण संभाल, विभाजित पोल आदि' के विनिर्माता के लिये उपयुक्त काम नहीं करता के रूप में सीटीएच 44042010 के अंतर्गत आयातित माल वर्गीकृत किया और उसे सीवीडी में छूट दी। चूंकि आयातित लकड़ी की छड़ी आकार में काफी छोटी थी (74-114 मिमी) वह छड़ी आदि के विनिर्माता के लिये उचित नहीं हैं इसलिए 12 प्रतिशत की दर पर सीवीडी आकर्षित करते हुए 'लकड़ी की अन्य वस्तुओं' के रूप में सीटीएच 44219090 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं। इसके अतिरिक्त मूल देश प्रमाण पत्र भी पुष्टि करता है कि आयातित माल सीटीएच 44219090 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। इस प्रकार गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 13.14 लाख शुल्क की कम उगाही हुई।

मंत्रालय ने ₹ 13.14 लाख के लिए मांग नोटिस के जारी किए जाने के बारे में सूचित किया (दिसम्बर 2015) प्रगति प्रतीक्षित है।

'कच्चे पाल्म स्टियेरिन का 'अन्य तेल' के रूप में गलत वर्गीकरण

7.6 बोर्ड ने दिनांक 26 जुलाई 2011 के सीमाशुल्क परिपत्र संख्या 31/2011 के माध्यम से स्पष्ट किया कि 'कच्चे पाल्म स्टियेरिन' सीटीएच 38231111 के अंतर्गत निर्धारित किया जाना चाहिए और अपने क्षेत्र निर्माण को तदनुसार सभी लंबित मामलों को पूर्ण करने के निर्देश दिये। तदनुसार, 'आरबीडी पाल्म कर्नल स्टियेरिन' 20 प्रतिशत की दर पर

बीसीडी आकर्षित करते हुए सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 38231112 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं।

मैसर्स कार्गिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जेएनसीएच न्हावा शेवा के माध्यम से 'आरबीडी पॉम कर्नल स्टियेरिन का एक परेषण आयात किया (अप्रैल 2012)। विभाग ने 20 प्रतिशत के बजाय 7.5 प्रतिशत की दर पर बीसीडी की उगाही करते हुए सीटीएच 15132910 के अंतर्गत 18 अप्रैल 2012 को अंतिम रूप से माल का मूल्यांकन किया। इसके परिणामस्वरूप ₹11.55 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

इसे बताए जाने पर (मई 2015), मंत्रालय ने आयातक को मांग एवं कारण बताओं नोटिस, जारी करने के बारे में सूचित किया (जनवरी 2016)।

'वेजिटेबल सैप्स और एक्सट्रेक्ट्स' का 'अन्य एसाइक्लिक, एल्काहॉल और उनके हैलोजिनेटेड डेरिवेटिव के रूप में गलत वर्गीकरण

7.7 'वेजिटेबल सेप्स और एक्सट्रेक्ट्स' सीटीएच 1302 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और 15 प्रतिशत की दर पर बीसीडी आकर्षित करता है।

मैसर्स ऑरिफ्लेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आईसीडी तुगलकाबाद के माध्यम से 'टीवाईआरओएसटीएटी 09 (पानी, ग्लिसरिन, रूमेक्स आक्सडेन्टल एक्सट्रेक्ट)' आयात किया (अक्तूबर 2013 से नवम्बर 2014)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित माल 'अन्य एसाइक्लिक, एल्काहॉल और उनके हैलोजनेटेड, स्लफोनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोस्टेटेड डेरीवेटिटस' के रूप में सीटीएच 29054900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 7.5 प्रतिशत की दर पर बीसीडी की उगाही की गई थी। हर्ब 'रूमेक्स आक्सडेन्टल' वेजिटेबल एक्सट्रेक्ट हैं और इसलिये सीटीएच 2905 की बजाय सीटीएच 1302 के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने योग्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.27 लाख की शुल्क राशि की कम उगाही हुई।

यह दिसम्बर 2014 में विभाग/मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

नई दिल्ली **(डा. नीलोत्पल गोस्वामी)**
दिनांक: 11 फरवरी 2016 **प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक: 11 फरवरी 2016 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

अनुबंध

अनुबंध 1: डीआरआई द्वारा पता लगाए गए शुल्क अपवंचन के मामलें (योजना-वार)

(संदर्भ पैराग्राफ 1.17 देखें)

₹ करोड़

क्रम सं.	योजना	वि.व 11		वि.व 12		वि.व 13		वि.व 14		वि.व 15	
		मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क
1	अंतिम उपयोग और दूसरी अधिसूचना का दुरूपयोग	26	100.55	54	304.84	39	67.79	38	1211.67	18	110.18
2	ईपीसीजी का दुरूपयोग	10	3.33	6	25.72	13	179.55	22	583.08	49	289.11
3	कम मूल्यांकन	197	132.12	184	466.17	210	282.43	140	432.71	85	285.64
4	गलत घोषणा	91	110.19	111	844.44	298	2392.26	102	224.22	52	172.42
5	फिरती	102	81.42	13	25.93	71	1590.14	17	80.50		
6	इओयू/ईपीजेड/सेज का दुरूपयोग	4	0.04	6	9.66	7	39.07	3	6.90	6	37.50
7	डीईपीबी का दुरूपयोग	34	3.80	26	23.93	16	22.77	5	3.09		
8	डीईईसी/अग्रिम लाइसेंस का दुरूपयोग	18	264.62	1	0.10	6	139.73	1	0	11	1077.15
9	अन्य	99	130.40	97	27.43	49	28.92	366	570.55	186	953.54
	जोड़	**581**	**826.47**	**498**	**1728.22**	**709**	**4742.66**	**694**	**3112.72**	**407**	**2925.54**

अनुबंध 2:विनिर्दिष्ट वस्तुओं की जब्ती
(संदर्भ पैराग्राफ 1.18)

₹. करोड़

क्रम सं.	वस्तु	वि.व 11		वि.व 12		वि.व 13		वि.व 14		वि.व 15	
		अखिल भारतीय	डीआरआई	अखिल भारतीय	डीआरआई	अखिल भारतीय	डीआरआई	अखिल भारतीय	डीआरआई	अखिल भारतीय	डीआरआई
I	मशीनरी पुर्ज	249.76	106.61	133.71	113.34	69.50	38.78	563.18	535.67	447.10	444.34
II	वाहन/पोत/एयर क्रॉफ्ट	24.89	1.13	415.40	274.61	306.08	191.15	472.89	327.29	62.66	54.09
III	सोना	9.34	0.25	46.43	8.25	99.35	44.80	692.35	245.92	1119.11	274.80
IV	मादक औषधि	58.33	16.72	1711.93	1653.81	969.16	194.84	451.98	209.00	290.59	102.41
V	इलेक्ट्रानिक सामान	167.04	21.49	189.98	4.06	71.66	13.14	37.85	19.48	17.98	6.54
VI	विदेशी मुद्रा	3.83	1.36	35.55	0.27	9.96	0.06	14.49	5.97	25.09	3.65
VII	हीरे	11.52	1.00	24.66	15.50	9.46	5.00	6.62	5.27	14.81	10.50
VIII	भारतीय मुद्रा	2.11	1.16	18.20	0.31	4.87	2.44	5.20	2.12	3.71	1.30
IX	भारतीय नकली मुद्रा	1.81	1.50	2.64	2.19	2.24	2.02	1.13	1.09	1.24	0.64
X	फैब्रिक/सिल्क धागा आदि	187.7	36.45	158.79	52.38	49.89	5.45	24.03	1.04	41.78	9.13
XI	कंप्यूटर/पुर्जे	5.29	2.26	4.99	1.19	18.6	0.36	0.46	0	1.78	1.38
XII	बियरिंग्स	0.14	0	6.10	1.98	0.32	0	0.47	0	0.89	0
XIII	घड़ी/पुर्जे	4.31	3.06	7.30	2.78	8.88	1.41	1.17	0	2.44	0.06
XIV	विविध/अन्य	1749.63	620.27	0	0	0	0	0	0		
	कुल आयात का मुल्य	**2475.70**	**813.26**	**2755.68**	**2130.67**	**1619.97**	**499.45**	**2271.82**	**1352.85**	**2029.18**	**908.84**
		1683467	**1683467**	**2345463**	**2345463**	**2669162**	**2669162**	**2715434**	**2715434**	**2737087**	**2737087**
	आयात के मुल्य के लिए जब्ती का कुल प्रतिशत	**0.15**	**0.05**	**0.12**	**0.09**	**0.06**	**0.02**	**0.08**	**0.05**	**0.07**	**0.03**

अनुबंध-3

(संदर्भ पैराग्राफ 1.27)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	**ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ**	**क्षेत्रीय कार्यालय का नाम**	**संक्षिप्त विषय**	**आपत्ति की गई राशि**	**स्वीकृत राशि**	**वसूली राशि**	**कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम**
1	ए1	कोच्ची	ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात देयता को पूरा न करना	6.05	6.05	14.20	जेडीजीटी, कोची
2	ए 2	कोच्ची	छूट अधिसूचना के गलत अपनाने के कारण शुल्क की कम उद्ग्रहण	13.00	13.00	15.30	कस्टम हाउस, कोची केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क तिरूपनन्तपुरम
3	ए 3	दिल्ली	आयातित माल के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	18.32	18.32	19.79	आईसीडी, तुकलकाबाद, दिल्ली
4	ए 4	दिल्ली	आरएसपी पर अधिक कटौती के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.67	10.67	10.74	आईसीडी, तुकलकाबाद, दिल्ली
5	ए 5	दिल्ली	एंटी डंपिग शुल्क अनुद्ग्रहण	30.64	30.64	32.00	आईसीडी, तुकलकाबाद, दिल्ली
6	ए 6	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.29	10.29	11.50	आईसीडी, तुकलकाबाद, दिल्ली, आईसीडी, पड़पड़गंज, दिल्ली
7	ए 7	दिल्ली	अधिसूना लाभ की गलत मंजूरी के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.22	11.22	5.50	आईसीडी, तुकलकाबाद, दिल्ली
8	ए 8	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क	11.25	11.25	13.28	आईसीडी, तुकलकाबाद, दिल्ली

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			का कम उद्ग्रहण				
9	ए 9	हैदराबाद	मुद्रा के गलत अपनाने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.18	12.18	12.82	कस्टम हाउस विशाखापतनम
10	ए 11	मुम्बई	एंटी डंपिग शुल्क का अनुद्ग्रहण	19.10	19.10	21.32	जेएनसीएच, मुम्बई
11	ए 12	मुम्बई	वीकेजीयूवाई योजना के तहत शुल्क क्रेडिट की अनियमित अनुमति	30.42	30.42		डीजीएफटी, मुम्बई
12	ए 13	मुम्बई	सुरक्षा शुल्क का अनुद्ग्रहण	22.81	22.81	23.99	जेएनसीएच, मुम्बई
13	ए 14	अहमदाबाद	अयोग्य मद के निर्यात के लिए वीकेजीयूवाई क्रेडिट शुल्क का गलत प्रदान करना	34.45	34.45	35.45	आरएलए, अहमदाबाद
14	ए 15	अहमदाबाद	वीकेजीयूवाई योजना के तहत शुल्क क्रेडिट का अधिक प्रदान करना	13.33	13.33	16.97	आरएलए, अहमदाबाद एवं सूरत
15	ए 16	अहमदाबाद	ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात दायित्व के पूरा करने के प्रति अपात्र निर्यात की गलत गणना	51.62	51.62		आरएलए, राजकोट

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
16	ए 17	अहमदाबाद	लेट कर के गैर आरोपण के कारण एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट का अधिक प्रदान करना	16.96	16.96	1.16	आरएलए, अहमदाबाद
17	ए 18	हैदराबाद	ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात देयता को पूरा न करना	170.00	170.00	340.00	जेडीजीएफटी, हैदराबाद
18	ए 19	बैंगलुरू	माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप लाईसंस/सीमा शुल्क के भुगतान में कम डेबिट	24.90	24.90	36.45	एसीसी, बैंगलुरू
19	ए 20	बैंगलुरू	ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात देयता को पूरा न करना	166.00	166.00		आरएलए, बैंगलुरू
20	ए 22	अहमदाबाद	डीटीए में निष्कासित माल का गलत शुल्क भुगतान	12.01	12.01	13.69	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज-III , डिविजन-III अंकलेश्वर, कमिश्नरी सूरत-II
21	ए 23	बैंगलुरू	गलत वर्गीकरण के कारण कम उद्ग्रहण	9.72	9.72	12.11	आईसीडी, बैंगलूरू
22	ए 25	चेन्नै	सेवाओं के लिए एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट का प्रदान करना	13.91	13.91	17.13	आरएलए, चेन्नै
23	26	चेन्नई	वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत अधिक	10.54	10.54	14.26	तूतीकारन (समुद्री) पोर्ट

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			शुल्क क्रेडिट की मंजूरी				
24	27	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण मूलभूत सीमाशुल्क का कम उदग्रहण	15.59	15.59	18.09	वायु सीमाशुल्क चेन्नई
25	28	चेन्नई	वीबेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत अयोग्य मदों पर शुल्क क्रेडिट का भुगतान	88.96	88.96	72.44	जेडीजीएफटी, कोयम्बटूर
26	29	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क का कम उदग्रहण	12.65	12.65		चेन्नई (समुद्री)
27	30	चेन्नई	एक ईओयू द्वारा बट्टे खाते में डाले गए माल पर शुल्क का गैर उदग्रहण	19.75	19.75	37.14	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नई
28	31	चेन्नई	छूट अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग के कारण सीमाशुल्क का कम उदग्रहण	10.93	10.93		चेन्नई (समुद्री)
29	32	चेन्नई	घटी दरों का गैर अनुप्रयोग वीकेजीयूवाई शुल्क क्रेडिट की अधिक मंजूरी में परिणत	14.12	14.12	10.86	जेडीजीएफटी कोयम्बटूर
30	33	कोच्ची	स्थिति धारक प्रोत्साहन योजना का	8.53	8.53	11.18	जेडीजीएफटी कोच्ची

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			अनियमित विषय				
31	35	दिल्ली	अंतर्राष्ट्रीय समुद्र बिक्री मूल्य के शुल्क के गलत निर्धारण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.24	10.24	2.82	यूसीडी,तुगलकाबाद, पटपडगंज, दिल्ली
32	37	कोलकाता	अयोग्य निर्यातो पर एसएचआईएस के लाभों की अनियमित मंजूरी	76.86	76.86		डीजीएफटी कोलकाता
33	38	कोलकाता	आयातित पुर्जो पर परियोजना आयात विनियमावली 1986 के लाभों की अनियमित मंजूरी	1680.00	1680.00		सीमाशुल्क (बंदरगाह) कोलकाता
34	39	कोलकाता	उचित बिक्री कर के भुगतान के सबूत के बिना एसएडीकी अनियमित वापसी	11.06	11.06	10.87	कोलकाता पोर्ट
35	40	बैंगलोर	गलत वर्गीकरण के कारण कम उदग्रहण	9.06	9.06	11.37	एसीसी, बैंगलोर
36	41	बैंगलोर	अग्रिम प्राधिकरण लाईसेंस के अन्तर्गत निर्यात दायित्व की गैर पूर्ति	17.26	17.26		एसीसी, बैंगलोर

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
37	42	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण कम उदग्रहण	10.85	10.85	6.89	आईसीडी, तुगलकाबाद (आयात/निर्यात) एनसीएच (आयात)
38	43	दिल्ली	एंटी डंपिग शुल्क का कम उदग्रहण	12.03	12.03	13.02	आईसीडी,तुगलकाबाद , दिल्ली
39	44	बैंगलोर	छूट अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग के कारण सीमाशुल्क का कम उदग्रहण	16.69	16.69	14.14	एसीसी,बैंगलोर
40	45	दिल्ली	आरएसपीकी कम घोषणा के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	99.61	99.61		एनसीएच दिल्ली
41	46	जयपुर	सीमाशुल्क के रियायती शुल्कों का गैर भुगतान शुल्कों के कम भुगतान में परिणत	11.06	11.06	16.17	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी, अलवर
42	47	बैंगलोर	वस्तुओं का गलत वर्गीकरण लाईसेंस में कम डेबिट में परिणत	17.17	17.17	25.06	एसीसी,बैंगलोर
43	49	बैंगलोर	निर्यात दायित्व की गैर पूर्ति	360.00	360.00		आईसीडी बैंगलोर
44	50	बैंगलोर	निर्यात दायित्व की गैर पूर्ति	12.26	12.26		आईसीडी बैंगलोर
45	51	मुम्बई	एंडी डंपिंग शुल्क का गैर उदग्रहण	23.00	23.00	24.11	जेएनसीएच मुम्बई
46	53	मुम्बई	एंटी डपिंग शुल्क का गैर उदग्रहण	40.27	40.27	112.19	जेएनसीएच मुम्बई

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
47	54	चेन्नई	समय बाधित आवेदन पर एसएचआईएस की गलत मजूरी	47.27	47.27		जीडीजीएफटी कोयम्बटूर
48	56	चेन्नई	अयोग्य निर्यात मदों को एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट की मंजूरी	122.00	122.00	122.00	जीडीजीएफटी कोयम्बटूर
49	57	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण कम उदग्रहण	77.36	77.36		चेन्नई (समुद्र)
50	58	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण	59.69	59.69		चेन्नई (समुद)
51	61	ग्वालियर	लेखापरीक्षा की सूचना पर सीमाशुल्क कार्मिक के लिए लागत वसूली शुल्क की वसूली	15.92	15.92	15.92	आईसीडी रतलाम
52	65	चेन्नई	एक ईओयू द्वाराडीटीए अनापत्तियों पर शुल्क की रियायती दरों का गलत लाभ उठाना	222.00	222.00	251.00	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चेन्नई । कमिश्नरी
53	66	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	12.89	12.89		चेन्नई (समुद्र)
54	67	कोलकाता	निर्यात मालके गलत वर्गीकरण के कारण आयात कर	82.52	82.52	2.02	उप कमिश्नर सीमाशुल्क, आयात कर वापसी सैल, पश्चिम बंगाल,कोलकाता

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			वापसी का अधिक भुगतान				
55	68	कोलकाता	अयोग्य निर्यातों पर एसएचआईएस योजना के लाभों की अनियमित मंजूरी	17.05	17.05	17.54	एडीजीएफटी, कोलकाता
56	69	कोलकाता	अग्रहणीय आयात कर फिरती की गैर वसूली	17.92	17.92	17.00	सहायक कमिश्नर सीमाशुल्क, आयातकर वापसी सैल (निरोधक) सीमाशुल्क कार्यालय कोलकाता
57	71	हैदराबाद	कोयले के आयात पर शुल्क का कम उदग्रहण	15.90	15.90	15.94	सीमाशुल्क कार्यालय विशाखापट्टनम
58	72	हैदराबाद	गलत वर्गीकरण के कारण एंटी डंपिंग शुल्क का गैर उदग्रहण	16.57	16.57		आईसीडी, हैदराबाद
59	73	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.52	10.52		चेन्नई (समुद्र)
60	74	चेन्नई	प्रतिबंधित मदों को एसएचआईएस शुल्क की अनियमित मंजूरी	17.55	17.55	17.55	जेडीजीएफटी,हैदराबाद
61	76	चेन्नई	देरी से किए गए आवेदन पर देरी से कटौती का गैर/गलत अनुप्रयोग अधिंक अनुदान	11.62	11.62	10.82	जेडीजीएफटी हैदारबाद

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			में परिणत				
62	78	हैदराबाद	व्यापारी समयोपरि शुल्कों की गैर वसूली	15.05	15.05	15.05	सीमाशुल्क (निरोधक) विजयवाडा
63	79	जयपुर	एसएफआईएस की अनियमित मंजूरी	31.28	31.28	22.90	जेडीजीएफटी, जयपुर
64	80	जयपुर	शून्य शुल्क निर्यात प्रोत्साहन मालकी अनुमति की अनियमित मंजूरी	330.00	330.00	276.00	जेडीजीएफटी, जयपुर
65	82	कोलकाता	शुल्क की पूर्ण वसूली के बिना अग्रिम अनुमति की अदायगी	48.74	48.74		डीजीएफटी, कोलकाता
66	83	कोलकाता	निर्यात डिश एम्पलीफायरों के गलत वर्गीकरण के कारणआयातकर वापसीकाअधिक भुगतान	19.44	19.44	14.05	उप कमिश्नर, सीमाशुल्क आयात कर वापसी सैल, पश्चिम बंगा, कोलकाता
67	84	मुम्बई	आयात कर वापसी का गलत प्रतिदाय	13.24	13.24	13.24	डीजीएफटी, मुम्बई
68	86	मुम्बई	पूर्व आयात की गैर पूर्ति	11.13	11.13	11.13	डीजीएफटी मुम्बई
69	88	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	30.34	30.34		चेन्नई (समुद्र)

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
70	89	अहमदाबाद	आयातित मालपर सीएसटी का गलत प्रतिदाय	15.84	15.84		विकास कमिश्नर, केएएसईजेड
71	90	अहमदाबाद	आयातित माल पर सीएसटी का गलत प्रतिदाय	17.03	17.03		विकास कमिश्नर, केसेज
72	92	चेन्नै	अयोग्य माल को क्रेडिट एसएचआईएस ड्यूटी की अनुमति	121.16	121.16		जेडीजीएफटी, चेन्नै
73	95	दिल्ली	आरएसपी पर अधिक मंदी के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.45	10.45	7.46	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
74	97	दिल्ली	गलत उद्घोषणा के कारण कम उद्ग्रहण	10.18	10.18	11.30	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
75	100	मुंबई	सुरक्षित शुल्क का उद्ग्रहण न करना	10.66	10.66	11.83	जेएनसीएच, मुंबई
76	103	कोच्ची	शिक्षा उपचार और माध्यमिक उपचार का उद्ग्रहण न करना	10.36	10.36		केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, ईरनाकुलम
77	104	हैदराबाद	इपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात उत्तर दायित्व को पूरा न करना	68.22	68.22	171.00	जेडीजीएफटी, हैदराबाद
78	109	चेन्नै	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	27.10	24.53		चेन्नै (एयर)

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
79	110	कोलकाता	ठेके के गलत पंजीकरण के कारण परियोजना आयात लाभ का अनियमित अनुदान	23.99	23.99	23.99	सीमाशुल्क हाऊस, कोलकाता
80	111	चेन्नै	एसएचआईएस इ्यूटी क्रेडिट प्रदान करने में इओयू के अवांछित लाभ के कारण विस्तृत राजस्व की हानि	3300.00	3300.00	7.16	जेडीजीएफटी, चेन्नै
				8158.33	**8155.76**	**2108.91**	

अनुबंध 4 (संदर्भ पैराग्राफ 2.3)

क्र. सं.	राज्य के नाम	कमिश्नरियों की संख्या	कमिश्नरियों के नाम
1	गुजरात	4	आईसीडी, कोडीयार, सीएच, सिक्का, जामनगर, सीएच, कांडला, एमपी एंड सेज, मुंद्रा
2	राजस्थान	1	जोधपुर
3	कर्नाटक	3	एसीसी बैंगलुरू, आईसीडी बैंगलुरू, एनसीएच मैंगलुरू
4	चंड़ीगढ़	1	लुधियाना
5	तमिलनाडू	3	समुद्र चेन्नै, एयर चेन्नै, तुतीकोरिन
6	केरल	1	कोच्ची
7	आंध्र प्रदेश	2	विशाखापट्नम, विजयवाड़ा
8	तेलंगाना	1	हैदराबाद
9	ओड़िशा	1	भुवनेश्वर
10	पश्चिम बंगाल	5	कोलकाता पोर्ट, कोलकाता एयर, आईसीडी दुर्गापुर, सिलीगुडी, पश्चिम बंगाल (निवारक)
11	मेघालय	1	शिलोंग
12	उत्तर प्रदेश	2	नोएडा, कानपुर
13	महाराष्ट्र	9	आयात । और ॥ निर्यात । और ॥ (एनसीएच जोन-॥), एनएस-I, एनएस-III, एनएस-V (जेएनसीएच जोन ॥, आयात और निर्यात (एसीसी जोन ।॥)
14	दिल्ली	5	आयात, आईसीडी (निर्यात), एसीसी, एनसीएच (आयात), एसीसी, एनसीएच (निर्यात) तुगलकाबाद, आईसीडी पड़पटगंज, दिल्ली
15	मध्य प्रदेश	3	नोएडा, ग्वालियार, इंदौर
	कुल	**42**	

अनुबंध 5 (संदर्भ पैराग्राफ 2.3)

क्र. सं.	राज्य के नाम	कमिश्नरियों की संख्या	कमिश्नरियों के नाम
1	गुजरात	4	आईसीडी, कोडीयार, सीएच, सिक्का, जामनगर, सीएच, कांडला, एमपी एंड सेज, मुंद्रा
2	राजस्थान	1	जोधपुर
3	कर्नाटक	3	एसीसी बैंगलुरू, आईसीडी बैंगलुरू, एनसीएच मैंगलुरू
4	चंड़ीगढ	1	लुधियाना
5	तमिलनाडू	3	समुद्र चेन्नै, एयर चेन्नै, तुतीकोरिन
6	आंध्र प्रदेश	2	विशाखापट्नम, विजयवाड़ा
7	तेलंगाना	1	हैदराबाद
8	ओड़िशा	1	भुवनेश्वर
9	उत्तर प्रदेश	2	नोएडा, कानपुर
10	दिल्ली	5	आयात, आईसीडी (निर्यात), एसीसी, एनसीएच (आयात), एसीसी, एनसीएच (निर्यात) तुगलकाबाद, आईसीडी पड़पटगंज, दिल्ली
11	मध्य प्रदेश	**3**	नोएडा, ग्वालियार, इंदौर
	कुल	**26**	

अनुबंध 6 (संदर्भ पैरा ग्राफ 2.3)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कमिश्नरियों की संख्या	कमिश्नरियों के नाम
1	केरल	1	कोच्ची
2	पश्चिम बंगाल	5	कोलकाता पोर्ट, कोलकाता एयर, आईसीसी दुर्गापुर, सिलीगुडी, पश्चिम बंगाल (निवारक)
3	मेघालय	1	शिलोंग
4	महाराष्ट्र	9	आयात I और II निर्यात I और II (एनसीएच जोन-II), एनएस-I, एनएस-III, एनएस-V (जेएनसीएच जोन II, आयात और निर्यात (एसीसी जोन III)
	कुल	**16**	

अनुबंध 7 रिकॉर्डों का अनुचित अनुरक्षण

(संदर्भ पैरा सं. 2.6.1)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या स्वीकृत किया गया
1	एनसीएच मुंबई	एसआईआईबी से निर्देश के बावजूद अंतिम रूप दिये जाने के लिए लंबित प्रिटिंग इंक्स (सीटीएच 3215) निर्धारण	कोई उत्तर नहीं
2.	एनसीएच मुंबई	सितम्बर 2013 में जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के बावजूद अस्थाई निर्धारण को अंतिम रूप में नहीं दिया गया था (दो बोर्ड-प्रिटिंग स्याही)	कोई उत्तर नहीं
3	चेन्नै (एयर)	दिनांक 23.12.2005 के एसआईआईबी के बावजूद मै. वेलविन इंडस्ट्री लिमिटेड मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया गया।	कोई उत्तर नहीं
4	लुधियान	संबंधित डीजीएफटी के सीमाशुल्क विभाग द्वारा दो निर्यातकों-अस्थाई निर्धारण मूल्य सूचित किया गया था जो एफपीएस के अंतर्गत प्रोत्साहन के अधिक दावे के लिए बाध्य कर सकता है।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 8 कॉल बुक रजिस्टर में लंबन

(संदर्भ पैरा सं. 2.7)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विवरण	क्या स्वीकृत किया गया
1	कोच्ची	697 पीडी बांड (अवधि 2009 से 2013) कॉल बुक रजिस्टर में लंबित थे, जिनकी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जुलाई 2014 में केवल एक बार समीक्षा की गई थी।	कोई उत्तर नहीं
2	एनसीएच, मुंबई	मै. पायोनियर एग्री टैक्नो स्कैन और एक्सपोर्ट प्रा. लिमि. मामले को कॉल बुक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। बीजी दिसम्बर 2011 में समाप्त हो चुकी थी, अक्टूबर 2014 में ही विभाग द्वारा बीजी के नवीकरण के लिए पत्र लिखा गया।	कोई उत्तर नहीं
3	सीमा शुल्क, सिक्का, जामनगर कमिश्नरी	निर्धारण योग्य मूल्य में समावेशन के मामले या पुल बैक टग प्रभारों, पोर्ट टनधारिता प्रभार पर प्रविष्टियों के बिलों (सं. 252) को कॉल बुक रजिस्टर में उचित रूप से शामिल नहीं किया गया।	कोई उत्तर नहीं

4	सीमा शुल्क, सिक्का, जामनगर कमिश्नरी	कॉल बुक से वापसी के बाद पुल बैक प्रभार (मै. रियालंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को जोड़कर मामलों को अंतिम रूप दिया गया यद्यपि समान मामले (मै. भारत ओमान रिफाईनरिज़ लिमि. 120 बीई) को अंतिम रूप नहीं दिया गया।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 9 मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष – अस्थाई निर्धारण का अनियमित निपटान

(संदर्भ पैरा 2.10.1)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विवरण	क्या स्वीकृत किया गया
1	जेएससीएच, मुंबई	सीटीएच 1310200 के अंतर्गत वर्गीकृत ''नाईजीरीयन गम अरेबिक (हींग) का अस्थाई रूप से निर्धारण किया गया तथा आयातकों के संघ के अनुरोध पर बीज को हस्त्य रूप से सौंपा गया ताकि वीई को मैन्यूल भरने और अस्थाई निर्धारण से बचा जा सके। यद्यपि, संशोधन के बिना या क्षेत्रीय स्तर पर निर्धारण को अंतिम रूप दिये जाने के लिए बोर्ड स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इडीआई प्रणाली में कमियों के आधार पर अस्थाई निर्धारण का निपटान धारा 18 के प्रावधानों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्थिति नहीं थी।	कोई उत्तर नहीं
2	आईसीडी, खड़गपुर, जोधपुर	पीवीसी रेजिन को गलत रूप से वर्गीकृत किया गया था और अस्थाई निर्धारण का गलत ढंग से निपटान किया गया था जिसके कारण शुल्क विलंबित हुआ और आयातक को अवांछित वित्तीय लाभ हुआ।	कोई उत्तर नहीं
3	आईसीडी, जोधपुर	निर्धारणों में कोई समानता नहीं है। कुछ मामलों में, अंतिम निर्धारण किये गये थे फिर भी आवश्यक अंतिम उपयोग प्रमाण-पत्र आयातक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। अन्य (पांच मामलों) मामलों में माल अंतिम उपयोग प्रमाण-पत्र की लंबित प्राप्ति अस्थाई रूप से निर्धारित किये गये।	कोई उत्तर नहीं
4	लुधियाना	दो बोर्ड का ऐसे निर्धारण हेतु बिना कारण बताये अस्थाई रूप से निर्धारण किया गया था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 10 बैंक गारंटी (बीजी) का पुन: वैधीकरण न करना

(संदर्भ पैरा 2.17)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विवरण	क्या स्वीकृत किया गया
1	एसीसी, हैदराबाद	मै. वुप्पलामरीधा मैग्नेटिक कंपोनैंट्स लिमिटेड द्वारा लागू बीजी (₹ 12.48 करोड़) अंतिम तिथि अर्थात 10.02.2012 से पहले पुन: वैधीकरण नहीं किया गया था।	कोई उत्तर नहीं
2	सीमा शुल्क (निवारक) भुवनेश्वर	08.03.2013 तक की वैधता के साथ ₹ 8.26 करोड़ के मूल्य हेतु दो आयातकों अर्थात् मै. ब्रह्माणी पेलैट्स लिमि. और मै. जीएमआर कामालंगा इनर्जी लिमि. द्वारा 2009 से 2011 की अवधि के दौरान लागू की गई बीजी को नवीकृत नहीं किया गया था हालांकि मामलों को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।	कोई उत्तर नहीं
3	चेन्नै (समुन्द्र)	मै. फाल्कन टायर्स लिमि., पीडी बॉड को लागू करते हुए जून 2011 में अस्थाई निर्धारण किया गया और ₹ 0.41 करोड़ हेतु बीजी (28.06.2012 तक वैध) पुन: वैध नहीं किया गया था। मामले को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है (दिसम्बर 2015)।	कोई उत्तर नहीं
4	जेएनसीएच, मुंबई	मै. निकुंज एग्जिम एंटरप्राइजिसे प्राई. लिमि. आयातक द्वारा दिये गये ₹ 0.8 करोड़ वाले बीजी (माल के मूल्य का 25%) 28.11.2014 तक समाप्त हो गये थे और ₹ 0.3 करोड़ वाले अन्य छ: बीजी 24.01.2015 तक परंतु पुन: वैधीकृत नहीं किये गये थे। ये मामले अभी भी अंतिम रूप दिया जाना बाकी थे (दिसम्बर 2015)।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 11 अतिरिक्त जमा शुल्क (ईडीडी) की गैर/कम वसूली

(संदर्भ पैरा 2.20.1)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	आईसीडी लोनी, नोएडा कमिश्नरी	₹ 23.66 करोड़ मूल्य के निर्धारणीय दो अस्थायी मामले 2010 से एसवीबी में लंबित थे। आयातक द्वारा निर्धारित अवधि में उत्तर न प्राप्त होने के बावजूद भी इडीडी को 5% नहीं बढ़ाया गया था।	कोई उत्तर नहीं
2	आईसीडी, हैदराबाद	2005-2014 की अवधि से संबंधित 156 एसवीबी मामले 31 मार्च 2014 तक निपटान हेतु लंबित थे। हालांकि, फाइल न प्रस्तुत करने, निर्धारण समूह द्वारा जारी प्रश्नावली के तथ्य, 30 दिनों के भीतर आयातक से उत्तर की प्राप्ति और ईडीडी में 5% वृद्धि का सत्यापन नहीं किया जा सका।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 12 कम मूल्यांकन के कारण शुल्क की कम वसूली

(संदर्भ पैरा 2.20.2)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	जोधपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आईसीडी कॉनकार और थार ड्राय पोर्ट, जोधपुर	निर्धारण के समय माल को वर्गीकृत करते हुए (सीटीएच 27149090 के तहत बिटुमीन 60/70 (वीजी 30) के गलत स्वीकरण के कारण ₹ 23.93 लाख शुल्क की कम वसूली हुई।	विभाग ने बताया कि मामला अपीलीय प्रधिकारी के समक्ष लम्बित था।
2	विशाखापट्टनम	एक मामले में निर्धारण के समय 44.85 प्रति यूएसडी के बजाए 44.70 यूएसडी विनियम दर के गलत लागूकरण से ₹ 0.50 करोड़ के शुल्क और ब्याज का कम संग्रहण हुआ।	वसूली प्रक्रिया शुरू की गई है।
3	भुवनेश्वर के अंतर्गत धर्मा मण्डल	अस्थायी निर्धारण के समय बिटुमिनस कोयले (19 खेपों) की बजाए स्टीम कोयले के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 10.16 करोड़ की कम वसूली हुई। इन मामलों के गैर-निपटान के कारण सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ।	आयातकों से अंतिम दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण निर्धारण को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

अनुबंध 13 कम उतराई माल के लिए जुर्माना वसूलने के कारण राजस्व हानि

(संदर्भ पैरा 2.21)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	कोच्ची	मै. पेट्रोनेट एलएनजी लि. से कम उतराई माल के लिए परिवहन प्रभावी पर ₹ 0.45 करोड़ का जुर्माना नहीं वसूला था।	कोई उत्तर नहीं
2	विजयवाड़ा सीमाशुल्क	कृष्णापट्टनम पत्तन पर पामोलिन तेल आयातक से कम उतराई माल के लिए परिवहन प्रभारी से ₹ 0.11 करोड़ का जुर्माना नहीं वसूला था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 14 जॉच रिपोर्ट की प्राप्ति के बावजूद निर्धारण का गैर निपटान

(संदर्भ पैरा 2.24)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	भुवनेश्वर कमिश्नरी के तहत धर्मा सीमाशुल्क मंडल	मै. सरोगी उद्योग प्रा. लि. जॉच रिपोर्ट की प्राप्ति के बावजूद निर्धारण के गैर निपटान के कारण ब्याज सहित ₹ 0.50 करोड़ की भिन्नता शुल्क का संग्रहण स्थगित हो गया।	कोई उत्तर नहीं
2	कोलकाता पत्तन	सीआईपीटी, हल्दिया से जांच रिपोर्ट के परिणामों की प्राप्तियों के बावजूद ₹ 4.35 करोड़ के बांड मूल्य एवं ₹ 4.35 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य हेतु सिंथेटिक रबड़/पीवीसी फ्लोर स्वीप के आयात के इक्कीस मामले 17 महीने से 48 महीने तक लंबित थे (दिसम्बर 2015)।	विभाग ने बताया कि मामले का अन्तिम रूप देने के लिए एसवीबी और आयात के साथ अनुसरण किया जा रहा था।

अनुबंध 15 दस्तावेज प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारण का गैर-निपटान

(संदर्भ पैरा 2.24)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	आईसीडी संतनगर, हैदराबाद	मै. आईसीआईसीआई बैंक लि. एसएफआईएस के तहत लाभ की स्वीकार्यता पर स्पष्टीकरण लेने का मामला 2.2.2015 को जेडीजीएफटी को बताया गया था; 18 महीनों के बाद/दिनांक 25.02.2015 को जेडीजीएफटी से उत्तर प्राप्त होने पर ₹ 0.07 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 0.25 करोड़ के शुल्क भुगतान की मांग नोटिस जारी की गई (11.03.2015)। शुल्क की वसूली अभी भी की जानी थी।	वसूली प्रक्रिया शुरू की गई थी (दिसम्बर 2015)।

अनुबंध 16 डीआरआई आदेशों की प्राप्ति के बावजूद निर्धारण का गैर-निपटान

(संदर्भ पैरा 2.24)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	जेएनसीएच, मुंबई	डीआरआई अलर्ट के आधार पर अस्थायी निर्धारण की गई आयातित वस्तुएँ अर्थात् प्लास्टिक रीग्राइंड/लंप्स/पुंज आदि महानिदेशक, निर्धारण के नियम, 2007 का पालन (सीमाशुल्क मूल्यांकन) और निर्धारणों के निपटान के दिनांक 10.01.2014 के मूल्यांकन आदेशके बावजूद जनवरी 2011 से मई 2015 तक लंबित थी।	विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि आईसीईएस 1.5 में अन्तिम रूप दिए जाने में अधिक समय लगेगा।

अनुबंध 17 एसवीबी जांच पूरी होने के बावजूद भी निर्धारण का गैर निपटान

(संदर्भ पैरा 2.24)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	कोलकाता	एसवीबी जांच पूरी होने के बावजूद भी ₹ 26.50 करोड़ राशि के एसवीबी बांड के प्रति अस्थायी निर्धारित मामले (204 मामले) अभी भी लंबित थे। इसके अलावा, प्रविष्टि बिल फाइल करने से पूर्व एसवीबी जांच पूरी होने के बावजूद दो मामलों का अस्थायी निर्धारण किया।	कोई उत्तर नहीं
2	कानपुर	आईसीडी, जूही में ₹ 46.54 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य वाले 10 मामले और आईसीडी, पनकी कानपुर में ₹ 30.50 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य वाले 15 मामले शुल्क के निर्धारण हेतु न्यायाधिकरण को एप्रोच करने हेतु दोनो पक्षों को ढिलाई देते हुए अपील न्यायाधिकरण आदेश (फरवरी 2006) के बावजूद भी निपटान हेतु लंबित थे।	यह बताया गया कि मामले अभी भी सेसटैट में लंबित थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि विभाग ने मामलों निपटान में अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं किया।

अनुबंध 18 कारण बताओ नोटिस का गैर-अधिनिर्णयन

(संदर्भ पैरा 2.26)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	चेन्नई समुद्र	दिनांक 24.01.2012 एवं 15.12.2011 को क्रमश: मै. नॉयल कॉमन फ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट कंपनी लि. और मै. टीमैक क्लोरेट्स लि. को जारी एससीएन पर 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्णय नहीं हुआ। कारण बताओ नोटिसों पर गैर-अधिनिर्णयन से ₹ 0.88 करोड़ राजस्व (भिन्नता शुल्क ₹ 0.38 करोड़ और 0.50 करोड़ ब्याज) का अवरोधन हुआ।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 19 अंतिम निर्धारण पर भिन्नता शुल्क की गैर/विलम्बित वसूली

(संदर्भ पैरा 2.28)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	चेन्नै विमानपत्तन	मै. वुपलम्रीठा मैग्नेटिक कंपोनेन्ट्स लि. सिकदंराबाद ₹ 32.86 करोड़ राशि की अस्थायी निर्धारण एडीडी के निपटान पर देय ब्याज सहित वसूली की गई थी। आयातक ने मार्च, 2011 में ₹ 1.38 करोड़ राशि की मॉग का भुगतान किया। शेष ₹ 31.49 करोड़ की मांग और ₹ 31.33 करोड़ ब्याज अभी भी वसूल किया जाना था।	कोई उत्तर नहीं
2	कोलकाता	9 मार्च और 1 अगस्त 2011 के बीच चीन से 3,48,035 किग्रा पीवीसी फ्लेक्स फिल्म के आयात के 11 मामलों में एंटी डंपिंग शुल्क का अस्थायी निर्धारण किया गया था। एडीडी की देयता कें रूप में पुष्टि के बावजूद भी निर्धारण गैर-निपटान से तीन वर्षों में ₹ 85.35 लाख के सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ।	कोई उत्तर नहीं
	विशाखापट्टनम	मै. निर्निधी मार्केटिंग (प्रा.) लि. पुष्टि की गई (फरवरी 2013) ब्याज सहित ₹ 0.25 करोड़ की शुल्क मांग की वसूली नहीं की गई है।	वसूली प्रक्रिया शुरू की गई थी

अनुबंध 20 विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) द्वारा निर्धारण की जांच पूरा करने और अंतिम रूप देने में विलंब

(संदर्भ पैरा 2.29)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	आईसीडी हैदराबादएवं एसीसी हैदराबाद	दिसम्बर 2005 से मार्च 2014 की अवधि से संबंधित 328 एसवीबी मामले एसवीबी चेन्नई से मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा में निपटान हेतु लंबित थे।	विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी।
2	आईसीडी,खोडियार अहमदाबाद	मूल्यांकन हेतु जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रेड (गैट) को भेजे गए चार मामलों का अभी भी निपटान किया जाना था। 1 बीई दिनांक 29 जून 2013 को भी गैट सेल को अग्रेषित किया जाना था।	विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी।
3	जेएनसीएच, मुंबई	मै. एंड्रीज एसटीआईएचएल-20% भिन्नता शुल्क के बराबर पीडी बांड और राजस्व जमा प्राप्त करके अस्थायी आधार पर खेपों की मंजूरी हेतु दिनांक 25.10.2013 के विशेष अंवेषण एवं जॉच ब्यूरो शाखा (एसआईआईबी) का भी पालन नहीं किया गया था।	कोई उत्तर नहीं
4	चेन्नई संमुद्र	व्यापार से अभ्यावेदन के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी के कारण इस्पात द्वितीयक सामग्री और टिन के आयात अप्रैल 2010 से अंतिम निर्धारण हेतु लंबित थे। हालांकि महानिदेशक, मूल्यांकन को मामले पर अभी भी निर्णय देना था जिसके कारण निपटान में देरी हुई। इस प्रकार, ₹ 14977.58 करोड़ मूल्य के आयात अभी भी असुरक्षित था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 21

कमिश्नरियों की सूची दर्शाता विवरण (पैरा 3.4 देखें)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कमिश्नरी की क्रम सं.	कमिश्नरी का नाम
1	कार्यालय. डीजीए (सी), कोलकाता	1	कोलकाता (पोर्ट)
		2	कोलकाता (एयरपोर्ट)
		3	निवारक पश्चिम बंगाल
		4	सिलिगुरी
		5	आईसीडी दुर्गा पुर
2	कार्यालय पीडीए (सी), अहमदाबाद	6	अहमदाबाद (आईसीडी खोडियार के संबंध में)
		7	कांडला
		8	मुंद्रा
		9	जामनगर (सीएच पिपावव के संदर्भ में)
		10	जोधपुर
3	कार्यालय पीडीए (सी), चण्डीगढ़	11	लुधियाना
4	कार्यालय पीडीए (सी), हैदराबाद	12	हैदराबाद
		13	विजयवाडा
		14	विशाखापटनम
5	कार्यालय पीडीए (सी), बैंगलोर	15	एयर कार्गो काम्पलेक्स
		16	आईसीडी
		17	न्यू कस्टम हाऊस मैंगलोर

6	कार्यालय डीजीएसी (सी), चैन्नई	18	चेन्नई समुद्र
		19	चेन्नई वायु
		20	तूतीकोरीन समुद्र
		21	कोचीन समुद्र
		22	कोचीन वायु
7	कार्यालय डीजीएसी (सी), मुम्बई	23	आयात I
		24	आयात II
		25	निर्यात I
		26	निर्यात II
		27	सामान्य
8	कार्यालय डीजीए (सी), नई दिल्ली	28	प्रधान कमिश्नर सी.शु, (आयात) आईसीडी, तुगलकाबाद
		29	सीमा शुल्क क (निर्यात) आईसीडी तुगलकाबाद
		30	कमिश्नर, सी.शु (आयात) न्यू कस्टम हाऊस
		31	कमिश्नर सीमाशुल्क (निर्यात)न्यू कस्टम हाऊस
		32	सीमाशुल्क क आईसीडी, पटपडगंज
9	कार्यालय पीडीए (सी), लखनऊ	33	कानपुर
		34	आगरा
		35	नोएडा
		36	पटना

अनुबंध 22 विशिष्ट पुनः आयात अवधि की समाप्ति के बाद पुनः आयात

(पैरा 3.9.2 देखें)

क्रम सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	अहमदाबाद कमिश्नरी के अन्तर्गत आईसीडी खोडियार	मै. मेघमनी पिगमेंटस और मै. क्रिस्टल क्वीनोन प्रा.लि. ने गलती से अधिसूचना 158/95 सीशु. की क्रम सं 2 के तहत ₹ 21.22 लाख मूल्य का माल पुनः आयात किया (नवम्बर 2013) जबकि माल के प्रारंभिक निर्यात की तिथि से एक वर्ष बीत चुका था। प्रति बांड बचाया गया शुल्क ₹ 5.49 लाख था।	कोई उत्तर नहीं
2	चेन्नई (समुद्र)	मै टयूब इन्वेस्टमेंट आफ इंडिया - 1732 बाइसाइकिल पार्टस/फ्रेम जिन्हें अक्तूबर 2012 में निर्यात किया गया था को प्रारंभिक निर्यात से एक वर्ष और तीन महीने बीत जाने के बाद सीमा शुल्क अधिसूचना 158/95 (क्र सं. 2) के प्रावधानों के उल्लंघन में पुनः आयात किया (फरवरी 2014)। इस मामलें में अस्वीकार्य शुल्क छूट ₹6.35 लाख निकाली गई।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 23 अधिसूचना सं.158/95 के तहत विदेशी माल का आयात

(पैरा 3.9.2 देखें)

क्रम सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	एसीसी बैंगलुरू	मै. वेव एक्सिस टेकनोलाजिस प्रा. लि ने विदेशी माल (फोर्म स्प्रिंग और कम्प्रेसर के पार्टस) का आयात किया (नवम्बर 2013) और ₹ 3.81 लाख की राशि का गलत शुल्क छूट का लाभ लिया। क्योंकि भारत में निर्मित माल का आयात ही केवल छूट के लिए पात्र है। इसके अलावा माल निर्धारित अवधि में पुनः निर्यात नहीं किया गया था। ₹ 3.81 लाख का छोडा गया शुल्क वसूली योग्य था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 24 पुनः संसाधन के लिए माल का पुनः आयात

(पैरा 3.10 देखें)

क्रम सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	लुधियाना	मै. किंग्स एक्पोर्टस लुधियाना ने स्टील के रूफींग फ्रेमवर्क सट्रक्चर के पार्टस को पुनः आयात (अक्तूबर 2014) मरम्मत हेतु ₹ 0.45 लाख के शुल्क छूट का लाभ लेते हुए किया (अधिसूचना सं. 158/95, क्रम सं.1) । चूंकि माल की विशिष्टता को बदलना था, माल को पुनः संसाधित करना अपेक्षित था, जो अधिसूचना की क्रम सं. 2 के तहत कवर होता है। तथापि अधिसूचना की क्रम सं. 2 के तहत लाभ अस्वीकार्य था क्योंकि माल प्रांरभिक निर्यात एक वर्ष के बीत जाने के बाद पुनः आयात किए गए थे।	आन्तरिक उत्तर

अनुबंध 25 पुनः मार्किंग के लिए माल का पुनः आयात

(पैरा 3.10 देखें)

क्रम सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	आईसीडी, साबरमती, गुजरात	मै. सेंडविक एशिया प्रा.लि ने पुनः-मार्किंग के लिए सीमलैस स्टेनलैस स्टील पाइप्स को पुनः आयातित किया (अप्रैल 2013) था, को अधिसूचना के क्रम सं. 2 के बजाय अधिसूचना के क्रम सं. 1 के अंतर्गत छूट दी गई थी। तदनुसार, निर्यात से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात पुनः आयात (अक्तूबर 2010) क्रम सं. 2 के तहत अपात्र है। इसलिए, आयातक ₹ 2.40 लाख के छूट के अनुदान हेतु पात्र नहीं था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 26 अधिसूचना में बदलाव की अनुमति देते हुए आयातकों को अनुचित लाभ

(पैरा 3.10 देखें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	आईसीडी खेडियार, अहमदाबाद	मै. मंगलम एलॉयिल. ने अधिसूचना सं. 158/95 के अंतर्गत ₹ 7.41 लाख की शुल्क छूट प्राप्त करते हुए विभिन्न आकारों के फास्टनर्स हेक्सागोन नट्स के स्टेनलेस स्टील का पुनः आयात किया था (जनवरी 2014)। तत्पश्चात, निर्यातक ने माल को पुनः निर्यात करने में अक्षमता जताई(दिसम्बर 2014) और दिनांक 16 दिसम्बर 1996 की अधिसूचना सं. 94/1996 के तहत प्रविष्टि के बिल के पुनः निर्धारण का अनुरोध किया। विभाग ने अधिसूचना सं. 158/95 के अन्तर्गत शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी।	विभाग ने बताया कि निर्यातक के अनुरोध पर मामले को पुनः निर्धारित किया गया था। विभाग का उत्तर सर्वोच्च न्यायालय के सीमाशुल्क कमिश्नर, कोलकाता बनाम इंडियन रेयान एंण्ड इंडस्ट्रीज लि. 2008 (229) ई.एल.टी 3 (एस.सी) के मामलें में निर्णय के दृष्टिगत स्वीकार्य नहीं है जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि अधिसूचना 158/95 के तहत किया गया वास्तविक निर्धारण अन्य अधिसूचना (94/1996) के तहत लाभ देते हुए बाद में संशोधित नहीं किया जा सकता।
21	अहमदाबाद	मै. जेगसन कोलोरकेम .लि. ने सीमा शुल्क अधिसूचना 158/95 के तहत शुल्क के भुगतान के बिना ₹ 94.70 लाख के मूल्य के 'सिन्थोटिक्स ओरगेनिक्स डाइज रिएक्टिव ब्लैक' का पुनःआयात किया (जून 2014)। तदन्तर आयातक ने (सितम्बर 2014) ब्याज सहित ₹ 15.96 लाख के शुल्क (सीवीडी, शिक्षा उपकर एवं एसएडी) का भुगतान किया किन्तु छोड़े गए मूल सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया क्योंकि उन्होंने अधिसूचना सं. 94/1996 के तहत पुनः निर्धारण का अनुरोध और निर्यात लाभ त्यागने की सहमति दी थी। विभाग द्वारा कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई (अप्रैल 2015)। चूंकि मामला अन्य अधिसूचना (94/1996) के तहत पुनः निर्धारित नहीं किया जा सकता इसलिए ₹ 8.52 लाख की बीसीडी वसूली योग्य थी।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 27 अन्य एजेंसी को पुनःनिर्यात और पुनः निर्यात पर वापसी

(पैरा 3.11 देखें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	चेन्नई समुद्र	मै. साई मरीन एक्सपोर्टस प्रा.लिमिटेड ने बेलजियम से फ्रोजन श्रिम्प का पुनःआयात किया (दिसम्बर 2014) और अधिसूचना की क्र. सं. 2 के तहत लाभ लिया। फर्म ने जुलाई 2014 में प्रारंभिक निर्यात के समय ₹2.13 लाख की वापसी का लाभ लिया और पुन आयात पर फिरती वापिस नहीं की। माल को यूएएए में एक और फर्म को पुनः निर्यात किया गया (फरवरी 2015) और दोबारा ₹ 2.89 लाख के पुनः निर्यात का लाभ लिया गया। चूंकि आयातक ने प्रारंभिक निर्यात के प्रति वापसी का लाभ लिया था और विदेश में उसी खरीददार/ग्राहक को पुनः आयातित माल को पुनः निर्यात नहीं किया गया था, ऐसे माल अधिसूचना सं. 158/95 के तहत लाभ योग्य नहीं हो सकते।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 28 पुनःनिर्यात माल पुनः आयात माल के साथ मेल नहीं खाता

(पैरा 3.11 देखें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	चेन्नई (समुद्र)	मै. केटरपिल्लर प्रा. लि ने चार सीमा शुल्क अधिसूचना 158/95 (क्रम. सं. 1) का पुनः आयात किया। माल का सितम्बर 2013 में पुनः निर्यात किया गया और पुनः निर्यात बांड/बीजी को 27.12.13 को रद्द किया गया था। संवीक्षा से पता चला किए एक शिपिंग बिल के तहत पुनः निर्यात इंजनो की पार्ट सं. पुनः आयात से भिन्न थी। ईंजन के पुनः आयात पर छोड गया ₹ 5.20 लाख की राशि का शुल्क वसूली योग्य है।	कोई उत्तर नहीं
2	कोलकाता (पत्तन)	मै. किस्ना फिशिंग एसेसरीज प्रा.लि. ने अधिसूचना 158/95 के तहत लाभ लेते हुए स्पोर्टस फिशिंग माल पुनः आयात किया (सितम्बर 2013)। पुनः निर्यात शिपिंग बिल की संवीक्षा से पता चला कि पुनः निर्यात माल पुनः आयातित माल की मात्रा, भार और बीजक मूल्य भिन्न थे। इसके अलावा, एसबी में उल्लिखित पुनः आयात माल की प्रविष्टि के बिल (बी/ई) बी ई सं. से भिन्न थे जिसके द्वारा माल को वास्तव में पुनः आयात किया गया था। आयातक से ₹3.83 लाख के शुल्क छूट लाभ की राशि वसूलीयोग्य थी।	

अनुबंध 29 माल का विलम्बित पुनः निर्यात

(पैरा 3.12 देखे)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	कोचीन	मै. स्पार्क कन्ट्रोल ने मई 2013 में माल का पुनः आयात किया किन्तु विभाग से विस्तारण प्राप्त किए बिना निर्धारित पुनः निर्यात अवधि की समाप्ति के बाद पुनः निर्यात किया। शुल्क छूट ₹ 6.44 लाख थी।	बांड और बीजी जुलाई 2014 में रद्द की गई थी।
2	आईसीडी बैंगलुरू और एसीसी देवानाहल्ली	अक्तूबर 2012 और अप्रैल 2014 के बीच मै. माइक्रो फिनिश वाल्वस और तीन अन्यों द्वारा पुनः आयात माल को बिना विस्तारण प्राप्त किए निर्धारित निर्यात अवधि की समाप्ति के बाद अप्रैल 2013 और नवम्बर 2014 के बीच पुनः निर्यात किया। इसमें ₹ 3.03 लाख के शुल्क की छूट शामिल है।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 30 कम पुनः निर्यात माल पर सीमा शुल्क का अनुद्ग्रहण

(पैरा 3.13 देखें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	जोधपुर	मै. पीएसवी पालीमर्स प्रा. लि. और दो अन्यों द्वारा जनवरी 2013 और फरवरी 2014 के बीच पुनः आयातित माल को आंशिक रूप से पुनः निर्यात किया गया था (8.11 से 24.24 प्रतिशत) जिसमें तीन मामलों में ₹ 26.83 लाख का शुल्क शामिल था	₹ 0.13 लाख के ब्याज सहित ₹ 0.54 लाख की वसूली एक आयातक से कर ली गई थी। बाकी दो मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)
2	चेन्नई (समुद्र)	मै. सुंदरम फास्टनर्स लि- 'हेक्स कोन रोड बोल्ट' के 30,000 पीस के पुनः आयात के प्रति केवल 500 पीस को पुनः निर्यात किया गया था और बाकी 29,500 पीस के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। ₹ 6.80 लाख की छोडी गई शुल्क राशि वसूली योग्य थी।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 31 अपर्याप्त बैंक गारंटी

(पैरा 3.13 देखे)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	कोचीन	नवम्बर 2011 से अप्रैल तक ईडीआई आयात डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 5 आयातकों के मामले में बैंक गारंटी ₹1.81 लाख तक कम जमा करवाई गई थी।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 32 बैंक गारंटी को लागू न करना

(पैरा 3.13 देखें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	चेन्नई समुद्र	मै. फरीदा शूज़ लि. चूंकि आयातक माल के पुनः निर्यात करने में विफल रहा, विभाग ने बैंक को उनकी वैद्यता अवधि की समाप्ति के बाद कुल ₹10.54 लाख की चार बैंक गारंटी लागू करने के निर्देश दिए (सितम्बर 2014)। नवम्बर 2014 में बैंक को अनुस्मारक जारी करने के बाद भी बैंक गारंटी लागू नहीं की गई	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 33 जोबिंग के लिए गलत छूट देना

(पैरा 3.15 देखें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	कोलकाता (पोर्ट)	मै. वज्र मशीनरी प्रा. लि. – माल मै. डायेरयुक इंट, यूएसए से आपूर्ति/आयात किया गया था और मै. एमआईएनएल लिमिटेड नाइजीरिया को निर्यात किया गया अर्थात समान आपूर्तिकर्त्ता को पुनः निर्यात नहीं किया गया। इसके अलावा, माल का पुनः निर्यात, पुनः अवधि की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद बिना कोई समय विस्तारण लिए किया गया था। अतः आयातित माल पर शुल्क छूट नहीं मिलनी चाहिए थी। ₹14.29 लाख का शुल्क वसूली योग्य था (ईडीआई आयात डाटा के अनुसार)।	विभाग ने मामलों को स्वीकार किया और बताया कि आयातक शुल्क के भुगतान का दायी है।

अनुबंध 34 अधिसूचना 32/97 के अन्तर्गत शुल्क मुक्त आयात इनपुट/कच्चा माल का उपयोग किए बिना जाबिंग के बाद माल का निर्यात

(पैरा 3.15 देखे)

क्रम सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	चेन्नई (समुद्र)	मै. वूरी ओटोमोटिव इंडिया प्रा. लि. – अन्तिम उपयोग प्रमाणपत्र में उल्लिखित शिपिंग बिलों की संवीक्षा से पता चला कि उसमें शामिल प्रविष्टि के बिलों की सं. बीई सं. से अलग थी जिसके अन्तर्गत जाबिंग के लिए माल का आयात किया गया था। अतः शुल्क मुक्त कच्चा माल जाब कार्य के निष्पादन में उपयोग नहीं किया गया था और परिणामतः माल को पुनः निर्यात नहीं किया गया। अतः आयातक ब्याज सहित ₹29.89 लाख की राशि के छोडे गए शुल्क के भुगतान का दायी था।	कोई उत्तर नहीं ।

अनुबन्ध 35 न्यूनतम मूल्य संवर्धन प्राप्त न करना

(पैरा 3.15 का संदर्भ लें)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	चेन्नै समुद्र	मैसर्स कोरविन केमिकल्स और फार्मस्यूकल लिमिटेड और अरूल रबर प्राइवेट लिमिटेड – आयातक अधिसूचना की शर्त (V) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार 10 प्रतिशत का न्यूनतम मूल्य संवर्धन प्राप्त करने में विफल रहा। तदनुसार, वो व्याज सहित ₹14.05 लाख के भुगतान का उत्तरदायी था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबन्ध 36 पुन: निर्यातित माल का आयातित माल से मेल न होना

(पैरा 3.15 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	एयर कार्गो कॉमप्लेक्स देवनहल्ली, बैंगलुरू	मैसर्स आर्मर प्लास्ट –फरवरी 2013 में काम के बाद पुन: निर्यातित माल प्लास्टिक, लेंस, ग्रीन पावर आदि अर्थात आयातित स्टेनलेस स्टील ट्यूब से नहीं बनी हुई वस्तुएं थीं। चूंकि अधिसूचना की शर्त को पूर्ण नहीं किया गया था ₹3.04 लाख का शुल्क छूट लाभ वसूली योग्य था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबन्ध 37 निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद पुन: आयातित माल

(पैरा 3.25 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	नोएडा	मैसर्स होन्डा कार्स इंडिया लिमिटेड- जुलाई 2012 में आयातित माल सहायक/उप आयुक्त द्वारा दिये गये विस्तार को प्राप्त करने पर अप्रैल 2013 में (आयात की तिथि से 9 महीने बाद) पुन: निर्यात किया गया था, जो बोर्ड के दिनांक 5.11.1998 के परिपत्र के अनुसार अनियमित था। बांड 2.7.2014 को समाप्त और रद्द कर दिया गया था।	No Reply.
2	मुम्बई जोन II	मैसर्स तुलसी इंजेक्स लिमिटेड ने विस्तार सहित आयात की तिथि से एक वर्ष समाप्त होने के बाद 13 फ्लेक्सि-टैंक पुन: निर्यात किये (15.1.15 तक)। इसके अतिरिक्त, सहायक/उप आयुक्त ने बोर्ड को दिनांक 5.11.1998 के परिपत्र का उल्लंघन करते हुये अतिरिक्त छह माह की अवधि बढाई।छोड़ा गया शुल्क 0.74 लाख था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबन्ध 38 कंटेनरों का कम पुन: निर्यात

(पैरा. 3.25 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	आईसीडी, दादरी नोएडा	मैसर्स इंडिया यामाह मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड-504 ड्यूरेबल कंटेनरों के आयात के प्रति केवल 396 कंटेनरों को निर्धारित अवधि के अंदर पुन: निर्यातित किया गया था जून 2013 जिसके परिणामस्वरूप 108 कंटेनरों का कम पुन: आयात हुआ। आयातक ब्याज सहित ₹ 3.37 लाख के शुल्क के भुगतान का उत्तरदायी है।	अभिलेख पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थे और उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुबन्ध 39 अधिसूचना सं.3/89-सी.शु. के अंतर्गत पुन: आयात में विफलता के मामले में शुल्क की गैर –वसूली

(पैरा 3.29 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	एयरपोर्ट कोलकाता	पहाड़पुर कूलिंग टावर्स (प्रा.) लिमिटेड निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। ₹ 1.01 लाख का शुल्क छोड़ दिया गया।	विभाग ने बताया कि चूँकि अधिसूचना में अधिसूचना 134/94 से संलग्न तालिका की क्रम सं.10 को छोड़कर माल के पुनर्निर्यात हेतू समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। इसलिए यह इस अधिसूचना के अन्तर्गत किये गए सभी प्रकार के आयातों के लिए मान ली गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयातक द्वारा क्रियान्वित बाण्ड स्पष्ट रूप पुनर्निर्यात के लिए एक महीने की समय सीमा विनिर्दिष्ट करता है। इसके अतिरिक्त तालिका की क्रम सं.10 के अन्तर्गत अनुमत 3 वर्ष की अवधि मरम्मत/पुन: अनुकूलन/अभियात्तिकी के लिए किये गए आयात पर लागू होती है और न कि परिक्षण हेतू जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है।

अनुबन्ध 40 छूट के लिये अयोग्य आयातित माल की निकासी

(पैरा. 3.31 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	सीमाशुल्क (पोर्ट) कोलकाता	मैसर्स ब्रह्मपुत्रा क्रेकर और पोलिमर लिमिटेड, डिबरूगढ़, असम- परियोजना आयात के माल सहित एक साथ आयातित और स्वीकृत मद को गलत रूप से भेजा/आपूर्ति किये के रूप घोषित किया था। चूंकि गलत तरीके से आपूर्ति किया गया माल न मरम्मत और वापसी के लिये था और न ही अधिसूचना में उल्लिखित वस्तुओं की किसी भी अन्य श्रेणी के अंतर्गत कवर किया गया था, इस प्रकार, अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क की छूट के लिये अयोग्य थे। इसके परिणामस्वरूप ₹6.64 लाख की शुल्क राशि की अनियमित छूट मिली।	कोई उत्तर नहीं

अनुबन्ध 41 अधिनियम की धारा 74(1) और (2) के अंतर्गत फिरती का अनियमित मंजूरी

(पैरा. 3.40 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	अहमदाबाद	मैसर्स ड्रुएदजच्लर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जनवरी 2014 में ₹ 11.15 लाख, 40 प्रतिशत शुल्क फिरती की स्वीकृति थी। यद्यपि, आयातित माल को 18 माह बाद पुन: निर्यात किया गया था, इसलिए फिरती के लिये पात्र नहीं था।	₹ 2.29 लाख के ब्याज सहित ₹ 13.44 लाख की राशि की वसूली की गई थी।
2	अहमदाबाद	मैसर्स सुपरनोवा इंजीनियर्स लिमिटेड को 18 माह समाप्त होने के बाद पुन: निर्यात प्रयोग किये गये माल पर ₹3.27 लाख की आयात शुल्क राशि के 98 प्रतिशत की दर पर फिरती अनुमत की (अगस्त 2014)।	

अनुबन्ध 42 पुन: निर्यातित रसायन की जांच किये बिना फिरती शुल्क का अनुमोदन

(पैरा. 3.40 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	कोलकाता (पोर्ट)	मैसर्स यूनाइटेड फोस्फोरस लिमिटेड, हल्दिया को सीबीईसी के दिनांक 06.04 के परिपत्र संख्या 34/95-सीयूएस का उल्लंघन करते हुए बिना रसायन जांच के रसायन (मीथाइलीन डाइब्रोमाइड 99 प्रतिशत न्यूनतम) के दोबारा पुन: निर्यात पर ₹ 11.28 लाख की फिरती राशि अनुमत थी। नमूनों की जांच पुन: आयातित माल की पहचान स्थापित करने के अभाव में असमान निर्यातित माल पर अनियमित फिरती की मंजूरी के खतरे से बचने के लिये अनिवार्य की जा सकती है।	₹ 2.29 लाख के ब्याज सहित ₹ 13.44 लाख की राशि की वसूली की गई थी।

अनुबन्ध 43 शिपिंग बिल की तीन प्रतियों के बिना फिरती का भुगतान

(पैरा.3.40 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	कोलकाता (पोर्ट)	मैसर्स लार्सन और टर्बो लिमिटेड को शिपिंग बिल की प्रति के आधार पर और दावेदार से क्षतिपूर्ति बांड प्राप्त करने पर धारा 74 के अंतर्गत 7.38 लाख की फिरती का भुगतान किया गया था क्योंकि शिपिंग बिल की भूल तीसरी प्रति खो गई थी, जैसाकि आयातक द्वारा बताया गया था।	कोई उत्तर नहीं
	एनएससीबीआई एयरपोर्ट, कोलकाता	मैसर्स स्थलमनर्जर एशिया सर्विस लिमिटेड को शिपिंग बिल की प्रति प्रस्तुत करने पर और दावेदार से क्षतिपूर्ति बांड प्राप्त करने पर धारा 74 के अंतर्गत ₹ 3.29 लाख की फिरती का भुगतान किया गया था क्योंकि शिपिंग बिल की मूल तीसरी प्रति खो गई थी, जैसाकि आयातक द्वारा बताया गया था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबन्ध 44 विनिर्मित माल पर धारा 74 के अंतर्गत फिरती का अनियमित मंजूरी

(पैरा. 3.40 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	अहमदाबाद	मैसर्स शिवम इंटरप्राइज – विनिर्माण कार्य (टेफलोन/पीटीईई कोटिंग) के बाद पुन: आयातित सिलेंडरों के लिये अधिनियम की धारा 74(1) के अंतर्गत ₹ 0.46 लाख की राशि का 98 प्रतिशत की दर पर फिरती की स्वीकृति दी गई थी (सितम्बर 2014)।	विभाग ने ₹ 0.05 लाख के ब्याज सहित ₹ 0.41 लाख की राशि की फिरती की वसूली सूचित की।

अनुबन्ध 45 संबंधित लाइसेंस में पुन: क्रेडिटिंग के बजाय नकद में सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत फिरती का गलत मंजूरी

(पैरा. 3.40 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	मुद्रा	मैसर्स ए इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ए इनोवेटिव इंटरनेशनल लिमिटेड को आयातित माल के पुन: निर्यात पर अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत नकद में ₹2.84 लाख की फिरती स्वीकृति की गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि ₹1.09 लाख की राशि आयात के समय पर डीईजीबी और एफएमएस स्क्रिप्ट में वास्तविक रूप से डेबिट किया गया था। संबंधित स्क्रिप्ट में अनुपातिक शुल्क की पुन: क्रेडिटिंग न होने के परिणामस्वरूप ₹ 0.88 लाख की फिरती की गलत मंजूरी हुई।	विभाग ने कहा (जून 2015) कि डीईपीबी के माध्यम से डेबिट किये गये शुल्क का नकद भुगतान किया गया था क्योंकि योजना सरकार द्वारा 2011 में समाप्त कर दी गई थी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एचबीपी प्रावधान में माल के पुन: आयात के मामले में डीईपीबी स्क्रिप्ट के पुन: क्रेडिट के लिये व्यवस्था है।